खण्ड-287, अंक-3
गुरूवार, 3 पौष, शक संवत् 1892
(24 दिसम्बर, 1970 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 287 में 3 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)

१९७१

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य	२६५–२६६
प्रश्नोत्तर (जारी)	२७०–२७७
६ जून, १६७० के तारांकित प्रश्न संख्या ४० के मूल उत्तर का शोधन	२७७
२४ जून, १६७० के तारांकित प्रश्न संख्या २६ के मूल उत्तर का शोधन	२७८
प्रश्नोत्तर	२७८–३०८
नयी कांग्रेस और मुस्लिम लीग के कथित गठबन्धन के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न (जारी)	३०६
विधान सभा सचिवालय के अस्थायी कर्मचारियों को स्थायी करने की मांग ..	३०६
नयी कांग्रेस और मुस्लिम लीग के कथित गठबन्धन के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न	३०६–३१०
उत्तर प्रदेश भूमि विधि (संशोधन) विधेयक, १६७० (विधान परिषद् से वापसी की सूचना)	३१०
उत्तर प्रदेश विनियोग (१६७०–७१ का अनुपूरक) विधेयक, १६७० (विधान परिषद् से वापसी की सूचना)	३१०
दैनिक 'नवजीवन' के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना ..	३१०
विद्युत् उप मंत्री श्री राम प्रसाद देशमुख के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना	३११–३१२
कमिश्नर झांसी के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना ..	३१२
श्री कन्हैयालाल सोनकर के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना	३१३
श्री मंजूर अहमद के साथ मेरठ में किये गये कथित दुर्व्यवहार के सम्बन्ध में की गई जांच के बारे में जानकारी	३१३
श्री अशफाक अहमद द्वारा उपस्थिति रजिस्टर में दूसरे सदस्य के हस्ताक्षर करने के सम्बन्ध में की गई जांच के बारे में जानकारी की मांग ..	३१३–३१४
सदन के इधर-उधर लगी कीलों तथा दोपहर में पानी की सप्लाई बन्द रहने के सम्बन्ध में शिकायत	३१४
बहराइच जिले में लकड़बग्घों तथा भेड़ियों द्वारा बच्चों को घायल करने के सम्बन्ध में वक्तव्य	३१५
गंगा नदी की बाढ़ से गंगा नहर तथा बिजली घरों के बन्द हो जाने के सम्बन्ध में वक्तव्य	३१५–३१८
८ दिसम्बर, १६७० को छात्र यूनियन संबंधी अध्यादेश के विरोध में प्रदर्शन करने वाले नई कांग्रेसी छात्रों की गिरफ्तारी, जेल में निम्न श्रेणी देने तथा जमानत न हो सकने के सम्बन्ध में वक्तव्य	३१८–३२३
उत्तर प्रदेश प्रतिकूल कार्य-कलापों का निवारण विधेयक, १६७० । (विचारो- परान्त पारित)	३२३–३४४
उत्तर प्रदेश गुण्डा नियंत्रण अध्यादेश, १६७० के अननुमोदन का प्रस्ताव तथा उत्तर प्रदेश गुण्डा नियंत्रण विधेयक, १६७० । (अननुमोदन का प्रस्ताव अस्वीकृत तथा बिधेयक पारित)	३४४–३६०

विषय	पृष्ठ संख्या
श्री मंजूर अहमद के विरुद्ध सदन में गलत बयानी करने के सम्बन्ध में विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना	३६०–३६२
मंत्रियों द्वारा शपथ ग्रहण के उपरान्त सरकारी कार्य न करने तथा वेतन आदि वापस करने के सम्बन्ध में विधि बनाने के लिये प्रस्ताव (अस्वीकृत) ..	३६२–३८८
कार्य-स्थगन प्रस्ताव व नियम ५१ के अन्तर्गत सूचनाएं	३८८
जिला जेल, कानपुर के अधिकारियों द्वारा जेल में बन्द सत्याग्रहियों पर बर्बर लाठी चार्ज के सम्बन्ध में नियम ५१ के अन्तर्गत वक्तव्य ..	३८८–३९१
मेरठ में मास्टर प्लान के विरुद्ध मास्टर प्लान का नक्शा बनाने के सम्बन्ध में नियम ५१ के अन्तर्गत वक्तव्य	३९१
बरेली मिशन अस्पताल के कम्पाउन्ड में डा० कुठार द्वारा महात्मा गांधी के चित्र का अपमान करने के सम्बन्ध में नियम ५१ के अन्तर्गत वक्तव्य ..	३९२–३९४
केन्द्रीय सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश को ५ पावर प्रोजेक्ट्स चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत खोलने के सम्बन्ध में नियम ५३ के अन्तर्गत चर्चा ..	३९५–४०४
आगरा यूनिवर्सिटी सिनेट के लिये निर्वाचित सदस्यों के नामों की घोषणा ..	४०४
उत्तर प्रदेश वृत्ति, व्यापार, आजीविका और सेवायोजन कर (निरसन) विधेयक, १९७० (विधान परिषद् से वापसी की सूचना) ..	४०४–४०५
नत्थियां	४०६–४१८

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

बृहस्पतिवार, २४ दिसम्बर, १९७०

विधान सभा की बैठक सभा मण्डप, लखनऊ में ११ बज दिन में अध्यक्ष, श्री आत्मा राम गोविन्द खेर की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।

उपस्थित सदस्य—४०४

अजबसिंह, श्री
अजीत प्रताप सिंह, श्री
अतीकुर्रहमान, श्री
अनन्तराम जायसवाल, श्री
अनवार अहमद, श्री
अनीसुर्रहमान, श्री
अब्दुल गफ्फार हाशमी, श्री
अभिमन्यु प्रसाद पांडेय, श्री
अमरनाथ, श्री
अली जहीर, श्री सैयद
अवधेश कुमार, श्री
अवधेश प्रताप मल्ल, श्री
अशफाक अहमद, श्री
अशरफ अली खां, श्री
अहमदलूत खां, श्री
अहमदुल्ला खां, श्री
आबिद अली, श्री
आशाराम इन्दु, श्री
आशासिंह, श्रीमती
इन्द्रजीत, श्री
इन्द्रमणी, श्री
इन्द्रमोहिनी, श्रीमती
इन्द्रलाल, श्री
इम्तियाज हुसैन, श्री
ईश्वर दयाल त्यागी, श्री
उदय नाथ, श्री
उदय प्रताप सिंह, श्री
उदित नारायण, श्री
उपेन्द्रनाथ, श्री
उमाकान्त बाजपेयी, श्री (उर्फ भैया जी)
उमादत्त शर्मा, श्री
उमानाथ सिंह, श्री
उमाशंकर तिवारी, श्री
उमाशंकर शुक्ला, श्री
ऋषिपाल सिंह, श्री
ए० सी० वाइस, श्री
ओम प्रकाश सिंह, श्री
कन्हैयालाल, श्री
कन्हैयालाल बाल्मीकी, श्री
कन्हैयालाल सोनकर, श्री
करनसिंह, श्री
कलारानी, श्रीमती
कल्पनाथसिंह, श्री
कल्यानसिंह, श्री
काजी मसूद, श्री
किशन लाल, श्री
कुदसिया बेगम, श्रीमती (बेगम एजाज रसूल)
कृपा दयाल, श्री
कृष्णकान्त, श्री
कृष्णचन्द्र, श्री
कृष्णदत्त, श्री (उर्फ बालराज)
कृष्ण मगन सिंह, श्री
कृष्णसिंह, श्री
कृष्ण स्वरूप, श्री
कृष्णानन्द राय, श्री
केदारनाथ, श्री
केशव चन्द्र सिंह, श्री
केशोराम, श्री (जिला बदायूं)
केशोराम, श्री (जिला बरेली)
कोरी सुखलाल, श्री
खचेड़ू सिंह मोहरिया, श्री
गंगा प्रसाद, श्री (जिला एटा)
गंगा प्रसाद, श्री (जिला गोंडा)
गंगा सिंह, श्री
गजेन्द्र सिंह, श्री
गनेशदत्त बाजपेयी, श्री
गया प्रसाद, श्री
गायत्री देवी, श्रीमती
गिरजा शंकर, श्री
गिरधारीलाल, चौधरी
गुलाब सिंह, श्री
गेंदासिंह, श्री
गोपालदत्त, श्री

गोपीनाथ दीक्षित, श्री
गोविन्द सिंह, श्री
गोस्वामी राधा कृष्ण, श्री
घासीराम, श्री
चंचल सिंह, श्री
चतुर्भुज शर्मा, श्री
चन्द्रनारायन सिंह, श्री
चन्द्रपाल आजाद, श्री
चन्द्र प्रताप नरायन सिंह, कुंवर
चन्द्रभान शर्मा, श्री
चन्द्रभानु गुप्त, श्री
चन्द्रमणि कान्त सिंह, श्री
चन्द्र मोहन सिंह नेगी, श्री
चरणसिंह, श्री
चिस्तर सिंह, श्री
चिरंजीलाल, श्री
चेतराम गंगवार, श्री
छांगुरराम, श्री
छेदालाल चौधरी, श्री
जंगबहादुर यादव, श्री
जंगबहादुर सिंह, श्री
जगदम्बा प्रसाद, श्री
जगदीश गांधी, श्री
जगदीश प्रसाद, श्री
जगदीश्वर दयाल, डाक्टर (उर्फ डा० मन्ना)
जगन नाथ खन्ना, श्री
जगन प्रसाद रावत, श्री
जगन्नाथ प्रसाद, श्री
जगमोहन वर्मा, डाक्टर
जगरनाथ, श्री
जगवीर सिंह, श्री
जमादार, श्री
जय नारायण सिंह, श्री
जयराम यादव, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जलील अब्बासी, श्री
जितेन्द्रपाल सिंह, श्री
ज्वाला प्रसाद कुरील, श्री
डी० पी० बोरा, श्री
डूंगर सिह विष्ट, श्री
तिरमल सिंह, श्री
तेज नरायन, श्री
तेजपाल, श्री
तेज बहादुर गंगवार, श्री
तेजभान सिंह, कुंवर
त्रिलोकचन्द, श्री
त्रिवेणी, श्री
त्रिवेणी सहाय, श्री (जिला गोंडा)
दल सिंगार, श्री
दीपनरायन बन, श्री
दीप नारायण मणि, श्री
दुर्जन, श्री
दुलारेलाल, श्री
देवकीनन्दन विभव, श्री
देबराम, श्री
देबेन्द्र सिंह, कुंवर
धनुषधारी पांडेय, श्री
धर्मदत्त, श्री
धर्मवीर, श्री
धर्मवीर सिंह, श्री (जिला मुजफ्फरनगर)
धर्मवीर सिह, श्री (जिला मेरठ)
धर्म सिंह, श्री
धूमप्रसाद, श्री
नगीना सिंह, श्री
नत्था राम रावत, श्री
नरेन्द्र सिंह, श्री
नरेन्द्र सिंह विष्ट, श्री
नरोत्तम सिंह, श्री
नसीम उद्दीन सिद्दीकी, श्री
नारायणदत्त तिवारी, श्री
नारायण दास, श्री
नित्यानन्द स्वामी, श्री
निर्भय नारायण सिंह, श्री
(उर्फ लाल बाबू)
निहाला सिंह, श्री
नेतराम सिंह, श्री
नैनसिंह, श्री
नैपाल, श्री
नौनिहाल सिंह, श्री
पन्नालाल, श्री
परमाईलाल, श्री
पारसनाथ सिंह, श्री
पूरनचन्द, श्री
प्यारी देवी गुप्ता, श्रीमती
प्यारेलाल, श्री
प्रकाश नारायन गुप्ता, डाक्टर
प्रताप नारायण, श्री
प्रभाकर त्रिपाठी, श्री
प्रियदर्शी जेटली, श्री
प्रेमचन्द्र शर्मा, श्री

प्रेमनारायण अहेरवार एडवोकेट, श्री
फिरंगी प्रसाद विशारद, श्री
बंशगोपाल शुक्ल, श्री
बंशीधर, श्री
बंशीधर पांडेय, श्री
बंशीधर मिश्रा, श्री
बच्चा पाठक श्री
बदनसिंह, श्री
बद्री प्रसाद, श्री
बनारसी, श्री
बब्बन, श्री
बलराम सिंह यादव, श्री
बलवीर सिंह, श्री
बसन्तलाल, श्री (जिला जालौन)
बसन्तलाल, श्री (जिला लखनऊ)
बसन्तलाल शर्मा, श्री
बांकेलाल, श्री
बिशन लाल, श्री
बिहारीलाल, श्री
बैजनाथ, श्री (जिला देवरिया)
बैजनाथ, श्री (जिला वाराणसी)
ब्रजराज सिंह, श्री
भगवत दयाल सिलोइया, डाक्टर
भगवती सिंह विशारद, श्री
भगेलू सिंह, श्री
भगौती प्रसाद, श्री
भगौती प्रसाद शुक्ल, श्री
भगौती सिंह, श्री
भानुप्रताप सिंह, श्री (जिला बरेली)
भानुप्रताप सिंह, श्री (जिला बस्ती)
भाभी, श्री
भारतसिंह चौहान, श्री
मंगल उपाध्याय, श्री
मदन मोहन मिश्रा, श्री
मनफूलसिंह, श्री
मनसाराम, श्री
मनोहरलाल, श्री
मन्जूर अहमद, श्री
मलिखान सिंह, श्री
मसाली देवी, श्रीमती
महमूद हसन खां, श्री
महरम सिंह, श्री
महातम, श्री
महादेव प्रसाद, श्री
महावीर सिंह, श्री (जिला अलीगढ़)
महावीर सिंह, श्री (जिला सहारनपुर)
महीरज ध्वज सिंह, श्री (उर्फ बाबू भैया)
महीलाल, श्री
महेन्द्र सिंह, श्री (जिला अलीगढ़)
महेन्द्र सिंह, श्री (जिला मुरादाबाद)
महेश्वरदत्त सिंह, श्री
माखन लाल, श्री
माता प्रसाद, श्री
माधव प्रसाद त्रिपाठी, श्री
मानवती देवी, श्रीमती
मुन्शीलाल चमार, श्री
मुमताज मोहम्मद खां, श्री
मुल्तान सिंह, श्री
मुस्तफा कामिल किदवाई, श्री
मेहरबान सिंह, श्री
मैनेजर सिंह, श्री
मोतीलाल देहलवी, श्री
मोतीलाल यादव, श्री
मोहनलाल, श्री
मोहनलाल कपूर, श्री
मोहनसिंह, श्री
मोहम्मद असरार अहमद, श्री
मो० महमद अली खां, श्री
यादवेन्द्र दत्त दुबे, श्री
रघुनाथ सिंह, श्री (जिला आगरा)
रघुनाथ सिंह, श्री (जिला कानपुर)
रघुनाथ सिंह वर्मा, श्री
रघुवीर सिंह यादव, श्री
रणंजय सिंह, राजा
राजनाथ, श्री
राजपती देवी, श्रीमती
राजबिहारी सिंह, श्री
राज मंगल पाण्डेय, श्री
राजाराम, श्री
राजितराम पाण्डेय, श्री
राजेन्द्र किशोरी, श्रीमती
राजेन्द्र कुमार शर्मा, श्री
राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी, डाक्टर
राजेन्द्र प्रताप सिंह, श्री
राजेश्वर सिंह, श्री
राम अवध, श्री
रामकरन, श्री (जिला गाजीपुर)
रामकरन, श्री (जिला गोरखपुर)
राम किंकर, श्री
रामकिशोर शुक्ल, श्री

राम कुंवर, श्री
रामकुमार, श्री
राम कुमार शास्त्री, श्री
रामगोपाल संड, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामचरण, श्री (जिला इलाहाबाद)
रामचरन, श्री (जिला आगरा)
रामजियावन, श्री
रामजी लाल सहायक, श्री
राम दुलारे, श्री
रामदेव, श्री
रामधारी शास्त्री, श्री
रामनिहोर, श्री
रामनिहोर राय, श्री
रामपति, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामपाल सिंह यादव, चौधरी
रामपूजन पटेल, श्री
रामप्यारे, श्री
रामप्यारे शुक्ला, श्री
राम प्रसाद, श्री
राम प्रसाद देशमुख, श्री
रामबचन, श्री (जिला आजमगढ़, फूलपुर)
रामबचन यादव, श्री (जिला आजमगढ़, रानी की सराय)
राममूर्ति 'अंचल', श्री
रामरतन, श्री
रामरतन पाण्डेय, श्री
रामलखन, श्री
रामलखन सिंह, श्री
राम लगन दुबे, श्री
रामलाल, श्री
रामलाल भाई, श्री
रामलाल राही, श्री
राम विलास पाण्डेय, श्री
रामशिरोमणि, श्री
रामसागर, श्री
रामसिंह, श्री
राम सिंह खन्ना, श्री
रामसूरत सिंह, श्री
राम सेवक, श्री
राम हरख, श्री
राव अब्दुर्राफे खां, श्री
रियासत हुसैन, श्री
रूपनाथ सिंह यादव, श्री
रूप राम, श्री
लक्ष्मणस्वरूप, श्री
लक्ष्मीरमण आचार्य, श्री
लक्ष्मीशंकर यादव, श्री
लालन शर्मा, श्री
लाल बहादुर, श्री
लालसा, श्री
लालसा प्रसाद, श्री
लालू, श्री
लीलाधर, श्री
वशिष्ठ नारायण शर्मा, श्री
वासुदेव, श्री
वासुदेव सिंह, श्री
विक्रम सिंह, श्री
विजयकुमार त्रिपाठी, राजा
विजयपाल सिंह, श्री
विजय बहादुर सिंह, श्री
विजयशंकर सिंह, श्री
विद्यावती राठौर, श्रीमती
विशम्भर सिंह यादव, श्री
विश्रामदास, श्री
विश्वनाथ कपूर, श्री
विश्वनाथ प्रताप सिंह, श्री
वीर बहादुर सिंह, श्री
वीरेन्द्र कुमार, चौधरी
वीरेन्द्र स्वरूप, श्री
शंकर प्रसाद जायसवाल, श्री
शकुन्तला देवी, श्रीमती
शचीन्द्र नाथ बख्शी, श्री
शफीक अहमद खां, श्री
शमीम आलम, श्री
शम्भू नाथ चौधरी, श्री
शम्भूनारायण सिंह, श्री
शान्ती चरन पिड़ारा, श्री
शान्ति देवी, श्रीमती
शान्ति प्रपन्न शर्मा, श्री
शिवकुमार, श्री (जिला शाहजहांपुर)
शिवकुमार, श्री (जिला सुल्तानपुर)
शिवकैलाश, श्री
शिवदास, श्री
शिवपाल सिंह, श्री
शिव प्रसाद पांडिया, श्री
शिवबचन, श्री
शिव महेन्द्र सिंह, कुंवर (उर्फ शेरसिंह)
शिवराज सिंह, श्री

शिवलाल, श्री
शिववक्ष सिंह राठौर, श्री
शिव शंकर, श्री
शिव शंकर सिंह, श्री
शिव सम्पत्ति शर्मा, श्री
शिवानन्द नौटियाल, श्री
शीतला प्रसाद सिंह, श्री
शुकरू, श्री
शर्रसिंह दानू, श्री
शेष नारायण शुक्ल, श्री
शौनाथ सिंह, श्री
श्याम किशोर, डाक्टर
श्यामलाल, श्री
श्यामलाल रावत, श्री
श्याम सुन्दर लाल गुप्त, श्री
(उर्फ छन्नू बाबू)
श्याम सूरत उपाध्याय, श्री
श्रीकृष्ण बाजपेयी, श्री
श्रीनिवास प्रसाद सिंह, राजा
श्रीराम सिंह, श्री
श्रीशचन्द्र, श्री
सईद मुर्तजा, श्री
सच्चिदानन्द, श्री
सजीवन लाल, श्री
सत्तार अहमद, श्री
सन्तराम, श्री
सन्तू, श्री
सरदारसिंह, श्री
सरस्वती देवी, श्रीमती
सर्वसुख सिंह, श्री
सियादुलारी, श्रीमती
सियाराम, श्री
सियाराम गंगवार, डाक्टर
सीताराम, डाक्टर
सुखबीर, श्री
सुखपाल पांडेय, श्री
सुदामा प्रसाद गोस्वामी, श्री
सुरेन्द्र विक्रम, श्री
सूबेदार प्रसाद, श्री
सूबेदार सिंह, श्री
सूरजलाल गुप्त, श्री
सूर्यनाथ उपाध्याय, श्री
सेवाराम, श्री
सैयद मुर्तजा अली खां, नवाब
सोहनलाल धुसिया, श्री
सौभाग्यवती, श्रीमती
स्वामी प्रसाद सिंह, श्री
हंसा, श्री,
हबीब अहमद, श्री
हबीबुर्रहमान, श्री
हमीदा हबीबउल्ला, श्रीमती
हरनरायन, श्री
हरवंश प्रसाद, श्री
हरिनाथ तिवारी, श्री
हरिप्रसाद शाही, डाक्टर
हरिवंश सहाय, श्री
हरिहर बख्श सिंह, राजा
हरीदत्त काण्डपाल, श्री
हरीसिंह विष्ट, श्री
हलीमुद्दीन राहत मौलाई, श्री
हिम्मत सिंह, श्री
हुकुम सिंह परिहार, श्री (जिला आगरा फतेहाबाद)
हुक्म सिंह, श्री (जिला आगरा पश्चिम)
होतीलाल अग्रवाल, श्री

नोट—मुख्य मंत्री श्री त्रिभुवन नारायण सिंह, स्वास्थ्य राज्य मंत्री डाक्टर पुरुषोत्तम दास कपूर तथा राजस्व मंत्री श्री प्रभु नारायण सिंह भी उपस्थित थे।

प्रश्नोत्तर

बृहस्पतिवार, २४ दिसम्बर, १९७०

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

पूर्वी उत्तर प्रदेश के विकास हेतु विधायकों का सम्मेलन

**१—श्री रामगोपाल सण्ड (जिला इलाहाबाद)—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गत १२ दिसम्बर, १९७० को उनकी अध्यक्षता में हुई पूर्वी उत्तर प्रदेश के विधायकों तथा अधिकारियों की बैठक में क्या-क्या निर्णय लिये गये ?

मुख्य मंत्री से सम्बद्ध उप मंत्री (श्रीमती इन्द्र मोहिनी)—

१२ व १३ दिसम्बर, १९७० को लखनऊ में हुये पूर्वी क्षेत्र विकास सम्मेलन के निम्नलिखित मुख्य निर्णय थे ।

१—प्रत्येक जिले में कुछ क्षेत्र चुन लिये जाय और उन क्षेत्रों के प्राकृतिक संसाधन, जन-शक्ति, कच्चा माल, आर्थिक अवस्थापना आदि को ध्यान में रखते हुये सुसम्बद्ध ("Area Development Plan" बनाये जायं ।

२—पूर्वी क्षेत्र की विभिन्न समस्याओं के अध्ययन के लिये कार्यकारी दल बनाये जायं जो क्षेत्र की आवश्यकताओं को देखते हुये योजना की प्राथमिकताओं में परिवर्तन करने के सुझाव दे सकें ।

३—पिछड़े क्षेत्रों का परिव्यय बढ़ाया जाये ताकि पिछड़ेपन को दूर करने की दिशा में ठोस कार्यवाही हो सके ।

४—जहां तक सम्भव हो तुरन्त फल देने वाली परियोजनाओं (Schemes) को प्राथमिकता दी जाये ।

५—कृषि आधारित उद्योगों के विकास का कार्यक्रम बनाया जाये ।

६—पिछड़े क्षेत्रों में उद्योगों में विनियोग बढ़ाने के लिये निगम स्थापित करने पर विचार किया जाये जो कि उद्योगों को ऋण के तौर पर सहायता दे सके ।

७—बेरोजगारी की समस्या दूर करने के लिये उपयुक्त कार्यक्रम शुरू किये जायें तथा रोजगार प्रधान परियोजनायें बनाई जायें और इस संबंध में सड़क, बन्धियों और छोटी हैसियत वालों के मकान निर्माण के व्यापक प्रोग्राम पर जोर दिया जाय ।

८—केन्द्रीय सरकार से पिछड़े क्षेत्रों के विकास हेतु अतिरिक्त सहायता देने, केन्द्रीय औद्योगिक प्रतिष्ठानों (Central Industrial Projects) व एटामिक पावर स्टेशन की उत्तर प्रदेश में स्थापना करने, राज्य सरकार तथा राज्य विद्युत परिषद् के ऋण लेने की सीमा रिजर्व बैंक द्वारा बढ़ाने, केन्द्रीय वित्तीय संस्थाओं द्वारा उत्तर प्रदेश में शाखायें खोलने, केन्द्रीय पूंजी विनियोग (Centrl Capital Investment) में से उत्तर प्रदेश के लिये मुनासिब हिस्सा देने आदि की मांगें लगातार दोहराई जायें ।

९—उद्योगों के विकास के लिये प्रोत्साहन (incentives) दिये जायें ताकि औद्योगिक विकास हों व भूमि पर आबादी का दबाव कम हो ।

१०—सिंचाई व विद्युत कार्यक्रमों को प्राथमिकता दी जाय ।

११—गांवों में बिजली पहुंचाने का एक विस्तृत प्रोग्राम हाथ म लिया जाय।

१२—पूर्वी क्षेत्र की बड़ी नदियों का उपयोग (river training) करने के लिये सर्वेक्षण किया जाये तथा इस कार्य के लिये बेरोजगार इंजीनियरों का उपयोग किया जाये।

१३—विकास कार्यक्रमों को सम्पादित करने के लिये अतिरिक्त साधन जुटाये जायं।

१४—सदस्यों द्वारा दिये गये अन्य सुझावों पर विचार किया जाये।

श्री रामगोपाल सण्ड—

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि यह जो १४ सूत्री कार्यक्रम उन्होंने पढ़ा, उसको कब तक कार्यान्वित कर दिया जायगा? क्या ऐसा भी कोई निर्णय लिया गया है?

श्रीमती इन्द्र मोहिनी—

शरू तो यह हो गया लेकिन खतम होने की तारीख नहीं निश्चित हुई है।

श्री रामगोपाल सण्ड—

इलाहाबाद में जमुना पार का इलाका मेजा और करछना बहुत पीछे है तो वहां के लिये कोई योजना है?

श्रीमती इन्द्र मोहिनी—

यह जो मैंने प्रोग्राम पढ़ा है इसमें इलाहाबाद भी आ जाता है।

श्री राम गोपाल संड—

बेरोजगारी के बारे में भी कहा गया है। यह अन्य क्षेत्रों में भी है, तो क्या इस सम्बन्ध में कोई ठोस योजना है?

श्रीमती इन्द्र मोहिनी—

इसमें तो बड़ी योजना का भी जिक्र है। एटामिक पावर स्टेशन मांगा गया है और जहां तक हो सकेगा बेरोजगारी कम की जावेगी।

श्री राम करन (जिला गोरखपुर)—

क्या मंत्री जी कृपा करके बतलायेंगे कि यह जो पूर्व उत्तर प्रदेश के सम्बन्ध में प्रोग्राम पढ़ा गया है, उसकी योजना को लागू करने के लिये कोई अलग से विकास बोर्ड बनायेंगे जिसके माध्यम से यह लागू होगा या जो आम तरीका सरकार का है उसी के अनुसार कार्य होगा?

श्रीमती इन्द्र मोहिनी—

इसकी जो कमेटीज बनेगी उसमें एम० पीज०, एम० एल० एज०, एम० एल० सीज० और जिला अधिकारी होंगे। वह लोग इसकी कमियों को दूर करेंगे।

श्री गोविन्द सिंह (जिला टिहरी गढ़वाल)—

क्या मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि यह जो अलग से बोर्ड गठित किया जा रहा है, इसको वित्तीय अधिकार भी होंगे?

श्रीमती इन्द्र मोहिनी—

इस पर विचार हो रहा है और वह यह है कि हम लोग मिलकर जितनी भी कठिनाइयां हैं उनको दूर करने की कोशिश करें, जिससे वित्तीय व्यवस्था हो सके।

श्री राम गोपाल संड—

मान्यवर, मुख्य मंत्री जी केन्द्रीय वित्त मंत्री जी से इस सम्बन्ध में मिलने गये थे और उन्होंने पूर्वी यू० पी० के लिये १०० करोड़ रुपये की मांग की थी। तो केन्द्रीय वित्त मंत्री ने क्या आश्वासन दिया है?

श्रीमती इन्द्र मोहिनी—

केन्द्रीय वित्त मंत्री जी से १०० करोड़ रुपया मांगा था और मुख्य मंत्री जी खुद भी मिलने गये थे लेकिन अभी कोई उन्होंने आश्वासन नहीं दिया है ।

श्री रामकुमार शास्त्री (जिला बस्ती)—

क्या मंत्री जी बतलायेंगे कि पूर्वी अंचल में कौन कौन जिले शामिल हैं और किन किन जिलों के विधायकों ने इस में भाग लिया था ?

श्रीमती इन्द्र मोहिनी—

इसमें सूचना की आवश्यकता पड़ेगी ।

श्री नित्यानन्द स्वामी (जिला देहरादून)—

क्या मंत्री जी पूर्वी जिलों के विकास के लिये जो इसके पूर्व पटेल आयोग स्थापित हुआ था उसकी सिफारिशों को भी विचार में रक्खेंगे ?

श्रीमती इन्द्र मोहिनी—

उनके सुझाव भी देखे जायेंगे ।

श्री छांगुर राम (जिला आजमगढ़)—

क्या मंत्री जी बतलायेंगे कि मुख्य मंत्री जी ने केन्द्र से १०० करोड़ रुपये की मांग की थी परन्तु केन्द्र से कोई जवाब नहीं आया है, नकारात्मक जवाब मिला है, तो जो पूर्वी क्षेत्र के विकास के लिये योजना बनी है उसके लिये कोई अलग से भी फन्ड सरकार ने जुटा लिया है, जिसके आधार पर यह कार्य करेंगे ?

श्रीमती इन्द्र मोहिनी—

यह राज्य सरकार के रिसोर्सेज से किये जायेंगे ।

श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)—

क्या मंत्री जी बतलायेंगे कि १०० करोड़ रुपये की मांग क अलावा कुछ निश्चित धन इन १४ प्वायन्ट को पूरा करने के लिये रक्खा गया है या नहीं ?

श्रीमती इन्द्र मोहिनी—

इस पर विचार किया जा रहा है ।

श्री राम लखन सिंह (जिला बस्ती)—

जिन जिलों का विकास किया जा रहा है उनमें सबसे गरीब जिला बस्ती ह, तो क्या उसके विकास के बारे में भी कुछ सोचा गया है ?

श्रीमती इन्द्र मोहिनी—

वह भी योजना में शामिल है जैसे कि बाकी के जिल शामिल हैं ।

जिला परिषदों का चुनाव

**२—श्री शम्भूनाथ चौधरी (जिला बलिया)—

क्या सरकार राज्य में जिला परिषद् के सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली क आधार पर कराने का विचार कर रही है ? यदि हां, तो कैसे ? और पुनः जिला परिषदों का गठन राज्य में कब तक हो जायेगा ?

सामुदायिक विकास मंत्री (श्री मलिखान सिंह)—

प्रश्न विचाराधीन है। अभी कोई निर्णय नहीं हुआ।

श्री नित्यानन्द स्वामी (जिला देहरादून)—

क्या मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि अगले बजट अधिवेशन के पहले इसको पूरा कर लेंगे ?

श्री मलिखान सिंह—

इस बात का प्रयत्न किया जा रहा है कि अगले बजट अधिवेशन के पूर्व इसको करवा लिया जाय।

श्री गोविन्द सिंह —

यह उत्तर दिया गया कि विचार कर रही है। यह कब तक पूरा हो जायगा। क्या यह बताने की कृपा करेंगे कि यह चुनाव कब तक करवा दिये जायेंगे ?

श्री मलिखान सिंह—

पहले ग्राम पंचायतों के, फिर क्षेत्र समितियों के होंगे फिर इनके होंगे। निश्चित समय नहीं बनाया जा सकता है।

श्री राम किशोर शुक्ल (जिला इलाहाबाद)—

क्या कोई समिति इसके लिए सरकार बनाने जा रही है?

श्री मलिखान सिंह—

इस पर भी विचार किया जा रहा है।

श्री छांगुर राम—

मान्यवर, जिस समय कोई प्रश्न किये जाते हैं तो यह कह दिया जाता है कि वह विचाराधीन है और सूचना की आवश्यकता है। स्पष्ट रूप से उत्तर नहीं दिया जाता है। मान्यवर, मुझको यह निवेदन करना है कि भविष्य में आप सरकार को निर्देश दे दें कि जो सवाल विचाराधीन हैं, चाहे उसमें दो चार दिन और अधिक लग जायं परन्तु प्रत्येक उत्तर को पूर्ण रूप से तैयार करके सदन में आवें ताकि सदस्यों को किसी बात की शंका न रह जाय और उनको उनके प्रश्न के पूरे उत्तर मिल सकें। टालने की प्रणाली उचित नहीं है।

श्री अध्यक्ष—

ऐसा करने में काफी लम्बा समय लग जायगा और आपके प्रश्न का उत्तर तो आपको नहीं मिल पायेगा।

अलकनन्दा की बाढ़ से क्षति

**३—श्री नित्यानन्द स्वामी, श्री रामगोपाल संड तथा श्री विजय बहादुर सिंह (जिला मिर्जापुर)—

क्या सिंचाई मंत्री बतायेंगे कि दिनांक २०-२१ जुलाई, १९७० को अलकनन्दा की बाढ़ के बाद हरिद्वार की गंगा नदी में अत्यधिक रेत बढ़ जाने के कारण नहर बन्द हो गई जिससे आठ बिजली के पावर हाउस बन्द हो गये, हजारों एकड़ भूमि की सिंचाई कई माह तक न हो पाई और इस प्रकार लाखों रुपयों की क्षति हुई ? यदि हां, तो कितनी क्षति हुई? क्या यह सही है कि गंगा नहर के रेत ग्रस्त हो जाने को रोका जा सकता था परन्तु सिंचाई विभाग के किसी उच्च अधिकारी की लापरवाही के कारण ऐसा नहीं हो पाया ? यदि हां, तो सरकार ने उक्त अधिकारी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की ?

सिंचाई राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ सिंह)—

यह सही है कि दिनांक २०–२१ जुलाई, १९७० को अलकनन्दा की बाढ़ के बाद हरिद्वार को गंगा नदी में अत्यधिक रेत बढ़ जाने के कारण गंगा नहर को बन्द करना पड़ा जिससे आठ पावर हाउस बन्द हो गये । नंहरबन्दी के समय में आवश्यकतानुसार वर्षा हो जाने के कारण फसलों को कोई विशेष क्षति नहीं हुई । फिर भी इस मामले में जांच की जा रही है । पावर जनरेशन में जो हानि हुई है वह लगभग ६० लाख रु० है । नहर की रेत की सफाई के कार्य पर १.४ करोड़ रु० व्यय का अनुमान है।

प्रश्न का द्वितीय भाग—गंगा नहर की हाल की दुर्घटना की जांच के लिए भारत सरकार ने अलकनन्दा इन्क्वायरी कमेटी नामक एक उच्च स्तरीय कमेटी को नियुक्ति की है जिसने अपना कार्य आरम्भ कर दिया है। कमेटी की जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर ही दुर्घटना का कारण ज्ञात हो सकेगा तथा वे ही यह निर्धारित करेंगे कि इस दुर्घटना के लिये कौन उत्तरदायी हैं ।

प्रश्न का तृतीय भाग—यदि कमेटी ने किसी अधिकारी को उत्तरदायी निर्धारित किया तो उसके विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

क्या माननीय मंत्री जी इस बात को ध्यान में रखते हुए कि जो नियम है हेडक्वार्टर से पानी के निष्कासन के बारे में और जो नियम संख्या १(१०) पन्ना १० पर दिये हैं तो जब पानी बढ़ जाय ा तो नीचे के फाटकों को खोल दिया जायगा । क्या इस सिद्धांत के अनुसार इंजीनियर्स ने काम किया या नहीं, क्या इसकी जांच कराने की कृपा करेंगे ?

श्री कल्पनाथ सिंह—

श्रीमन्, जो इन्क्वायरी कमेटी बनी है उस कमेटी के सामने यह सारा मसला आवेगा कि क्या-क्या काम होना चाहिये था और क्या-क्या नहीं हुआ ।

श्री राम गोपाल संड—

क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे इस बिजली के न पहुंचने से कितनी इंडस्ट्रीज को बिजली नहीं मिली और इससे कितने रुपये की हानि हुई ?

श्री कल्पनाथ सिंह—

इन बिजली घरों के बन्द होने से कोई ऐसी हानि नहीं हुई क्योंकि बिजली की पूर्ति दूसरी जगह से कर दी गई थी ।

श्री शिवराज सिंह (जिला बदायूं)—

मान्यवर, क्या यह सही है कि गंगा नहर हरिद्वार के हेड वर्क्स पर वाटर लेविल रिकार्डर और सिल्ट लेविल रिकार्डर यंत्र लगे हुये थे तो क्या उस हेड वर्क्स पर स्थित इंजीनियर कथित बाढ़ की अवधि में दिन प्रति दिन वाटर और सिल्ट की माप सरकार को तथा चीफ इंजीनियर को भेजते रहे?

श्री कल्पनाथ सिंह—

जहां तक वाटर लेविल रिकार्डर के यंत्र का प्रश्न है वह वहां लगा हुआ था, लेकिन सिल्ट के नापने की वहां इसके पूर्व कोई व्यवस्था नहीं थी ।

श्री शिवराज सिंह--

मान्यवर, मुझे इस प्रश्न का उत्तर मिला ही नहीं कि उस बाढ़ की अवधि में दिन प्रति दिन वहां के इंजीनियर ने सिल्ट की रीडिंग को भेजा या नहीं ?

श्री कल्पनाथ सिंह--

मान्यवर, मैंने पहले ही कहा कि जहां तक वाटर लेबिल रीडिंग का ताल्लुक है वह यंत्र वहां था, लेकिन जहां तक सिल्ट रिकार्डर का ताल्लुक है कि पानी में कितनी सिल्ट पहुंच रही है, वहां इस प्रकार का कोई यंत्र नहीं था ।

श्री नारायण दत्त तिवारी (जिला नैनीताल)--

मान्यवर, क्या यह सही है कि जो अलकनन्दा की बाढ़ पिछली २०-२१ जुलाई को आई थी वह हरिद्वार डेढ़ दो दिन बाद पहुंची और श्रीनगर--ऋषिकेश में सिल्ट पहले ही आ गई थी और इसकी जानकारी नहर विभाग को थी । यह जानते हुये भी क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि गंग नहर को क्यों नहीं बन्द किया गया ?

श्री कल्पनाथ सिंह--

जो सूचना मेरे पास है उसमें ऐसी कोई बात की जानकारी नहीं है कि श्रीनगर-ऋषिकेश में सिल्ट कितनी आ गई थी । लेकिन नहर को चालू इसलिए रखा गया कि किसानों को पानी की आवश्यकता थी ।

श्री चन्द्र भान शर्मा (जिला मुजफ्फर नगर)--

क्या सरकार बतायेगी कि श्री एस० पी० गर्ग, डायरेक्टर, रिसर्च इंस्टीट्यूट, रुड़की को इस कमेटी का क्यों मेम्बर बनाया गया ?

श्री कल्पनाथ सिंह--

श्रीमन्, क्यों बनाया गया यह केंद्रीय सरकार का विषय है क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार ने केन्द्र से केवल एक कमेटी को गठित करने के लिये कहा था और कमेटी के गठन का काम केंद्र ने किया ।

श्री रामगोपाल संड--

क्या माननीय मंत्री बतलायेंगे कि यह जो १.४० करोड़रुपया बालू निकालने के लिये व्यय होगा तो अब तक कितना रुपया व्यय किया जा चुका है और कितना बालू निकाला जा चुका है ?

श्री कल्पनाथ सिंह--

यह सही है कि १.४० करोड़ रुपया खर्च होने का अनुमान है और यह भी सही है कि सिल्ट निकाला जा चुका है क्योंकि नहर चल गयी है और उससे किसानों को लाभ हो रहा। जहां तक सही आंकड़ों का ताल्लुक है सही आंकड़े इस सिलसिले में उपलब्ध नहीं है, इसलिये अनुमान की बात कही जा रही है ।

श्रीमती शकुंतला देवी (जिला सहारनपुर)--

जो सलाहकार समिति बनाई गयी है उसके कौन-कौन सदस्य हैं और उसकी रिपोर्ट सदन में कब तक रखी जायगी ?

श्री कल्पनाथ सिंह—

समिति के सदस्य ये है—

१—श्री एन० जी० के० मूर्ति, अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निदेशक, जल तथा विद्युत् निकास सलाहकारी सेवायें (भारत) लि०, नई दिल्ली ।

२—श्री एस० के० जन, अध्यक्ष केंद्रीय जल तथा विद्युत् आयोग, नई दिल्ली ।

३—श्री जे० पी० नएगापवाला, सदस्य कद्रीय जल तथा विद्युत् आयोग, नई दिल्ली।

४—प्रोफेसर आर० एस० चतुर्वेदी, हरकोर्ट बटलर टेक्निकल इंस्टीट्यूट, कानपुर ।

५—श्री जीतेंद्र सिंह, सेवा निवृत्त मुख्य अभियंता (सिचाई) पंजाब और सलाहकार सिंचाई व विद्युत् मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली ।

६—श्री एस० बी० गर्ग, निदेशक, उत्तर प्रदेश सिंचाई अनुसंधान संस्थान, रुड़की।

इस कमेटी की रिपोर्ट जब आयेगी तो केंद्रीय सरकार के पास जायेगी। क्या स्थिति होगी उस समय की बात है, यह सवाल इस समय उत्पन्न नहीं होता ।

श्री शिवराज सिंह—

क्या यह सही है कि गंगा नहर हेडवर्कस पर स्थित विभागीय इंजीनियर ने सिल्ट में बढ़ती हुई रफ्तार को देखते हुए सरकार से फाटक खोलने की इजाजत मांगी थी लेकिन वह इजाजत उसे नहीं दी गयी ?

श्री कल्पनाथ सिंह—

ऐसी कोई सूचना उपलब्ध नहीं है ।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

क्या सरकार यह आश्वासन देगी कि जिन अधिकारियों क खिलाफ दोष साबित हो जायगा उनको निलम्बित कर दिया जायगा ?

श्री कल्पनाथ सिंह—

जो टर्म्स आफ रिफरेंस हैं उनके मुताबिक जांच होगी। अभी कमेटी ने कोई ऐसी रिपोर्ट नहीं भेजी है कि फलां अधिकारी दोषी है । मैंने पहले ही उत्तर में यह बतला दिया है कि जिस समय सरकार को यह मालूम होगा कि इन-इन अधिकारियों का इसमें दोष है उनके खिलाफ उचित कार्यवाही की जायगी ।

गाजियाबाद नगरपालिका के अध्यापकों को महंगाई भत्ता

**४—श्री मोहन लाल कपूर (जिला मेरठ)—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गाजियाबाद नगरपालिका के प्रशासक का आवेदन कि नगरपालिका के अध्यापकों का महंगाई भत्ता बढ़ाया जाय प्राप्त हुआ ? यदि हां, तो यह महंगाई भत्ता अध्यापकों को कब तक दिया जायेगा ?

शिक्षा राज्य मंत्री (राजा विजय कुमार त्रिपाठी)—

जी हां, नगरपालिका, गाजियाबाद के अध्यापकों के महंगाई भत्ता बढ़ाये जाने का प्रश्न शासन के विचाराधीन है ।

श्री मोहन लाल कपूर—

क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि इस महगाई भत्त के सिलसिले में नगर महापालिका के प्रशासक का कोई पत्र सरकार को प्राप्त हुआ है ?

राजा विजय कुमार त्रिपाठी—

नगर महापालिका गाजियाबाद द्वारा दिनांक २२ अगस्त, ७० को एक पत्र भेजा गया था जो शासन को १-९-७० को मिला था ।

श्री राम किशोर शुक्ल—

क्या माननीय शिक्षा मंत्री जी यह बतायेंगे कि इस पर कब तक निर्णय ले लिया जायगा ?

राजा विजय कुमार त्रिपाठी—

इस संबंध में महापालिका से कुछ कागजात मांगे गये थे, उनके आ जाने के बाद इस पर निर्णय ले लिया जायगा ।

श्री मोहन लाल कपूर—

क्या नगर महापालिका गाजियाबाद ने यह जिम्मेदारी ले ली है कि भत्त क जितने रुपये हों वे अपने कोष से देंगे? यदि ऐसी बात है तो फिर सरकार क्यों आज्ञा नहीं दे देती?

राजा विजय कुमार त्रिपाठी—

श्रीमन्, मैंने अभी निवेदन किया कि महापालिका से इस संबंध में कुछ जानकारी की गयी है। उनका प्रस्ताव मांगा गया है जो उन्होंने पास किया है, प्रतिलिपि आ जाने पर उस पर विचार किया जायगा ।

९ जून, १९७० के तारांकित प्रश्न संख्या ४० के मूल उत्तर का शोधन

सहकारिता राज्य मंत्री (श्री मोतीलाल देहलवी)—

मूल प्रश्न

*४०—श्री रामधारी शास्त्री (जिला देवरिया)—

क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि उक्त जनता केंद्रीय उपभोक्ता भंडार में आडिट रिपोर्ट के अनुसार एक लाख से अधिक का गबन व गोलमाल है? यदि हां, तो क्या सरकार उसी संस्था को कोल्ड स्टोरेज के लिये एक लम्बी रकम फिर कर्ज रूप में देने जा रही है ?

मूल उत्तर

प्रश्न नहीं उठता ।

संशोधित उत्तर

विशेष सम्प्रेक्षण के अनुसार जनता थोक केंद्रीय उपभोक्ता भंडार लि०, देवरिया में वर्ष १९६६-६७ में और वर्ष १९६७-६८ में ५०,६१७.७९ रु० का नकद और स्टाक के रूप में अपहरण प्रकाश में आया है जैसा कि प्रश्न ३९ के उत्तर में बताया जा चुका है। उक्त भंडार को कोल्ड स्टोरेज खोलने के लिये कोई कर्ज नहीं दिया जा रहा है ।

२४ जून, १९७० के तारांकित प्रश्न संख्या २६ के मूल उत्तर का शोधन

राजस्व उपमंत्री (श्री राम वचन यादव)—

मूल प्रश्न

*२६—श्री गया प्रसाद (जिला प्रतापगढ़) श्री हरिवंश सहाय (जिला देवरिया)—

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि ग्राम बमनौली कलां, तहसील सलेमपुर, जिला देवरिया में सीलिंग ऐक्ट से कितने एकड़ भूमि प्राप्त हुई ? क्या यह जमीन भूमिहीनों तथा हरिजनों में बांटी गई ? यदि नहीं, तो क्यों और अब उसे कब तक वितरित किया जायगा?

मूल उत्तर

गांव बमनौली कलां, तहसील सलेमपुर में सीलिंग ऐक्ट के अन्तर्गत प्राप्त कुल ०.९८ डि० भूमि उपलब्ध हैं जिसे भूमिहीनों में वितरित करने के लिए उस गांव के भूमिहीनों की सूची तैयार करके उसकी जांच कर ली गई है। भूमि पट्टे पर शीघ्र उठा दी जायगी।

संशोधित उत्तर

गांव बमनौली कलां, तहसील सलेमपुर में सीलिंग ऐक्ट के अन्तर्गत प्राप्त ०.९८ डि० भूमि उपलब्ध है। इस गांव सभा में उपलब्ध भूमि १५ एकड़ से कम है इसलिये धारा २७ (१) सीलिंग ऐक्ट के अन्तर्गत गांव सभा को ही दी जा सकती थी। अतः उक्त भूमि को भूमि हीनों में वितरित किये जाने का प्रश्न नहीं उठता।

श्री गंगा प्रसाद (जिला गोंडा)—

क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि जो जमीन सीलिंग से बची है उसको गांव समाज को न देकर भूमिहीनों को देने में क्या अड़चन है?

श्री दीपनारायण मणि—

८ प्रतिशत से जमीन ज्यादा होती है तब गांव समाज के अतिरिक्त किसी को देने का प्रश्न उठता है।

श्री गंगा प्रसाद—

जब उस जमीन पर दूसरे लोगों ने कब्जा किया हुआ था फिर वह गांव समाज को क्यों दी गयी? जो और अनधिकार कब्जा है उसकी जांच मंत्री जी करायेंगे ?

श्री दीप नारायण मणि—

श्रीमन्, कुल जमीन ०·९८ एकड़ थी इसलिये वह गांव समाज को दे दी गयी। उसको बांटने का प्रश्न ही नहीं उठता। दूसरा प्रश्न यह किया गया कि अनधिकार कब्जा लोगों ने कर रखा है, इसको भी दिखला लिया जायगा।

प्रश्नोत्तर (क्रमागत)

तारांकित प्रश्न

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, १९५८ के नियम २९(४) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न]

विभागों के आवंटन के पूर्व, मंत्रियों द्वारा दौरा

*१—श्री जितेंद्रपाल सिंह (जिला मुरादाबाद) (अनुपस्थित) तथा श्री रामकिशोर शुक्ल—

क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि मौजूदा संविद के मंत्रियों व उप मंत्रियों ने विभाग के आवंटन के पूर्व ही दौरे किये ? यदि हां, तो कहां-कहां के दौरे किये ?

क्या मंत्रीगण बिना विभाग के सरकार के खर्चे पर दौरा कर सकते हैं ? यदि नहीं, तो जिन-बिना विभाग मंत्रियों ने सरकार के खर्चे पर दौरे किये हैं उनके विरुद्ध सरकार कोई कार्यवाही करेगी ? क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उपर्युक्त मंत्रियों पर टी० ए० की कितनी-कितनी धनराशि व्यय हुई है ?

श्रीमती इन्द्रमोहिनी—

जी हां । जिन स्थानों का दौरा किया गया उसकी सूचना संलग्न है । विभाग के आवंटन के पूर्व मंत्रियों/उप मंत्रियों द्वारा सरकारी खर्चे पर दौरा किये जाने पर कोई प्रतिबन्ध नहीं है । अतः कोई कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता । कार्य आवंटन से पूर्व मंत्रियों/उप-मंत्रियों द्वारा किये गये दौरों पर हुए व्यय की सूचना अभी उपलब्ध नहीं है, एकत्र की जा रही है।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ ४०६–४०७पर)

श्री रामकिशोर शुक्ल—

क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि जब मंत्रियों को कोई कार्य ही वितरित नहीं किया गया तो वे कौन से सरकारी दौरे करते हैं ?

श्रीमती इन्द्रमोहिनी—

खास तौर से कोई डिपार्टमेंट नहीं बंटे थे तो यही कह सकते हैं कि सभी चीजों को देखने गये ।

श्री छांगुर राम—

क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि अभी उन्होंने कहा सूची संलग्न है लेकिन सूची केवल प्रश्नकर्ता के पास है और इसलिये जो मंत्री दौरे पर गये उनके नाम बतलाने की कृपा करेंगे ?

श्री शांति प्रपन्न शर्मा—

लिस्ट कमरे में आकर देख लें ।

श्री छांगुर राम—

कमरे में देखने की बात है तो मैं अकेला देख लूंगा । लेकिन अगर उनको यहां सुना दिये जायेंगे तो सभी माननीय सदस्य जान जायेंगे ।

श्रीमती इन्द्रमोहिनी—

मैं उनके नाम पढ़े देती हूं :—

१—श्रीमती कुदसिया बेगम	..	कानपुर ।
२—श्री कैलाश प्रकाश	..	दिल्ली तथा मेरठ ।
३—श्री लक्ष्मी रमण आचार्य	..	मथुरा, रायबरेली ।
४—श्री बलवीर सिंह	..	मेरठ ।
५—श्री हिम्मत सिंह	..	आगरा ।
६—श्री रूपनाथ यादव	..	बराबंकी, इलाहाबाद, वाराणसी ।
७—श्री प्रभुनारायण सिंह	..	वाराणसी, कानपुर, इलाहाबाद ।
८—श्री रामकिंकर	..	बाराबंकी, प्रतापगढ़ ।
९—श्री अनवार अहमद	..	उन्नाव ।
१०—श्री मलखान सिंह	..	मैनपुरी ।
११—श्री रामसागर	..	जौनपुर ।

राज्य मंत्री—

१२—श्री मोहम्मद असरार अहमद	..	बरेली, बदायूं ।
१३—श्री दीपनारायण मणि त्रिपाठी	..	बाराबंकी, कानपुर, वाराणसी ।
१४—श्री रामसिंह खन्ना	..	कानपुर, सीतापुर, बरेली ।
१५—श्री पुरुषोत्तमदास कपूर	..	कानपुर हरिद्वार, नरेंद्रनगर, चम्बा, टेहरी गढ़वाल, श्रीनगर, पौड़ी गढ़वाल, लैन्सडाउन, डुगड्डा कोटद्वार, नजीबाबाद ।
१६—श्री प्रभाकर त्रिपाठी	..	कानपुर, गोरखपुर ।
१७—श्री विजय कुमार त्रिपाठी	..	कानपुर, गोरखपुर ।
१८—श्री रामधारी शास्त्री	..	देवरिया और मथुरा ।
१९—श्री राजेंद्र प्रताप सिंह	..	रायबरेली, कानपुर, बहराइच, गोंडा ।
२०—श्री मुंशी लाल चमार	..	आगरा, मैनपुरी व इटावा ।
२१—श्री कृष्ण स्वरूप वैश्य	..	बरेली, बदायूं, कानपुर व आगरा ।
२२—श्री मोतीलाल देहलवी	..	बाराबंकी, इलाहाबाद, कानपुर और प्रतापगढ़ ।
२३—श्री धर्मबीर	..	सुल्तानपुर, इलाहाबाद, कानपुर, उरई ।
२४—श्री मनोहर लाल	..	कानपुर ।

उप-मंत्री—

२४(क) श्री रामवचन यादव	..	आजमगढ़ ।
२५—श्री सय्यद मुहम्मद सईद मुतर्जा	..	मुजफ्फरनगर, सहारनपुर और मेरठ ।
२६—श्री सर्वसुख सिंह	..	कानपुर ।
२७—श्री महीलाल	..	मुरादाबाद ।
२८—श्री मोहनलाल	..	हमीरपुर ।
२९—श्री डूंगर सिंह	..	नैनीताल ।
३०—श्री अहमद लूत खां	..	अलीगढ़
३१—श्री रघुबीर सिंह	..	ग्राम इंटौजा ।

श्री हबीबुर्रहमान नोमानी—आजमगढ़, फैजाबाद, श्री भारत सिंह चौहान—इटावा, श्री राम बचन, आजमगढ़, श्री अनीसुर्रहमान शेरवानी—बाराबंकी, रायबरेली, कानपुर, अलीगढ़ तथा सीतापुर, श्री श्याम सूरत उपाध्याय—इलाहाबाद, श्री गंगा प्रसाद—एटा, श्रीमती इन्द्रमोहिनी—मुरादाबाद, श्री रघुनाथ सिंह—आगरा ।

श्री गोबिन्द सिंह—

क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि चूंकि मंत्री लोगों ने सरकारी काम से दौरा नहीं किया है अतः उनको उस दौरे का भत्ता न दिया जाय ?

श्री अध्यक्ष—

यह प्रश्न आप जब इस प्रश्न पर विवाद हो, तब कर सकते हैं । प्रश्नों के समय में नहीं ।

श्री रियासत हुसन—

मान्यवर, एक प्रश्न मेरा भी सुन लें.....(व्यवधान)

सहकारिता मंत्री (श्री कृष्णानन्द राय)—

श्रीमन्, इस विषय पर माननीय नारायण दत्त तिवारी जी का संकल्प आया है जिसमें यह उल्लेख किया गया है कि मिनिस्टर्स और डिप्टी मिनिस्टर्स के क्या-क्या कर्त्तव्य हैं उस पर डिस्कशन होगा । उस समय सदन के माननीय सदस्यों को मौका मिलेगा । मैं समझता हूं कि इस समय इस प्रश्न को माननीय सदस्य न उठायें ।

श्री अध्यक्ष—

आप देख रहे हैं कि मैं तो उनको इजाजत नहीं दे रहा हूं । मैं उन्हें रोक रहा हूं ।

डाक्टर राजेंद्र कुमारी बाजपेयी (जिला इलाहाबाद)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा कि आज मैंने अखबार में पढ़ा कि माननीया इन्द्रमोहिनी ने अखबार वालों के सामने यह कहा कि वे अपने उप-मंत्रित्व पद का उन दिनों का भत्ता नहीं लेंगी और इस प्रकार उन्होंने एक उदाहरण प्रस्तुत किया है उसी प्रकार इसी उदाहरण को ध्यान में रखते हुये अन्य मंत्रीगण भी जिन्होंने बिना सरकारी काम के दौरा किया है उसकी कटौती स्वयं सरेंडर कर देंगे ?

श्री अध्यक्ष—

इस समय यह प्रश्न नहीं उठता । जब संकल्प पर विवाद होगा, उस समय आप इसे पूछ लें ।

श्री त्रिवेणी—

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सरकार से पूछना चाहता हूं कि जब विभाग नहीं बटे थे तो क्या सरकार के पास कोई नियम है जो कि बिना विभाग बंटे हुए सरकारी काम से दौरा कर सकते हैं ?

श्री अध्यक्ष—

इस प्रश्न को पूछने का आपको बाद में समय मिलेगा ।

सरकारी प्रतिनिधि मंडल की जापान यात्रा

*२—चौधरी रामपाल सिंह यादव (जिला कानपुर)—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि अगस्त, सन् १९७० में राज्य का एक प्रतिनिधि मंडल जापान गया है ? यदि हां, तो इस प्रतिनिधि मंडल में कौन-कौन व्यक्ति सरकारी हैं और कौन-कौन गैर-सरकारी तथा गैर-सरकारी व्यक्तियों में कौन-कौन व्यक्ति किस-किस राजनैतिक दल से संबंधित हैं और इनमें से कौन-कौन पिछड़ी जाति के हैं ? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि इस प्रकार का प्रतिनिधि मंडल भेजने का अभिप्राय क्या है और इस प्रतिनिधि मंडल पर कुल कितना रुपया सरकार का व्यय हुआ है ?

श्रीमती इन्द्रमोहिनी—

अगस्त, सितम्बर, १९७० में एक सरकारी प्रतिनिधि मंडल कृषि एवं उद्योग के क्षत्र के अध्ययन करने हेतु जापान गया था । प्रतिनिधि मंडल में सभी व्यक्ति सरकारी थे । इस पर हुए खर्चे से संबंधित सूचना एकत्र की जा रही है।

चौधरी रामपाल सिंह यादव---

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि जापान जो प्रतिनिधि मंडल गया था उनमें जो व्यक्ति गये थे उनके नाम क्या-क्या हैं ?

श्रीमती इन्द्रमोहिनी---

श्री बेनी सिंह, भूतपूर्व इंडस्ट्रीज मिनिस्टर, श्री शिवराज सिंह, एग्रीकल्चर मिनिस्टर, श्री मुसद्दीलाल, चीफ सेक्रेटरी तथा श्री राजेंद्र सिंह आजाद ज्वाइंट सेक्रेटरी ।

चौधरी रामपालसिंह यादव---

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि उस प्रतिनिधि मंडल में कुछ विधायक भी थे ? यदि हां, तो उनके नाम क्या--क्या हैं ?

श्रीमती इन्द्रमोहिनी---

विधायकों की सूचना इसमें नहीं है ।

चौधरी रामपालसिंह यादव---

मैं आपको सूचना देना चाहता हूं कि इसमें कई विधायक गये थे, उत्तर अधूरा दिया जा रहा है ।

श्री निर्भय नारायण सिंह (जिला बलिया)---

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि इसी डेलीगेशन के साथ एग्रो इंडस्ट्रियल कारपोरेशन का डेलीगेशन भी जापान गया था और उसमें विधायक थे?

श्री अध्यक्ष---

राज्य का प्रतिनिधि मंडल जापान गया था यह पूछा है । दूसरा सवाल कीजिये।

चौधरी रामपाल सिंह यादव ।

क्या मंत्री जी बतायगे कि यह डेलीगेशन किस उद्देश्य से गया था ?

श्रीमती इन्द्रमोहिनी---

यह कृषि समस्या, इकोनोमिक समस्या और जो ट्रेड उनके साथ हो सकती है, इन सब चीजों को देखने के लिये गया था ।

श्री त्रिवेणी---

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि डेलीगेशन के वापस आने के बाद उसके प्रसार के लिए सरकार ने क्या व्यवस्था की ?

श्रीमती इन्द्रमोहिनी---

इसकी रिपोर्ट सरकार के विचाराधीन है ।

श्री चन्द्रभान शर्मा---

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि इसके अन्दर गैर--सरकारी आदमी भी गये थे ?

श्रीमती इन्द्रमोहिनी---

नहीं गये थे ।

श्री देवकी नन्दन विभव (जिला आगरा)—

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि इस के ऊपर कितना व्यय हुआ और उसके कार्य का क्या परिणाम हुआ ?

श्रीमती इन्द्र मोहिनी—

करीब ३६,१२६ रुपये खर्च हुये।

श्री डी० पी० बोरा—

क्या माननीय मुख्य मंत्री जी बतायेंगे कि उस प्रतिनिधि मंडल में उस समय के जो कृषि मंत्री थे श्री शिवराज सिंह, उनके भाई और उनके भाई के साले साहब भी गये थे ?

श्रीमती इन्द्र मोहिनी—

इसके बारे में तो कोई सूचना है नहीं, मंगा ली जायेगी ।

श्री छांगुर राम—

यह सवाल सितम्बर में पूछा गया और जिस उद्देश्य से प्रतिनिधि मंडल गया था कि वहां से देखकर यहां रिपोर्ट देगा और सरकार उस पर अमल करेंगी, तो तीन-चार महीने हो गये और अभी वह मामला विचाराधीन है। तो मैं यह जानना चाहता हूं कि उस रिपोर्ट के सम्बन्ध में मैं क्या पूछूं जब वह सब विचाराधीन ही है ?

श्री त्रिवेणी—

जो प्रतिनिधि मंडल सरकार ने जापान भेजा था वह इस दृष्टिकोण से गया था कि वहां की कृषि पद्धति को देखकर अपने प्रदेश में वैसी ही कृषि पद्धति हम कायम करेंगे। मैं यह पूछ रहा था कि सरकार ने उसकी क्या व्यवस्था की और प्रतिनिधि मंडल के लौटने के बाद उससे हमारा प्रदेश क्या लाभ उठा रहा है ?

विद्युत मंत्री (श्री शान्ति प्रपन्न शर्मा)—

जैसा कि आपको पता है उसमें हमारे दो मंत्री थे, चीफ सेक्रेटरी थे और एक दूसरे सेक्रेट्री थे। उन्होंने जो वहां देखा और जो ज्ञान वहां से लाये हैं कृषि मंत्री जी ने अपने विभाग में उसको चलाने की कोशिश की। लेकिन उसके बाद भी उन्होंने एक रिपोर्ट थोड़ी सी दी और उसके हिसाब से हम यहां थोड़ी सी तब्दीली करना चाहते हैं, उस ज्ञान का हम फायदा उठाना चाहते हैं। वह हमारे विचाराधीन है। उनका ज्ञान तो अब भी है। कृषि मंत्री जी इधर बैठे हों या उधर बैठे हों, उद्योग मंत्री जी उधर हों तो उधर से भी हम उनके ज्ञान का फायदा उठायेंगे ।

श्री स्वामी प्रसाद सिंह—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जो प्रतिनिधि मंडल जापान होकर लौटा उसकी जो राय है वह क्या एक रिपोर्ट के रूप में लिखित है और अगर वह लिखित है तो सरकार उसे सदन के पटल पर रखने की कृपा करेगी ?

श्री शान्ति प्रपन्न शर्मा—

उनकी एक स्टडी रिपोर्ट है, कोई उस तरह की रिपोर्ट नहीं है। उस पर विचार हो रहा है।

श्री इन्द्रमणी (जिला टिहरी गढ़वाल)—

व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष—

कल अविष्ठाता महोदय ने कह दिया था कि अस्तरकारी दिन का वर्क है। अगर व्यवस्था का प्रश्न इसमें उठायेंगे तो फिर काम कैसे चलेगा।

जिला प्रतापगढ़ में भीषण वर्षा से क्षति

*३—श्री रामदेव (जिला प्रतापगढ़)—

क्या सरकार को जानकारी है कि प्रतापगढ़ जनपद के अन्तर्गत १२ सितम्बर से १७ सितम्बर, १९७० तक निरन्तर भीषण वर्षा के फलस्वरूप हजारों घर प्रवाहित हो गये एवं लाखों एकड़ भूमि का धान आदि की फसल नष्ट हो गई ? यदि हां, तो सरकार ने संकट ग्रस्त सम्पूर्ण जनपद की राहत के लिये अभी तक क्या-क्या कार्यवाही की है ? क्या सरकार को यह भी जानकारी है कि प्रतापगढ़ जनपद का कौन-कौन भाग बाढ़ से अधिकाधिक प्रभावित होता रहा है ? बाढ़ से राहत पाने के लिये उक्त जनपद में सरकार ने क्या व्यवस्था की है ?

राजस्व उप मंत्री (श्री राम वचन यादव)—

जी हां, ३८ हजार गृह क्षति ग्रस्त हुए तथा २ लाख ६० हजार एकड़ भूमि पर खड़ी खरीफ की फसल क्षति ग्रस्त हो गई। १५ लाख ८९ हजार रुपये अहेतुक तथा निःशुल्क गृह निर्माण सहायता तथा ४ लाख २० हजार रुपये आपदा तकाबी पीड़ितों को वितरित करने हेतु प्रदान की जा चुकी है।

तहसील सदर के वे ग्राम जो सई नदी, चमरौरा लोनी एवं सकरानी नदियों के किनारे पर हैं, तहसील कुंडा के वे ग्राम जो गंगा, सई और अमुलाही नदियों के किनारे पर हैं तथा तहसील पट्टी के दमदम, सुजहा, अन्तरी, जानपुर, बोर्रा, सुल्तानपुर, डिबडट और रिसालगढ़ तथा सई नदी, पीली व गोमती नदी के किनारे पर पड़ने वाले ग्राम अधिकाधिक प्रभावित होते रहे हैं। ८ नये नालों का १९.२ मील की लम्बाई में निर्माण तथा ३० नालों को ८.०५ मील की लम्बाई में रिमाडलिंग की योजना बनाई गई है।

श्री रामदेव—

क्या मंत्री महोदय बतलायेंगे कि जो ३८ हजार घर नष्ट हुये हैं और क्षतिग्रस्त हुये हैं उन सभी को अहेतुक सहायता या तकाबी दी जा चुकी है ? यदि दी जा चुकी है तो प्रति अति ग्रस्त घर को कितना दिया गया है ?

राजस्व राज्य मंत्री (श्री दीपनारायण मणि)—

यह उत्तर की सूची में दिया हुआ है। १०० रुपये के स्थान पर २०० रुपये की व्यवस्था की गई है और वह सब को दी जा चुकी है।

श्री रामदेव—

मेरी जानकारी यह है कि १००, २०० नहीं बल्कि किसी को २० रु०, किसी को १५ रु०, किसी को २५ रु० और वह भी क्षतिग्रस्त घरों को नहीं दिया गया है तो मंत्री जी बतलायेंगे कि ऐसा क्यों किया गया ?

श्री दीपनारायण मणि—

सहायता देने की एक व्यवस्था माल विभाग की तरफ से है उसमें अहेतुक सहायता दीजा चुकी है घर बनाने के लिये और भूमि वालों के लिये तकाबी लेने की व्यवस्था है। सब लोगों को इस प्रकार से सहायता देना सम्भव नहीं है।

श्री जयराम यादव (जिला प्रतापगढ़)—

क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि ३८ हजार मकान गिरने और २ लाख ६० हजार एकड़ खरीफ की फसल क्षतिग्रस्त हुई तो उसका कुल कितने मूल्यांकन की क्षति हुई ?

श्री दीपनारायण मणि—

यह उत्तर के विस्तार में दिया हुआ है कि कितनी क्षति हुई है और कितनी फसल प्रभावित हुई ।

श्री शिव कुमार (जिला सुल्तानपुर)—

इस बात को देखते हुये कि हर साल बाढ़ से बहुत बड़े क्षेत्र का नुकसान हो जाता है तो सरकार विशेषज्ञों की राय से कोई योजना बाढ़ से बचाने के लिये बनायेगी ?

श्री दीपनारायण मणि—

इस प्रदेश के लिये बाढ़ की समस्या एक भीषण समस्या है। वह कई जिलों की समस्या है। बाढ़ का न आना भी दुर्भाग्य होगा। बाढ़ को रोकने के लिये कोई व्यवस्था नहीं है लेकिन तत्काल उपचार के लिये इस शासन ने व्यवस्था की है। विशेष कर प्रतापगढ़ के लिये ३८ योजनायें स्वीकृत की हैं जिसमें ८ नालों के लिये १९.२ मील लम्बी दूरी का निर्माण है जिसमें २ लाख ६२ हजार रुपये खर्च होगा तथा ३० नालों का ८०.५ मील की लम्बाई में रिमाडलिंग की योजना बनाई गई है। ये सब प्रतापगढ़ के लिये हैं ।

श्री चेतराम गंगवार (जिला बरेली)—

क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि यह जो सबसिडी का रुपया जो ५० रुपया दिया गया है, क्या वह ऐसा करेंगे कि यह रुपया सब को बराबर दिया जाय ?

श्री दीप नारायण मणि—

बराबर की बात तो समझ में नहीं आ रही है क्योंकि यह सहायता तो हर व्यक्ति के नुकसान के हिसाब से दी जाती है।

श्री रामदेव—

क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि किन नये ८ नालों की और किन पुराने ३० नालों के नव निर्माण और मरम्मत की उनकी योजना है ?

श्री दीप नारायण मणि—

यह आठ नाले हैं इसमें असराम्पुर, बहरिया, काशीपुर, खमारीपुर, सलवतपुर, बसगांव और असोजी व महेश्वरपुरा के जो नये हैं और जो ३० पुराने हैं उनका रिमाडलिंग हो रहा है, उन ३० की लम्बी सूची है, माननीय सदस्य चाहें तो वह मुझसे ले सकते हैं।

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, १९५८ के नियम ३८ (२) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न]

जिला चमोली के ग्रामों में बिजली

*१—श्री शेरसिंह दानू (जिला चमोली)—

क्या विद्युत् मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद चमोली में कितने ऐसे विकास क्षेत्र हैं जहां आज तक एक भी गांव में बिजली नहीं पहुंची है ?

विद्युत उप मंत्री (श्री राम प्रसाद देशमुख)—

जिला चमोली में अभी तीन विकास क्षेत्र—नारायन बगड, थराली, एवं शरसैन ऐसे हैं जहां किसी भी गांव का विद्युतीकरण नहीं हुआ है।

*२—श्री शेरसिंह दानू—

क्या विद्युत मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वित्तीय वर्ष १९७०–७१ के अन्तर्गत कर्णप्रयाग निर्वाचन क्षेत्र के अन्दर किन-किन गांवों को बिजली देने का प्राविधान है ?

श्री रामप्रसाद देशमुख—

कर्णप्रयाग निर्वाचन क्षेत्र के अन्दर कर्णप्रयाग उमट्टा पनयो, लंगासू, नन्द प्रयाग आदि का विद्युतीकरण पहले ही हो चुका है । वित्तीय वर्ष १९७०–७१ में किसी अन्य गांवों के विद्युतीकरण का प्राविधान नहीं है ।

श्री शेरसिंह दानू—

क्या मंत्री जी...

श्री उपेन्द्र नाथ (जिला कानपुर)—

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है और आप को मैंने एक पत्र भी लिखा था कि मेरा प्रश्न नम्बर ६४ पर है जिसके लिये आपने इजाजत भी दी थी। अब क्वेश्चन आवर बीत रहा है, आप मुझे १२ बजे के बाद मौका देंगे या अभी देंगे ?

श्री अध्यक्ष—

उन्होंने ६४ के उत्तर में दिया है कि अभी रिपोर्ट नहीं आई है, उसके आगे हम क्या कह सकते हैं, आप पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं।

श्री उपेन्द्र नाथ—

मुझे पता है कि रिपोर्ट आ गई है, वहां पर जिलाधिकारी बंग लिंग कर रहे हैं और करप्ट अधिकारियों को बचाने के लिये वह साजिश कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष—

वित्त मंत्री जी बतायें कि जांच की रिपोर्ट आई या नहीं ? यह राजस्व मंत्री जी का काम है वह बतायें कि रिपोर्ट आई या नहीं ?

(उत्तर नहीं दिया गया ।)

(व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह—

यह प्रश्न १ व २ चल रहा था, आप ६४ पर कैसे पहुंच गये ?

श्री शेरसिंह दानू—

क्या विद्युत् मंत्री जी बतायेंगे कि क्या कारण है कि जिला चमोली के ३ विकास क्षेत्रों में से एक का भी विद्युतीकरण अभी तक नहीं हुआ है ? क्या वहां से इस की कोई मांग नहीं हुई थी ?

श्री राम प्रसाद देशमुख—

कुछ चमोली के खंडों में विद्युतीकरण हो चुका है और निकट भविष्य में कुछ अन्य आसपास के गांवों में विद्युतीकरण का प्राविधान है ।

श्री शेरसिंह दानू--

नारायणी ताल विद्युत् योजना का काम कब तक शुरू हो जायगा ?

श्री राम प्रसाद देशमुख--

यह ७१ के लिये उसका प्राविधान है तभी किया जायगा।

लेखपालों के लिये संशोधित भत्ता

*३--श्री दल सिंगार (जिला आजमगढ़)--

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सन् १९६७ में लेखपालों के वेतन अथवा भत्ते में राज्य सरकार ने कोई संशोधन स्वीकार किया था ? यदि हां, तो वह क्या है ?

राजस्व मंत्री (श्री प्रभुनारायण सिंह)--

जी हां। सूचना संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ ४०८ पर)

*४--श्री दर्लासंगार--

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि उक्त संशोधित वेतन भत्ता अभी तक किन-किन जिलों में नहीं दिया जा रहा है और क्यों ? क्या यह सही है कि आजमगढ़ जिले के इन कर्मचारियों को भी उक्त वृद्धि से अभी तक वंचित रखा गया है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री प्रभु नारायण सिंह--

संशोधित भत्ता लेखपालों को राज्य के सभी जिलों में दिया जा रहा है। यह सही नहीं है कि जिला आजमगढ़ के कर्मचारियों को इससे वंचित रखा गया है।

राज्य विद्युत् परिषद् के कर्मचारियों की हड़ताल तथा मांगें

*५--श्री गोविन्द सिंह--

क्या विद्युत् मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि वर्ष १९७० में राज्य विद्युत् परिषद् के कर्मचारियों की हड़ताल कब-कब और कहां-कहां हुई तथा बिजली मजदूरों की मांगें क्या थीं, कब से विचाराधीन थी और समस्याओं के समाधान में क्या रुकावट थी ?

श्री शान्ति प्रपन्न शर्मा--

जैसा कि उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत् परिषद् ने सूचित किया है, वर्ष १९७० की हड़तालों के सिलसिले में सूचना एकत्र की जा रही है।

बिजली मजदूरों की विभिन्न मांगों के सम्बन्ध में विचार करने हेतु शासन ने दिनांक १७ जलाई, १९७० को एक समिति का गठन किया था। उक्त समिति ने कुल १२० मांगों पर विचार किया और अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। इन मांगों में से ७१ मांगों के सम्बन्ध में राज्य विद्युत परिषद् ने आदेश जारी कर दिए हैं। शेष मांगों पर विचार हो रहा है।

जल विद्युत् खंड, हलद्वानी द्वारा ग्रामों का विद्युतीकरण

*६--श्री इन्द्र लाल (जिला नैनीताल)--

क्या विद्युत् मंत्री बतायेंगे कि क्या यह सही है कि जल विद्युत् खंड हल्द्वानी जिला ननीताल में ट्रान्सपोर्ट आदि की कमी से वहां के ग्रामों का विद्युतीकरण करने में विलम्ब हो रहा है ? यदि हां, तो शासन इस कमी को दूर करने के लिये क्या कार्यवाही कर रही है ?

नोट--तारांकित प्रश्न २ के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया।

श्री शान्ति प्रपन्न शर्मा---

जी नहीं।

[दिनांक २४ दिसम्बर, १९७० के लिये निर्धारित तारांकित प्रश्न]

गंगा के किनारे वर्षा के बाद रिक्त भूमि (Bed of river) की व्यवस्था

*१---श्री जयराम यादव---

क्या राजस्व मंत्री को विदित है कि वर्षा ऋतु के बाद गंगा नदी ज्यों-ज्यों सूखने लगती है उससे रिक्त भूमि (Bed of river) जायद फसलें जैसे खरबूजा, तरबूज, सब्जी इत्यादि के प्रयोग में लाई जाती है ? यदि हां, तो ऐसी रिक्त भूमि के रेवेन्यू बन्दोवस्त की क्या व्यवस्था है ?

श्री प्रभु नारायण सिंह---

ऐसी भूमि के बन्दोवस्त करने की व्यवस्था उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन तथा भूमि व्यवस्था अधिनियम, १९५० की धारा १३२/१९७ के अन्तर्गत भूमि प्रबन्धक समिति करती है।

*२---श्री जयराम यादव---

क्या राजस्व मंत्री बतायेंगे कि जनपद प्रतापगढ़, तहसील कुण्डा, परगना मानिकपुर तथा बिहार के गंगा तट के गांव सोनामऊ, मुरस्सापुर, कालाकांकर, संग्रामपुर खमसर, गोतनी, मऊदारा, दिलेरगंज, शाहपुर, मोहदीनगर, नौबस्ता, मदशिव तथा जहांनाबाद के काश्तकार उपरोक्त भूमि तथा कछार की ग्राम समाज की भूमि पर हर साल वर्षा ऋतु के बाद जबरन कब्जा कर लेते हैं तथा फसलें पैदा करते हैं और राज्य सरकार को कोई भू-कर नहीं देते हैं ?

श्री प्रभुनारायण सिंह---

ग्राम मरसापुर व दिलेरगंज में कोई भूमि गंगा नदी के किनारे कछार की नहीं है । शेष ग्रामों में गांव सभा की भूमि पर कोई अनाधिकार कब्जा नहीं पाया गया।

*३-४---श्री रामलाल राही---

[पुनरावृति के कारण निरस्त।]

जिला चमोली में पेयजल योजनायें

*५---श्री शेरसिंह दानू---

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद चमोली में कितनी पेय जल योजनायें जीर्ण-शीर्ण दशा मे हैं ?

मुख्य मंत्री (श्री त्रिभुवन नारायण सिंह)---

जनपद चमोली में इस समय ३१७ पेयजल योजनायें जीर्ण शीर्ण दशा में हैं।

*६---श्री शेरसिंह दानू---

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि वर्ष १९७०-७१ के लिये कर्णप्रयाग क्षेत्र जनपद चमोली के लिये कितनी और कौन-कौन पेयजल योजनायें स्वीकृत हैं ?

श्री त्रिभुवन नारायण सिंह--

जनपद चमोली के कर्णप्रयाग क्षेत्र के लिये वर्ष १९७०-७१ के लिये निम्नांकित ९ पेयजल योजनायें स्वीकृत हैं :

१--गोचर,

२--१२ ग्रामों की पेयजल योजना का विस्तार,

३--बमोथ,

४--बुरसौल,

५--धोलतीर,

६--डुंगरी,

७--सोनीतल्ली,

८--कनौठ,

९--माठा ।

जोशीमठ के निकट ग्रास्ट्रियन राजदूत की कार के ड्राइवर की मृत्यु

*७--श्री नित्यानन्द स्वामी--

क्या सरकार को ज्ञात है कि दिनांक २५ मई, १९७० को तीसरे पहर आस्ट्रियन एम्बेसी के द्वितीय सचिव डा० वकोवस्की की कार जोशीमठ के निकट पानी में बह गई जिससे उन्हें चोट आई और ड्राइवर की मृत्यु हो गई ? यदि हां, तो इस वुर्घटना का क्या कारण था ? क्या इसमें कोई उच्च-स्तरीय जांच सरकार करायेगी ?

श्री त्रिभुवन नारायण सिंह--

कथित दुर्घटना २५ मई, १९७० को सुबह लगभग ७-३० बजे हुई । मजिस्ट्रेट द्वारा दुर्घटना के संबंध में जांच की गई जिससे पता लगा कि दो-तीन दिन पहले भारी वर्षा के कारण दुर्घटना के स्थान पर ऊपर से पत्थर मिट्टी गिरने से सड़क पर ढेर लग गया था और अलकनन्दा की तरफ का थोड़ा हिस्सा ही आने जाने के लिये साफ किया जा सकता था । जब आस्ट्रियन राजदूत की कार उस हिस्से को पार कर रही थी तो नीचे से सड़क की मिटटी धंस गई और कार नदी की ओर खड्ढ में लुढ़क गई । गिरते समय कार में से राजदूत तथा उनके द्वितीय सचिव बाहर फिक गये परन्तु ड्राइवर की कार के साथ नदी में गिरने से मृत्यु हो गई । मजिस्ट्रेट ने निष्कर्ष निकाला है कि सड़क की हालत का ठीक अन्दाजा ड्राइवर नहीं लगा सका जिसके कारण उक्त दुर्घटना हुई ।

इस मामले में अन्य कोई जांच की आवश्यकता नहीं समझी गई ।

बस्ती तहसील में भूमिहीन श्रीमती जैबुल निशा को भूमि न देकर भूमि वालों को दिया जाना

*८--श्री सुखपाल पाण्डेय (जिला बस्ती) तथा श्री चिरंजी लाल (जिला एटा)--

क्या सरकार दिनांक ४ मार्च, १९७० के तारांकित प्रश्न संख्या १२१ के उत्तर के क्रम में बताने की कृपा करेगी कि क्या यह सही है कि श्रीमती जेबुलनिशा, विधवा श्री सादिक अली, ग्राम कम्हरिया, परगना नगर पूर्व तहसील बस्ती (बस्ती) के इसी भूमि के लिये, सन १९६७, १९६८, १९६९ से बराबर प्रार्थना-पत्र जिलाधिकारी को, राजस्व मंत्री को, मुख्य मंत्री को तथा दिनांक ११ अक्तूबर, १९६८ को राजस्व सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ को दिया

था जिस पर राजस्व सचिव ने अपने पत्र संख्या ७४०८/१—क—६८, दिनांक २ नवम्बर, १६६८ के द्वारा प्रार्थिनी को सूचित किया था कि उक्त पत्र जिलाधिकारी बस्ती को भेज दिया गया है ? यदि हां, तो बंजर परती जमीन उसे न देने का क्या कारण है ?

श्री प्रभु नारायण सिंह—

जी हां। श्रीमती जैबुलनिशां के दो प्रार्थना-पत्र १६६८, १६६६ में प्राप्त हुये। उस समय कोई भूमि पट्टे पर उठाने के लिये उपलब्ध नहीं थी।

*६—श्री सुखपाल पाण्डेय तथा श्री चिरंजीलाल—

क्या राजस्व मंत्री दिनांक ४ मार्च, १६७० के तारांकित प्रश्न संख्या १२२ के क्रम में इस बात की जांच कराने की कृपा करेंगे कि केवल पांच व्यक्तियों के पास ३ १/८ एकड़ जमीन है तथा बीस व्यक्तियों के पास ७ एकड़ से ८० एकड़ तक पहले से मौजूद थी ? यदि हां, तो उनको पुनः जमीन देने का क्या कारण है ?

श्री प्रभुनारायण सिंह—

जो भूमि वर्ष १६६७-६८ में भूमि प्रबन्धक समितियों द्वारा पट्टे पर उठाई गई उसकी फिर से जांच की गई और जांच में यह पाया गया कि ७ एकड़ से ८० एकड़ तक भूमि किसी के पास नहीं थी। २५ व्यक्तियों में से ११ व्यक्तियों के पास कुछ भी भूमि नहीं थी और शेष १४ व्यक्तियों के पास ३ १/८ एकड़ से कम भूमि थी।

*१०—श्री श्याम लाल—

[२रे शुक्रवार के तारांकित प्र० सं० ४६ के अन्तर्गत स्थानान्तरित।]

*११—श्री नित्यानन्द स्वामी—

[४थे बुधवार के तारांकित प्र० सं० ५ के अन्तर्गत स्थानान्तरित।]

जिला गोरखपुर में ग्राम चिउटहा की भूमि का कटान

*१२—श्री दुलारे लाल (जिला उन्नाव)—

क्या सरकार को ज्ञात है कि राप्ती नदी के कटान से गोरखपुर जिले के बांसगांव तहसील में परगना भौवापार के ग्राम चिउटहा बसावनपुर की बहुत सी खेती की जमीन कटकर दूसरे पार के ग्रामों में चली गई है जिसके कारण उक्त ग्राम के किसानों की आर्थिक दशा शोचनीय होती जा रही है ? क्या सरकार इन लोगों को कहीं अन्यत्र जमीन देने या नदी के उस पार अपनी जमीन जोतने देने की व्यवस्था करेगी ?

श्री प्रभु नारायण सिंह—

गोरखपुर जिले के गांव चिउटहा की कुछ जमीन राप्ती नदी की धारा बदलने के कारण कुछ पानी में चली गई और कुछ नदी के दूसरी ओर चली गई है। राप्ती नदी के किनारे के दरियाबुद ग्रामों में, जिनमें चिउटहा भी शामिल है, १५ अक्तूबर, १६७० से रिकार्ड आपरेशन प्रारम्भ कर दिया गया है और इस कार्य की समाप्ति के बाद ही निश्चित रूप से यह पता चल सकेगा कि किस खाते की कितनी भूमि नदी के अन्दर चली गई है अथवा नदी के दूसरी ओर निकली है। नदी के कटान से प्रभावित खातेदारों को क्या सहायता आवश्यक होगी इस पर विचार रिकार्ड आपरेशन की समाप्ति के बाद ही सम्भव होगा।

जिला चमोली में अतिवृष्टि के फलस्वरूप क्षति

*१३--श्री नरेन्द्र सिंह (जिला चमोली), श्री सुरेन्द्र विक्रम (जिला शाहजहांपुर), श्री नेतराम सिंह (जिला एटा) तथा श्री शेरसिंह दानू--

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतलायेंगे कि २० और २१ जुलाई, १९७० को १४ घंटे की मूसलाधार वर्षा से जनपद चमोली में कितनी नदियों में बाढ़ आई, उनसे जन-धन की कितनी क्षति हुई और भू-स्खलन से कितनी खेतिहर भूमि का नुकसान हुआ ?

श्री प्रभु नारायण सिंह--

जी हां, अलकनन्दा तथा उसकी ५ सहायक नदियों में बाढ़ आई। उससे २६ व्यक्तियों की मृत्यु हुई और २९ व्यक्ति लापता हो गये एवं २८.७७ लाख रुपये की निजी सम्पत्ति तथा ५०.७५ लाख रुपये की सरकारी सम्पत्ति को क्षति पहुंची। भूस्खलन से ३८२ एकड़ भूमि का नुकसान हुआ।

*१४--श्री नरेन्द्र सिंह, श्री सुरेन्द्र विक्रम, श्री नेतराम सिंह तथा श्री शेरसिंह दानू--

क्या राजस्व मंत्री कृपया यह भी बतायेंगे कि जनपद चमोली में २०-२१ जुलाई, १९७० की अतिवर्षा के कारण जिन लोगों को क्षति पहुंची है उन्हें राहत पहुंचाने के लिये शासन ने क्या उपाय किया और उनके स्थायी पुनर्वासन के लिये शासन क्या कर रही है ?

श्री प्रभु नारायण सिंह--

जिन लोगों को इस अति वर्षा के कारण नुकसान पहुंचा है, उन्हें ८०,००० रुपये नकद वितरित किये गये हैं। इसके अलावा कपड़े, कम्बल, दलिया, राशन, एवं अन्य खाद्य सामग्री मुफ्त बांटी गयी। भू-स्खलन से प्रभावित व्यक्तियों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिया गया और उनके स्थायी पुनर्वास की योजना अभी विचाराधीन है।

*१५--श्री रियासत हुसैन--

[२रे शुक्रवार के प्रश्न संख्या ४७ के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

*१६--श्री रियासत हुसैन--

[विस्तीर्णता के कारण निरस्त]

*१७-१८--श्री कृष्ण स्वरूप--

[मंत्रि-परिषद् में समावेश के कारण अपास्त]

*१९--श्री सुरेन्द्र विक्रम--

[३रे शुक्रवार के तारांकित प्रश्न संख्या ३६ के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

*२०--श्री सुरेन्द्र विक्रम--

]३रे शुक्रवार के तारांकित प्रश्न संख्या ३७ के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

*२१-२२--श्री शम्भूनाथ चौधरी--

[२रे शुक्रवार के प्रश्न संख्या ४८-४९ के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

*२३--श्री श्याम लाल--

]२रे शुक्रवार के तारांकित प्रश्न संख्या ५० के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

*२४--श्री शिवानन्द नौटियाल--

(स्पष्टीकरण हेतु हटा दिया गया।)

*२५–२६––श्री सुखपाल पाण्डेय, श्री रामकरन तथा श्री श्यामलाल––

[५वें शुक्रवार के तारांकित प्र० सं० ४–५ के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

स्टीम पावर स्टेशन, सोहावल , फैजाबाद में कनिष्ट एवं कम योग्यता रखने वाले व्यक्तियों की पदोन्नति

*२७––श्री राम सिंह (जिला सहारनपुर)––

क्या विद्युत मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि स्टीम पावर स्टेशन, सोहावल, फैजाबाद में कितने ऐसे कर्मचारी १९६६ से मस्टर रोल में कार्य कर रहे हैं जो हाई स्कूल पास एवं आई० टी० आई० फिटर योग्यता प्राप्त किये हुये हैं ? क्या यह सच है कि जूनियर एवं कम योग्यता रखने वाले व्यक्तियों को पदोन्नत किया गया ? यदि हां, तो ऐसा क्यों और ऐसा करने का क्या आधार है ? क्या यह सच है कि इस सम्बन्ध में सरकार का ध्यान श्री गोपीनाथ दीक्षित, मंत्री द्वारा उनके दिनांक २७ सितम्बर, १९६९ के पत्र में दिलाया गया है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ?

श्री शान्ति प्रपन्न शर्मा––

परिषद् के कथनानुसार, इस समय स्टीम पावर स्टेशन, सोहावल में मस्टर रोल में केवल एक ऐसा कर्मचारी है जो कि हाई स्कूल पास है और आई० टी०आई० फिटर की योग्यता रखता है ।

२––जहां तक जूनियर एवं कम योग्यता वाले कर्मचारी की पदोन्नति का प्रश्न है, केवल एक कर्मचारी ऐसा है जिसकी योग्यता आई० टी० आई० फिटर की है तथा जिसकी नियुक्ति मस्टर रोल में बाद में हुई थी और जिसका चयन कार्य-प्रभारित कर्मचारी के रूप में फिटर के पद पर हुआ है । उसके चयन का कारण उसकी तकनीकी ज्ञान में विशेष प्रवीणता, कठोर परिश्रम, थोड़े ही समय में प्लांट के विषय एवं महत्वपूर्ण कार्यों में दक्षता है । मस्टर रोल के कर्मचारियों में परस्पर ज्येष्ठता का कोई प्रश्न नहीं उठता है ।

३––श्री गोपीनाथ दीक्षित, सदस्य, विधान सभा के पत्र दिनांक २७ सितम्बर, १९६९ के संबंध में परिषद्/शासन को कोई जानकारी नहीं है ।

*२८––श्री राम सिंह––

[२रे शुक्रवार के तारांकित प्र० सं० ५१ के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जिला देवरिया के बाढ़ पीड़ितों की सहायतार्थ श्री गेंदा सिंह द्वारा मंत्रियों को भेजे गये तार व पत्र

*२९––श्री राम करन तथा श्री सुरेन्द्र विक्रम––

क्या यह सही है कि श्री गेंदा सिंह ने देवरिया में इस वर्ष बाढ़ से पीड़ित लोगों की तरफ ध्यान दिलाते हुये तारों, पत्रों तथा टेलीफोनिक सूचनाओं द्वारा माननीय मुख्य मंत्री तथा राजस्व मंत्री को बार-बार सूचनायें दी हैं ? यदि हां, तो किन-किन तारीखों में और क्या-क्या तथा उस पर क्या कार्यवाही की गई ?

श्री प्रभु नारायण सिंह––

जी हां ।

तत्कालीन मुख्य मंत्री तथा राजस्व मंत्री को २१ जुलाई, १९७० को एक ही प्रकार के तार प्राप्त हुए थे । राजस्व मंत्री को सम्बोधित २४ जुलाई, १९७० का एक पत्र भी प्राप्त हुआ । तार में गण्डक और बांसी नदियों में बाढ़ आने से पडरौना तहसील में उत्पन्न स्थिति की सूचना दी गई थी । उपरोक्त पत्र में पीड़ितों को उपलब्ध प्रदत्त सहायता को नाममात्र का बताते हुए उन्होंने कुछ सुझाव भी दिये थे ।

इन सूचनाओं पर आवश्यक कार्यवाही की गई और देवरिया जिले को यथासंभव सहायता दी गई।

पर्वतीय विकास परिषद् की बैठकें

*३०—श्री नरेन्द्र सिंह—

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतलायेंगे कि पर्वतीय विकास परिषद् की पिछली बैठक कब और कहां हुई थी और तब से अब तक उक्त परिषद् की कोई बैठक क्यों नहीं हुई ?

श्री त्रिभुवन नारायण सिंह—

पर्वतीय विकास परिषद् की पिछली बैठक लखनऊ में ३ दिसम्बर, १९७० को हुई थी। प्रश्न के अन्तिम भाग का उत्तर स्वयं स्पष्ट है क्योंकि पिछली बैठक अभी ३ दिसम्बर, १९७० को ही हुई है।

उत्तर प्रदेश व विहार राज्य का सीमा विवाद

*३१—श्री रामगोपाल संड—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि उत्तर प्रदेश व बिहार राज्य की सीमा विवाद तय हो चुका ? यदि हां, तो कब और नहीं तो क्या कठिनाइयां हैं ?

श्री प्रभु नारायण सिंह—

संसद द्वारा बिहार तथा उत्तर प्रदेश (सीमा परिवर्तन) अधिनियम, १९६८ अधिनियमित किये जाने तथा इस अधिनियम की धारा २ (क) के अधीन भारत सरकार द्वारा ९ जून १९७० को विज्ञप्ति प्रकाशित किये जाने के फलस्वरूप १० जून १९७० से बलिया जिले में उत्तर प्रदेश तथा बिहार की बदलती हुयी सीमा के स्थान पर स्थायी सीमा प्रभाव में आ गयी है और अब दोनों प्रदेशों के बीच सीमा के बारे में सीमा विवाद नहीं है।

*३२—श्री राम गोपाल संड—

[३रे बुधवार के तारांकित प्र० सं० ६३ के अन्तर्गत स्थानान्तरित।]

जिला गढ़वाल में गौणी छीड़ा विद्युत् योजना की समाप्ति

*३३—श्री शिवानन्द नौटियाल (जिला गढ़वाल)—

क्या विद्युत मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि जिला गढ़वाल में गौणी छीड़ा विद्युत योजना से बेजरों बीरोंखाल तथा थैलीसैंण ग्राम समूहों को जो बिजली दिये जाने की योजना थी वह गौणी छीड़ा योजना किन विशेष कारणों से समाप्त की गई है ?

श्री शान्ति प्रपन्न शर्मा—

गौणीछेड़ा जल विद्युत योजना इसलिये समाप्त कर दी गई क्योंकि बैजरों, बीरोखाल तथा थालीसेन ग्राम समूहों को बिजली पहुंचाने हेतु मासी से बैजरों तक ११ के० वी० लाइन बनाने की योजना आर्थिक दृष्टिकोण से अधिक उचित समझी गई।

*३४—श्री शिवानन्द नौटियाल—

क्या विद्युत मंत्री यह भी बतलाने की कृपा करेंगे कि उपरोक्त योजना से जो सिंचाई के लिये पानी मिलने वाला था वह पानी अब सिंचाई के लिये किस योजना से मिलेगा ?

श्री शान्ति प्रपन्न शर्मा—

गौणी छेड़ा जल विद्युत योजना केवल विद्युत उत्पादन एवं संबंधित ग्रामों के विद्युतीकरण के लिये प्रस्तावित की गयी थी। इस योजना से ग्रामों को सिंचाई क लिये पानी देने का कोई प्रस्ताव नहीं था।

राज्यपाल के अभिभाषण में उल्लिखित अधिकतम जोत सीमा ३० एकड़ को वढ़ाने पर विचार

*३५—श्री कल्यान सिंह (जिला अलीगढ़)—

विधान सभा की बैठक में दिनांक २७ मई, १९७० को नियम २९ (४) के अन्तर्गत प्राथमिकता दिये गये तारांकित प्रश्न संख्या १ के उत्तर के सन्दर्भ में क्या सरकार कृपया बतायेगी कि क्या सरकार दिनांक २६ फरवरी, १९७० को राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में अंकित घोषणा के अनुसार अधिकतम जोत सीमा आरोपण के अन्तर्गत उल्लिखित ३० एकड़ की सीमा को बढ़ाने पर विचार कर रही है ? यदि हां, तो कितनी और कब तक और क्यों ? क्या यह भी सच है कि उपरोक्त जोत सीमा से बागों, सहकारी समितियों तथा विद्यालयों को छूट देने पर भी सरकार विचार कर रही है ? यदि हां, तो क्यों और यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री प्रभु नारायण सिंह—

प्रश्न के सभी पहलुओं पर विचार किया जा रहा है।

*३६-३७—श्री पारसनाथ सिंह—

[४थे सोमवार के तारांकित प्र० सं० ९-१० के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

पीलीभीत जिले के कुक्कुट निरीक्षक का वकाया वेतन

*३८—श्री राम प्यारे (जिला मिर्जापुर)—

क्या पशुपालन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पीलीभीत जिले में किन-किन कुक्कुट निरीक्षकों का वेतन सन् १९६८ के पहले का कितने दिनों का बाकी है ? क्या सरकार इसका भुगतान निकट भविष्य में करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या उनका वेतन निर्धारण नये वेतनमान में नहीं किया गया ? यदि हां, तो कब तक किया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

पशुपालन मंत्री (श्री बिशनलाल)—

पीलीभीत जिले में १९६८ के पहले का केवल एक कुक्कुट निरीक्षक श्री सीताराम राय का वेतन लगभग साढ़े नौ माह के अवकाश-काल का बाकी है। यह अवकाश उन्होंने तीन टुकड़ों में लिया था।

श्री सीताराम राय का वेतन निर्धारण नये वेतनमान में किया जा चुका है।

श्री राय के अवकाशों को निर्णीत करने के लिये उनकी सेवा पुस्तिका की जरूरत थी जो तलाश के बाद पन्तनगर विश्वविद्यालय के कार्यालय में मिली। सेवा पुस्तिका को पूर्ण करने के लिये आगरा, वाराणसी, आजमगढ़ जिला पशुधन अधिकारियों को भेजना पड़ा जिसमें समय लगा।

श्री राय के अवकाश काल के वेतन एवं नये वेतनमान में वेतन निर्धारण के फलस्वरूप बकाये का भुगतान शीघ्र करने के लिये संबंधित जिला पशुधन अधिकारियों को निदेश दे दिया गया है।

*३९—श्री दर्लासगार—

[३रे शुक्रवार के तारांकित प्र० सं० ३८ के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

*४०—४१—श्री हरीसिंह—

[३रे बुधवार के तारांकित प्र० सं० ६१-६२ के अन्तर्गत उत्तरित]

*४२-४३—श्री मैनेजर सिंह—

[३रे शुक्रवार के तारांकित प्रश्न संख्या ३६-४० के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

*४४—श्री रामचन्द्र विकल—

[पुनरावृत्ति के कारण निरस्त]

उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश के विरुद्ध आन्दोलन में गिरफ्तार छात्र

*४५—श्री रामचन्द्र विकल (जिला बुलन्दशहर)—

क्या मुख्य मंत्री कृपा कर बतायेंगे कि विद्यार्थी यूनियनों के सम्बन्ध में भेजे गये अध्यादेश पर कार्य चालू होने से दिनांक १० सितम्बर, १६७० तक प्रदेश भर में जिलेवार कितने-कितने विद्यार्थी गिरफ्तार हुये हैं?

श्री त्रिभुवन नारायण सिंह—

उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश, १६७० के विरुद्ध आन्दोलन के सिलसिले में प्रदेश में १०-६-१६७० तक २५१ विद्यार्थी गिरफ्तार किये गये थे जिनकी जिलेवार संख्या संलग्न तालिका में दी गई है।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ ४०६ पर)

*४६—श्री धर्मवीर—

[मन्त्रि-परिषद् में समावेश के कारण अपास्त]

*४७—श्री नित्यानन्द स्वामी—

[३रे शुक्रवार के लिये प्र० सं० १८ के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

*४८—श्री रामचन्द्र विकल—

[२रे शुक्रवार के प्र० सं० ३३ में उत्तरित]

तहसील बांसगांव में सेवा मुक्त चकबन्दी लेखपाल

*४९—श्रीमती मसाली देवी (जिला गोरखपुर)—

क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गोरखपुर जिले की बांसगांव तहसील के सी० ओ० सर्किल, बांसगांव, सी० ओ० सर्किल, कौड़ीराम, सी० ओ० सर्किल, माझीगांव के अन्तर्गत कितने चकबन्दी लेखपालों की सेवायें १ मार्च, १६७० से ३० अगस्त, १६७० तक समाप्त की गई हैं?

श्री प्रभुनारायण सिंह—

१ मार्च, १६७० से ३० अगस्त, १६७० तक की अवधि में जिला गोरखपुर के बांसगांव तहसील के सी० ओ० सर्किल बांसगांव, कौड़ीराम तथा माझी के अन्तर्गत किसी भी चकबन्दी लेखपाल की सेवा समाप्त नहीं की गयी। किन्तु नवीन अभिलेख कार्यालय कौड़ी राम के चार चकबन्दी लेखपालों की सेवायें उक्त अवधि में समाप्त की गयी थीं।

परगनाधीश बांसगांव के न्यायालय में दाखिल खारिज के विचाराधीन मुकदमे

*५०—श्रीमती मसाली देवी—

क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गोरखपुर जिले के बांसगांव तहसील के परगनाधीश के न्यायालय में खारिज दाखिल के कितने मुकदमें विचाराधीन हैं तथा विलम्ब का क्या कारण है?

श्री प्रभुनारायण सिंह—

गोरखपुर जिले की बांसगांव तहसील के परगनाधिकारी के न्यायालय में १ दिसम्बर, १९७० को दाखिल खारिज के कुल ६४ मुकदमें विचाराधीन थे। मुकदमों के निर्णय में विलम्ब का कारण उनका विवादग्रस्त होना तथा विभिन्न पक्षों द्वारा समय से सबूत शहादत न पेश करना है।

*५१—श्री दल सिंगार—

[३रे शुक्रवार के तारांकित प्र० सं० ४१ के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

*५२-५३—श्री रामदेव—

[३रे शुक्रवार के तारांकित प्र० सं० ४२-४३ के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

*५४-५५—श्री सुरेन्द्र विक्रम तथा श्री परमाई लाल—

[स्पष्टीकरण हेतु हटाये गये।]

रघुवा ग्राम में आग लगने से मकानों को क्षति तथा प्रभावित परिवारों को निशुल्क सहायता एवं तकावी

*५६—श्री श्याम सुन्दर लाल गुप्त (जिला सीतापुर)—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि रघुवापुर ब्लाक, रामपुर-मथुरा तहसील, सिधौली सीतापुर में दिनांक १७ मार्च, १९७० को आग लगने से आधा गांव जल गया? यदि हां, तो क्यों? सरकार बतायेगी कि उन गांव वालों को अब तक क्या सहायता दी गई? यदि नहीं दी गई तो क्यों?

श्री प्रभुनारायण सिंह—

रघुवापुर ग्राम में दिनांक १७ मार्च, १९७० को दो बजे दिन में आग लगी जिससे १५ मकानों को नुकसान पहुंचा।

प्रभावित परिवारों को ३५०-०० रुपया निःशुल्क सहायता तथा ८७५-०० रुपया आपदा तकाबी गृह निर्माण के लिये बांटी गई।

*५७—श्री श्यामसुन्दर लाल गुप्त—

[४थे शुक्रवार के तारांकित प्र० सं० १८३ के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

*५८-५९—श्री गोपाल दत्त—

[५वें शुक्रवार के लिये स्थगित।]

वाराणसी में संगठन कांग्रेस के लोगों को १४४ तोड़ने पर सजा

*६०—श्री सजीवन लाल (जिला उन्नाव)—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि १५ सितम्बर, १९७० को वाराणसी में संगठन कांग्रेस के लोगों ने दफा १४४ करीब ३॥ बजे दिन में तोड़ी थी और ७९ व्यक्तियों को पकड़ कर पुलिस लाइन ले जाया गया? यदि हां, तो क्या उसी दिन पुलिस लाइन में ले जाकर मजिस्ट्रेट ने अदालत उठने तक की सजा देकर पांच बजे वहीं छोड़ दिया?

श्री त्रिभुवन नारायण सिंह—

जी हां, कथित घटना सही है।

*६१—चौधरी रामपाल सिंह यादव—

[४थे शुक्रवार के तारांकित प्र० सं० २० क अन्तर्गत स्थानान्तरित]

*६२—श्री रामधारी शास्त्री—

[मंत्रि-परिषद् में समावेश के कारण अपास्त।]

तहसील कानपुर में गांव सभा की भूमि पर अनधिकार कब्जा करने वालों के विरुद्ध रिपोर्ट

*६३—श्री उपेन्द्रनाथ (जिला कानपुर) तथा श्रीमती सरस्वती देवी (जिला अल्मोड़ा)—

क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि १२ जून, १९६८ से १२ दिसम्बर, १९६८ के मध्य में कानपुर तहसील के सुपरवाइजर कानूनगो सर्किल सिटी ने गांव सभा की भूमि पर अनधिकार कब्जा करने वाले कितने व्यक्तियों के नाम जिमन ४ में दर्ज किये और उससे लगान की आय को कितना घाटा हुआ तथा जिन व्यक्तियों के नाम जिमन ४ में दर्ज किये गये उनके विरुद्ध बेदखली की कार्यवाही के लिये उपरोक्त समय के मध्य में सुपरवाइजर कानूनगो ने कितनी रिपोर्ट की ?

श्री प्रभुनारायण सिंह—

सूचना एकत्रित की जा रही है।

कानपुर की सदर तहसील में गांव सभा के मुआवजे की फर्जी वसूली

*६४—श्री उपेन्द्रगाथ—

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतलायेंगे कि उन्हें तथा जिलाधिकारी कानपुर को श्री उपेन्द्रनाथ दीक्षित विधायक के पत्र के साथ दिनांक ३१ जलाई, १९७० का इस आशय का शिकायती प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुआ है कि तहसीलदार सदर कानपुर के द्वारा गांव सभा की मुआवजे की वसूली ठीक प्रकार से न कराकर फर्जी कुर्की वारन्ट के नाम पर जनता को बगैर रसीद दिये हुये वसूली कराई जा रही है ? उसकी जांच के क्या परिणाम रहे तथा दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही हुई ? क्या सरकार जांच रपट की मूलप्रति को सदन के पटल पर प्रस्तुत करने की कृपा करेगी ?

श्री प्रभुनारायण सिंह—

जी हां। ऐसा शिकायती-पत्र प्राप्त हुआ था। इस सम्बन्ध में जिलाधिकारी कानपुर द्वारा जांच की जा रही है। अभी जांच पूर्ण नहीं हुई है। अतः जांच रिपोर्ट की प्रति सदन के पटल पर प्रस्तुत करने का प्रश्न नहीं उठता।

*६५-६६—श्री श्रीशचन्द्र—

[३रे शुक्रवार के तारांकित प्रश्न सं० ४४-४५ के अन्तर्गत स्थानान्तरित।]

कानपुर की डेरापुर तहसील में जल प्लावन से क्षति एवं सहायता

*६७—चौधरी रामपाल सिंह यादव (जिला कानपुर)—

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि कानपुर जिले की डेरापुर तहसील के अन्तर्गत सतौरा बहेड़ा, उड़नवापुर मडैया, रारोंख, परोंख महुई गांव के बीच का इलाका तथा उपरोक्त पांचगांव

[चौधरी रामपाल सिंह यादव (जिला कानपुर)]—

इस समय बाढ़ ग्रस्त है ? यदि हां, तो इन गांवों में खरीफ रबी की फसलों का अलग-अलग कितना नुकसान हुआ तथा इन गांवों में क्षतिग्रस्त मकानों को क्या सहयता दी गई तथा उक्त गांवों से जल निकासी की क्या व्यवस्था की गई है ?

श्री प्रभु नारायण सिंह—

जी नहीं। उक्त ग्राम गत सितम्बर को अत्यधिक वर्षा के कारण जल प्लावित हुए थे तथा इनकी कुल २५५ एकड़ भूमि की फसल प्रभावित हुई थी। फसल (खरीफ) को ७५ से १०० प्रतिशत हानि पहुंची थी। रबी की फसल लगभग ५० एकड़ भूमि में बोई नहीं जा सकी।

इन ग्रामों में क्षतिग्रस्त मकानों की मरम्मत पुनर्निर्माण हेतु २,६१५ रुपये गृह निर्माण अनुदान के रूप में वितरित किया गया।

जल प्लावित क्षेत्र से पानी निकालने के लिये नाला खोदा गया तथा सिंचाई विभाग से ट्यूब पाइप भी लगा दिया।

*६८—श्री भानुप्रताप सिंह (बरेली)—

[३रे शुक्रवार के तारांकित प्र० सं० ४६ के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जल विद्युत् मण्डल, मेरठ में १९६६–६७ से १९७०–७१ की अवधि में स्वीकृत कनेक्शन

*६९—श्री मंजूर अहमद (जिला मेरठ)—

क्या विद्युत् मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि सर्किल मेरठ में १९६६–६७, १९६७–६८, १९६८–६९, १९६९–७०, १९७०–७१ की अब तक की अवधि में स्वीकृत कितने कनेक्शन अभी चालू नहीं किये गये हैं और इसमें पुराने छोड़ नये कनेक्शन दे दिये गये ? यदि हां, तो ऐसा क्यों ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

जल विद्युत् मण्डल, मेरठ में जिला बुलन्दशहर व मेरठ आते हैं जिनमें वर्ष १९६६–६७, १९६७–६८, १९६८–६९, १९६९–७० व १९७०–७१ की अवधि में स्वीकृत कनेक्शनों में से ऐसे उपभोक्ताओं का जिन्हें बिजली नहीं मिली है विवरण इस प्रकार है :—

वर्ष	शष कनेक्शनों की संख्या	
	मेरठ	बुलन्दशहर
१९६६–६७	६४	९१
१९६७–६८	३७४	४०५
१९६८–६९	५५१	५००
१९६९–७०	१,६२६	१,७३६
१९७०–७१	६९९	१,००७

उपरोक्त अवधि में उन उपभोक्ताओं को जिनका बोरिंग पूर्ण नहीं था अथवा जिन्होंने धनाभाव के कारण अनुबन्ध नहीं किया उन्हें छोड़ ऐसे नये उपभोक्ताओं को 'जिन्होंने जमा-योजना' व कामर्शियल योजना में रुपया जमा किया कनेक्शन देने में प्राथमिकता प्रदान की गई।

जल विद्युत् मण्डल, मेरठ में किये गये निर्माण कार्य

*७०—श्री मंजूर अहमद—

क्या विद्युत् मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि हायडिल सर्किल, मेरठ में निर्माण कार्य चालू वर्ष में कितना हुआ और किस-किस क्षेत्र में हुआ ? क्या यह सही है कि विभिन्न क्षेत्रों की अपेक्षा किठोर क्षेत्र में निर्माण का कार्य कम हुआ ? यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

जल विद्युत् मंडल, मेरठ के अन्तर्गत मेरठ व बुलन्दशहर जनपद के विभिन्न क्षेत्रों में उप-विद्युत् केन्द्रों एवं लाइनों के निर्माण कार्य के पश्चात् चालू वित्तीय वर्ष में (१ अप्रैल, १९७० से ३० नवम्बर, १९७० तक) १,२५६ निजी नलकूपों का विद्युतीकरण किया गया जिनका तहसील क्षेत्रवार विवरण इस प्रकार :—

मेरठ		बुलन्दशहर	
१—हापुड़	१८७	१—अनूपशहर ..	१२८
२—मेरठ	१३८	२—बुलन्दशहर ..	२१५
३—भवाना	१४५	३—खुर्जा ..	८४
४—सरधना	८५	४—सिकन्दराबाद ..	९५
५—बागपत	११५		
६—गाजियाबाद	६४		
योग ..	७३४	योग ..	५२२

इसके अतिरिक्त किठौर में एक ३३/११ के० वी० का उप विद्युत केन्द्र का निर्माण भी किया जा रहा है और इसके शीघ्र ही चालू होने की सम्भावना है। उपरोक्त नलकूपों में से भवाना तहसील के जिसमें किठौर क्षेत्र भी आता है १४५ नलकूपों का विद्युतीकरण किया गया है। अतः यह कहना सही नहीं है कि किठौर क्षेत्र में निर्माण कार्य कम हुआ।

जौनपुर के मेहरावां ग्राम के हरिजनों द्वारा उनकी आबादी को भूमिधरी में अंकित किये जाने की शिकायत

*७१—श्री माताप्रसाद (जिला जौनपुर)—

क्या राजस्व मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि माह सितम्बर, सन् १९७० में राजस्व सचिव को ग्राम मेहरावां, तहसील शाहगंज, जिला जौनपुर के हरिजनों का एक आवेदन-पत्र इस आशय का प्राप्त हुआ था कि वे पचासों वर्ष पूर्व से आबाद हैं किन्तु उनकी मौके की आबादी सरकारी कागजों में न लिख कर बाग लिखी जाती है ? यदि हां, तो उक्त गांव के हरिजनों की आबादी दर्ज कराने की कौन सी कार्यवाही की जा रही है ?

श्री प्रभुनारायण सिंह—

अगस्त, १९७० में इस प्रकार का एक प्रार्थना पत्र प्राप्त हुआ था जो जिलाधिकारी, जौनपुर को निस्तारण हेतु भेजा गया था। जिस भूखण्ड पर आबादी स्थित है वह कागजात में एक

श्री प्रभु नारायण सिंह--

व्यक्ति की भूमिधरी अंकित है। भूमिधरी स्वत: नहीं काटी जा सकती है जब तक कि सक्षम न्यायालय के आदेश न प्राप्त हों। अत: प्रार्थियों को न्यायालय द्वारा कागजात दुरुस्ती करने की सलाह दे दी गयी है ।

*७२--श्री रामगोपाल संण्ड--

[२२ दिसम्बर, १९७० के अल्प सूचित प्र० सं० १ के अन्तर्गत उत्तरित]

जनपद फैजाबाद की मड़हा नदी के किनारे के बाढ़ पीड़ितों को सहायता

*७३--श्री हरिनाथ तिवारी (जिला फैजाबाद) तथा श्री धूम प्रसाद (जिला फैजाबाद)--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जनपद फैजाबाद मड़हा नदी के किनारे के कितने गांवों को गत बाढ़ से क्षति पहुंची है ?

श्री प्रभु नारायण सिंह--

फैजाबाद जिले में मड़हा नदी की बाढ़ से २४ ग्राम प्रभावित हुए।

*७४--श्री हरिनाथ तिवारी तथा श्री धूम प्रसाद--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि बाढ़-पीड़ितों को क्या-क्या सहायता दी गई ?

श्री प्रभुनारायण सिंह--

बाढ़ पीड़ितों को ६०० रु० की नि:शुल्क सहायता खाद्यान्न आदि के रूप में वितरित की गयी। क्षतिग्रस्त मकानों के बनाने, मरम्मत के लिये सहायता के रूप में १६४ व्यक्तियों को ४,६८० रुपये अब तक बांटा जा चुका है। इसके अतिरिक्त बाढ़ पीड़ितों को तकावी देने की कार्यवाही की जा रही है। जिन ग्रामों में ५० प्रतिशत या उससे अधिक फसल की क्षति हुई थी वहां मालगुजारी, सिंचाई तथा तकावी देयों की वसूली १५-११-१९७० तक स्थगित कर दी गयी थी। बाढ़ पीड़ित क्षेत्रों में रोगों को रोक-थाम व चिकित्सा सहायता के लिए आवश्यक प्रबन्ध किया गया।

पर्वतीय विकास परिषद् में जनप्रतिनिधियों को सम्मिलित करने एवं उसके अधिकारों में वृद्धि की प्रार्थना

*७५--श्री नरेन्द्रसिंह बिष्ट (जिला पिथौरागढ़)--

क्या सरकार हिल डेवलपमेंट बोर्ड का पुन: निर्माण पर्वतीय जन-प्रतिनिधियों को सम्मिलित करके करने का विचार कर रही है ?

श्री त्रिभुवननारायण सिंह--

जी नहीं। पर्वतीय विकास परिषद् में पहले ही से संसद सदस्य, विधान मण्डल के सदस्य व जिला परिषद् के अध्यक्ष जैसे जन प्रतिनिधि सदस्य हैं।

*७६--श्री नरेन्द्रसिंह बिष्ट--

क्या सरकार पर्वतीय जनता की भावना का आदर करते हुए इस बोर्ड को महत्वपूर्ण बनाने के लिये इसके अधिकारों में परिवर्तन करने का भी विचार कर रही है ?

श्री त्रिभुवननारायण सिंह--

जी नहीं। वर्तमान पर्वतीय विकास परिषद् को पहले से ही पर्वतीय क्षेत्र के लिए विकास योजनायें बनाने, उनके कार्यान्वयन की देखरेख, विकास योजनाओं में समन्वय लाने तथा विकास कार्यक्रमों की प्रगति की समीक्षा करने का अधिकार है।

नागर क्षेत्र जमींदारी विनाश एवं भूमि-व्यवस्था अधिनियम, १९५६ के अनुसार कृषि व अकृषि क्षेत्रों के अभिलेख तैयार किया जाना

*७७—श्री रामलगन दुबे (जिला गोरखपुर)—

क्या राजस्व मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि नागर क्षेत्र जमींदारी विनाश एवं भूमि-व्यवस्था अधिनियम के अन्तर्गत सम्बद्ध क्षेत्रों में कृषि क्षेत्र और अकृषि क्षेत्र के नाम से अलग-अलग अभिलेख तैयार कराये गये हैं? यदि हां, तो उसका क्या आधार रखा गया है?

श्री प्रभुनारायण सिंह—

जी हां। नागर क्षेत्र जमींदारी विनाश एवं भूमि-व्यवस्था अधिनियम, १९५६ की धारा २ (१) के अन्तर्गत कृषि क्षेत्र की परिभाषा के अनुसार ऐसा कराया गया है।

गोरखपुर के कानूनगो सर्किल, नौतनवां और लक्ष्मीपुर से सीलिंग प्राप्त भूमि का आवंटन

*७८—श्री रामलगन दुबे—

क्या राजस्व मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि गोरखपुर जनपद की तहसील फरेंदा के कानूनगो सर्किल, नौतनवां और लक्ष्मीपुर के किन-किन गांवों में अब तक कितने-कितने भूमिहीनों को सीलिंग अथवा ग्राम समाज की भूमि दी गई तथा कितने गांव ऐसे अवशेष हैं जहां व्यवस्था की जानी है?

श्री प्रभुनारायण सिंह—

जिला गोरखपुर की फरेंदा तहसील के कानूनगो सर्किल, नौतनवां व लक्ष्मीपुर के अन्तर्गत, संलग्न सूची अनुसार, ७२ गांवों में सीलिंग ऐक्ट तथा ग्राम सभाओं के अन्तर्गत १,०६४.२६ एकड़ भूमि में से ६६१.५० १/२ एकड़ भूमि ४४६ भूमिहीनों को आवंटित की जा चुकी है तथा शेष ३० ग्रामों में ४०२.७५ १/२ एकड़ भूमि के वितरण की व्यवस्था की जा रही है।

(देखिये परिशिष्ट 'घ' आगे पृष्ठ ४१०—४१३ पर)

*७९-८०—श्री नेतराम सिंह—

[३रे बुधवार के तारांकित प्र० सं० ८२-८३ के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

*८१—श्री कल्याण सिंह—

[पुनरावृत्ति के कारण निरस्त]

प्रतापगढ़ की तहसील कुण्डा में भूमिहीनों के कथित खारिज पट्टे

*८२—श्री गयाप्रसाद (जिला प्रतापगढ़)—

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि जिला प्रतापगढ़ की तहसील कुण्डा में कुल कितने भूमिहीन हरिजनों के पट्टे सन् १९६७ से अब तक खारिज किये गये हैं और क्यों?

श्री प्रभुनारायण सिंह—

प्रश्नगत तहसील में किसी भूमिहीन का पट्टा खारिज नहीं किया गया।

*८३—श्री गयाप्रसाद—

क्या यह सही है कि तहसील के कुछ भूमिहीन हरिजनों के पट्टे अवैधानिक बताकर खारिज किये गये और साथ ही उनके ऊपर जुर्माने भी किये गये? यदि हां, तो उनकी संख्या कितनी है और ऐसा क्यों किया गया?

श्री प्रभुनारायण सिंह—

प्रश्न नहीं उठता ।

*८४—श्री माताप्रसाद—

[४थे शुक्रवार के तारांकित प्र० सं० २१ के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

*८५—श्री नगीना सिंह—

[पुनरावृत्ति के कारण निरस्त]

मंत्रि परिषद् के सदस्यों की सम्पत्ति का ब्योरा

*८६—श्री माताप्रसाद (जिला जौनपुर)—

क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि उनके वर्तमान मन्त्री मण्डल के मन्त्रियों ने अपनी चल-अचल सम्पत्ति का ब्योरा दिया है ? यदि हां, तो क्या मुख्य मन्त्री उक्त ब्योरे को सदन के पटल पर रखने की कृपा करेंगे ?

श्री त्रिभुवननारायण सिंह—

मंत्रियों के लिये आचरण कोड की जिसके अन्तर्गत मंत्रियों को अपनी सम्पत्ति आदि का ब्यौरा मुख्य मन्त्री को देना होता है वर्तमान शासन ने अभी हाल ही में स्वीकार किया है। उसे मंत्रि मंडल के सदस्यों की जानकारी में पालनार्थ ला दिया गया है। अभी मंत्रियों से उनकी सम्पत्ति आदि का ब्यौरा प्राप्त नहीं हुआ है परन्तु वे ब्योरे गोपनीय होते हैं तथा उन्हें सदन के पटल पर रखने का प्रश्न नहीं उठता है।

भूमि हथियाओ आन्दोलन में सम्मिलित मंत्रियों के नाम भूमि का ब्योरा

*८७—श्री माताप्रसाद—

क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि उनके वर्तमान मंत्रिमण्डल में कितने ऐसे सदस्य हैं जिन्होंने मंत्री बनने के पूर्व लैन्ड ग्रेब मूवमेंट, भूमि हथियाओ आन्दोलन में हिस्सा लिया ? उनमें से प्रत्येक के नाम अलग-अलग विभिन्न स्थानों में कितनी भूमि है ? इसका ब्योरा सदन की मेज पर रखने की कृपा करेंगे ?

श्री त्रिभुवननारायण सिंह—

वर्तमान मन्त्रि मंडल के चार सदस्यों ने भूमि हथियाओ आन्दोलन में भाग लिया है उनकी निजी सम्पत्ति का ब्योरा गोपनीय होता है। अतः सदन की मेज पर रखना उचित न होगा।

जल विद्युत् चतुर्थ एवं पंचम उपखण्ड, उन्नाव में अग्रिम धनराशि सहित जमा प्रार्थना पत्रों का विवरण

*८८—श्री भगवतीसिंह विशारद (जिला उन्नाव)—

क्या विद्युत मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि उपखंड अधिकारी, चतुर्थ विद्युत उपखंड, उन्नाव तथा उपखंड अधिकारी, पंचम जल विद्युत उपखंड, उन्नाव के यहां पृथक-पृथक वर्ष १९६८-६९, १९६९-७० तथा १९७०-७१ में अब तक कितने-कितने उपभोक्ताओं ने रुपया २५-२५ अग्रिम धन (अर्नेस्ट मनी) जमा कर के बिजली प्राप्त करने हेतु प्रार्थना-पत्र दिये हैं ?

श्री शान्ति प्रपन्न शर्मा--

जल विद्युत् चतुर्थ एवं पंचम उपखन्ड उन्नाव में वर्ष १९६८-६९ ,१९६९-७०, व १९७० -७१ में अब तक (१२-१५-१९७०) कुल ७३७ उपभोक्ताओं ने २५ रु० अग्रिम धनराशि सहित प्रार्थना पत्र जमा किये हैं जिनका पृथक-पृथक विवरण इस प्रकार है :--

	संख्या
१९६८-६९	३०५
१९६९-७०	२९८
१९७०-७१	१३४
(१५-१२-१९७० तक) ..	७३७

*८९--श्री भगवती सिंह विशारद--

क्या विद्युत् मंत्री यह भी बताने का कष्ट करेंगे कि उपरोक्त प्रार्थना-पत्र देने वाले कितने उपभोक्ताओं को बिजली प्राप्त हो चुकी है और कितने ऐसे उपभोक्ता हैं जिन्हें बिजली तो प्राप्त नहीं हुई किन्तु उन्हें व्यय का तखमीना (एस्टीमेट) प्राप्त हो गया है ? और कितने ऐसे उपभोक्ता हैं जिनके प्रार्थना-पत्रों पर अब तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है ?

श्री शान्ति प्रपन्न शर्मा--

उपरोक्त प्रार्थना पत्रों में से ३२२ को अब तक बिजली दी जा चुकी है तथा १७२ को व्यय का तखमीना (एस्टीटमेट) भेजा जा चुका है परन्तु उन्होंने अनुबन्ध नहीं किया है। शेष २४३ में से १०८ उपभोक्ताओं की लाइनें तैयार हैं परन्तु उनका अधिष्ठान तैयार नहीं है, ९१ कनेक्शन प्राविधिक दृष्टि से उपयुक्त नहीं हैं तथा बाकी ४४ के एस्टीमेट तैयार करने की और कार्यवाही की जा रही है।

गन्ना मिलों को चलाने का निर्णय

*९०--श्री रामचन्द्र विकल (जिला बुलन्दशहर)--

क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि इस वर्ष गन्ना मिल किस-किस माह से और किस तारीख से चालू करने का विचार है ?

श्री त्रिभुवन नारायण सिंह--

वर्तमान सत्र (१९७०-७१) में इस प्रदेश की कुल ७० चीनी मिलें इस समय तक चालू हो गयी हैं। उन के चालू होने की तिथि संलग्न तालिका 'क' में उल्लिखित ७० चालू मिलों के नामों के सम्मुख दर्शायी गयी है। केवल एक चीनी मिल, खड्डा, जो जिला देवरिया में स्थित है, अभी चालू नहीं हुई है।

(देखिये नत्थी 'ड०' आगे पृष्ठ ४१४-४१५ पर ।)

*९१--श्री रामगोपाल सण्ड--

(५वें गुरुवार के लिये स्थगित)

उत्तर काशी-फोल्ड लम्बगांव मोटर मार्ग का निर्माण

*९२--श्री गोविन्द सिंह (जिला टेहरी गढ़वाल)--

क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि उत्तरकाशी फोल्ड लम्बगांव मोटर मार्ग का निर्माण कार्य कब प्रारम्भ किया गया था ? इसके लिये कितनी धनराशि का प्राविधान था

और कितना व्यय अब तक किया गया है ? तथा उक्त मोटर मार्ग उत्तरकाशी से लम्बगांव कब तक यातायात के लिये खुल जायगा ?

श्री त्रिभुवन नारायण सिंह—

उत्तरकाशी फील्ड लम्बगांव मोटर मार्ग जिसकी लम्बाई ३३ १/२ मील है, का निर्माण ७१.०५ लाख रुपये के लागत से शासन द्वारा १८-१२-१९६२ को स्वीकृत किया गया। तत्पश्चात् विस्तृत आगणन बनाये गये और सितम्बर, १९६३ से कार्य प्रारम्भ किया गया अक्तूबर, १९७० तक उक्त मार्ग के निर्माण पर ७६,४०,७२५ रुपया व्यय हो चुका था। निर्माण सामग्री तथा मजदूरी आदि की कीमतों में बढ़ोत्तरी होने के कारण सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा उक्त मार्ग का ८५.४६ लाख रुपये का पुनरीक्षित आगणन भेजा गया है जो अभी शासन के विचाराधीन है। उक्त मार्ग मील २० तक यातायात के लिये १-१-१९६९ को खोल दिया गया था। परन्तु अभी १७ मील (अर्थात् उत्तरकाशी से चौरंगीखाल) तक बसें चल रही हैं। सम्पूर्ण मार्ग कब तक यातायात के लिये खुल जावेगा यह अभी निश्चित रूप से बताना सम्भव नहीं है।

गन्ना विकास समिति, रामपुर, में अवैतनिक मंत्रियों की नियुक्ति

*९३—श्री मंजूर अहमद (जिला मेरठ)—

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि गन्ना विकास समिति, रामपुर में नवम्बर, १९६९ से २० जून, १९७० तक कितने अवैतनिक मंत्रियों की नियुक्ति की गई तथा उनका तबादला कितनी अवधि के बाद किया जाता है ?

श्री त्रिभुवन नारायण सिंह—

गन्ना विकास समिति, रामपुर, में नवम्बर, ६९ से २० जून, १९७० तक पांच अवैतनिक मंत्रियों की नियुक्तियां की गईं साधारणता अवैतनिक मंत्रियों का स्थानान्तरण तीन वर्ष की अवधि के पश्चात् किया जाता है।

लार्ड कृष्णा शुगर मिल, सहारनपुर, द्वारा पेरा गया गन्ना तथा उसके बन्द होने का कारण

*९४—श्री राम सिंह (जिला सहारनपुर)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि दि लार्ड कृष्णा शुगर मिल, सहारनपुर, कब से बन्द पड़ी है और इसके बन्द होने मुख्य-मुख्य कारण क्या हैं ? क्या यह भी सही है कि सरकार ने अपने किसी टेक्नीकल एडवाइजर के द्वारा इस फैक्टरी के उन पुर्जों की जांच कराई है कि जिनकी टूट के कारण यह बन्द पड़ी हुई है ? और यह राय दी गई है कि इसके पुर्जों की मरम्मत अथवा उनको बदलना सम्भव नहीं है ? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि उक्त गन्ना फैक्टरी ने इस वर्ष पूरे सीजन में कितना गन्ना पेरा है ?

श्री त्रिभुवन नारायण सिंह—

दि लार्ड कृष्ण शुगर मिल्स, सहारनपुर वर्ष १९६९-७० (सीजन) में दिनांक २१-५-७० से बन्द हो गयी थी। इस मिल के बन्द होने का मुख्य कारण मिल में ब्रेकडाउन होना था। उक्त मिल के अनुरोध पर मिल के उन टूटे हुए पुर्जों की जांच निम्नलिखित टेक्नीकल व्यक्तियों द्वारा कराई गयी थी जिनकी टूट के कारण यह मिल बन्द हुई है :—

१—श्री खुशी राम, चीफ इन्जीनियर, दि लार्ड कृष्ण शुगर मिल्स, सहारनपुर।

२—श्री करतार सिंह कालसी, चीफ इन्जीनियर, सरस्वती शुगर मिल्स, यमुना नगर, (हरयाना प्रान्त)।

३—श्री एस० के० दुबे, सहायक प्रोफेसर, शुगर इन्जीनियरिंग, नेशनल शुगर इन्स्टीट्यूट, कानपुर ।

उक्त टेक्नीकल एडवाइजरों की रिपोर्ट के अनुसार मिल के टूटे हुए पुर्जों की मरम्मत, अथवा बदलना शीघ्र सम्भव नहीं था।

२—उक्त चीनी मिल ने सीजन १९६९-७० में २०.९३ लाख क्विन्टल गन्ना पेरा था।

विष्ट इन्डस्ट्रियल कारपोरेशन के चालू होने की तिथि

*९५—श्री हरीसिंह विष्ट (जिला अल्मोड़ा)—

क्या सरकार बताने की कृपा करगी कि बी०आई० सी० मिल (विष्ट इन्डस्ट्रियल कारपोरेशन) जिसको सरकार ने हाल में अपने प्रबन्ध में लेने की घोषणा की है, वह इसी गन्ना सीजन व १९७०-७१ में गन्ना पेरना प्रारम्भ कर देगी ?

श्री त्रिभुवन नारायण सिंह—

जी नहीं ।

गन्ना मिलों पर रिसीवरों की नियुक्ति के बाद बकायें की वसूली

*९६—श्री रामचन्द्र विकल (जिला बुलन्दशहर)—

क्या सरकार कृपाकर बतायेगी कि वर्ष १९६९-७० में किन-किन गन्ना मिलों पर रिसीवर नियुक्त किये गयें थे और कौन-कौन तथा जिन मिलों पर रिसीवर नियुक्ति किये गये थे उन्होंने सरकार का कितना-कितना रेवेन्यू अदा किया है और जिस दिन रिसीवर नियुक्ति किये गये थे तब से प्रत्येक मिल पर सरकार कितना रेवेन्यू शेष है ?

श्री त्रिभुवन नारायण सिंह—

वर्ष १९६९-७० में जिन चीनी मिलों में सरकारी रिसीवर नियुक्त किए गए उन मिलों का व रिसीवरों का नाम संलग्न तालिका 'क' में दिया है ।

इन चीनी मिलों में से ७ चीनी मिलों में इकबालपुर, सहारनपुर, देवबंद, धामपुर देवरिया, मनसूरपुर और रामकोला (पं) में से रिसीवर हटा लिये गये थे क्योंकि इन मिलों ने बकाया की पूरी अदायगी कर दी थी ।

७ चीनी मिलों (रामपुर, जसवन्त, बरेली, मसोधा, बैतालपुर, खड्डा और सिसवा बाजार) से रिसीवर उच्च न्यायालय के अन्तरिम आदेश के अनुसार हटा लेने पड़े । इस समय केवल ६ मिलों (अमरोहा, बाराबंकी, बड़वल ,बुलन्दशहर, भटनी और रामकोला खेतान) में, ही रिसीवर कार्य कर रहे हैं, सरसावा सहकारी चीनी मिल को छोड़ कर । इन रिसीवरों द्वारा अदा किये गए क्रय कर का विवरण संलग्न तालिका 'ख' पर उपलब्ध है ।

(देखिये नत्थी 'च' आगे पृष्ठ ४१६-४१८ पर)

गन्ना विकास परिषद्, महोली द्वारा अकबरपुर चतुरैया रोड पर निर्मित पुलियों में दरार

*९७—श्री रामलाल राही (जिला सीतापुर)—

क्या मुख्य मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि गन्ना विकास क्षेत्र महोली के अन्तर्गत अकबरपुर चतुरैया रोड पर गन्ना विभाग, सीतापुर के द्वारा किसी ठेकेदार से दिनांक २३ जून, १९६९ से २९ जून, १९६९ यानी केवल सात दिन में ही पुलिया का निर्माण कराया गया है और क्या यह सत्य है कि तीन महीने के अन्दर ही यह पुलिया ध्वस्त भी हो गई है ?

श्री त्रिभुवन नारायण सिंह---

गन्ना विकास परिषद्, महोली द्वारा अकबरपुर-चतुरैया रोड पर दो पुलियों का निर्माण कार्य २५-६-६९ से आरम्भ कराया और दिनांक ३०-६-६९ तक इन पुलियों की डाट लग गई थी। इसके पश्चात् वर्षा आरम्भ होने के कारण पुलियों का निर्माण कार्य पूर्ण नहीं हो पाया और अक्तूबर, ६९ में अकबरपुर गन्ना क्रय केन्द्र चालू हुआ तो चीनी मिल के गन्ने से भरे ट्रक, उस पर से निकलते रहे। फलस्वरूप इनमें दरार पड़ गई और मार्च, १९७० में (अर्थात् ८ महीने पश्चात वह पुलिया टूट गई।

गोंडा क्षेत्र में गन्ना निरीक्षकों का स्थानान्तरण

*९८---श्री गंगा प्रसाद (जिला गोंडा)---

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि गोंडा क्षेत्र में जून, १९६९ से २० अगस्त, १९७० तक कितने गन्ना निरीक्षकों का स्थानान्तरण किया गया? प्रत्येक गन्ना निरीक्षक के कार्य काल का विवरण सदन की मेज पर रखने की कृपा करेंगे ?

श्री त्रिभुवन नारायण सिंह---

जून, १९६९ से २० अगस्त, १९७० तक चार गन्ना निरीक्षकों के स्थानान्तरण किये गये। प्रत्येक के कार्यकाल का विवरण निम्न प्रकार है:---

गन्ना निरीक्षक	अवधि
१---सर्वश्री सज्जाद हुसन	२८ सितम्बर, १९६८ से ७-६-६९ तक।
२---कृष्णगोपाल जौहरी	१६-८-६९ से ७-११-६९ तक तथा २४-११-६९ से ३-३-७० तक
३---उमेश विहारी लाल	३-३-७० से १३-४-७० तक
४---लाखन सिंह निखबत	९-५-७० से ४-७-७० तक
५---उमेश विहारी लाल	४-७-७० से।

सीतापुर सहकारी गन्ना विकास समिति लि०, बिसवां, द्वारा सड़क निर्माण हेतु कटौती

*९९---श्री श्याम सुन्दर लाल गुप्त---

क्या मुख्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गन्ना सहकारी संघ, बिसवां, द्वारा सदरपुर बिसवां सड़क के लिये पचीस हजार रुपये की कटौती हुई थी? उस धन का इसी मद में व्यय न होने का क्या कारण है?

श्री त्रिभुवन नारायण सिंह---

सीतापुर जिले की सहकारी गन्ना विकास समिति, लि० बिसवां, द्वारा सदरपुर-बिसवां सड़क के निर्माण कार्य के अंशदान हेतु रु० ७,७९०.८२ की कटौती हुई है न कि २५,००० रु० की यह जिला परिषद् की ९ मील लम्बी सड़क है और जिला परिषद् द्वारा ही इसका निर्माण होता है। जिला परिषद् सीतापुर के अधीन इस वर्ष इस सड़क निर्माण की कोई योजना नहीं है। इस कारण बिस्वा समिति के पास पूरा ७,७९०.८२ रुपया जमा है और जिला परिषद् को अंशदान के रूप में ट्रांसफर नहीं किया गया है।

गन्ने की खपत के लिए चीनी मिलों को दी गई रियायतें

*१००—श्री गेदा सिंह (जिला देवरिया) तथा श्री नरेन्द्र सिंह (जिला चमोली)—

क्या सरकार कृपया बतायेंगी कि गत तीन गन्ने के सीजन में गन्ने की खपत के लिये चीनी मिलों को कौन-कौन सी रियायतें दी गईं और उन रियायतों के मद में कितना धन सरकार द्वारा मिलों को प्राप्त हुआ ?

श्री त्रिभुवन नारायण सिंह—

गत तीन वर्षों के सीजन में गन्ने की खपत के लिये चीनी मिलों को कौन कौन सी रियायतें दी गईं और उन रियायतों से छूट के धन का विवरण निम्न प्रकार है:—

१—१९६७-६८ में कोई छूट नहीं दी गई ।

२—१९६८-६९ में देर तक पेराई करने के लिये क्रय-कर में क्रयीत गन्ने पर ३२ पैसे प्रति क्विन्टल की दर से १-५-६९ से १४-५-६९ तक तथा १५-५-६९ से ३१-७-६९ तक पूर्ण ५१ पैसे प्रति क्विन्टल की दर से छूद दी गई । इस प्रकार छूट का लगभग ४७ लाख रुपया अनुमानित है ।

३—१९६९-७० में चीनी मिलों को निम्नांकित ३ प्रकार की क्रय-कर में छूट मिली:—

(अ) शीघ्र पेराई आरम्भ करने के लिये १५ नवम्बर, १९६९ तक चलने वाली मिलों को २५ पैसे प्रति क्विन्टल की दर से क्रय-कर में छूट १४-५-७० तक क्रयीत गन्ने की उस मात्रा पर जो कि पिछले वर्ष की क्रयीत गन्ने के १०५ प्रतिशत से अधिक हो ।

(ब) देर तक पेराई करने हेतु १५-५-७० से शेष सत्र के लिये ५१ पैसे प्रति क्विन्टल की पूर्ण क्रय कर की छूट दी गई ।

(स) ९-७-७० के पश्चात समस्त गन्ने पर ५१ पैसे प्रति कुन्टल की दर से अतिरिक्त छूट प्रदान की गई । इस प्रकार १९६९-७० में कुल क्रय की छूट २०६ लाख रुपये अनुमानित है ।

अत: गत तीन वर्षों में प्रदेश की चीनी मिलों को क्रय-कर में लगभग २५३ लाख रुपये की अनुमानित छूट दी गई ।

पुलिस अधीक्षक, शाहजहांपुर, द्वारा राज्यमन्त्री (श्री गोपी नाथ दीक्षित) के प्रति अभद्र व्यवहार की कथित शिकायत

*१०१—श्री महरम सिंह (जिला फर्रुखाबाद), श्री परमाई लाल (जिला हरदोई) तथा श्री सुरेन्द्र विक्रम—

क्या मुख्य मंत्री को पता है कि दिनांक १ सितम्बर, १९७० को राज्य मंत्री, श्री गोपीनाथ दीक्षित जब शाहजहांपुर गये थे तब पुलिस अधीक्षक, शाहजहांपुर ने उनके प्रति आदर की व्यवस्था नहीं की । इस पर श्री दीक्षित जी ने लिखित शिकायत पुलिस अधीक्षक, शाहजहांपुर की मुख्य मन्त्री से की ? यदि हां, तो वह शिकायत क्या है तथा मुख्य मन्त्री ने उस पर क्या कार्यवाही की?

गृह मन्त्री (श्री वीरेन्द्र वर्मा)—

श्री गोपी नाथ दीक्षित की कथित लिखित शिकायत मुख्य मंत्री जी को प्राप्त हुई प्रतीत नहीं होती ।

अतारांकित प्रश्न

निवारक निरोध अध्यादेश के अन्तर्गत नजरबन्द राजनीतिक कार्यकर्त्ता तथा विद्यार्थी

१—श्री रामगोपाल सण्ड (जिला इलाहाबाद)—

क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि निवारक नजरबन्दी आदेश के अन्तर्गत प्रदेश की सरकार ने कितने राजनीतिक नेताओं, विद्यार्थियों तथा इलाहाबाद और आगरा में रेल कर्मचारियों व बिजली कर्मचारियों को ३१ अगस्त, १९७० तक गिरफ्तार किया ?

श्री त्रिभुवन नारायण सिंह—

उत्तर प्रदेश निवारक निरोध अध्यादेश, १९७० के अन्तर्गत ३१ अगस्त, १९७० तक केवल एक राजनैतिक कार्यकर्ता व दो विद्यार्थी, जिलाधीश, फैजाबाद के आदेश पर नजरबन्द किये गये थे ।

२—श्री रामगोपाल सण्ड—

[४थे शुक्रवार के अता० प्र० सं० २ के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

३—श्री सुखपाल पाण्डेय—

[पुनरावृत्ति के कारण निरस्त]

कानपुर परगना में गांव सभा की भूमि पर हटाया गया दोषपूर्ण अध्यासन

४— श्री नेतराम सिंह, श्री इन्द्रजीत (जिला फतेहपुर) तथा श्री उपेन्द्रनाथ—

क्या राजस्व मन्त्री कृपया बतलायेंगे कि कानपुर परगने में राजस्व परिषद् के अ० शा० प० संख्या २४-जी/ ५-६२९-१९६९, दिनांक ८ नवम्बर, १९६९ के अनुसार ३० जून, १९७० तक नायब तहसीलदारों के द्वारा गांव सभा की भूमि पर दोषपूर्ण अध्यासन करने वाले कितने व्यक्तियों को बेदखल करके गांव सभा की कितने एकड़ भूमि पर से दोषपूर्ण अध्यासन हटाया गया है ?

श्री प्रभुनारायण सिंह—

कानपुर परगने में ३० जून, १९७० तक गांव सभा की भूमि पर दोषपूर्ण अध्यासन करने वाले ७०९ व्यक्तियों को बेदखल करके ३०७ एकड़ भूमि पर से दोषपूर्ण अध्यासन हटाया गया ।

५— श्री निर्भय नारायण सिंह—

[३रे शुक्रवार के अता० प्र० सं० ४ के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

मेरठ विद्युत् खण्ड में निर्माण कार्यों पर व्यय

६—श्री मंजूर अहमद (जिला मेरठ)—

क्या विद्युत् मन्त्री कृपया बतायेंगे कि मेरठ डिवीजन में सन् १९६८-६९ और १९६९-७० में कितने पावर हाउस कहां-कहां बने और इन पर अलग-अलग क्या-क्या खर्चा हुआ ?

श्री शान्ति प्रपन्न शर्मा—

वर्ष १९६८-६९ एवं १९६९-७० में मेरठ खण्ड में कोई नये विद्युत् गृह का निर्माण नहीं हुआ, फिर भी १९६९-७० में देहरादून जिले में स्थित ढ़करानी एवं ढालीपुर विद्युत् गृहों में अतिरिक्त उत्पादन इकाइयों की वृद्धि की गई । इस कार्य में ३१.६४० लाख रुपया वर्ष १९६८-६९ में और (-) ०.५४६ लाख रुपया वर्ष १९६९-७० में खर्च हुआ ।

नयी कांग्रेस और मुस्लिम लीग के कथित गठबन्धन के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न

श्री नित्यानन्द स्वामी (जिला देहरादून)---

श्रीमन्, समाचार पत्रों में निकला है कि नयी कांग्रेस ने मुस्लिम लीग से गठबन्धन कर लिया है और यहां की मुस्लिम लीग ने यह कहा है कि अगर आप उत्तर प्रदेश में उर्दू भाषा को दूसरी भाषा का स्थान देना स्वीकार करेंगे तो वे साथ देंगे। मुझे यह भी मालूम हुआ है कि नयी कांग्रेस आपके ऊपर और सरकार के ऊपर भी दबाव डाल रही है। उनकी एक गुप्त कांफ्रेंस भी हुयी है। १९७२ के चुनाव के बारे में मुस्लिम लीग और कांग्रेस इस प्रदेश के अन्दर षड़यन्त्र कर रही है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं.....

श्री अध्यक्ष---

यह प्रश्न ही अव्यवस्था का है। दूसरी पार्टी के सम्बन्ध में आप मनगढ़न्त बातें नहीं कह सकते हैं।

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)---

माननीय सदस्य मुस्लिम लीग के प्रचारक मालूम पड़ते हैं। यह बिलकुल मनगढ़न्त है और यह कार्यवाही से निकाला जाय ?

श्री नित्यानन्द स्वामी---

माननीय अध्यक्ष जी, जैसा मैंने अभी निवेदन किया यह अखबारों में छपा है और अगर माननीय नारायणदत्त तिवारी जी देखना चाहें तो मैं उन्हें दिखा सकता हूं।

(व्यवधान)

विधान सभा सचिवालय के अस्थायी कर्मचारियों को स्थायी करने की मांग

श्री गंगा प्रसाद (जिला गोंडा)---

श्रीमन्, आपके विभाग में, जिसके आप मालिक हैं, जो कर्मचारी कार्य करते हैं न तो उनकी कोई सीनियारिटी लिस्ट है और न वे स्थायी किए जा रहे हैं। वे १२-१२ साल से विभाग में अस्थायी रूप से कार्य कर रहे हैं। आपकी वजह से यह विभाग वंचित रह जाता है। मुझे आशा है जो कर्मचारी अस्थायी हैं, उनको स्थायी किया जाय और साथ ही साथ उनकी सीनियारिटी की सूची बनायी जाय जिसके आधार पर उनकी पदोन्नति की जाय ?

श्री अध्यक्ष---

यह सदन में उठाने का प्रश्न नहीं है। आप मेरे कमरे में आकर बातें कर लें।

नयी कांग्रेस और मुस्लिम लीग के कथित गठबन्धन के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न (क्रमागत)

श्री त्रिवेणी (जिला आजमगढ़)---

श्रीमन्, माननीय नित्यानन्द जी ने जो प्रश्न....

(व्यवधान)

उठाया है उसकी न कोई बुनियाद है और न कोई आधार है।

श्री अध्यक्ष---

नारायण दत्त जी ने उसके बारे में अपने उत्तर में कह दिया है। (श्री त्रिवेणी जी के कुछ कहने पर) मैं मुख्य सचेतक जी से यह कहूंगा कि माननीय त्रिवेणी जी फिर उठ रहे हैं, आप कृपा करके इनको रोकें ?

श्री नारायण दत्त तिवारी---

माननीय सदस्य, देहरादून, यह कह रहे थे, कि मुस्लिम लीग के साथ नयी कांग्रेस ने गठबन्धन किया है।

(व्यवधान)

श्री उपेन्द्र नाथ (जिला कानपुर)---

मुझे जो आप ने आज्ञा दी थी अगर अब उसका मौका नहीं मिल सकता है सप्लीमेन्टरी करने का, तो आप मेरी बात यह स्वीकार कर लें कि इस प्रश्न को अगले सत्र में प्रायोरिटी में मान लें और इसको निलम्बित न करें।

श्री अध्यक्ष---

आप मुझे इसकी सूचना लिख कर दे दें।

उत्तर प्रदेश भूमि विधि (संशोधन) विधेयक, १९७०

सचिव, विधान सभा---

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आप की अनुमति से सदन को सूचना देता हूं कि उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, १९५८ के नियम १४९ के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश भूमि विधि (संशोधन) विधेयक, १९७०, जो विधान सभा द्वारा १५ दिसम्बर, १९७० को पारित किया गया उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी संशोधन के २३ दिसम्बर, १९७० को वापस प्राप्त हो गया है।

उत्तर प्रदेश विनियोग (१९७०-७१ का अनुपूरक) विधेयक, १९७०

सचिव, विधान सभा---

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आप की अनुमति से सदन को सूचना देता हूं कि उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, १९५८ के नियम १५३ के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश विनियोग (१९७०-७१ का अनुपूरक) विधेयक, १९७०, जो विधान सभा द्वारा १६ दिसम्बर, १९७० को पारित किया गया था तथा श्री अध्यक्ष द्वारा धन विधेयक प्रमाणित किया गया था, उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी सिफारिश के दिनांक २३ दिसम्बर, १९७० को वापस प्राप्त हो गया है।

दैनिक 'नवजीवन' के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना

श्री अध्यक्ष---

एक विशेषाधिकार का प्रश्न समाचार पत्र "नवजीवन" के बारे में दिया है कि १५६ वोट पड़े हैं। इस तरफ विरोध के, हालांकि १५४ ही थे। यह बहुत छोटी बात है। आज करेक्शन छप गया है। इसलिये प्रश्न उठता नहीं।

विद्युत् उपमन्त्री, श्री राम प्रसाद देशमुख, के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना

श्री अध्यक्ष—

दूसरा प्रश्न त्रिवेणी सहाय जी का है। जिसमें लिखा है कि वे गोंडा जिले के कुछ व्यक्तियों के साथ उनसे मिलने गये थे, माननीय मंत्री जी के यहां। उनसे कुछ बदकही हो गई। मैं समझता हूं कि ज्यादा अच्छा होगा कि यहां उसे न कहा जाय। मैं आपका उनसे समझौता करा दूंगा।

श्री त्रिवेणी (जिला आजमगढ़)—

श्रीमन्, समझौते के पहले हम लोग यह जान लें कि कौन विभाग के मंत्री थे और कौन सदस्य मिलने गये।

श्री अध्यक्ष—

उनका कहना है कि श्री रामप्रसाद देशमुख ने मुझे अपमानजनक शब्द कहे और यह कहा कि आप जैसे विधायक मैंने बहुत देखे। फटकार कर मुझे कमरे से बाहर कर दिया। मैं समझता हूं कि इसमें विशेषाधिकार का प्रश्न नहीं उठता है। प्रश्न उठता है एक दूसरे से समझौता करके अफसोस महसूस करना चाहिये। यह विशेषाधिकार का प्रश्न नहीं है।

श्री त्रिवेणी—

अगर माननीय सदस्यों के सम्मान की रक्षा आप नहीं करेंगे तो कौन करेगा ?

(व्यवधान)

श्री त्रिवेणी सहाय (जिला गोंडा)—

अध्यक्ष महोदय, व्यवस्था का प्रश्न है। यह घटना मेरे साथ माननीय मंत्री के कमरे में घटी और उसके लिये मैंने कल ही विशेषाधिकार का प्रश्न बनाकर दिया। यह आप के पास पहुंच गया और विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न के लिये जितने आवश्यक तत्व होते हैं उन तत्वों को भी दिया कि इस तरह से गोंडा कान्स्ट्रक्शन डिवीजन (बिजली) को तोड़ा जा रहा है। मैं यह मांग करने के लिये गया था कि वह तोड़ा न जाय। पिछले दो तीन महीनों से गोंडा जिले में बराबर आफिसेज को तोड़ने का क्रम जारी है। यह जनता का काम था। जनता के काम से गया था। मेरे ऊपर श्री राम प्रसाद जी देखमुख जो मंत्री हैं ऐसे आग-बबूला हुए, इतना अपमान किया, शायद किसी ने मेरा इतना अपमान न किया होगा। उन्होंने कहा कि आप ऐसे एम० एल० ए० बहुत देखे हैं। जाइये, पब्लिक का नुक्सान होगा वही मैं काम करूंगा। मैंने कहा कि साढ़े चार सौ कर्मचारी हटाये जायेंगे, पब्लिक मनी का वेस्टेज होगा। उन्होंने कहा कि मैं नहीं सुनना चाहता आप की बात। जहां तक जनता की कठिनाइयां होंगी, मैं सुनूंगा। यहां तक कह दिया कि आप यहां से चले जाइये। इस तरह से मैं इसको अपना अपमान समझता हूं। मैं आप से प्रार्थना करूंगा कि आप इसको टेक अप कीजिये। यह विशेषाधिकार का प्रश्न बनता है। मेरा दल भी सरकार में शामिल है। मैं मन्त्रियों से सदाचार की अपेक्षा करता हूं।

श्री अध्यक्ष—

मैंने टेक अप तो किया। यह शिष्टाचार का प्रश्न है, विशेषाधिकार का नहीं।

(व्यवधान)

विद्युत् उप मंत्री (श्री राम प्रसाद देशमुख)---

अध्यक्ष महोदय, मुझे बड़ा खेद है कि माननीय सदस्य ने अपनी ही बात कही और इस प्रकार से कही जिसे मैंने कहा नहीं । यह मेरे कमरे में आये। मैंने इनके साथ कोई दुर्व्यवहार नहीं किया। उनकी बात का मैंने जवाब दिया। वे बार-बार मेरे पर दबाव डाल कर यह कह रहे थे कि आप को यह करना चाहिये। मैंने कहा कि यह बोर्ड के करने का काम है। आपको अधिक हमदर्दी है तो आप सदन में उठा सकते हैं । मेरे करने का यह काम नहीं है। फिर भी यह दबाव डालते रहे। श्रीमन्, बोर्ड अपने कर्त्तव्यों का पालन करता है। मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता था। यही मैंने कहा। फिर भी जब यह मेरे पर दबाव डालते रहे तो मैंने कहा मैं इसमें कुछ नहीं सुनना चाहता।

श्री अध्यक्ष---

कृपा करके आप दोनों ही मेरे कमरे में आ जांय, बातचीत कर लें। इसमें विशेषाधिकार का कोई प्रश्न नहीं है। मैंने इसको स्वीकार नहीं किया है।

एक सदस्य---

(व्यवधान)

जब मंत्रीगण माननीय सदस्यों का अपमान करेंगे तो यह विशेषाधिकार का प्रश्न बनता है, यह हमारे अधिकारों का हनन है ।

श्री अध्यक्ष---

आप लोग शान्त रहें, कुछ सुनाई नहीं पड़ रहा है। आप मेरे कमरे में आकर कहें जो कुछ कहना है ।

श्री त्रिवेणी सहाय---

श्रीमन्, माननीय मंत्री जी ने जिस तरह से जो कुछ कहा.....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष---

मैंने कह तो दिया आप मेरे कमरे में आ जायं, मैं ठीक करा दूंगा।

कमिश्नर, झांसी, के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना

श्री अध्यक्ष---

अब एक दूसरा विशेषाधिकार का प्रश्न डा० भगवत दयाल का है। उन्होंने कमिश्नर, झांसी के खिलाफ दिया है जिसमें उनका कहना है कि जब वे कमिश्नर, झांसी के वहां गये, बस परमिटों में अनियमितताओं के संबंध में बात करने के लिये तो उन्होंने उनके अस्वस्थ होने पर भी कुर्सी पर बैठने को नहीं कहा। इसी पर उनको शिकायत है। तो यह भी ऐसा प्रश्न है कि यदि बैठने को नहीं कहा तो शिष्टाचार से सम्बन्धित यह चीज है। यह विशेषाधिकार का प्रश्न नहीं है लेकिन इसको मैं माननीय मुख्य मन्त्री के पास भेज देता हूं कि यह अधिकारियों के के शिष्टाचार बरतने का प्रश्न है, वे शिष्टाचार के बारे में उनको आदेश दें कि माननीय सदस्यों के साथ किस तरह से उनको व्यवहार करना चाहिये। लेकिन इससे विशेषाधिकार का प्रश्न नहीं उठता।

श्री कन्हैयालाल सोनकर के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना

श्री अध्यक्ष—

एक श्री नित्यानन्द स्वामी जी का है, उनको श्री कन्हैयालाल सोनकर ने कोई शब्द कह दिया था कि फलां जुर्म में आप शामिल थे। उसको मैंने स्वीकार नहीं किया है। मेरे कहने पर कि इससे विशेषाधिकार का प्रश्न उठ सकता है, दूसरे रोज ये लोग मिले और उन्होंने आपस में माफी मांग ली और मामला खतम हो गया। अब कहते हैं कि सोनकर जी ने ताना देकर फिर कहा कि क्या कर लिया आपने, इसलिये उन्होंने आज यह प्रश्न फिर से उठा दिया है। मेरा कहना है कि जब उन्होंने माफी मांग ली और आपने माफ कर दिया और मजाक में अगर उन्होंने कोई ऐसी बात कह दी तो यह प्रश्न यहां नहीं उठाया जाना चाहिये था। इस सदन को आप लोग एक तरह से बच्चों का खेल न बना दें। अभी कुछ कहें, और फिर कुछ कहें, कृपा कर के ऐसा न करें तो ज्यादा अच्छा है और माननीय नित्यानन्द जी से मैं कहूंगा कि आप को उदार होना चाहिये।

श्री मंजूर अहमद के साथ मेरठ में किये गये कथित दुर्व्यवहार के सम्बन्ध में की गई जांच के बारे में जानकारी

श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)—

एक सूचना मैं चाहता हूं। कुछ दिन पहले श्री मंजूर अहमद के साथ मेरठ में किये गये दुर्व्यवहार के सम्बन्ध में जब यहां डिबेट हुआ था तो आप ने कहा था कि माननीय मुख्य मन्त्री जी से बातचीत कर के मैं बतला दूंगा कि क्या सूरत है। आज शाम को हम लोग डिस्पर्स हो रहे हैं। उस सिलसिले में आप अपना कोई विचार प्रकट कर देते तो अच्छा होता।

श्री अध्यक्ष—

श्री मंजूर अहमद जी ने आज मुझसे बातचीत की थी। मैं इसकी जांच करने के लिये कहा है और उन को अपनी राय भी उसमें बतला दी है। राय जाहिर करने वाली बात मैं यहां नहीं कह सकता लेकिन मैं इसके ऊपर फिर जांच कराने वाला हूं कि ऐसी कैसे घटना हुई। फाइल मैंने भेज दी है मंत्री जी के पास और उसमें लिख भी दिया है। उनसे मैं बाद में बात कर लूंगा।

श्री अशफाक अहमद द्वारा उपस्थिति रजिस्टर में दूसरे सदस्य के हस्ताक्षर करने के सम्बन्ध में की गई जांच के बारे में जानकारी की मांग

श्री नित्यानन्द स्वामी (जिला देहरादून)—

श्रीमन, पिछले सत्र में एक माननीय सनस्य ने दूसरे माननीय सदस्य का हस्ताक्षर कर दिया। यह प्रश्न पिछले सत्र से चला आ रहा है और उसकी जांच अभी तक पूरी नहीं हुई। जहां तक मुझे मालूम हुआ, यह कहा जा रहा है कि जिन माननीय सदस्य का हस्ताक्षर है वे उसकी जांच के समर्थन के लिये अपना हस्ताक्षर नहीं दे रहे हैं। मैं आप से निवेदन करना चाहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट की जो हाल की नजीर है वह यह है कि कोई व्यक्ति जिसके विरुद्ध कोई जांच होनी है, उसे अपना हस्ताक्षर देना होगा। अगर कोई एक सदस्य दूसरे सदस्य का हस्ताक्षर कर डाले तो अच्छी बात नहीं है। पूरा सत्र समाप्त होने को आया और हमारे सामने आपकी कोई राय नहीं आयी। कृपा करके इस पर आप कोई अपनी व्यवस्था दे दें।

श्री अध्यक्ष---

मैंने कानूनी राय इस पर ली । मैंने सोचा था कि इसकी सी० आई० डी० से इनक्वायरी करा लूं । सी० आई० डी० वालों ने कहा कि इसके लिये हम किसी को मजबूर नहीं कर सकते कि वह अपना दस्तखत बना कर हमें दे दें और साथ ही वे यह भी कहते हैं कि जब तक कोई अपना पूरा हस्ताक्षर एक पेज पर ही एक तरह से कर के न दें तब तक वे जांच नहीं कर सकते हैं । इसलिये कि किसी के ऊपर जब्र करने का अधिकार उन्हें नहीं है । तो कानूनी राय के अनुसार हम उन पर जब्र नहीं कर सकते हैं ।

श्री नित्यानन्द स्वामी---

पहले यह ला नहीं था लेकिन अब यह ला है कि उनको हस्ताक्षर देने होंगे ।.....

श्री अध्यक्ष---

आप मुझे बता दीजिएगा हाईकोर्ट की रूलिंग इस के बारे में । उसके बाद मैं आपसे बात चीत कर लूंगा । आप इसकी परस्यू कर रहे हैं, उसके बाद डिवीजन हुआ और मैंने यह होल्ड किया कि डिवीजन के वक्त कई लोगों ने दूसरों के दस्तखत कर दिये । तो क्या आप सबके ऊपर मुकदमें चलवाना चाहते हैं, या इसको समाप्त करना चाहते हैं? आप इसके बारे में भी सोच लें ।

श्री नारायण दत्त तिवारी (जिला नैनीताल)---

अध्यक्ष जी, आप इसके बारे में तो एक मीटिंग बुलवाने वाले थे, उसका क्या हुआ ? अच्छा होगा आप एक बार मीटिंग बुलाकर ऐसी सभी मामलों को तय कर लें ।

श्री अध्यक्ष---

सवाल यह है समय पर लोग जमें तो ।

श्री नित्यानन्द स्वामी---

ठीक है, आप सबकी जांच कर लीजिए, उसको भी जांच कर लीजिए । जो भी गलत हस्ताक्षर करे, सबको दण्ड मिलना चाहिये । हमारी विधान सभा का स्तर ऊंचा उठना चाहिये ।

सदन में इधर उधर लगी कीलों तथा दोपहर में पानी की सप्लाई बन्द रहने के सम्बन्ध में शिकायत

श्री कन्हैया लाल बाल्मीकी (जिला हरदोई)---

श्रीमन, मुझे भी बड़ी शिकायत है । उस दिन जब हम–'हां' और 'न' के समय डिवीजन के लिए उठे तो आपके पीछे रों में मशीन जैसा कुछ लगा हुआ है, जो यहां पर ठीक से सुनाई पड़ जाने के लिये लगा हुआ है, उसमें एक तरह का तार लगा हुआ है, जिसमें खतरनाक कीलें लगी हुई हैं, तो हम जब उठने लगे तो हमारा कोट फट गया ।

दूसरी शिकायत यह है कि यहां दोपहर को ३–३ घंटे नल नहीं आता है । आज शाम को हम उठ रहे हैं, आप इन सब चीजों की सही व्यवस्था करा दें ।

श्री अध्यक्ष---

अच्छा, ठीक करा दूंगा ।"

बहराइच जिले में लकड़बग्घों तथा भेड़ियों द्वारा बच्चों को घायल करने के सम्बन्ध में वक्तव्य

मुख्य मंत्री से सम्बद्ध उपमंत्री (श्रीमती इन्द्र मोहिनी)—

बहराइच जिले के सरयू तथा घाघरा नदियों के कछार में लकड़बग्घे तथा भेड़िये अधिक होते हैं जो कभी-कभी हिंसक हो जाते हैं और आस पास के गांवों में अन्य जानवरों, आदमियों तथा बच्चों पर हमला करते हैं । प्राप्त सूचना के अनुसार इन जानवरों द्वारा ४ बच्चों को मार डाला गया है तथा २१ बच्चे घायल हुए हैं । ऐसी सूचना दिनांक २३–११–७० को तहसील, कैसरगंज में प्राप्त हुई थी ।

भेड़ियों तथा लकड़बग्घों को मारने के लिये शिकार पार्टी बुलाई गई तथा स्थानीय पुलिस व जनता द्वारा जानवरों का हांका कराया गया । साथ ही इनको मारने के लिये इनाम घोषित किया गया जोकि ३० रु० प्रति लकड़बग्घा, २० रु० प्रति भेड़िया तथा १० रु० प्रति लकड़बग्घे या भेड़िये के बच्चे का है ।

उत्पात की सूचना प्राप्त होने के बाद तहसील, कैसरगंज में अब तक ११ लकड़बग्घे मारे जा चुके हैं । इसके अलावा तहसील, बहराइच में दिनांक २६–१०–७० को ५ हिंसक लकड़बग्घे मारे गये ।

इस जिले में हिंसक जानवरों को नष्ट करने हेतु मैनपुरी जिले की एक शिकारी पार्टी गत दो वर्षों से निरन्तर कार्य कर रही है और जहां से भी सूचना प्राप्त होती है उनका शिकार करती है। गत वित्तीय वर्ष में इस शिकार पार्टी ने ८५ हिंसक लकड़बग्घों तथा ६४ हिंसक भेड़ियों का शिकार किया । चालू वित्तीय वर्ष में भी जंगली (Wild) पशुओं को नष्ट करने पर इनाम देने हेतु जिला मजिस्ट्रेट, बहराइच, को अभी तक २,००० रु० की धनराशि एलाट की जा चुकी है ।

गंगा नदी की बाढ़ से गंगा नहर तथा बिजली घरों के बन्द हो जाने के सम्बन्ध में वक्तव्य

सिंचाई राज्य मन्त्री (श्री कल्पनाथ सिंह)—

माननीय श्री नित्यानन्द स्वामी, सदस्य विधान सभा ने गंगा नदी की बाढ़ के बाद हरिद्वार में गंगा नहर में अधिक रेत भर जाने तथा उसके फलस्वरूप सिंचाई न होने, बिजली घरों के बन्द हो जाने व बालू साफ कराने के कारण अत्यधिक हानि होने का प्रश्न उठाया है। उन्होंने इस सम्बन्ध में सिंचाई विभाग के किसी उच्च अधिकारी की गैर जिम्मेदारी तथा यथा समय निर्णय न देने की अदूरदर्शिता का भी प्रश्न उठाया है ।

इस सम्बन्ध में स्थिति निम्न प्रकार है :—

२० जुलाई, १९७० को अलकनन्दा में भयानक बाढ़ तथा भूस्खलन के कारण गंगा नदी में अचानक बाढ़ आ गई जिसका प्रकोप हरिद्वार में २१ जुलाई को हुआ । इस दिन दोपहर तक पानी की मात्रा ६८,००० क्यूसेक्स से बढ़ कर २,२२,६७५ क्यूसेक्स हो गई । पानी के साथ अत्यधिक मात्रा में बड़े-बड़े पत्थर, बजरी, मलवा तथा रेत आया । गंगा नहर हेडवर्क्स के कई स्थानों पर फाटक खोल कर मलवा तथा पत्थर निकाल दिया गया फिर भी मायापुर हेडवर्क्स को पार कर के गंगा नहर में बहती हुई रेत जमा हो गई ।

यह एक असाधारण तथा अभूतपूर्व घटना थी और पिछले १०० वर्षों के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ था । साधारणतः गंगा नहर में पानी क बहाव की गति इतनी तेज है कि रेत रुक नहीं

[श्री कल्पनाथ सिंह]

सकती है। रेत की मात्रा के नाप का कोई साधन न होने से तथा वहां पर रेगूलेशन के सम्बन्ध में इस प्रकार की कोई व्यवस्था न होने के कारण अधिकारियों तथा कर्मचारियों को इसका सही अनुमान न हो पाया जिससे वे पिछले वर्षों के अनुभव के आधार पर नहर चलाते रहे।

नहर में रेत के जमाव के प्राकृतिक व वैयक्तिक कारणों की विस्तृत जांच करने के लिए तथा इसकी पुनरावृत्ति रोकने के सिफारिशों के लिए उत्तर प्रदेश शासन के आग्रह पर केन्द्रीय सिंचाई व बिजली मंत्री ने प्रदेश शासन से विचार विमर्श करने के पश्चात् एक उच्च स्तरीय समिति का गठन कर दिया है। समिति की रिपोर्ट प्राप्त होने पर यदि कोई अधिकारी या कर्मचारी दोषी पाए जाते हैं, तो उनके विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही की जाएगी।

जहां तक सिंचाई की हानि का प्रश्न है, भाग्यवश नहर बन्दी के समयानुकूल वर्षा होने के कारण कोई विशेष हानि नहीं प्रतीत होती है। जहां तक विद्युत् के उत्पादन का सवाल है, यह कहना असंगत न होगा कि गंगा नहर के बन्दी के फलस्वरूप विद्युत् उत्पादन में कोई विशेष कुप्रभाव नहीं पड़ा। प्रदेश की कुल विद्युत् उत्पादन शक्ति लगभग १,४०० मेगावाट है जब कि गंगा नहर पर बने विद्युत् गृहों की क्षमता ४५ मेगावाट है। इस प्रकार केवल ३ प्रतिशत विद्युत् की हानि हुई। यह भी उस समय हुई जब कि वर्षा हो गई थी और विद्युत शक्ति की मांग काफी घट गई थी। अतः यह कमी दूसरी जगह से विद्युत् लाकर पूर्ण की जा सकी थी।

रेत तथा बजरी आदि की सफाई पर हुए व्यय का सम्पूर्ण ब्यौरा अभी उपलब्ध नहीं है। अनुमानतः इस पर १.४० करोड़ रु० व्यय हुआ है।

श्री नित्यानन्द स्वामी (जिला देहरादून)---

स्पष्टीकरण सम्बन्धी प्रश्न करना है।

श्री नारायण दत्त तिवारी (जिला नैनीताल)---

गंगा नदी में रेत जमा हो गई यह सूचना नहर विभाग को किस तारीख को प्राप्त हुई? २१ जुलाई को हरिद्वार में पानी पहुंचा और रेत जमा हो गयी है, तो विभाग को कब मालूम हुआ और कब गंगा नहर बन्द की गई?

श्री कल्पनाथ सिंह---

माननीय सदस्य का हमारे वक्तव्य के इस वाक्य से मतलब है जिसमें मैंने कहा था कि "फिर भी मायापुर हेडवर्क्स को पार करके गंगा नहर में बहती हुई रेत जमा हो गई।" तब यह किया गया।

श्री नारायण दत्त तिवारी---

किस दिन यह नहर बन्द की गई?

श्री कल्पनाथ सिंह---

नहीं मालूम है।

श्री नित्यानन्द स्वामी---

मंत्री जी कहते हैं कि हानि नहीं हुई है, अगर यह आंकड़े सही भी हैं तो जिन लोगों को पानी न मिलने से और बिजली न मिलने से हानि हुई है, उनको पानी की दरों में और बिजली की दरों में रियायत करके सरकार कम्पेनशेट करेगी?

श्री कल्पनाथ सिंह—

श्रीमन्, जो माननीय सदस्य ने कहा उसके सम्बन्ध में शिकायत नहीं मिली है, फिर भी मैंने जैसा कि प्रश्न के सिलसिले में कहा था कि यदि हुई है तो उसकी जांच की जा रही है।

श्री अध्यक्ष—

उसके बाद वह कहते हैं कि रियायत दी जायगी ?

श्री कल्पनाथ सिंह—

यह इम्प्लाइड है।

श्री रामचन्द्र विकल (जिला बुलन्दशहर)—

सिंचाई मंत्री जी ने कहा कि दोषी कर्मचारियों की और किसानों की फसल की हानि के सम्बन्ध में जांच की जा रही है तो यह दोनों काम कब तक पूरे हो जावेंगे ?

श्री अध्यक्ष—

यह दोनों प्रश्न अलग-अलग हैं।

श्री रामचन्द्र विकल—

किसानों के बारे में बतला दें कि कब जांच पूरी हो जावेगी ?

श्री कल्पनाथ सिंह—

यथाशीघ्र।

श्री अध्यक्ष—

यह केवल वक्तव्य था, अब काफी प्रश्न हो चुके हैं।

श्रीमती शकुन्तला देवी (जिला सहारनपुर)—

गंगा नदी की बाढ़ से बिजली घर बन्द रहा, तो विभाग को क्या हानि हुई ?

श्री कल्पनाथ सिंह—

प्रश्न साफ नहीं है।

श्रीमती शकुन्तला देवी—

बिजली घर कितने दिन बन्द रहा और कितने की हानि हुई ?

श्री कल्पनाथ सिंह—

यह तो मैंने क्वेश्चन आवर में ही बतला दिया था कि कितने की हानि हुई। अब क्या अभिप्राय है ?

श्री गोविन्द सिंह (जिला टिहरी-गढ़वाल)—

क्या मंत्री जी बतलायेंगे कि अलकनन्दा की बाढ़ के सम्बन्ध में २० तारीख को रेडिओ ने सूचना दी कि बाढ़ आ रही है, तो २१ तारीख तक नहर विभाग ने क्या व्यवस्था की कि यह स्लिट न पहुंच सके ?

श्री कल्पनाथ सिंह---

बाढ़ तो आती ही रहती है। अनहोनी घटना तो यह थी कि स्लिट आई है जिसकी सूचना नहीं थी।

श्री छांगुर राम (जिला आजमगढ़)---

अभी विकल जी के उत्तर में मंत्री जी ने कहा कि यथाशीघ्र जांच करा लेंगे तो इसके १५ दिन के अर्थ हम समझें और इसकी रिपोर्ट सदन को देंगे ?

श्री अध्यक्ष---

सदन में रिपोर्ट आने का सवाल नहीं उठता है।

श्री छांगुर राम---

क्या एक फोर्टनाइट में कर लेंगे ?

श्री कल्पनाथ सिंह---

जितनी जल्दी सम्भव होगा कर लेंगे।

श्री माताप्रसाद (जिला जौनपुर)---

क्या मंत्री जी बतलायेंगे कि जब स्लिट आ रही थी तो जो असिस्टेंट इंजीनियर मौजूद थे, वह बराबर इक्जीक्यूटिव इंजीनियर को रिपोर्ट दे रहे थे कि सिल्ट आ रही है। हमें गेट बन्द करने की आज्ञा दीजिये लेकिन उसके बाद भी ऊपर के अधिकारियों ने उनको बन्द करने की आज्ञा नहीं दी, इसलिये नहर पट गई।

श्री कल्पनाथ सिंह---

अगर माननीय सदस्य इस सूचना को इन्क्वायरी कमेटी के सामने रख देंगे तो इन्क्वायरी कमेटी इस पर भी रिपोर्ट दे सकेगी।

श्री नित्यानन्द स्वामी---

रेत उठाने के बारे में मेरी ऐसी सूचना है कि टेन्डर ज्यादा वाले को दिया गया है, तो क्या मंत्री जी इसकी जांच करा लेंगे ?

श्री कल्पनाथ सिंह---

यह बात इस प्रश्न से उठती नहीं है लेकिन अगर माननीय सदस्य इस तरह की बात सरकार के नोटिस में लायेंगे और लिखित रूप से देंगे तो सरकार अवश्य कार्यवाही करेगी।

८ दिसम्बर, १९७० को छात्र यूनियन संबंधी अध्यादेश के विरोध में प्रदर्शन करने वाले नई कांग्रेसी छात्रों की गिरफ्तारी, जेल में निम्न श्रेणी देने तथा जमानत न हो सकने के सम्बन्ध में वक्तव्य

गृह राज्य मंत्री (श्री राजेन्द्रप्रताप सिंह)---

८ दिसम्बर, १९७० की धारा १४४ दंड प्रक्रिया संहिता के उल्लंघन में विधान भवन के सामने गिरफ्तार किये गये चार छात्र व एक अन्य प्रदर्शनकारियों को जेल में उच्च श्रेणी न दिये जाने तथा जमानत पर रिहा न हो सकने के मामले में इस सदन में एक वक्तव्य कारागार मंत्री जी द्वारा १७ दिसम्बर, १९७० को दिया जा चुका है। अतः इसके बारे में पुनः बताना अनावश्यक है।

इन पांच व्यक्तियों तथा ७ दिसम्बर, १९७० को विधान भवन के सामने गिरफ्तार किये गये १०७ छात्र व अन्य प्रदर्शनकारियों के मध्य राजनीतिक आधार पर किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया गया है। ७ दिसम्बर, १९७० को संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी से संबद्ध छात्र संगठन के सदस्यों के अतिरिक्त नई कांग्रेस तथा स्टूडेन्ट फेडरेशन से संबद्ध छात्र भी गिरफ्तार किये गये थे परन्तु उन सब के साथ एक जैसा व्यवहार किया गया था।

उक्त पांच व्यक्तियों के जमानत पर रिहा होने में विलम्ब के बारे में वास्तविक स्थिति यह है कि कचहरी में ऐसी व्यवस्था रहती है कि प्रत्येक कार्य के दिन ऐसे आवश्यक मामलों के लिये एक न एक मैजिस्ट्रेट उपलब्ध रहता है परन्तु उक्त व्यक्तियों ने स्वयं ही जमानत के प्रार्थना पत्र विलम्ब से प्रस्तुत किये थे। श्री अशोक कुमार पांडेय, जिनके बारे में विशेष रूप से जिक्र किया गया है, के जमानत के बन्ध पत्र १५ दिसम्बर, १९७० को लगभग चाढ़े चार बजे अपराह्न में प्रस्तुत किये गये थे जिनको स्वीकार करने के पश्चात उनकी रिहाई का आदेश जारी कर दिया गया था परन्तु चूंकि यह आदेश जेल में पांच बजे के पश्चात् ही पहुंच सका इसलिए उनको जेल नियमों के अनुसार १६ दिसम्बर, १९७० को प्रातःकाल रिहा किया गया था।

७ दिसम्बर, १९७० को गिरफ्तार किये गये व्यक्तियों के मुकदमें वापस लेने तथा ८ दिसम्बर, १९७० को गिरफ्तार किये पांच व्यक्तियों के मुकदमें वापस न लेने में राजनैतिक आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया गया है क्योंकि उक्त १०७ व्यक्तियों में संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी, नई कांग्रेस व स्टूडेन्ट्स फेडरेशन के सदस्य तथा कुछ अन्य व्यक्ति शामिल थे और ८ दिसम्बर को गिरफ्तार किये गये पांच व्यक्तियों में उपलब्ध सूचना के अनुसार तीन छात्र नई कांग्रेस से संबद्ध छात्र संगठन के, एक छात्र समाजवादी युवजन सभा का तथा पांचवां व्यक्ति किसान मजदूर पार्टी का सदस्य बताया जाता है।

सिंचाई राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ सिंह)—

एक व्यवस्था का प्रश्न है। श्रीमन, आज के एजेन्डा पर आइटम नं० ८ और ९ दोनों आपकी आज्ञा से केवल वक्तव्य के लिए सम्मिलित हुए थे। श्रीमन्, आपकी आज्ञा शिरोधार्य करके नं० ८ पर जितने स्पष्टीकरण माननीय सदस्यों ने चाहे आपके माध्यम से दिये गये। लेकिन श्रीमन्, नियम ५१ के जो वक्तव्य होते हैं उनके लिए पुरानी व्यवस्था चली आ रही है कि उन पर प्रश्न न पुछवायें।

श्री अध्यक्ष—

जब कोई स्पष्टीकरण के लिए पूछता है तो कभी-कभी मैं इजाजत दे देता हूं।

श्री कल्पनाथ सिंह—

नियम ५१ के अन्तर्गत जो सूचनाएं स्वीकृत करते हैं तो उसमें केवल वक्तव्य का प्राविधान होता है। केवल वक्तव्य में अगर स्पष्टीकरण के लिए तैयार होकर न आवें तो क्या होगा ?

श्री अध्यक्ष—

मैं इसको नियम ५१ के अन्दर शाम को ले लूंगा।

श्री कल्पनाथ सिंह—

यह दूसरी चीज है कि इस एजेन्डा को नियम ५१ में आप परिवर्तित कर दें। सवाल यह था कि केवल वक्तव्य वाले मामले में.....

श्री अध्यक्ष---

आपका कहना बिल्कुल सही है। कल अधिष्ठाता महोदय, यहां बैठे थे और उन्होंने एक एक से पूछना शुरू किया। आपने एतराज नहीं किया। आज १ बजे से दूसरा विषय आने वाला है। १ बजे तक समय है। हमेशा के लिये मैं कायदा नहीं बनाता हूं। आप स्पष्टीकरण दे सकते हैं।

श्री गोविन्द सिंह (जिला टिहरी-गढ़वाल)---

माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सही है कि ७ दिसम्बर को जो छात्र गिरफ्तार किये गये थे उनका मुकदमा तो वापस कर दिया गया परन्तु ८ दिसम्बर को जो छात्र गिरफ्तार किये गये थे उनका मुकदमा वापस नहीं हुआ है ?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी वाजपेयी (जिला इलाहाबाद)---

मान्यवर, वही तो मुख्य प्रश्न था। माननीय मंत्री जी ने जो वक्तव्य दिया कि ८ तारीख को जो यूथ कांग्रेस से सम्बद्ध लड़के थे, उनकी जमानत नहीं ली गई और उनको नहीं छोड़ा गया और ७ तारीख वाले जो थे उनको छोड़ दिया गया। मुख्य प्रश्न तो यही है।

श्री राजेन्द्रप्रताप सिंह---

८ तारीख को जो लड़के गिरफ्तार किये गये थे उनसे कहा गया था कि वे जमानत दें परन्तु उन्होंने उसको नहीं दिया इसलिये उनको नहीं छोड़ा गया।

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी वाजपेयी---

जो ७ तारीख को विद्यार्थी पकड़े गये थे उनके साथ एस० एस० पी० के नेता भी थे और श्री राजनारायण जी उनके साथ घूम रहे थे और उन लोगों को, जो उस दिन पकड़े गये थे बिना किसी जमानत के उनको छोड़ दिया गया। परन्तु ८ तारीख को जो लड़के पकड़े गये उनको सरकार ने धारा १८८ के अन्तर्गत चालान कर दिया, हम विधायकों को भी उनकी जमानत लेनी पड़ी और उनके मुकदमों को नहीं छोड़ा गया। इस प्रकार से भेदभावपूर्ण व्यवहार किया गया है।

श्री अध्यक्ष---

इनका कहना है कि भेदभाव का व्यवहार हुआ है। ७ तारीख को जो पकड़े गये थे वे उन लोगों में से थे जो एस० एस० पी० के हैं जो पार्टी गवर्नमेंट में है और इसलिये उनको छोड़ दिया गया बिना किसी जमानत के और जो ८ तारीख को ५ लोग पकड़े गये चूंकि वे विरोधी दल के थे इसलिये उनके ऊपर मुकदमा चलाया गया। इसकी सफाई आपको देनी चाहिये।

श्री राजेन्द्रप्रताप सिंह---

ऐसा कोई भेदभाव नहीं किया गया था।

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी वाजपेयी---

प्रश्न तो यह है कि ७ तारीख को बिना जमानत लिये उनको छोड़ दिया गया और ८ तारीख को नहीं छोड़ा गया।

श्री अध्यक्ष---

इनका कहना तो यही है कि ७ तारीख को जमानत न लेकर उनको यों ही छोड़ दिया गया और ८ तारीख को जिन लोगों को पकड़ा गया उनसे जमानत मांगी गई और उनको नहीं छोड़ा गया।

श्री राजेन्द्रप्रताप सिंह---

८ तारीख को जो लोग पकड़े गये थे उनके अपराध ज्यादा गम्भीर थे और जो लोग ७ तारीख को पकड़े गये थे उनके अपराध इतने गम्भीर नहीं थे।

श्री गोविन्द सिंह---

क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि ७ तारीख को जो व्यक्ति पकड़े गये थे उनके क्या अपराध थे? और ८ तारीख को जो व्यक्ति पकड़े गये थे उनके क्या-क्या अपराध थे? और क्या-क्या दफायें थीं?

श्री राजेन्द्रप्रताप सिंह---

७ तारीख को बहुत बड़ी तादाद में लोग गये थे और बहुत से व्यक्ति उनमें से खड़े थे परन्तु ८ तारीख को दूसरे ही किस्म की योजना बनाई गई थी और वे लोग योजनाबद्ध तरीके से गये थे। इस कारण उसमें गम्भीरता अधिक महसूस की गई।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष---

एक-एक कर के बोलिये। आप श्री छांगुर राम बैठिये।

श्री स्वामीप्रसाद सिंह (जिला हमीरपुर)---

मान्यवर, मैं सरकार से यह पूछना चाहता हूं कि जो ७ तारीख को चालान हुआ वह किस दफा में हुआ? और ८ तारीख को जो चालान हुआ वह किस दफा में हुआ?

श्री अध्यक्ष---

अगर श्री लक्ष्मी रमण आचार्य जी को अधिक जानकारी है तो वह कृपया उत्तर दें।

न्याय मंत्री (श्री लक्ष्मी रमण आचार्य)---

मान्यवर स्पष्ट बात यह है कि ७ तारीख को जो लोग पकड़े गये तो हीट आफ दी मूवमेंट में वह वहां इकठ्ठे हो गये उन्होंने नारेबाजी की लेकिन जो ८ तारीख को पकड़ गये उन लोगों ने बहुत ही सोच समझकर वेल प्लान्ड तकीके से कानून तोड़ने क लिये कार्य किया, इसलिये ८ तारीख वाला मामला अधिक गम्भीर था। मान्यवर, वैसे दफा एक ही थी।

(व्यवधान)

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी वाजपेयी---

मान्यवर, यह गलत है। ७ तारीख को जो लोग पकड़े गये उन्होंने उत्तर प्रदेश के हर जिले में पोस्टर चिपकाय, उन्होंने वेल प्लानिंग के साथ डिमान्स्ट्रेशन किया था। उसमें संसोपा नेता भी शामिल थे। ऐसा कहना कि एक हीट आफ दी मूलमेंट में ऐसा हुआ, बिल्कुल गलत है।

श्री नारायण दत्त तिवारी (जिला नैनीताल)---

मान्यवर, मैं यह मांग करता हूं कि यह जानबूझ कर जो गलत बयानी की गई है, उससे संबंधित डाकूमन्ट्स टेबिल पर सदन के सामने रखे जायं और जो गलत बयानी की गई है उसके लिये अवमान का प्रश्न उपस्थित करता हूं। वह डाकूमेंट्स मंगाये जायं।

श्री अध्यक्ष---

आप पहले दीजिये।

श्री नित्यानन्द स्वामी (जिला देहरादून)—

क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि एक छात्र की जमानत उसी दिन हो गई थी लेकिन आर्डर जेल में ५ बजे के बाद पहुंचा और छात्र उस दिन नहीं छूट पाया। वह आदेश जो जेल में देर से पहुंचा उसके लिये कौन दोषी है, इसके लिये सरकार जांच करायेगी ?

श्री राजेन्द्रप्रताप सिंह—

उस देरी के लिये कोई दोषी नहीं है। साढ़े ४ बजे एप्लीकेशन दी गई, उसको मंजूर करते-करते और जेल पहुंचते-पहुंचते ५ से ऊपर हो गये। इसलिये दूसरे दिन जेल के नियम के अनुसार छोड़ा गया।

श्री शिव कुमार (जिला सुल्तानपुर)—

मान्यवर, मंत्री लोगों की तरफ से इस सवाल का कोई जवाब नहीं आया कि क्या कारण है कि ७ तारीख को जो लोग पकड़े गये उनको तत्काल क्यों रिहा किया गया और ८ तारीख को जो पकड़े गये उन पर मुकदमा क्यों चलाया गया, जब कि उन्होंने किसी प्रकार का कोई बम नहीं फेंका, कोई हिंसात्मक कार्यवाही नहीं की और क्यों उनको सजा दी गई। और इसका जवाब माननीय मंत्री जी ने जो दिया है वह सन्तोषजनक नहीं है। एक वक्तव्य १७ तारीख को दिया और एक आज दिया। ८ तारीख को गिरफ्तार किये गये विद्यार्थियों को तो १७ तारीख को उच्च श्रेणी प्रदान की गयी और जो विद्यार्थी ७ तारीख को गिरफ्तार हुए थे उनको ७ को ही उच्च श्रेणी प्रदान कर दी गयी थी और वे ८ को रिहा कर दिये गये थे। तो मैं यह जानना चाहता हूं कि यह भेदभाव क्यों है ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—

किसी प्रकार का भेद भाव नहीं है। इसमें कोई शुबहा की बात नहीं है। कुछ क्लासिफिकेशन की बात आई। जिले के अधिकारियों के सामने कुछ कठिनाई आई तो सरकार से पूछते हैं जिसे सरकार हल करेगी। मेरे मित्र को कुछ गलतफहमी है। किसी पर कोई मुकदमा नहीं चल रहा है, केवल छूटने की बात थी तो यह भी छूट गये और वह भी छूट गये। अब प्रश्न यह है कि कुछ को उसी दिन और कुछ को बाद में क्यों छोड़ा गया। तो पहले दिन तो कुछ स्टूडेंट्स हीट आफ दी मोमेन्ट में शामिल हो गये, वह प्लान नहीं कर रहे थे। उनके अपराध का एक रूप होता है। मेरे मित्र इस चीज से परिचित हैं कि कत्ल जैसे भीषण अपराध में भी हीट आफ दी मोमेन्ट में किया गया कत्ल तथा प्रिमेडिकेटेड कत्ल में फर्क होता है।

श्री रामलाल राही (जिला सीतापुर)—

क्या माननीय मंत्री ८ तारीख को गिरफ्तार किये गये छात्रों के मुकदमों को वापस लेने की घोषणा सदन में करेंगे ?

श्री राजेन्द्रप्रताप सिंह—

इस पर विचार किया जायगा।

श्री गोविन्द सिंह—

व्यवस्था का प्रश्न है। लक्ष्मी रमण आचार्य जी ने जो मंत्रि परिषद के सदस्य हैं कहा कि सबके मुकदमे वापस ले लिये गये, किसी पर मुकदमा नहीं चल रहा है और गृह मंत्री ने उत्तर दिया कि मुकदमे वापस लेने के प्रश्न पर विचार हो रहा है तो क्या एक ही मंत्रि परिषद् के दो सदस्य दो कांट्रेडिक्टरी उत्तर दे सकते हैं ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य---

किसी पर मुकदमा नहीं चल रहा है यह बात ठीक है। किसी पर मुकदमा कोर्ट में चलना और किसी पर मुकदमा चलाया जाय या न चलाया जाय यह विचाराधीन है उन दोनों बातों में अन्तर है। लेकिन जो मामले विचाराधीन हैं उनके सम्बन्ध में जैसा मेरे साथी ने कहा सरकार विचार कर रही है और सदन की इच्छानुसार कार्य करने की चेष्टा की जायगी।

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी वाजपेयी---

इस सरकार ने भेदभाव बरता है यह साबित हो गया माननीय मंत्री के उत्तर से। इसके लिये हमें अफसोस है।

(व्यवधान)

श्री शिव कुमार (जिला सुल्तानपुर)---

मान्यवर, माननीय मंत्री जी के जवाब से स्पष्ट जाहिर है कि छात्रों के सम्बन्ध में उन्होंने भेद भाव किया है। इसलिये इस सदन का त्याग करता हूं।

(श्री शिव कुमार (सुल्तानपुर) सदन त्याग कर चले गये।)

उत्तर प्रदेश प्रतिकूल कार्य-कलापों का निवारण विधेयक, १९७०†

न्याय मंत्री (श्री लक्ष्मीरमण आचार्य)---

मान्यवर, मेरा विश्वास है कि जो विधेयक मैं इस सदन के सामने रखने जा रहा हूं उसे सदन गम्भीरता से विचार करेगा। मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश प्रतिकूल कार्य-कलापों का निवारण विधेयक, १९७० पर विचार किया जाय...

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष---

आप लोग मेरी बात सुन लें। कार्यमंत्रणा समिति में यह निर्णय लिया गया है कि इस विधेयक पर तथा इसके बाद जो दूसरा विधेयक है उस पर ३ बजे तक का समय दिया है। इसम आप समय बांट लें कि कितना समय किस विधेयक में आप देना चाहते हैं।

श्री गोविन्द सिंह (जिला टिहरी गढ़वाल)---

मान्यवर, दूसरा जो गुन्डा नियंत्रण विधेयक है उसमें क्लाज-बाई-क्लाज संशोधन दिये हैं, उसमें बोलने के लिये समय ज्यादा दिया जाना चाहिए।

श्री अध्यक्ष---

अभी एक बज रहा है और २ घंटे बाकी हैं। तो पौन घंटा आप इसमें दे दें और सवा घंटा आप गुन्डा नियंत्रण वाले विधेयक के ऊपर दे दें। क्योंकि आप उसमें ज्यादा बोलना चाहते हैं.....

श्री मंजूर अहमद (जिला मेरठ)---

इसमें आप डेढ़ घंटे का समय दे दें.....

(व्यवधान)

---

†२२ दिसम्बर, १९७० की कार्यवाही में छपा है।

श्री कृष्ण चन्द्र (जिला झांसी)—

मान्यवर, जो विधेयक माननीय लक्ष्मीरमण आचार्य जी ने विचार के लिये रखा है उसमें मेरी वैधानिक आपत्ति है.....

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—

मान्यवर, अभी तो मैंने इसके सम्बन्ध में कुछ भी नहीं बोला है केवल प्रस्ताव किया है कि विचार किया जाय....

(व्यवधान)

श्री कृष्ण चन्द्र—

मान्यवर, मेरी आपत्ति इसमें प्रिंसिपुल के ऊपर है। आप इस विधेयक को इस प्रकार नहीं रख सकते हैं, क्यों कि यह संविधान के विरुद्ध है। मैं इस सम्बन्ध में निवेदन करना चाहता हूं कि इसमें जो धारा ७ है उसमें दो प्राविजन्स ऐसे हैं कि कांस्टीट्यूशन के खिलाफ हैं...

"दि आइडिया आफ दि बिल इज रिपग्नेन्ट टु दि कांस्टीट्यूशन।" इस विधेयक म यह दिया हुआ है कि उसे वकील को करने की सुविधा नहीं है यह आप्शनल बनाया गया है।

(व्यवधान)

(श्री महो लाल के कुछ कहने पर।)

श्री अध्यक्ष—

(माननीय महीलाल जी को सम्बोधित करते हुये)—यह चीज ठीक नहीं है। मैं उनकी बात सुन नहीं पा रहा हूं। आप शांत रहें।

श्री कृष्णचन्द्र—

मैं निवेदन कर रहा था कि इस विधेयक में जो प्राविधान किया जा रहा है वह कांस्टीट्यूशन के खिलाफ है और वह यह है कि जो उस पर आरोपित होंगे और वह यह समझेगा कि यह पब्लिक इन्टेरेस्ट में है तो उन आरोपों से उसे सजा नहीं की जायेगी। दूसरी बात जो है वह यह है कि इसमें उसे वकील करने का अधिकार नहीं होगा न साक्ष्य देने का अधिकार होगा। तो मान्यवर, यह संविधान के प्रोसीजर के बिलकुल खिलाफ है। इसलिये मैं आपकी सेवा में कांस्टीट्यूशन की वह धारा रखता हूं।

मान्यवर, शार्टर कांस्टीट्यूशन आफ इंडिया के पेज १०७ को आप देखें यह आर्टिकिल १९ के संबंध में है। इसमें दिया हुआ है कि—

"The general rule is that a restriction upon the freedom of movement would be procedurally unreasonable if it offends against the principles of natural justice *i.e.* if the person against whom an order of externment is made has no right to be heard in his defence or to be told the charges or grounds upon which the order is being made against him, or to show that he is not a person coming within the mischief of the law."

श्री अध्यक्ष—

यह तो आप कमेंटरी पढ़ रहे हैं।

श्री कृष्णचन्द्र—

आर्किकल १९ इस प्रकार है—

"A law which imposes a restriction upon the freedom of movement shall be void if there is no provision for communicating the grounds to the person against whom the order is to be made."

इसी के ऊपर यह कमेंटरी है। इसमें ४ बातें मुख्य है जो एमीनेंट लाइयर्स ने बतायी हैं। पहला यह है कि जो आरोप किसी पर लगाया जाय वह उसको कम्युनिकेट किया जाय, २—उसको जवाब देने का अधिकार होना चाहिये, ३—उस को वकील करने का अधिकार होना चाहिये, ४—उसको साक्ष्य देने का अधिकार होना चाहिये। अगर इन चार चीजों को किसी कानून में से हटा दिया जायगा तो नेचुरल जस्टिस की जो आत्मा है वही समाप्त हो जायगी और यह लोगों के फन्डामेन्टल राइट्स का हनन करेगा। इस विधेयक में से इन चारों ही बातों को हटा दिया गया है जो कान्स्टीट्यूशन की धारा १९ के खिलाफ जाता है। इसलिये इस विधेयक को उपस्थित करने की श्रीमन् को आज्ञा नहीं देनी चाहिये।

*श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—

श्रीमन्, मुझे दुःख है कदाचित विधेयक को बिना देखे ही माननीय सदस्य ने एतराज कर दिया। आर्टिकिल १९ का उपखंड ५ में, जिसका खासतौर से इससे संबंध है, पढ़े देता हूं। वह इस प्रकार है—

"Nothing in sub-clauses (*d*), (*e*) and (*f*) of the said clause shall affect the operation of any existing law in so far as it imposes, or prevent the State from taking any law imposing, reasonable restrictions on the exercise of any of the rights conferred by the said sub-clauses either in the interests of the genral public or for the protection of the interests of any Scheduled Tribe."

वकील वाली बात कदाचित माननीय सदस्य को अदालत की याद आ गयी। और इसलिये वे अदालत की बात कह गये। यह जो डिटेंशन ऐक्ट है उसकी धारा ७ की ओर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं—"७(१)—यदि कोई व्यक्ति निरोधादेश के अनुसरण में निरुद्ध किया जाय तो ऐसा आदेश देने वाला प्राधिकारी, यथाशीघ्र, किन्तु निरुद्ध किये जाने के दिनांक से अधिक से अधिक पांच दिन के भीतर 'उसे ऐसा आदेश दिये जाने के कारणों के सबंध में सूचित करेगा, और उसे आदेश के विरुद्ध राज्य सरकार को अभ्यावेदन देने का शीघ्रतम अवसर देगा।"

अगर आपने उसको नहीं पढ़ा तो मुझे दुःख है। आपने सारा विवाद इसी पर किया कि उनको मौका ही नहीं दिया गया। इसके बाद में यह है कि राज्य सरकार ने एक परामर्शदात्री समिति का गठन किया है, जिसका जिक्र धारा ८ में किया गया है। किसी राज्य में अथवा केन्द्र में कभी ऐसा प्रोवीजन नहीं किया गया, जो हमने किया है। परामर्शदात्री समिति के ३ सदस्य होंगे। एक हाई कोर्ट में बैठने वाला जज यानी अवकाश प्राप्त जज नहीं होगा बल्कि काम करने वाला जज होगा और दो अन्य जज, वे हाई कोर्ट के भी हो सकते हैं या जिला स्तर के हो सकते हैं। यह ८ में है।

श्री अध्यक्ष—

आप कांस्टीट्यूशन के बारे में ही कहिये।

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—

इसके अतिरिक्त और कोई चीज नहीं है।

श्री अध्यक्ष—

मैं सिद्धान्त को रखे देता हूं। वह यह है कि कोई भी बिल चाह वह थोड़ा सा संविधान के खिलाफ पड़ जाता या विधान में कोई गलती रह जाती हो तो इस सदन में मैं व्यवस्था दे चुका

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री अध्यक्ष]

हूं कि यह नहीं कोई निश्चित कह सकते कि यह विधान के खिलाफ है। लिहाजा इस पर सदन विचार नहीं कर सकता इसका फैसला देने का अधिकार मुझे है और यदि कोई अधिनियम बन गया और वह गलत बन गया और उसमें ऐतराज है तो हाई कोर्ट से उसका फैसला कोई व्यक्ति करा सकता है और अवैध करा सकता है। मैं सदन का अधिकार कम नहीं करना चाहता हूं। मैं समझता हूं मेरे इजाजत देने के बाद इस पर विचार नहीं हो सकता है कि बिल पर विवाद न हो हो। जब यह खंड आयेगा उस समय यह उठ सकता है। आप उसमें यह कर सकते हैं। उसमें भी मैं आप से कहना चाहता हूं कि अगर कोई सरकार जिद करती है और खंड को पास कराती है तो वह हाई कोर्ट के लिये तय करने की बात होगी अगर कोई दावा अदालत में करे।

श्री कृष्णचन्द्र—

आप यह देखें कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जाकर इस सदन के पास कियेहुये विधेयक समाप्त न हो जांय। यह सदन ऐसी गलती न करे जिससे उपहास का पात्र बन जाय।

श्री अध्यक्ष—

अगर गवर्नमेंट उपहास का पात्र बनना चाहती है तो बने, सदन बनना चाहता है तो बने। मेरे सामने आयेगा तो मैं इसके ऊपर वह अवैध है ऐसा कह कर सदन पर रोक लगाना नहीं चाहाता हूं।

*श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—

मान्यवर, मैं आपका अनुगृहीत हूं कि आपने मुझे अवसर प्रदान किया कि मैं ऐसा महवपूर्ण विषय सदन के सामने प्रस्तुत करूं। ५ अगस्त,७० को राज्य सरकार ने एक अध्यादेश जारी किया था और उस अध्यादेश में निरोध या प्रिवेंटिव डिटेंशन के सम्बन्ध में राज्य सरकार ने अपना विनिश्चय अध्यादेश द्वारा जारी किया था। मुझे यह कहने में बहुत संकोच नहीं है कि इस अध्यादेश का बहुत उपयोग राज्य सरकार ने नहीं किया। यदि मैं गलती नहीं करता तो एक या दो से अधिक व्यक्तियों का निरोध नहीं किया गया। राज्य सरकार में इधर बैठे हुये और कुछ उधर बैठने वाले दल के बहुत से लोग इस प्रिवेंटिव डिटेंशन को अच्छी चीज नहीं समझते। हम लोगों में से बहुत से लोगों को यह सौभाग्य या दुर्भाग्य प्राप्त हुआ है और प्रिवेंटिव डिटेन्शन के दिन हम लोगों ने देखें हैं और यह एक ऐसा कानून है जिसको कोई भी सरकार खास तौरसे आज की सरकार मजबूरी में ही स्वीकार करती है। प्रिवेंटिव डिटेंशन का जो अध्यादेश था उसको राज्य सरकार ने शुरू से अंत तक देखा और मैं सदन को सूचित करना चाहता हूं कि इस अध्यादेश को हम लोगों ने विवश हो कर लिया है।

(इस समय १ बजकर ११ मिनट पर अधिष्ठाता, श्री नित्यानन्द स्वामी पिठासीन हुए।)

साधारणतः तो जब यहां बिल आता है तो वह रिपील हो जाता है लेकिन उसको विदड्रा किया गया। और यदि मैं यह कहूं कि वह अध्यादेश जब जारी किया गया था उससे पहले भी और उसके बाद ये भी माननीय कृष्णचन्द्र और उनके दल के लोग ने—आज किसी विवाद के लिये इन चीजों को नहीं कहना चाहता बल्कि जो इसका गाम्भीर्य है उसको पृष्ठभूमि को सदन के पटल पर रखना चाहता हूं—उन सब लोगों ने विचार करके इस अध्यादेश को जारी किया था या करवाया था।

श्री कृष्णचन्द्र—

मेरा दल विरोध में था।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—

मान्यवर, इसीलिये मैंने कहा था कि मैं विवाद में नहीं पड़ना चाहता। आपका दल पक्ष में हो या न हो, आपके मंत्रिगण सब मौजूद थे।

श्री कृष्णचन्द्र—

क्या कबिनेट की बात का उद्धरण यहां पर दिया जा सकता है? अगर ऐसा है तो कैबिनेट की प्रोसीडिंग्स आ जायं तो मालूम हो जाय कि जिस मिनिस्टर ने क्या कहा? और अगर नहीं, तो उसका जिक्र नहीं किया जा सकत।।

श्री अधिष्ठाता—

कैबिनेट का निर्णय सामूहिक बाहर आता है न कि किसने क्या कहा? वह सामूहिक निर्णय बता रहे हैं।

श्री कृष्णचन्द्र—

हमारे मिनिस्टर्स ने क्या कहा यह तो नहीं बताया जा सकता। इसलिये मैं प्रार्थना करूंगा कि वह इस बात का जिक्र न करें क्योंकि बड़ा नाजक विषय है।

श्री अधिष्ठाता—

जरा स्पष्ट कर दें।

श्री लक्ष्मीरमण अचार्य—

मान्यवर, मैंने खुद ही कहा कि मैं उसको विवाद का विषय नहीं बनाना चाहता लेकिन आज भी यह कहना चाहता हूं कि आज कुछ परिस्थितियां सारे देश में ऐसी हो गयी हैं कि हम इसके बिना काम नहीं चला सकते हैं और मेरे मित्र माननीय कृष्णचन्द्र जी या उनके कुछ साथी उधर बैठ कर आज भले ही इसकी आलोचना कर सकें लेकिन मैं यह बहुत गम्भीरता के साथ कहना चाहता हूं कि जो दल सदा इस प्रकार के निरोध आदेशों के विरुद्ध रहे हैं उन्होंने भी आज अपनी स्वीकृति देना वांछनीय और आवश्यक समझा।

यह जो विधेयक आज सदन में है वह जो पहला अध्यादेश था उससे काफी अर्थों में भिन्न है। इसमें और उसमें काफी अन्तर करने की भी चेष्टा की गई है। यही नहीं, बल्कि आज जो बंगाल में है या केन्द्रीय अधिनियम है या था कभी उससे भी यह बहुत भिन्न है और इसका सीमा क्षेत्र बहुत ही सीमित कर दिया गया है जिससे कि केवल कुछ व्यक्ति जिनकी विशेष प्रकार की कार्यवाहियों को करनेमें रुचि है उनके विरुद्ध निरोध का आदेश जारी किया जा सकेगा। मैं बहुत ही संक्षेप में यह बता देना चाहता हूं कि इस विधेयक का मूल रूप किस प्रकार से है।

मान्यवर, इसमें हम लोगों ने जो धारा २ रखी है उस धारा २ में यदि राज्य सरकार का किसी व्यक्ति के सम्बन्ध में यह समाधान हो जाय कि उसे ऐसी किसी प्रकार की कार्यवाही करने से जो राज्य की सुरक्षा के प्रतिकूल हो या जिससे राष्ट्रीय सम्मान की वस्तुओं का अपमान होता हो रोकने के उद्देश्य से ऐसा, करना आवश्यक हो, तो वह ऐसा आदेश (जिसे एतत्पश्चात निरोधादेश कहा गया है) दे सकता है जिसमें यह निर्देश हो कि वह व्यक्ति निरुद्ध किया जाय। मान्यवर, इसमें देखेंगे कि किसी ऐसे प्रकार की कार्यवाही करने से जो राज्य की सुरक्षा के प्रतिकूल हो, अब "राज्य की सुरक्षा के प्रतिकूल" कौन सी कार्यवाहियां हैं उनका इसकी उपधारा (२) (१) के (क), (ख), (ग) में जिक्र है। उसमें है "किसी ऐसे प्रकार की कार्यवाही करने जो राष्ट्रीय सम्मान की वस्तुओं का अपमान हो" का तात्पर्य निम्नलिखित से है: कोई ऐसा कार्य करना जिससे किसी भी आधार पर चाहे वह जो भी हों भारत के राज्य क्षत्र के किसी

[श्री लक्ष्मीरमण आचार्य]

भाग का अभ्यर्पण कराने या संघ से भारत के राज्य क्षेत्र के किसी भाग का सम्बन्ध विच्छेद कराने का अभिप्राय हो। यानी इस देश की कोई टेरीटरी इस देश के बाहर रखने के लिये जो कार्य करे अथवा जिससे ऐसा कराने के लिये किसी दावे का समर्थन होता हो, जैसा कि मान लीजिये कुछ सज्जन ऐसा कहने लग जायं कि हमारे देश अमुक सीमा या हमारे देश के कुछ भाग, या आसाम का कुछ हिस्सा हमारे इस देश का नहीं है और अमुक देश का है, उसके लिये कार्य करने लगें जिससे भारत की प्रभुता और उसकी राज्य क्षेत्रीय अखंडता को अस्वीकार किया जाय या उस पर आपत्ति की जाय या उसे विच्छिन्न किया जाय अथवा विच्छिन्न करने का अभिप्राय हो।

(ख) में यह दिया है कि कोई ऐसा कार्य करना जिसका उद्देश्य विधि द्वारा स्थापित सरकार को घातक हथियारों के प्रयोग से उलटना या समाप्त करना हो। बहुत सी बातें चलती है। तो घातक हथियारों के प्रयोग से जो व्यक्ति इस देश की सरकार को बदलना चाहें और (क) या खंड (ख) में निर्दिष्ट कोई कार्य करने के लिये व्यक्तियों को संगठित करना या उन्हें उकसाना अथवा उसे करने की आवश्यकता या वांछनीयता का समर्थन करना। इस प्रकार के कार्य करने के लिये जो व्यक्ति संगठित करना चाहें वह कौन हो सकते हैं इसका इशारा ही मैं करता हूं नाम नहीं लेता हूं और मेरी दृष्टि में अगर उसका कोई नाम हो सकता है तो वह नक्सलाइट ही हो सकते हैं। वे ऐसे लोग हो सकते हैं जो इस देश की प्रभुसत्ता के विरोध में किसी प्रकार से संगति करना चाहते हों और फिर इसके अतिरिक्त किसी ऐसे प्रकार की कार्यवाही करने जिससे राष्ट्रीय सम्मान की वस्तुओं का अपमान होता हो जिसमें बहुत सी चीजें आती हैं जिसमें भारत के मान चित्र या भारतीय राष्ट्रीय ध्वज या महात्मा गान्धी की किसी प्रतिमा अथवा अन्य सचित्र प्रतिरूप को विकृत करना, जलाना, क्षतिग्रस्त करना, अपवित्र करना, नष्ट करना या किसी अन्य प्रकार से उसे अपमानित करना या खंड (क) में निर्दिष्ट कोई कार्य करने के लिये व्यक्तियों को संगठित करना या उन्हें उकसाना, अथवा उसे करने की आवश्यकता या वांचछनीयता का समर्थन करना.....

श्री रामचन्द्र विकल (जिला बुलन्दशहर)—

मैं यह जानना चाहता हूं कि यह विधेयक इस प्रदेश के लिये है या सारे देश के लिये हैं जिसमें वह आसाम का भी जिक्र कर रहे हैं? दूसरे इन्होंने नक्सलाइट का नाम लिया कि वह इस सरकार को बदल सकते हैं तो वह तो वोट के जरिये भी सरकार बदली जा सकती है। अगर वोट से सरकार को बदला जाय तो उनको यह सरकार कैसे बाध्य करेगी?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—

मुझे मालूम नहीं है कि विकल जी यहां पर उपस्थित थे या नहीं। अगर होते तो इस प्रकार का प्रश्न न उठाते। मैंने कहा था कि जो इस प्रकार से आर्म्ड इनसेरेक्शन यानी घातक हथियारों के जरिये से या उसके प्रचार के जरिये से यहां की सरकार को बदलने की सोचें। वह यहां पर उपस्थित नहीं थे तो यह मेरा दुर्भाग्य है और यदि उन्होंने यह बात सुनकर इस प्रकार का प्रश्न उठाया तो उन्होंने मेरे ऊपर बड़ी कृपा की इसके आगे उनसे और क्या कहूं। क्या इस प्रदेश के अन्दर नक्सलाइट नहीं है? आप कृपा करक अपने कानों को साफ कर लें। वह जहां पर रहते हैं उन के घरों पर भी हैं...

श्री रामचन्द्र विकल—

वह देश की और आसाम की सीमा की बात कह रहे थे इसलिये मैंने कहा था.....

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—

यदि मेरे मित्र को कुछ खामखयाली है तो वह उस को रफा कर लें....

श्री अधिष्ठाता—

इसमें व्यवस्था की आवश्यकता नहीं है, कानून सूबे का बन रहा है, उदाहरण इसमें बाहर का भी दिया जा सकता है ।

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—

बहुत से लोग उत्तर प्रदेश में बैठ कर देश को खंडित करने की चेष्टा करते हैं, यहां ऐसे संगठन हैं, नेकसेलाइट अर्गनइजशन है जो देश की सीमाओं को चीन से मिलकर उस को देना चाहते हैं ऐसे तमाम लोगों को हम इस कानून में डिटेन करेंगे, उन सब की कार्यविधियां रोकी जायेंगी । इससे ज्यादा और क्या स्पष्टीकरण चाहिये । जो भी व्यक्ति उत्तर प्रदेश में, लखनऊ में, विकल जी के कमरे में या मेरे कमरे में इस तरह की चीजें सप्लाई करने की चेष्टा करेंगे उन को हम बन्द करेंगे । जो देश के किसी हिस्से को लेकर किसी अन्य देश में मिलाने की और उस के लिये आर्म्ड इनसरेक्शन की बात करते हैं, जो देश में विधि द्वारा स्थापित सरकार को हटाने की बात करते हैं, जो वर्ग युद्ध की बात करते हैं वे सब इस कानून के राय में आयेंगे और एक भी इस तरह के काम करने वाला व्यक्ति इस की परिधि से बाहर नहीं रह पायेगा । मेरा खयाल है कि मेरे मित्र जो कृषक मजदूर दल से सम्बन्धित हैं वह भी इस को स्वीकार करेंगे ।

श्री अधिष्ठाता—

अभी आप कितना समय लेंगे ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—

अधिक से अधिक ५–७ मिनट और लूंगा । इस में आगे दिया गया है कि इसकी प्रक्रिया क्या होगी यानी इस को कैसे कार्य रूप में परिणत किया जायगा । मैंने जिक्र किया था कि यह घातक हथियार क्या हैं , इस की भी परिभाषा और स्पष्टीकरण इस में है । इस उपधारा में घातक हथियारों की परिभाषा इस तरह स्पष्ट की गई है कि घातक हथियारों का तात्पर्य आग्नेयास्त्रों, विस्फोटक या संभारक पदार्थ, तलवारों, ढालों, बटारों तथा चाकुओं से है । इसमें होगा यह कि जिलाधिकारी या ए० डी० एम० जिन को वह अधिकृत करेंगे जैसे ही उन को यह सूचना मिलेगी वह तुरन्त उसकी सूचना राज्य सरकार को देंगे और उस पर राज्य सरकार द्वारा तुरन्त इस के आदेश जारी होंगे और उसके बाद मैं सदन का ज्यादा समय नहीं लूंगा इस की धाराओं और उपधाराओं में जाकर । मैंने केवल अभी इस की मुख्य-मुख्य बातों का जिक्र किया । इसका कुल रूप यह बनेगा कि जिस व्यक्ति के संबंध में पता चलेगा कि उस को पकड़कर डिटेन किया जा सकता है प्रदेश के किसी भी स्थान में जहां अपराधी रखे जाते हैं वहां डिटेन किया जा सकता है और उसके बाद जैसा कि मैंने श्री कृष्णचन्द्र शर्मा जी के एतराज के वक्त कहा था कि धारा ७ के अन्तर्गत ५ दिन के अन्दर उस व्यक्ति को वह कारण बताये जायेंगे कि तुम्हें क्यों डिटेन किया गया है । इस की धारा ७ है कि " अधिक से अधिक ५ दिन के भीतर उस ऐसा आदेश दिये जाने के कारणों के सम्बन्ध में संसूचित करेगा, और उसे आदेश के विरुद्ध राज्य सरकार को अध्यावेदन देने का शीघ्रतम अवसर देगा ।"

मेरे मित्र श्री कृष्ण चन्द्र ने एक बात कह दी, मैं उस समय भी उन से कहना चाहता था और मेरा निश्चित अभिमत है कि मेरे मित्र कृष्णचन्द्र जी ने उस को देखा होगा और उन के मन में इस पर किसी प्रकार की भ्रान्ति नहीं आना चाहिये । अनुच्छेद १९ के (५) के नीचे (६) है और मूल अधिकार में यह भी है कि किस प्रकार से डिटेन किये जाने वाले व्यक्ति को वह कारण बताय जाते हैं जिन के अन्तर्गत उसे डिटेन किया गया है । लेकिन साथ ही इस में यह भी है कि कारण बताते समय कारण बताने वाला यह अवश्य समझे कि जो कारण बताया जाना स्टेट के हित में नहीं है वे कारण वह न बताये । जिन कारणों को स्टेट के अधिकारी यह नहीं समझते कि उन का बताना पब्लिक के हित में है उन को वह नहीं बतायेंगे ।

[श्री लक्ष्मीरमण आचार्य]

मान्यवर, इसके बाद एक और प्रक्रिया है और वह यह है कि ५ दिन के अन्दर उस निरुद्ध व्यक्ति को आदेश दिए जाने के कारण के सम्बन्ध में संसूचित करेगा। उसके बाद यदि निरुद्ध व्यक्ति चाहे तो उस आदेश के विरुद्ध राज्य सरकार को अपना अभ्यावेदन (रिप्रेजेन्टेशन) दे सकता है और जो हो वह व्यक्ति अपना अभ्यावेदन सरकार को देगा और अगर इस प्रकार का रिप्रेजेन्टेशन न भी हो तो जो परामर्श दात्री परिषद् होगी वह उसमें जितना मंटीरियल सरकार द्वारा उसके पास भेजा गया होगा, उसको देखेगी और यदि कोई अभ्यावेदन हुआ है उसको देखेगी और यदि डिटेन्ड (निरुद्ध) व्यक्ति यह चाहे कि उसको व्यक्तिगत रूप से भी सुना जाय तो उसको भी सुनेगी। उसके बाद १० हफ्ते के अन्दर उसका एक निर्णय हो जायगा और उसके बाद यह निर्णय हो जायगा कि इस व्यक्ति को डिटेन्ड रखा जाय या न रखा जाय। यदि यह निश्चय होता है कि डिटेन न किया जाय तो उसे तुरन्त छोड़ दिया जायगा और यदि यह निश्चित होता है कि इसको निरुद्ध रखा जाय तो उसको लिखा जायगा। एक वर्ष से अधिक किसी भी व्यक्ति को डिटेन नहीं किया जायगा। तो इस विधेयक में यह प्राविधान है।

इसमें यह भी प्राविधान है कि यदि एक वर्ष के पश्चात किसी व्यक्ति को निरुद्ध करने का विचार हो तो जिन नये कारणों से या निरोधादेश किसी समय समाप्त हो गया हो और किसी व्यक्ति को छोड़ दिया गया हो तो उसको दुबारा अनुरुद्ध करने की यदि आवश्यकता होगी तो दुबारा कारण बताकर ही डिटेन किया जायगा। इस सम्बन्ध में मैं माननीय सदस्यों का अधिक समय नहीं लेना चाहता हूं क्योंकि मैं खयाल करता हूं कि हम सब लोग आज देश के हित में कार्य करने के लिये बैठे हैं और हर एक के हृदय में, दिल में और मष्तिष्क में यही भावना है कि हमारे देश की प्रभुसत्ता अखंड रहे और यदि कोई शत्रुतापूर्ण कार्य कोई व्यक्ति करे तो हम उस व्यक्ति के विरुद्ध कार्यवाही कर सकें। वे यह भी चाहते हैं कि विधि, विधान और संविधान द्वारा जो स्थापित सरकार हो, उसको तब तक रहने का अधिकार रहेगा, जैसा कि हमारे माननीय मंत्री विकल जी ने फरमाया था कि जब तक वोट के द्वारा ही उसको अलग न कर दिया जाय। वे यह भी चाहते हैं कि इस देश में प्रदेश के लोगों का जीवन संतप्त न हो और अशांति न फैले। वे यह भी चाहते हैं कि देश में अहिंसा न बढ़े और यह देश निरन्तर उन्नति के पथ पर बढ़ सके और सारे तत्व जो इसके विरोध में कार्य करते हैं, उन सबके विरुद्ध यह देश इकट्ठा हो कर कार्य कर सके। मैं इन शब्दों के साथ आज इस बिल को सदन के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत करता हूं।

*श्री गोविन्द सिंह—

श्रीमन्, आज जो सरकार की ओर से यह बिल आ रहा है मुझे इसमें कतई भी आश्चर्य नहीं है। खासकर हमारे मित्र न्याय मंत्री, उनका दल, सी० के० डी० ये २ दल ऐसे हैं, किसी न किसी रूप में जिनके हाथ में इस देश और प्रदेश का शासन रहा है। आज मान्यवर, नक्सलवादियों के बारे में कहा जाता है कि प्रदेश में हो गये हैं लेकिन मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि क्या यह बात सही नहीं है और क्या कोई इस बात से इन्कार कर सकता है कि पिछले २०–२२ वर्षों से आपने जो व्यवस्था इस देश और प्रदेश की है, उसने नक्सलवादियों को जन्म नहीं दिया है? क्या पिछले २०–२२ वर्षों से आपने उस वर्ग को बढ़ावा नहीं दिया है जो जनता का शोषण करता है, क्या यह सही नहीं है कि देश और प्रदेश की जनता को आपने बड़े-बड़े पूंजीपतियों की लूट पर नहीं छोड़ा है? और अगर इसके विरुद्ध मान्यवर, कोई आवाज पैदा होती है, अगर इसके विरुद्ध असन्तोष पैदा होता है, अगर इसके विरुद्ध हमारी बदकिस्मती से हमारे देश के अन्दर कुछ नौजवान ऐसे निकलते हैं जिनके अन्दर इस समाज व्यवस्था के बारे में रोष पैदा होता है तो आप क्या समझते हैं कि आप इस कानून के जरिये से उसे रोक लेंगे? मैं माननीय

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि जिन देशों के अन्दर सशस्त्र क्रान्तियां हुई हैं क्या यह कानून उन देशों में नहीं था? क्या रूस के अन्दर यह कानून नहीं था? क्या वहां की जारशाही ने इजाजत दी थी वहां के कम्यूनिस्टों को सशस्त्र क्रान्ति करने की? अगर कोई सशस्त्र क्रान्ति होगी या जो सशस्त्र क्रान्ति करना चाहेंगे वे माननीय मंत्री जी की इजाजत नहीं मानेंगे। प्रश्न क्या है? प्रश्न यह है कि क्या आप इस देश और प्रदेश के अन्दर ऐसी आर्थिक व्यवस्था कायम करना चाहते हैं या नहीं जिस आर्थिक व्यवस्था के अन्दर उन तत्वों को ऐसा मौका नहीं मिला कि इस देश के राजतंत्र को सशस्त्र क्रान्ति के द्वारा हटाया जाय। क्या आप ऐसी सामाजिक व्यवस्था करना चाहते हैं? क्या आप ऐसी आर्थिक रचना करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते जिससे उस सिद्धान्त या दर्शन को, जो दर्शन कहते हैं या राज्य में है, चूंकि पूंजीपति वर्ग का कब्जा है, गरीब जनता और मजदूरों का दमन करने के लिये क्या आप उस दर्शन से मुकाबिला नहीं कर सकते? क्या फिलासफी से लड़ने के लिये कानून की आवश्यकता होगी? इसी प्रदेश के अन्दर इसी सदन से भूमि की हदबन्दी कानून पास किया गया। उसके अन्दर बन्धन लगाया कि पचास एकड़ से अधिक भूमि किसी के पास नहीं रहेगी। आपका पास किया गया कानून है। आप हुकूमत के अन्दर हैं, इस प्रदेश के अन्दर न्यायालय भी है, उच्च न्यायालय भी है, सुप्रीम कोर्ट भी है। यह तमाम व्यवस्था है। कानून आपका रक्खा हुआ है। लेकिन क्या यह सही नहीं है कि बड़े-बड़े भूमि चोरों ने इस कानून के होते हुये भी बहुत बड़ी-बड़ी भूमि हथिया रखी है? इस कानून के होते हुये भी भूमिहीनों को जमीन नहीं मिली, हरिजनों को धरती नहीं मिली। अगर कानून का पालन हमसे करायेंगे कानून के ऊपर अमल कराने वाले आप रहे हैं, पिछले बाइस साल तक रहे हैं। इस तरीके से जो कानून बने हुये हैं उन कानूनों को लागू नहीं कर सकते, लागू कराने की नियत नहीं रखते। अगर उस कानून के विरुद्ध उसको तोड़ने के लिये जनता आन्दोलन करती है, जब संघर्ष करती है तो क्या उसको अधिकार नहीं है।

यहां मेरे माननीय मित्र ने कहा है कि परामर्शदात्री समिति बना दी उसमें कुछ जज लोग रहेंगे। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या उस परामर्शदात्री समिति को कोई प्रमाण या साक्ष्य लेने का अधिकार होगा या नहीं? क्या उस व्यक्ति को जिसको आप डिटेन करने जा रहे हैं, उसको यह अधिकार आप दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं कि जो उसके सामने प्रमाण किया जाय या जो साक्ष्य प्रस्तुत किया जाय उन साक्ष्यों से वह जिरह कर सके, उन्हें किसी चीज को दिखायेंगे? वह परामर्श-दात्री समिति केवल उस रिपोर्ट को जो जिलाधीश ने तैयार की है केवल उस रिपोर्ट को जो सी० आई० डी० इन्सपेक्टर ने तैयार की है उस परामर्श-दात्री समिति को बजात खुद कोई जांच करने का अधिकार नहीं है। क्या उस समिति को केवल उन कागजों को देखने का अधिकार है जिन कागजों को पुलिस के एक हेड कान्स्टेबुल ने तैयार किया है? उस पर वह राय दे। मैं पूछता हूं कि क्यों डर लगता है आपको अगर यह अधिकार आप हाईकोर्ट को दें? जिस व्यक्ति को डिटेन करना चाहते हैं उसके बारे में जो आपको शिकायतें हैं उसके बारे में बाकायदा शहादत, बाकायदा प्रमाण अदालतों के अन्दर हों और अदालत को उस शहादत को स्क्रुटिनाइज करने का अधिकार हो।

जो नैक्सलाइट की बात कही जाती है न केवल नक्सल वादियों को, हमने देखा प्रिवि-न्टिव डिटेन्शन ऐक्ट आपने लागू किया। इस प्रदेश के अन्दर लागू रहा। माननीय वित्त मंत्री जी नक्सलपंथियों की बात कहते हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि इस अध्यादेश के अन्तर्गत कितने नक्सल पंथियों को नजरबन्द किया? किया किनको? संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के चार नेताओं को नजरबन्द किया गया? किसी और पांचवे को किया हो तो मंत्री जी बतावें? तो जब उस आर्डिनेंस को इस्तेमाल करने की जरूरत पिछले महीनों में नहीं पड़ी, तो इस विधेयक को लाने की क्या आवश्यकता है? कौन सी परिस्थिति ऐसी पैदा हो गयी कि आप इसको पास करा रहे हैं? हमारे समाजवादी मित्रों ने पार्लियामेंट में भी कन्धे से कन्धा मिलाकर इस बिल का मुकाबिला किया है और मुझे यकीन है यहां पर भी हमारे माननीय सदस्य इस बिल का विरोध करेंगे।

*श्री पारसनाथ सिंह (जिला बहराइच)—

श्रीमन्, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। अभी हमारे मित्र ने समाज में दुर्व्यवस्था ही इसका कारण बताया। मैं उनकी सेवा में अपने बहराइच जिले की स्थिति बताना चाहता हूं। वहां पर नकसलपंथियों के नाम पर क्या-क्या गुन्डागरदी हो रही है। वहां पर ५० प्रतिशत से अधिक चोर और डकैत ऐसे हैं जो अपने को नकसलपंथी कहने लग गये हैं। ऐसे ऐसे लोग उसमें हैं जिनकी ब्रिटिश काल में पुलिस के यहां नाम दर्ज रहते थे और उन की जांच हुआ करती थी। क्रिमिनल माइन्ड के लोग उसमें चले गये हैं और अपने को नकसलपंथी कहने लग गये हैं। अभी कुछ डाकुओं ने एग जगह पर डकैती डाली, उसके बारे में सरकार की तरफ से स्पष्टीकरण भी आया कि वे लोग पेशेवर डकैत थे, मगर वे भी अपने को नकसलपंथी बताने लगे। खुफिया विभाग का विशेष दस्ता इसके लिये वहां पर तैनात है जो इसकी जांच कर रहा है। यह लोग जो चोर डकैत हैं वहां पर नक्सलपंथियोंके नाम पर आतंक मचाये हुये हैं। नक्सलपंथी बनकर वे जेल जाते हैं, बड़े बड़े कामरेड नेता उनको पनाह देते हैं। पुलिस कहती है, वे लोग तो नेताओं के यहां शरण के लिये हैं, उनके खिलाफ कार्यवाही कैसे करें?

हमारे माननीय मित्र कहते हैं कि समाज की दुर्व्यवस्था के कारण यह हो रहा है ऐसी बात कतई नहीं है। फसल आज किसकी काटी जा रही है? जो गरीब हैं, दो दो बीघे के काश्तकार हैं, उनकी फसल काटी जा रही है। उनको अपने खेतों को बोने नहीं दिया जा रहा है। ४–६ आदमी मिलकर उस पर कब्जा कर लेते हैं। मैंने इसको रोकने के लिये अपने यहां एक सामाजिक संगठन कायम किया है, उससे थोड़ा बहुत नियन्त्रण हुआ है। मगर यह कथित नक्सलपंथी आतंक मचाये हुये हैं। ये लोग अपने रिश्तेदारों को बिहार और पंजाब से बुलाकर आतंक मचाये हुये हैं और जन जीवन दूभर किये हैं। पुलिस अगर उनके खिलाफ कोई कार्यवाही भी करना चाहती है तो कोई शहादत देने को तैयार नहीं होता। ऐसी स्थित में, मैं समझता हूं, यह जो विधेयक आया है यह स्वागत योग्य है। यह जनहित में बन रहा है। जरूरत यह है कि इसका सही तरह से एन्फोर्समेंट हो।

मेरे जिले में नक्सलपंथियों के नाम पर तमाम चोरियां व डकैतियां हो रही हैं। अगर उनके खिलाफ सही तरीके अमल नहीं किये जाते तो वहां के लोग तबाह हो जायेंगे और आप देखेंगे कि वे स्थान अराजकता उत्पन्न होने के प्रेरणास्रोत बन जायेंगे। जैसा कि हमारे एक मित्र ने कहा इससे बड़ी दुर्व्यवस्था हो जायेगी, और इससे लोगों को गलत काम करने का बढ़ावा मिलेगा और कानून पर नियन्त्रण रखना बड़ा कठिन हो जायेगा। इससे यह होगा कि कुछ लोग अपना गिरोह बना कर दूसरे की जमीन हड़प लेंगे तो दूसरा गिरोह दो, तीन या चार सौ आदमियों को लेकर दूसरे की जमीन हड़प लेगा और इस तरह के तमाम संघर्ष होने लगेंगे जिससे अराजकता उत्पन्न हो जायेगी और हमारे पूरे राज्य की व्यवस्था ठप हो जायेगी।

*श्री अतीकुर्रहमान (जिला बिजनौर)—

मान्यवर, मैं अपने दोस्त नेगी की इस राय से तो बिलकुल मुत्तफिक हूं कि किसी समाज में, किसी राज्य में, किसी रियासत में या किसी पोलिटिकल बाडी में ऐसी हालत नहीं आने देना चाहिये जिससे लोगों में एक ऐसा आतंक, ऐसा जोशोखरोश और एक ऐसी नाजुक हालत पैदा हो सके कि लोग खूनी बगावत के लिये और इनकलाब के लिये और हथियारों के जरिये उस निजाम को बदलने के लिये तैयार हो जायं। लेकिन उसूली तौर से मैं अपने दोस्त की इस बात से मुत्तफिक नहीं हूं कि एक राज्य चाहें वह नेगी जी की राय में उन उसूलों के रास्ते पर चल रहा हो जिसे वे कहते या उसके विरुद्ध चल रहा हो, लेकिन कोई राज्य इस बात की इजाजत तो नहीं दे सकता यह बात बिलकुल स्पष्ट है, कि उसके खिलाफ किसी किस्म की खूनी क्रान्ति हो। अगर उस राज्य को ताकत से, हथियारों की ताकत से, या फौज की ताकत से,

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

या किसी किस्म के उपद्रव या वायलेंस से उसे हटा दिया जाय, तो यह तो जिस परिस्थिति और जिस हालत में जिस कौम और मुल्क में होता है, इसमें न नेगी जी को कुछ कहने की जरूरत है और न इस सरकार को इसमें कुछ कहने की जरूरत है। वह तो अगर ऐसा होगा तो एक नैचरल तरीका है कि मुल्क की बेहतरी और बहबूदी में काम होना चाहिये, मुल्क में संवार-बनाव होना चाहिए। अगर मुल्क की तरक्की नहीं होगी तो यकीनन वह हालत पैदा हो जायेगी जैसा कि नेगी जी ने कहा और इसमें न उनको कुछ कहने की जरूरत है और न अपोजीशन को कुछ कहने की जरूरत है। ऐसी हालत होने पर खुद ब खुद उस कौम और मुल्क में ऐसी स्थिति पदा हो जाती है। माननीय शर्मा जी ने शुरू में एतराज किया था। मैं उस सम्बन्ध माननीय मंत्री जी की तवज्जह इस तरफ दिलाना चाहता हूं। इस विधेयक की जो धारा ८ है उसमें लिखा हुआ है "राज्य सरकार इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिये जब भी आवश्यक हो, एक या एकाधिक परामर्शदात्री परिषद् संघटित कर सकती है।"

तो मान्यवर, शर्मा जी ने इस सिलसिले में यह एतराज किया था कि यह नेचरल जस्टिस, जुरिस्प्रूडेंस और हमारे कांस्टीट्यूशन के विरुद्ध है कि किसी आदमी को बगैर सुने हुए, और दादरशी का मौका दिए हुए, बगैर इन्साफ के तलब के जो नेचरल है कि हर नागरिक को होना चाहिये, बगैर सारी चीजों को पूरा किए हुए जैसा कि आर्टिकिल १९ का हवाला देते हुए शर्मा जी ने कहा कि किसी नागरिक के किसी किस्म के मूवमेंट पर किसी किस्म की रोक की जाय। तो माननीय मंत्री जी मुत्तफिक हैं कि यह बात कांस्टीट्यूशन के विरुद्ध है। जैसा कि उन्होंने ५-६ का हवाला दिया कि जब तक पब्लिक इन्ट्रेस्ट में उस को करना अनिवार्य नहीं हो गया है।

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—

आर्टिकिल २२ का ५/६ है।

श्री अतीकुर्रहमान—

हां, आर्टिकिल २२ का ५ और ६ है तथा १९ भी है। तो इसकी रोशनी में आज तक जितने प्रिवेन्टिव डिटेंशन ऐक्ट्स सेन्टर में या सूबों में बने इस को लागू किया गया है। उनको देखा जाए तो सब में यह धारा अनिवार्य है। यह पहली दफा है इस ऐक्ट में जबकि यह अनिवार्य नहीं है। इस तरह से यह चीज संविधान के, नैचुरल जस्टिस के, और जुरिश्प्रूडेंस के विरुद्ध हो जाएगी। मैं नहीं समझा कि क्या कारण थे कि यह भ्रम इसमें पैदा किया गया है, यह लिख कर कि "जब भी आवश्यक हो—कर सकती है।" पहले के सभी ऐक्ट्स में "शैल" का शब्द इस्तेमाल किया गया है। मैं यह अर्ज कर रहा हूं कि इस संबंध में जो आपने धारा ८ रखी है, उसमें आपने उस को मान्डेटरी नहीं बनाया है, अनिवार्य और कम्पलसरी नहीं बनाया है। बल्कि आपने अपन हाथ में यह अधिकार रखा है—यदि अवश्यक हो—यह लिख कर। आप चाहेंगे तो उसे ऐडवाइजरी कमेटी के सामने भेजेंगे और आप चाहेंगे तो नहीं भेजेंगे। वेस्ट बंगाल में सिक्योरिटी ऐक्ट बना, बिहार में मेन्टीनेन्स आफ पब्लिक आर्डर ऐक्ट बना और आसाम में भी इस प्रकार का ऐक्ट बना, और इन तमाम ऐक्ट्स में यह चीज लाजमी रखी गई है। इसलिए मैं आप को कांस्ट्रक्टिव सजेशंस दे रहा हूं और आप से आशा करता हूं कि आप इसको तरमीम कर देंगे, तो इसकी कमजोरी दूर हो जाएगी।

एक बहुत जरूरी बात यह अर्ज करना चाहता हूं माननीय मंत्री जी से, इस सदन से और मंत्रि परिषद् से कि आज तक जितने भी ऐक्ट्स बने इस मुल्क में, इस संबंध में पास हुए हैं, उन तमाम में, जैसा कि मंत्री जी ने भूमिका दी और फरमाया इसे इन्ट्रोड्यूस करते हुए जो देश में इस समय हालत थी मुल्क में चारों तरफ जो हालत हैं और जो फासिस्ट या नवसेलाइट्स, जो मुल्क में टोटेलीटेरियनइज्म लाना चाहते हैं और चाहते हैं कि हथियारों से कोई इंकलाब

[श्री अलीमुर्तहसन]

किया जाय तो मुझे दोहराने की जरूरत नहीं है जो कुछ मंत्री जी ने इसके खंड २ के सिलसिले में फरमाया है। मैं उनसे यह अर्ज करूंगा कि इस देश में १९४७ के बाद जितने भी ऐक्ट्स बने हैं वह इस किस्म के बनाये गये हैं कि उनमें मिलिट्री ड्रिलिंग या पुलिस यूनीफार्म पर हर जगह पाबंदी रखी गई है। कोई भी ऐक्ट उठा कर देखें चाहे पंजाब सिक्योरिटी ऐक्ट, वेस्ट बंगाल सिक्योरिटी ऐक्ट, बिहार मेन्टेनेन्स पब्लिक आर्डर ऐक्ट या आसाम मेन्टेनेन्स पब्लिक आर्डर ऐक्ट, हर ऐक्ट में मिलिट्री ड्रिलिंग पर पाबन्दी है। मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ उस को देख कर जब कि हर ऐक्ट में, जो प्रीवेन्शन डिटेन्शन ऐक्ट के नाम से या और किसी नाम से बने, फौजी यूनीफार्म और पुलिस यूनीफार्म के इस्तेमाल पर पाबन्दी रखी गयी है। मैं इस बात का अनुरोध करता हूं सरकार से, माननीय मंत्री जी से और इस सदन से कि वह इसमें यह जरूरी तरमीम और इजाफे करें और एक बात यह भी, जैसा कि मैंने पहले अर्ज किया था कि जजेज के पास मामला जाना है और इन तरमीमों को करके इस ऐक्ट की खामियों को दूर किया जाय।

*श्री शम्भू नाथ चौधरी (जिला बलिया)—

मान्यवर, मैं इस सरकार का आभारी हूं इसलिए कि पहले की सरकार, जिसकी गोद में हमारे साथी नेगी जी बैठे हुए थे, नजरबन्दी कानून लायी और जो अध्यादेश आया था उसका एक उद्देश्य था कि अगस्त, १९७० में संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी का एक आन्दोलन होने वाला था जमींन बांटने के सिलसिले में और नेगी साहब उसके समर्थक थे।

श्री गोविन्द सिंह—

मान्यवर, मैं इनकी याददाश्त ताजा कर दूं। चौधरी चरण सिंह उसको लाये और उसका विरोध मैंने भी किया था और उन्होंने भी किया था।

श्री शम्भूनाथ चौधरी—

मैं स्पष्ट कहना चाहता हूं विकल जी से कि एस० एस० पी० वह पार्टी है जिसने कार्यक्रम के आधार पर विकल जी ऐसे लोगों को भी नेता बना दिया था और ऐसी हालत में चौधरी साहब मुख्य मन्त्री हो कर यदि उनको वन का राजा बना दिया गया तो कोई दोष नहीं था। इस विधेयक को देखें और इसके जो उद्देश्य हैं वे दो ही हैं कि राज्य की सुरक्षा हो तथा जो राष्ट्रीय वस्तुयें हैं उनका सम्मान स्थिर रहे और असम्मान की जो बातें हैं वे दूर हो जायं। आज जब कि अराजक और विदेशी तत्वों का मुकाबला करना है तो वे सभी लोग इस विधेयक का स्वागत करेंगे। यह तो कार्यकलापों का निवारण है। जो समाज के दोषपूर्ण तत्व हैं उन तत्वों को हटाना प्रत्येक की व्यक्ति के लिये आवश्यक है। उनका बना रहना हानिकारक है। इस लिये जो प्रत्यक्ष रूप से ऐसे अवांछनीय कार्यकलाप होते हैं उनको कैसे रोका जाय यह हमारे सब के सामने एक प्रमुख समस्या है। मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि उनके निवारण करने के लिये ही यह विधेयक आया है। दिल्ली में इन्दिरा जी बैठी हैं और हर प्रकार की मनमानी चला रही हैं। इन्साफ मांग क्या करता है? ऐसे अराजक तत्वों को हटाया जाय न कि उनसे सांठगांठ की जाय। मुस्लिम लीग हैं वे भी इन्दिरा जी की सांठ गांठ में बैठे हैं। कम्युनिस्ट लोग उस समय को याद करें जब कि चीन का आक्रमण भारत पर हुआ था और कम्युनिस्ट उस समय मुंह बन्द किये थे उस समय भी एस० एस० पी० ने कहा था कि यह संस्था उसका विरोध करती है। यह लोग वही थे कि चीन को अपना भाई कहते थे और देश पर उन्होंने ही हमला कर दिया। यदि नेगी जी में हिम्मत है तो इसको बतायें?

श्री अधिष्ठाता—

दो बजे तक इसको समाप्त करना है और अभी दो तीन वक्ता और बोलेंगे इसलिये अब आप समाप्त कीजिये।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री शम्भूनाथचौधरी—

हमारी पार्टी एस० एस० पी० में राष्ट्रीयता की भावना है और जिनमें राष्ट्रीयता की भावना नहीं है वे ही उसका विरोध करेंगे। देश हित के लिये ऐसे विधेयक का पारण अत्यावश्यक है। जो लोग मीर जाफर हैं वे लोग इसको रोक रहे हैं। मैं यह अनुरोध करूंगा कि इसकी महत्ता को देखते हुए इस विधेयक का सभी को समर्थन करना चाहिये।

श्री कृष्ण चन्द्र—

मान्यवर, जो कि माननीय आचार्य जी ने कहा और इस बिल का उद्देश्य बताया उसके सम्बन्ध में किसी को कोई विवाद नहीं हो सकता है। ऐसा शायद ही कोई व्यक्ति हो जो इसका समर्थन करे कि नक्सलपन्थी चीन से और मुस्लिम लीग पाकिस्तान से प्रेरणा लेकर इस देश में इन्कलाब पैदा करना चाहे कोई भी व्यक्ति नहीं होगा और यदि कोई होंगे भी तो बहुत ही कम होंगे जो इस प्रकार की बातों का समर्थन करें। देश में अब भी ऐसी सामर्थ है कि वह इस प्रकार के अराजक तत्वों से निपट सकता है। मैं तो मान्यवर, आचार्य जी से कहना चाहता हूं कि गांधी जी की प्रतिमा को तोड़नेवाले को आप गिरफ्तार कर लेते हैं लेकिन गांधी जी को जिन्होंने जिन्दा मार डाला उसके सम्बन्ध मे आप क्या कर रहे हैं? मैं आप से निवेदन करना चाहता हूं कि हम नक्सलवादियों के जोर को कुचल देना चाहते हैं तो ठीक है। जो धर्मनिरपेक्षता को समाप्त करने के लिये आमादा हैं, जो महात्मागांधी के सिद्धान्त हैं वही उनकी सच्ची प्रतिमा है, को तहस-नहस करने पर आमादा हैं, उनके लिये भी इससे आप जरूर प्राबीजन कीजिये। बात यह आवश्यक है। इस विधेयक के जो उसूल हैं, जो सिद्धान्त हैं मैं उनके प्रतिकूल नहीं हूं क्योंकि अगर कुछ माइनारिटी के लोग संगठित हो कर देश की सत्ता को उखाड़ फेंकना चाहें तो उनको इसकी आजादी नहीं मिलनी चाहिये। कुछ लोग अगर यह कहते हैं हमने २३–२४ वर्षों से कुछ नहीं किया तो मैं इस बात को नहीं मानता। वे लोग आंख पर पट्टी बांधे रहना चाहते हैं और दिन में भी नहीं देखना चाहते। सन् १९४७ के बाद से जो भी आंशिक रूप से समाज में परिवर्तन हुआ है उस को वह देखना नहीं चाहते। लेकिन मैं यह भी चाहता हूं कि जिस गति से यह गाड़ी चल रही है, उससे काम चलने वाला नहीं है। आज उसके बदले की प्रक्रिया को तेज करना पड़ेगा, हम उसकी उपेक्षा नहीं कर सकते।

मान्यवर, चूंकि समय कम है मैं एक सुझाव यह देना चाहता हूं कि जूरिसप्रूडेन्स का यह सिद्धान्त है कि न्याय होना ही नहीं चाहिये बल्कि इस प्रकार से एपीयर भी होना चाहिये कि आप न्याय कर रहे हैं। यही आत्मा है जूरिसप्रूडेंस की। यह हो सकता है कि आप न्याय कर दें, यह सम्भव है कि जो विध्वंसकारी तत्व हैं, जो अपराधी हैं उनको आप साबित कर दें। लेकिन अगर उन लोगों को यह संदेह बना रहा कि जो प्रक्रिया आपने प्रारम्भ की है उसकी वजह से आप ने विन्डिक्टिव हो कर, बायस हो कर इन्साफ किया है, तो मान्यवर, मेरी प्रार्थना यह है कि आप उन ऐबों को दूर कर दें जिनसे इसमें बाधा पड़ने की सम्भावना है कि जो आप इन्साफ कर रहे हैं वह प्रदर्शित होता भी है या नहीं होता है। मैंने जो दो-तीन बातों की ओर इंगित किया है उसे आप स्वीकार कर लें। एक तो यह होना चाहिये कि जो उस पर चार्जशीट हो वह गोपनीय न रहे। चार्जशीट उसको जरूर मिलनी चाहिये जिसे आप गिरफ्तार करें। यह भी प्रावीजन होना चाहिये कि उस को सुरक्षा भी मिले। उसको वकील करने की, सिरह करने की और गवाहियां देने का भी अधिकार हो। जैसा मैंने कहा कि मुझे सिद्धान्त से कोई विरोध नहीं है।

आज हमारा देश प्रजातन्त्र के टेस्ट से गुजर रहा है। परीक्षा काल में चल रहा है। आज बहुत से निहित स्वार्थ पूंजीपतियों और साम्राज्यवादियों के हैं और यह भी हो सकता है कि कुछ तत्व ऐसे हैं जो दूसरे से प्रकाश पाते हों, वे सब इस प्रजातन्त्र को असफल करने में लगे

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री कृष्ण चन्द्र]

हुये हैं। हमें इन सब के खिलाफ इस देश के प्रजातन्त्र को बचाने के लिये उद्यम करना है और कोशिश करनी है। जैसा कि माननीय मंत्री जी ने उद्देश्य बताया है अगर इसी उद्देश्य से प्रेरित हो कर यह विधेयक लाया गया है तो मैं आप को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि विरोधी दल आप के पीछे खड़ा हो जायगा और इसके क्रियान्वित कराने में सहयोग देगा। अगर इस विधेयक के पीछे कोई राजनैतिक मन्तव्य है और अगर यह देखा गया कि आप राजनतिक विरोधियों को दंडित करना चाहते हैं, तो मान्यवर इस सदन, के भीतर, इस सदन के बाहर आपके इस मन्तव्य का, इस इरादे का, विरोध किया जायगा और आप से संघर्ष किया जायगा।

*श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)—

श्रीमन्, यह जो विधेयक माननीय न्याय मन्त्री जी लाये हैं, तो मैं उन लोगों में से हूं जो प्रजातंत्र के अन्दर ठोस शासन चाहते हैं। लेकिन अगर न्याय मंत्री जी ने इस तरह का ध्यान दिया है कि नक्सलिज्म एक्टीवीटीज को रोकने के लिये इस बिल को लाना बहुत जरूरी हो गया है। श्रीमन्, मैं सिर्फ यह कहना चाहता हूं कि आज समूचा देश इतना मकरूज दूसरे मुल्कों का हो गया है लेकिन लगभग ५ हजार करोड़ रुपया उस पर कर्ज है। इसलिये यह कर्ज लिया गया कि हम लोगों की जो समस्यायें हैं देश तथा प्रदेश में उन को हल किया जाय। समस्यायें हमारे सामने यह हैं भूमि की समस्या, दिन प्रति दिन बढ़ती हुई बेरोजगारी की समस्या, तालिब-इल्मों के अन्दर बेकार रहने की समस्या, मजदूर के अन्दर बढ़ता हुआ असंतोष, उसकी समस्या, प्रदेश के अन्दर पूर्वी क्षेत्र, बुन्देलखंड तथा पहाड़ी इलाके के पिछड़ेपन की समस्या, प्रदेश के हरिजनों की समस्या, जहां २७ हजार गांव ऐसे हैं जिनमें हरिजनों के पीने के लिये पानी नहीं मिलता, पढ़े लिखे लोग इंजीनियरिंग तथा अन्य डिग्रियां हासिल करने के बाद एम्प्लायमेंट नहीं पा पाते उनकी समस्या, गर्ज कि ये तमाम समस्यायें हैं जिनका हल हम नहीं कर पाये और ५, ६ हजार करोड़ रुपया इस देश व प्रदेश पर कर्ज हो गया दूसरे मुल्कों का। इसका नतीजा क्या मिला? असंतोष, फ्रेस्ट्रेशन और उसका दूसरा नाम है नक्सलवाद। भूमि पर जबरदस्ती कब्जा किया जा रहा है, तालिबइल्म को जब इम्प्लायमेंट नहीं मिलता तो रेल की पटरी उखाड़ना और सिनेमा के पोस्टर्स फाड़ना उस का काम हो गया। उसमें फ्रस्ट्रेशन भर गया। उसके लिए जिम्मेदार कौन है? उसकी जिम्मेदार यह सरकार है।

माननीय शम्भूनाथ जी के भाषण से तो मुझे यह सोचना पड़ गया कि राजनारायण जी को कहां ले जायंगे। इसलिये मेरी इस सरकार से दरख्वास्त है कि जो फ्रस्ट्रेशन से उस दूर करना है, तोड़-फोड़ की जो नीति है उसे रोकना है और यह हमारा और आपका कर्तव्य है। लेकिन जो यह प्रिवेंटिव डिटेंशन ऐक्ट आप पास करने जा रहे हैं क्या उसे यह सरकार पुलिस के अन्दर जो एंटी-सोशल एक्टिविटीज हैं, थानेदारों के अन्दर जो भ्रष्टाचार फैला हुआ है उसे रोक सकेगी? मैजिस्ट्रेसी के अन्दर जो रिश्वत लेने की ऐंटीसोशल एक्टिविटी है उसे रोक सकेगी? इसी तरह से पूरे प्रदेश में आज एक हवा सी फैली हुई है कि हम कम्युनलिज्म को रोकेंगे तो कम्युनलिज्म इस तरह की बातों से नहीं रुकेगा जैसे कि गृह मन्त्री ने भाषण दिया कि मुस्लिम लीग को पुलिस के द्वारा कुचल दिया जायगा। इन नारों से कम्युनलिज्म खत्म नहीं होगा। प्रजातंत्र के अन्दर घोर विश्वास पैदा करने से कम्युनलिज्म खत्म होगा। हिन्दू मुसलमान, सिक्ख, ईसाई सभी इस देश के प्रति वफादार हैं। मुसलमानों की वफादारी का सबूत मेजर उस्मान तथा हवलदार हमीद के रूप में दे दिया है। पाकिस्तान और चीन की निगाह इस देश पर पड़ने पर सैकड़ों मेजर उस्मान और हवलदार हमीद पैदा हो जायंगे। लेकिन यह जरूर है कि ऐंटी-सोशल ऐक्टिविटीज रोकने के लिये आप की पुलिस अथवा यह कानून काफी नहीं होंगे, इसके लिये जनता के अन्दर एक विश्वास पैदा करना होगा, सरकार के

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

प्रति तथा जनतंत्र के प्रति विश्वास पैदा करना होगा और अगर ऐसा नहीं हो सकेगा तो फिर यह प्रिवेंटिव डिटेंशन ऐक्ट एंटी सोशल एलीमेंट्स को रोक नहीं पायगा।

*श्री गणेशदत्त बाजपेयी (जिला कानपुर)—

मान्यवर, मैं इस विधेयक का विरोध करने के लिये खड़ा हुआ हूं। अभी कलकत्ता में ७ या ८ महीने पहले जो बमों का भाव था वह ६ रुपये किलो था। अब की दफा हमारे यहां दशहरी कुछ मंहगी थी उसका दाम भी ६ रुपये किलो था तो मैं यह सोचता हूं कि आज उसी भाव में बम बिक रहे हैं और उसी भाव में दशहरी आम भी बिक रहे हैं जरूर हम उत्तर प्रदेश में यह नहीं चाहते हैं। हमारा जो नारमल जुडीसरी प्रोसीजर है उसको छोड़ कर वह कौन सी प्रक्रिया है जिसके तहत हम यह काम करते। मैं सन् १९३०, ३२, ४०, और १९४२ के आन्दोलनों में गांधी बाबा की कृपा से सजायाफ्ता हुआ हूं। तब भी मैं कांग्रेस में था। सन् १९४८ में मैं ३०० आदमियों को लेकर नजरबन्द हुआ था किन्तु मैं माननीय आचार्य जी से पूछना चाहता हूं कि कौन सी ऐसी दवाई है जिसको आप अनसोशल-ऐक्टिविटी कहते हैं? मैं एक बिल के ऊपर तीन सौ आदमियों को लेकर हड़ताल कर रहा था और उस सम्बन्ध में पांचवीं बार डिटेन किया गया था उसी प्रकार की बातें फिर से होने जा रही है। मैं सिर्फ दो-एक बातें इस सम्बन्ध में कहना चाहता हूं। जो हमारे संविधान को सपोर्ट करते हैं उनके चेलों को यदि आप सजा करेंगे तो उससे मूल समस्या को आप हल नहीं कर पायेंगे। आप के इस विधेयक से मैं यह समझा कि जो हमारे नारमल जुडीशियल प्रोसीजर्स हैं उन पर आप ने अपना अविश्वास प्रकट किया। इस प्रकार का आप का विधेयक प्रोसीड्योरल मशीनरी का सब्सीट्यूट नहीं बन सकता है। जो प्राविजन किया जा रहा है वह न तो आप की जो प्रक्रिया नियमावली है उसी से शुरू होता है। डेमोक्रेसी इज ए वे आफ लाइफ। यह विधेयक किसी न किसी प्रकार से एक लम्बे अर्से के अन्दर लोगों को इस बात को प्रशिक्षित नहीं करता है। यह विधेयक अपना परपज सर्व नहीं कर सकेगा।

अधिष्ठाता महोदय, यह बताना बहुत कठिन बात है कि अन-सोशल ऐक्टिविटी क्या है? जितने भी करोड़पति कानपुर के मिल-मालिक हैं उनको हर समय आप पायेंगे अन-सोशल ऐक्टीविटी वे करते हैं। करोड़ों रुपयों का वे ब्लैक करते हैं, तमाम मंत्री-गण उनकी दावतें खाते हैं। हमारे देश की इस वक्त ऐसी अवस्था है कि हमारी सरकार करोड़ों रुपया इन करोड़पतियों से उधार मांगती है और वे करोड़पति अरबों रुपया सरकार का मार जाते हैं। अगर यह लिस्ट मुझसे मांगी जाय तो मैं उनके नाम बता सकता हूं, किन्तु मुझे विश्वास है कि उसके बाद उत्तर प्रदेश को कोई चन्दा नहीं मिल पायेगा। इसलिये इसे आप समझें कि क्या चीज सार्थक है और क्या चीज निरर्थक है। अगर आप इन चीजों को ध्यान में रखें तो यह ठीक ही है। मैं इस बात को मानता हूं कि कई जालिम आदमी ऐसे हैं जिन को साधारण एवीडेंस ऐक्ट के मातहत जो मौजूदा प्रक्रिया है उसके अनुसार उनको सजायाब करना कठिन है। लेकिन मैं यह कहता हूं कि ऐन्टी सोशल एलीमेंट अंग्रेजी भी कांग्रेस वालों को मानते थे लेकिन सिवाय दो एक बड़े-बड़े नेताओं को छोड़ कर नाजीरात हिन्द साधारण धाराओं के अन्तर्गत ही लोगों को गिरफ्तार करते थे। चाहे सन् १९२० की बात हो, चाहे ३० की हो, चाहे ३२ की हो और चाहे १९४२ की बात हो उन्होंने पी० डी० ऐक्ट का ज्यादा इस्तेमाल नहीं किया। उसी तरह से आप भी इसको फेस क्यों नहीं करते हैं? इसका जवाब यदि मंत्रीजी देंगे तो मुझे बड़ा संतोष होगा।

श्री मंजूर अहमद—

मुझे आप ने स्वयं टाइम देने का वायदा किया था। मेरी दरख्वास्त है कि आप मुझ बोलने का मौका दे दीजिये।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अविष्काता—

मैं समझा था कि आप रियासत साहब की वकालत कर रहे हैं। अब समय हो गया है। आप कृपया अगले गुन्डा विधेयक पर बोल लीजियेगा।

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—

मान्यवर, मैं हृदय से माननीय सदस्यों का अत्यन्त अनुग्रहीत हूं जिन्होंने इस सम्बन्ध में अपने विचार प्रकट किये। केवल एक चीज का इस समय जिक्र करना चाहता था वह यह कि माननीय सदस्यों ने दो चीजों को एक साथ मिला दिया। धारा ७ और ८ में जिस परामर्शदात्री समिति का जिक्र किया गया है उसको कृपा कर के जुडीशियल अथारिटी से न मिलाया जाय। दोनों का कार्य भिन्न-भिन्न है। जुडीशियल अथारिटी तो हाईकोर्ट जिसके सामने हैबियस कोरपस जाती हैं और वह उन पर विचार करता है। वहां पर वकील भी होंगे और साक्ष्य भी होगा जिसको कभी-कभी हाईकोर्ट ले लेता है। जहां तक परामर्शदात्री समिति की प्रक्रिया का संबंध है, उसमें हाईकोर्ट के जज का प्राविधान किया गया है। मेरे मित्र आकिल साहब चले गये। उन्होंने कहा कि धारा ८ में "शैल" शब्द का प्रयोग होना चाहिये। मैंने इसका अंग्रेजी रूप देखा तो उसमें "स्टेट गवर्नमेंट शैल" लिखा हुआ है। इसलिये इस हिन्दी रूपान्तर में अपने विभाग से उचित शब्द का परिवर्तन करने के लिये कहूंगा यदि आवश्यक हो तो।

जहां तक माननीय गोविन्द सिंह के प्रश्नों का सवाल है, मैं खयाल करता हूं कि जो कुछ उन्होंने कहा, है, वह उनके अनुरूप ही था। उनको यह कहना ही चाहिये था।

माननीय बाजपेयी साहब तथा दूसरे सज्जनों ने इस बात का जिक्र किया कि कहीं पुलिस चौकियां उसका दुरुपयोग न करें। हमारे बड़े मियां साहब ने भी कहा कि पुलिस कितनी खराब है .....

(इस समय २ बजकर २० मिनट पर उपाध्यक्ष, श्री वासुदेव पीठासीन हुए।)

मैं उनसे केवल इतना जानना चाहता हूं कि पुलिस चूंकि खराब है, अब तो और भी चर्चा होती है कि विधान सभा के सदस्य भी बहुत अच्छे नहीं हैं इसलिये क्या विधान सभायें और पुलिस तोड़ दी जाय। यदि यह तर्क उनको पसन्द हो तो मुझे कोई एतराज नहीं है। गोविन्द सिंह जी ने तो तीन चीजें कहीं। मैं केवल एक बात कह कर समाप्त करना चाहता हूं। हम उनकी दीक्षा में यकीन नहीं करते हैं। हमारा खयाल है कि वह हमारे देश में बहुत हेय लोग हैं बजाय इसके कि वे हमारे देश की प्रभु सत्ता को देखें, यह वह देश है जिसने सारे संसार को संस्कृति दी है, लेकिन ये लोग बाहर की चीज को देखते हैं और हिंसा में यकीन करते हैं। यह सदन कभी भी उन लोगों को बर्दाश्त नहीं करेगा जो हिंसा में यकीन करते हैं। इन शब्दों के साथ मैं इसको उपस्थित करता हूं और सदन से निवेदन करूंगा कि इसे स्वीकार कर ले।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश प्रतिकूल कार्यकलापों का निवारण विधेयक, १९७० पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड २ से १५

कतिपय व्यक्तियों को किसी व्यक्ति के संबंध में यह समाधान होने का अधिकार

२—(१) यदि राज्य सरकार का किसी व्यक्ति के संबंध की में यह समाधान हो जाय कि उसे किसी ऐसे प्रकार की कार्यवाही करने से, जो राज्य की सुरक्षा के प्रतिकूल हो या जिससे राष्ट्रीय सम्मान की वस्तुओं का अपमान होता है, रोकने के उद्देश्य के लिये आदेश से ऐसा करना आवश्यक हो, तो वह ऐसा आदेश (जिसे एतद्द्वारा निरोधादेश कहा गया है) दे सकती है जिसमें यह निदेश हो कि वह व्यक्ति निरुद्ध किया जाय।

फार

(२) उपधारा (१) के प्रयोजनों के लिये—

(१) पद "किसी ऐसे प्रकार की कार्यवाही करने जो राज्य की सुरक्षा के प्रतिकूल हो" का तात्पर्य निम्नलिखित से है:

(क) कोई ऐसा कार्य करना जिससे किसी भी आधार पर, चाहे वे जो भी हों, भारत के राज्य क्षेत्र के किसी भाग का अभ्यर्पण कराने या संघ से भारत के राज्य क्षेत्र के किसी भाग का संबंध विच्छेद कराने का अभिप्राय हो, अथवा जिससे ऐसा कराने के किसी दावे का समर्थन होता हो, या जिससे भारत की प्रभुता और उसकी राज्य क्षेत्रीय अखंडता को अस्वीकार किया जाय, या उस पर आपत्ति की जाय, या उसे विच्छिन्न किया जाय अथवा विछिन्न करने का अभिप्राय हो, या

(ख) कोई ऐसा कार्य करना जिसका उद्देश्य विधि द्वारा स्थापित सरकार को घातक हथियारों के प्रयोग से उलटना या समाप्त करना हो, या

(ग) खंड (क) तथा खंड (ख) में निर्दिष्ट कोई कार्य करने के लिए व्यक्तियों को संगठित करना या उन्हें उकसाना अथवा उसे करने की आवश्यकता या वांछनीयता का समर्थन करना।

(२) पद "किसी ऐसे प्रकार की कार्यवाही करने जिससे राष्ट्रीय सम्मान की वस्तुओं का अपमान होता हो" का तात्पर्य निम्नलिखित से है:

(क) भारत के मानचित्र, या भारतीय राष्ट्रीय ध्वज, या महात्मा गांधी की किसी प्रतिमा अथवा अन्य सचित्र प्रतिरूप को विकृत करना, क्षतिग्रस्त करना, जलाना, अपवित्र करना, नष्ट करना या किसी अन्य प्रकार से उसे अपमानित करना, या

(ख) खंड (क) में निर्दिष्ट कोई कार्य करने के लिये व्यक्तियों को संगठित करना या उन्हें उकसाना, अथवा उसे करने की आवश्यकता या वांछनीयता का समर्थन करना।

स्पष्टीकरण—इस उपधारा में "घातक हथियारों" का तात्पर्य आग्नेयास्त्रों विस्फोटक, या संभारक पदार्थ, तलवारों, ढालों, कटारों तथा चाकुओं से है।

(३) निम्नलिखित कोई भी अधिकारी अर्थात्:—

(क) जिला मैजिस्ट्रेट,

(ख) अपर जिला मैजिस्ट्रेट जो राज्य सरकार द्वारा तदर्थ विशेष रूप से अधिकृत हों,

यदि उपधारा (१) में की गई व्यवस्था के अनुसार उसका समाधान हो जाय, उक्त उपधारा द्वारा प्रदत्त अधिकार का प्रयोग कर सकता है।

(४) यदि उपधारा (३) में उल्लिखित किसी अधिकारी द्वारा इस धारा के अधीन कोई आदेश दिया जाय तो वह इस तथ्य की सूचना तुरन्त राज्य सरकार को उन कारणों सहित भेजेगा जिनके आधार पर उक्त आदेश दिया गया हो और साथ ही ऐसे अन्य ब्योरे भी देगा जो उसकी राय में विषय से संबंधित हों और इस प्रकार कोई भी आदेश, उस व्यक्ति, जिसके संबंध में आदेश दिया गया हो, के विरुद्ध किये जाने के दिनांक के पश्चात् १२ दिन से

अधिक दिन तक प्रवृत्त न रहेगा जब तक कि इस बीच राज्य सरकार द्वारा उसका अनुमोदन न कर दिया जाय ।

निरोधादेश का निष्पादन

३—निरोधादेश का निष्पादन उत्तर प्रदेश में किसी भी स्थान पर दंड प्रक्रिया संहिता, १८९८ के अधीन गिरफ्तारी के वारंट के निष्पादन के लिये व्यवस्थित रीति में किया जा सकता है ।

निरुद्ध स्थान तथा उसकी शर्तों को विनियमित करने का अधिकार

४—प्रत्येक व्यक्ति जिसके संबंध में कोई निरोधादेश दिया गया हो:

(क) ऐसे स्थान में तथा ऐसी शर्तों के अधीन जिनके अन्तर्गत अनुरक्षण, अनुशासन तथा अनुशासन भंग करने के लिये दंड संबंधी ऐसी शर्तें भी हैं जिन्हें राज्य सरकार सामान्य अथवा विशेष आदेश द्वारा निर्दिष्ट करे, निरुद्ध किया जा सकेगा, तथा

(ख) राज्य सरकार के आदेश से राज्य के भीतर किसी एक निरोध के स्थान से दूसरे निरोध के स्थान को हटाया जा सकेगा ।

कतिपय कारणों से निरोधादेश न तो अवैध होगा और न ही परिवर्तन शून्य होगा

५—कोई भी निरोधादेश केवल इस कारण कि—

(क) तद्धीन निरुद्ध किया जाने वाला व्यक्ति, यद्यपि उत्तर प्रदेश के भीतर है, आदेश देने वाले अधिकारी की अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के बाहर है, या

(ख) ऐसे व्यक्ति को निरुद्ध करने का स्थान, यद्यपि उत्तर प्रदेश के भीतर है, आदेश देने वाले अधिकारी की स्थानीय सीमाओं के बाहर है, न तो अवैध होगा और न परिवर्तन शून्य होगा ।

फरार व्यक्तियों के संबंध में अधिकार

६—(१) यदि यथास्थिति, राज्य सरकार अथवा धारा २ की उपधारा (३) में निर्दिष्ट किसी अधिकारी को यह विश्वास करने का कारण हो कि वह व्यक्ति जिसके संबंध में निरोधादेश दिया गया है फरार हो गया है अथवा अपने को इस प्रकार छिपाये हुए है कि उक्त आदेश निष्पादित न किया जा सके तो उक्त सरकार या अधिकारी—

(क) किसी प्रथम श्रेणी के मैजिस्ट्रेट को जिसका उस स्थान पर क्षेत्राधिकार हो जहां उक्त व्यक्ति सामान्यतया निवास करता हो ऐसे तथ्य की लिखित सूचना देगा और तदुपरान्त दंड प्रक्रिया संहिता, १८९८ की धारा ८७, ८८ तथा ८९ के उपबन्ध उक्त व्यक्ति और उसकी संपत्ति के संबंध में उसी प्रकार लाग होंगे, मानो वह आदेश जिसमें उसे निरुद्ध करने का निदेश दिया गया है मैजिस्ट्रेट द्वारा जारी किया गया कोई वारंट हो,

(ख) गजट में आदेश को अधिसूचित करके उक्त व्यक्ति को ऐसे अधिकारी के समक्ष ऐसे स्थान पर और ऐसी अवधि के भीतर जो आदेश में निर्दिष्ट हों, प्रस्तुत होने का निदेश दे सकता है, और यदि उक्त व्यक्ति ऐसे निदेश का पालन न करे तो उसे, जब तक कि वह यह सिद्ध न कर दे कि उक्तनिदेश का पालन करना उसके लिये संभव न था और यह कि उसने आदेश में निर्दिष्ट अवधि के भीतर आदेश में उल्लिखित अधिकारी को उस कारण से जिससे आदेश का अनुपालन करना असंभव हो गया था और आवासीय गतिविधियों से सूचित कर दिया था ऐसी अवधि के लिये जो एक वर्ष तक हो सकती है, कारावास का दंड अथवा अर्थ-दंड या दोनों दंड दिये जायेंगे ।

(२) उपधारा (१) के खंड (ख) के अधीन प्रत्येक अपराध संज्ञेय होगा ।

निरोधादेश के कारणों को आदेश से प्रभावित व्यक्तियोंको बतलाया जाना

७—(१) यदि कोई व्यक्ति निरोधादेश के अनुसरण में निरुद्ध किया जाय तो ऐसा आदेश देने वाला प्राधिकारी यथाशीघ्र किन्तु निरुद्ध किये जाने के दिनांक से अधिक से अधिक पांच दिन के भीतर उसे ऐसा आदेश दिये जाने के कारणों के संबंध में संसूचित करेगा और उसे आदेश के विरुद्ध राज्य सरकार को अभ्यावेदन देने का शीघ्रतम अवसर देगा ।

(२) उपधारा (१) की किसी बात से यह अपेक्षित नहीं होगा कि प्राधिकारी उन तथ्यों को प्रकट करे जिन्हें प्रकट करना वह लोक हित के विरुद्ध समझे ।

(३) यदि अभ्यावेदन पर विचार करने के पश्चात् राज्य सरकार की यह राय हो कि निरुद्ध करने का पर्याप्त कारण है तो वह संबद्ध व्यक्ति का निरोध ऐसी अवधि के लिये जारी रख सकती है जिसे वह उचित समझें और यदि उसका ऐसा समाधान न हो तो वह निरोधादेश को विखंडित कर देगी तथा संबद्ध व्यक्ति को तत्काल मुक्त करायेगी ।

परामर्शदात्री परिषद् का संघटन

८—(१) राज्य सरकार इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिये जब भी आवश्यक हो एक या एकाधिक परामर्शदात्री परिषद् संघटित कर सकती है ।

(२) प्रत्येक व्यक्ति ऐसी परिषद् में तीन व्यक्ति होंगे जो राज्य सरकार द्वारा उच्च न्यायालय के कार्यरत न्यायाधीशों और जिला न्यायाधीशों में से नियुक्त किये जायेंगे ।

(३) राज्य सरकार, परामर्शदात्री परिषद् के सदस्यों में से किसी सदस्य को जो उच्च न्यायालय का कार्यरत न्यायाधीश हो उक्त परिषद् का अध्यक्ष नियुक्त करगी ।

परामर्शदात्री परिषद् को अभिदेश

९—ऐसे प्रत्येक मामले में जिसमें इस अधिनियम के अधीन कोई निरोधादेश दिया गया हो, राज्य सरकार, आदेश के अधीन निरुद्ध किये जाने के दिनांक से तीस दिन के भीतर धारा ८ के अधीन अपने द्वारा संघटित परामर्शदात्री परिषद् के समक्ष उन कारणों को जिन पर आदेश दिया गया हो, तथा ऐसे आदेश से प्रभावित व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन को, यदि कोई हो, राज्य सरकार की टिप्पणी के साथ और यदि ऐसा आदेश किसी अधिकारी द्वारा दिया गया हो तो धारा २ की उपधारा (४) के अधीन ऐसे अधिकारी द्वारा की गई रिपोर्ट को भी रखेगी ।

परामर्शदात्री परिषद् की प्रक्रिया

१०—(१) परामर्शदात्री परिषद् ने अपने समक्ष प्रस्तुत सामग्री पर विचार करने के पश्चात् और राज्य सरकार से अथवा राज्य सरकार के माध्यम से इस प्रयोजन के लिये बुलाये गये किसी व्यक्ति से अथवा सम्बन्धित व्यक्ति से ऐसी अग्रेतर सूचना, जिसे वह आवश्यक समझे मांगने के पश्चात् और यदि किसी विशिष्ट मामले में वह ऐसा करना आवश्यक समझे, अथवा यदि सम्बद्ध व्यक्ति अपनी सुनवाई कराने का इच्छुक हो तो उसकी व्यक्तिशः सुनवाई करने के पश्चात् निरुद्ध किये जाने के दिनांक से दस सप्ताह के भीतर अपनी रिपोर्ट राज्य सरकार को भेजेगी ।

(२) परामशदात्री परिषद् की रिपोर्ट में, उसके पृथक भाग में, परामर्शदात्री परिषद् की इस सम्बन्ध में राय निर्दिष्ट होगी कि सम्बद्ध व्यक्ति को निरुद्ध करने का पर्याप्त कारण है अथवा नहीं ।

(३) यदि परामर्शदात्री परिषद् के सदस्यों में मतभेद हो तो बहुसंख्यक सदस्यों की राय परिषद् की राय समझी जायगी ।

(४) इस धारा में कोई बात किसी उस व्यक्ति को जिसके विरुद्ध निरोधादेश दिया गया हो, परामर्शदात्री परिषद् को किये गये अभिदेश से सम्बन्धित किसी भी

मामले मे विधि व्यवसायी द्वारा उपस्थित होने का अधिकार नहीं प्रदान करती है, तथा परामर्शदात्री परिषद् की कार्यवाहियों तथा उसकी रिपोर्ट, सिवाय रिपोर्ट के उस भाग के जिसमें परामर्शदात्री परषद् का मत निर्दिष्ट हो, गोपनीय होगी ।

परामर्शदात्री परिषद् की रिपोर्ट पर कार्यवाही

११—(१) यदि किसी मामले में परामर्शदात्री परिषद् ने यह रिपोर्ट दी हो कि उसकी राय में किसी व्यक्ति को निरुद्ध करने का पर्याप्त कारण है तो राज्य सरकार ऐसे निरोधादेश की पुष्टि कर सकती है, और संबद्ध व्यक्ति, की निरुद्धि को ऐसी अवधि के लिए जारी रख सकती है, जिसे वह उचित समझे ।

(२) यदि किसी मामले में परामर्शदात्री परिषद् ने यह रिपोर्ट दी हो कि उसकी राय में किसी व्यक्ति को निरुद्ध करने का पर्याप्त कारण नहीं है तो राज्य सरकार निरोधादेश को विखंडित कर देगी तथा उक्त व्यक्ति को तत्काल मुक्त करायेगी ।

निरुद्ध करने की अधिकतम अवधि

१२—धारा ११ के अधीन पुष्टिकृत किसी भी निरोधादेश के अनुसरण में किसी व्यक्ति को निरुद्ध कर सकने की अधिकतम अवधि निरुद्ध करने के दिनांक से एक वर्ष होगी ।

निरोधादेशों का विखंडन

१३—(१) यूनाइटेड प्राविन्सेज जनरल क्लाजेज ऐक्ट, १९०४ की धारा २१ के उपबन्धों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, कोई भी निरोधादेश राज्य सरकार द्वारा किसी भी समय विखंडित या परिष्कृत किया जा सकता है, भले ही ऐसा आदेश धारा २ की उपधारा (३) में उल्लिखित किसी अधिकारी द्वारा क्यों न दिया गया हो ।

(२) किसी निरोधादेश के विखंडन ? समाप्ति या, अकृतता के न्याय निर्णयन से उसी व्यक्ति के विरुद्ध किसी ऐसे मामले में धारा २ के अधीन कोई नया निरोधादेश दिये जाने में बाधा न पड़ेगी जिसमें उक्त विखंडन,समाप्ति या न्याय,निर्णयन के दिनांक के पश्चात् ऐसे नये तथ्य उत्पन्न हुये हों जिन पर, यथास्थिति, राज्य सरकार या ऐसे अधिकारी का यह समाधान हो जाय कि उपयुक्त आदेश दिया जाना चाहिये :

प्रतिबन्ध यह है कि इस उपधारा की कोई भी बात राज्य सरकार या ऐसे अधिकारी को उन कारणों पर जिनके, आधार पर आदेश विखंडित, समाप्ति या अकृत न्याय निर्णीत हुआ था, नवीन तथ्यों के साथी, नया निरोधादेश जारी करते समय विचार करने से नहीं रोकेगी ।

निरुद्ध व्यक्तियों को अस्थाई रूप से मुक्त करना

१४—(१) राज्य सरकार किसी भी समय यह निदेश दे सकती है कि निरोधादेश के अनुसरण में निरुद्ध किये गये किसी व्यक्ति को किसी निर्दिष्ट अवधि के लिया, या तो बिना शर्त या निदेश में निर्दिष्ट ऐसी शर्तों पर जो उस व्यक्ति को स्वीकार हों, मुक्त कर दिया जाय और किसी भी समय उसे मुक्त करने के आदेश को रद्द कर सकती है ।

(२) राज्य सरकार, उपधारा (१) के अधीन किसी व्यक्ति को मुक्त करने के निदेश में उससे निदेश में निर्दिष्ट शर्तों का सम्यक पालन करने के लिये प्रतिभू सहित या प्रतिभू रहित कोई बन्धन पत्र लिखने की अपेक्षा कर सकती है ।

(३) उपधारा (१) के अधीन मुक्त किया गया कोई व्यक्ति, उस आदेश में जिसमें, यथास्थिति, उसे मुक्त करने या उसकी मुक्ति को रद्द करने का निदेश हो, निर्दिष्ट समय और स्थान पर तथा प्राधिकारी के समक्ष अपने को अध्यर्पित करेगा ।

(४) यदि कोई व्यक्ति बिना पर्याप्त कारण से, उपधारा (३) में निर्दिष्ट रीति से अपने को अध्यर्पित न करें तो उसे ऐसी अवधि के लिये कारावास का दंड, जो दो वर्ष तक हो सकता है, अथवा अर्थदंड या दोनों ही दंड दिये जायेंगे ।

(५) यदि उपधारा (१) के अधीन मुक्त किया गया कोई व्यक्ति, उक्त उपधारा के अधीन उस पर आरोपित या उसके द्वारा लिखे गये बन्ध पत्र की किन्हीं भी शर्तों को पूरा न करे तो बन्ध पत्र को समपहृत हुआ घोषित किया जायगा और उससे आबद्ध व्यक्ति को उसके लिये शास्ति देनी होगी ।

१५—इस अधिनियम के अनुसरण में सद्भावना से किये गये या किये जाने के लिये अभिप्रेत किसी कार्य के संबंध में राज्य सरकार या किसी व्यक्ति के विरुद्ध कोई वाद, अभियोग या अन्य विधिक कार्यवाही नहीं की जा सकेगी । अधिनियम के अधीन किये गये कार्य का संरक्षण

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खंड २ से लेकर १५ तक इस विधेयक के अंग माने जायं ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खण्ड १, प्रस्तावना तथा शीर्षक

उत्तर प्रदेश प्रतिकूल कार्यकलापों का निवारण विधेयक, १९७०

ऐसे कतिपय कार्यकलापों के जो राज्य की सुरक्षा के प्रतिकूल हों और ऐसे कार्यों के जिनसे राष्ट्रीय सम्मान की वस्तुओं का अपमान होता हो, निवारण की ओर तत्संबंधी विषयों की व्यवस्था करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के इक्कीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :

१—(१) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश प्रतिकूल कार्यकलापों का निवारण अधिनियम, १९७० कहलायेगा । संक्षिप्त नाम तथा विस्तार

(२) इसका विस्तार सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में होगा ।

सहकारिता उप मंत्री (श्री मही लाल)—

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड (१) तथा शीर्षक में "उत्तर प्रदेश प्रतिकूल कार्यकलापों का निवारण" के स्थान पर "उत्तर प्रदेश राष्ट्र विरोधी तत्व निवारण" रख दिया जाय ।

न्याय मन्त्री (श्री लक्ष्मीरमण आचार्य)—

मान्यवर, मैं इसको स्वीकार करता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खंड १ (१) तथा शीर्षक में "उत्तर प्रदेश प्रतिकूल कार्य-कलापों का निवारण" के स्थान पर "उत्तर प्रदेश राष्ट्र विरोधी तत्व निवारण" रख दिया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि संशोधित खण्ड १, प्रस्तावना तथा संशोधित शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—

मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश प्रतिकूल कार्य कलापों का निवारण विधेयक, १९७० जैसा कि इस सदन द्वारा संशोधित हुआ है, पारित किया जाय।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश प्रतिकूल कार्य कलापों का निवारण विधेयक, १९७० जैसा कि इस सदन द्वारा संशोधित हुआ है, पारित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

उत्तर प्रदेश गुण्डा नियन्त्रण अध्यादेश, १९७० के अननुमोदन का प्रस्ताव तथा उत्तर प्रदेश गुण्डा नियन्त्रण विधेयक, १९७०†

श्री गोविन्द सिंह (जिला टिहरी गढ़वाल)—

श्रीमन, पहले एक आपसे व्यवस्था यह चाहता हूं कि अननुमोदन के प्रस्ताव के ऊपर आप बहस करायेंगे? फार्मली अननुमोदन का प्रस्ताव मैं पेश कर दूं उसके बाद विधेयक पर बोलने का मौका दें।

श्री उपाध्यक्ष—

दोनों साथ साथ?

श्री गोविन्द सिंह—

जी हां।

श्री उपाध्यक्ष—

दोनो साथ-साथ मुझे कोई एतराज नहीं है।

श्री गोविन्द सिंह—

मैं आपकी आज्ञा से यह प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन उत्तर प्रदेश गुन्डा नियंत्रण अध्यादेश, १९७० का अननुमोदन करता है।

गृह राज्य मंत्री (श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह)—

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश गुन्डा नियंत्रण विधेयक, १९७० जैसा कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ है, पर विचार किया जाय।

*श्री गोविन्द सिंह—

मान्यवर, इससे पहले जिस विधेयक पर चर्चा हो रही थी तो उस समय प्रजातन्त्र की बहुत सी बातें इस सदन के अन्दर कहीं गयीं। अगर आज आप इस विधेयक को देखें जो इस सदन के सामने पेश किया जा रहा है तो मैं समझता हूं कि जनतंत्र के जितने भी सिद्धान्त एक सभ्य देश में हो सकते हैं उन तमाम सिद्धान्तों की हत्या यह विधेयक करता है। इस बात में किसी को एतराज नहीं कि गुन्डों पर नियंत्रण होना चाहिये, असामाजिक तत्वों पर नियंत्रण किया जाना चाहिये। मैं समझता हूं कि इस सदन का कोई सदस्य इसका विरोध नहीं करेगा। पर आज अगर इस प्रदेश के अन्दर गुन्डों को कोई संरक्षण देता है तो कौन देता है? आपकी

---

†२२ दिसम्बर, १९७० की कार्यवाही में छपा है।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

पुलिस देती है। अगर पूरी गुन्डागर्दी इस प्रदेश के अन्दर चल रही है तो उसकी एक मात्र जिम्मेदार अगर कोई एजेन्सी है तो वह माननीय गृह मंत्री की पुलिस है। प्रश्न यह नहीं है आप गुन्डों को नियंत्रित कीजिये लेकिन क्या यह बहाना लेकर आप प्रजातत्र की इस प्रदेश के अन्दर हत्या करना चाहते हैं? माननीय विधि मंत्री जी इस सदन के अन्दर मौजूद है। बड़े अच्छे वकील हैं फौजदारी के। क्रिमिनल जुरिसप्रेडेन्स का पहला उसूल यह है कि जब तक किसी व्यक्ति के विरुद्ध दोष सिद्ध नहीं किया जाता तब तक वह निर्दोष समझा जायगा। इस विधेयक के अन्दर आप जिस व्यक्ति को दंडित करना चाहते हैं उसके बारे में दोष सिद्ध होने का प्रश्न नहीं है, केवल संदेह के आधार पर, अगर जिला मैजिस्ट्रेट को संदेह हो जाय कि यह व्यक्ति गुन्डा है, तो उसको सजा दे सकता है।

दूसरा उसूल क्रिमिनल जुरिसप्रेडेन्स का यह है कि संदेह का लाभ हमेशा बचाव पक्ष को मिलेगा, अभियोगी को नहीं मिलेगा। इस विधेयक के द्वारा आप इस सिद्धान्त की हत्या कर रहे हैं। संदेह का फायदा अभियुक्त को न मिल कर अभियोगी को मिलेगा। इस तरीके से अगर आप देखें तो क्रिमिनल जुरिसप्रेडेन्स के बुनियादी सिद्धान्त है, जिन सिद्धान्तों को माननीय मंत्री जी मानते हैं, जिन सिद्धान्तों को आधार मान कर हमारे देश और प्रदश के अन्दर न्याय प्रणाली गठित की गयी है, उन तमाम आधार भूत सिद्धान्तों की इस विधेयक के द्वारा हत्या की गयी है। और मान्यवर, आप देखें कि कहां तक हत्या की गई है। यहां तक भी नहीं है कि जो सूचना जिला अधिकारी को दी जायगी, जिस सूचना के आधार पर जिलाधिकारी, जिस व्यक्ति के खिलाफ कदम उठाया जायगा, उस सूचना की मौलिक प्रतिलिपि उस व्यक्ति को नहीं दी जायगी। केवल उसका सार उसको बताया जायगा। कितना अन्याय है? संविधान के अन्दर जो नियम हैं, जो निहित उसूल हैं, उन उसूलों के विरुद्ध आज आप यह व्यवस्था करने जा रहे हैं कि जिस व्यक्ति को जिले से बाहर निकालना चाहते हैं, जिस व्यक्ति को आज्ञा उल्लंघन करने के लिये ३ साल की सजा आप देना चाहते हैं, उस व्यक्ति को यह अधिकार नहीं है कि उसके खिलाफ क्या रिपोर्ट की गई है उस रिपोर्ट को वह जान सके और उस रिपोर्ट की प्रतिलिपि उसको मिल सके।

तीसरी चीज मैं यह कहना चाहता हूं कि बर्डन आफ प्रूफ की जिम्मेदारी हमेशा सबूत के पक्ष के ऊपर होती है। प्रासीक्यूशन के ऊपर होती है। इस विधेयक के अन्दर यह व्यवस्था कायम करने जा रहे हैं कि बर्डन आफ प्रूफ की जिम्मेदारी प्रासीक्यूशन के ऊपर नहीं होगी। वह सबूत पक्ष के ऊपर नहीं होगी। उसकी जिम्मेदारी अभियुक्त के ऊपर आप देने जा रहे हैं। मान्यवर, जब जिलाधीश किसी व्यक्ति को कहेगा कि तुम गुन्डे हो और तुमको जिले से बाहर निकाला जाय, तो उस व्यक्ति को यह अधिकार नहीं है कि जान सके कि उनके पास कौन से ऐसे प्रमाण हैं कि जिन साक्ष्य के आधार पर उसको गुन्डा घोषित किया जा रहा है। मेरा निवेदन है कि यह बुनियादी न्याय का सिद्धान्त है कि सबूत पक्ष उसको दे लेकिन इस सिद्धान्त की इस बिल के अन्दर हत्या कर दी गई है। इतना ही नहीं आप जिलाधीश को इतना अधिकार देने जा रहे हैं कि उसके सम्बन्ध में जितनी जांच होगी उस जांच में इंडियन एविडेन्स ऐक्ट लागू नहीं होगा। एक व्यक्ति को आप दंडित करने जा रहे हैं। एक व्यक्ति की नागरिक स्वतंत्रता आप अपहरण करने जा रहे हैं, और उसके बारे में जो साक्ष्य होगा, उसके ऊपर आप इंडियन एविडेन्स ऐक्ट के जो सिद्धान्त है, शहादत के जो सिद्धान्त है वे सिद्धान्त उस पर लागू नहीं होंगे। लेकिन जिलाधीश जैसा चाहे अपनी फाइंडिंग दे। आप उसको यह खतरनाक अधिकार देकर खतरनाक बात करने जा रहे हैं।

आप इस प्रदेश के अन्दर यहां की न्याय व्यवस्था को जिलाधीश के हाथ में देने जा रहे हैं। आप व्यवस्थापिका को वह अधिकार देने जा रहे हैं जो किसी भी नागरिक की स्वतंत्रता का अपहरण कर सके और उस व्यक्ति को इस बात का भी अधिकार न हो कि वह न्यायालय में जाकर इस बात

[श्री गोविन्दसिंह]

की याचिका कर सके कि मेरे मौलिक अधिकारों का अपहरण होने जा रहा है। जिलाधीश महोदय को आपने ये सब अधिकार दिये हैं। गुन्डा ऐक्ट के अन्तर्गत उसकी अपील कौन सुनेगा? उसकी अपील सेशन जज नहीं सुनेगा। डिस्ट्रिक्ट जज नहीं सुनेगा। किसको अधिकार आप देने जा रहे हैं? आप कमिश्नर को यह अधिकार देने जा रहे हैं। अगर आप क्रिमिनल प्रोसीजर कोड को देखें तो उसके अन्दर जो भी ऐसी दफायें १०७, ११७, १०९ और १०६ के बारे में जिलाधीश को अधिकार है, मैजिस्ट्रेट को अधिकार हैं लेकिन इनकी निगरानी और अपीलें सेशन जज के पास होती हैं। अंग्रेजों के बनाये हुये विधान में भी इस बात को जरूरी समझा गया कि अगर एक्जीक्यूटिव अथारिटी कोई आर्डर पास करती हैं जिससे किसी नागरिक की स्वतंत्रता का हनन होता हो तो उसके विरुद्ध अपील सुनने का अधिकार सेशन जज को होना चाहिये। आज यह सरकार उस अधिकार को भी सेशन जज को देने के लिये तैयार नहीं है। क्यों तैयार नहीं हैं? इसलिये तैयार नहीं हैं कि संविधान में जो व्यवस्था रखी गई थी, उसमें जो जोर दिया गया था इस बात पर कि जूडीशियरी और न्यायपालिका हमारी स्वतंत्र हों, उसकी रक्षा होनी चाहिये, जब उस की रक्षा होगी तभी नागरिकों के अधिकारों की रक्षा होगी। लेकिन आज आप न्यायपालिका के सामने जाने से डरते हैं, आप को भय है और इसी लिहाज से आप वह अधिकार यहां इसमें देना नहीं चाहते हैं।

इसके अलावा, आप इसमें क्या कर रहे हैं? अगर निषेध आज्ञा को किसी ने भंग किया तो उसके बाद उस पर मुकदमा चलाया जा सकेगा, उसमें ३ साल का कारावास का दंड कर सकेंगे जिसमें कम से कम ६ मास की सजा होगी। जब उसको सजा होगी और कचहरी में उसका मुकदमा चलेगा तो सबूत पक्ष क्या साबित करेगा? केवल यह साबित करेगा कि जिलाधीश ने एक आर्डर किया है, उसका उसने उल्लंघन किया है, जिलाधीश का हुक्म उचित है या अनुचित है वह चाराजोई नहीं कर सकता कि जिलाधीश ने जो हुक्म दिया है वह कानून के अनुसार दिया या कानून के उल्लंघन में दिया है। जो प्रमाण हैं उनकी सिद्धि के बाद हुक्म किया है या नहीं किया है कि इन चीजों में न्यायालय नहीं जा सकेगा। इस तरह से आप एक व्यक्ति को ३ वर्ष तक के कारावास कोई अभियोग लगाकर रख सकते हैं, जिस अभियोग का उसको ज्ञान नहीं, उस अभियोग में रख सकते हैं जिसके बारे में न्यायालय ने अपनी कोई फाइन्डिन्ग नहीं दी, उस अभियोग के बारे में रख सकते हैं जिसको सबूत पक्ष सिद्ध नहीं कर सका। इस तरह से आप देखेंगे कि इस पूरे विधेयक की रचना ही उन तमाम उसूलों और सिद्धान्तों के विरुद्ध है जिनके आधार पर हमारे देश और प्रदेश में न्याय प्रणाली संगठित की गई थी। मैं नहीं जानता कि इसका आगे क्या होगा।

आप को याद होगा कि इसी वर्ष २४–२५ जून को जब यह विधेयक सदन में आया था तो माननीय शम्भूनाथ चौधरी बैठे हैं, इस सदन में श्री श्याम लाल कन्नोजिया हैं, उन्होंने क्या कहा था? और उसी वक्त माननीय अनन्त राम जायसवाल जो शायद आज सदन में नहीं हैं, इस सदन की जो कार्यवाही है वह अभी तक छपी नहीं है लेकिन मेरे पास २६ तारीख का पायनियर मौजूद है इसमें श्री अनन्त राम जायसवाल की स्पीच छपी है और इसमें है कि उन्होंने उस दिन क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि यह विधेयक संविधान के अनुच्छेद १९ के विरुद्ध है, यह जनतंत्र की हत्या करता है और इस विधेयक पर उन्होंने यहां तक कहा था कि इस विधेयक की हर एक प्रति को जला देना चाहिये ताकि कोई ऐसी प्रति न बचे जो सेलेक्ट कमेटी में भेजी जा सके। मैं अपने एस० एस० पी० के मित्रों से पूछना चाहता हूं कि कौन सी ऐसी बात आज हो गई कि उस दिन तो वह इसके इतने विरोधी थे कि इसकी एक प्रति भी सेलेक्ट कमेटी के लिये वह बचाना नहीं चाहते थे और आज थोड़े ही दिन के बाद कौन सी ऐसी बात हो गई है कि आज वह सरकारी पक्ष में बैठ गये तो जनतन्त्र के बारे में जो उनकी मान्यतायें थीं और संविधान के अनुच्छेद १९ के बारे में जो आप की भावनायें थीं, वे समाप्त हो गईं। आप की बगल में जो एस० एस० पी० के मित्र बैठे हैं उनके बारे में मुझे कोई शिकायत इसलिये नहीं है क्योंकि जब वे यहां रहे तो उन्होंने

एक भाषा का इस्तेमाल किया और जब वहां उधर पहुंच गये तो दूसरी भाषा का इस्तेमाल करने लगे, उनकी तो परम्परा ही ऐसी रही है। लेकिन आप तो सामाजिक व्यवस्था में परिवतन करना चाहते हैं जनतांत्रिक ढंग से। आप इस संविधान की रक्षा करना चाहते हैं। कल तक जब व यहां पर बैठे हुए थे तो इस विधेयक का विरोध कर रहे थे और जब उधर चले गये तो अब कौन-से कारण ऐसे हो गये कि आज इस विधेयक का प्रतिपादन कर रहे हैं।

*श्री मंजूर अहमद (जिला मेरठ)—

मान्यवर, बड़ा अफसोस है, जैसा कि अभी हमारे साथी नेगी जी ने फरमाया, कि माननीय जायसवाल जी इस समय सदन में नहीं हैं, मैं चाहूंगा कि वे ही अगर उत्तर दें तो अच्छा होगा। नेगी जी ने ही कहा है कि संसोपा के साथियों ने इस बिल की प्रतियों को जलाया था और फाड़ा था। मेरा निवेदन है कि जिस संसोपा ने इसको जलाया था, वह आज भी जलाने में यकीन रखती है और क्यों रखती है, वह मैं बताना चाहता हूं। २३ वर्ष से जो अंग्रेजों के समय से मौजूदा कानून हैं, उनमें देश और प्रदेश के ५०–६० लाख व्यक्तियों की ही हिफाजत होती है, आम जनता की नहीं। मुझे अफसोस है कि ये आज तक गुन्डों को नहीं पकड़ पाये। मैं इस खिचड़ी सरकार से पूछना चाहता हूं कि इनकी नजर में गुन्डा कौन है? हिन्दुस्तान में २३ वर्षों से गुन्डों को छूट मिली है। वे पूंजीपतियों के बंगले में पलते रहे हैं। लेकिन आज तक न कोई कलेक्टर और न कोई सरकार उनका इन्तजाम कर पाई। गुन्डा कौन है? आज हमारे साथी उधर बैठने वाले इस बिल और विधेयक के बारे में चुप हैं लेकिन मैं अपने कर्त्तव्य को पूरा करने के लिय खड़ा हुआ हूं। हमारी राष्ट्रीय समिति का फैसला है कि जितने ऐसे विधेयक होंगे, उनका संसोपा को विरोध करना चाहिये। तो मैं बुनियादी तौर से इसका विरोध करने के लिये खड़ा हुआ हूं।

श्रीमन्, मैं जिस जिले में रहता हूं मैंने अपनी आंखों से देखा है, उसमें क्या होता है? मान्यवर, लगातार अपने जिले और जिले के आसपास के जिले में जो साधारण आदमी हैं, जो खेत में काम करते हैं, मजदूरी करते हैं, उन पर दफा १०९, ११० लगायी जाती है। हिन्दुस्तान में जितने देशद्रोही हैं, चोर हैं, डाकू हैं, उन पर न लगाकर मेहनतकशों पर लगायी जाती है। आज यह गुन्डा विरोधी बिल चौधरी साहब ला रहे हैं। चौधरी साहब तो यहां पर इस समय नहीं हैं लेकिन जिस क्षेत्र से वे चुनाव लड़ते हैं, आप भी जानते हैं और हमारे संसोपा के माननीय राजनारायण भी जानते हैं और उधर के बैठने वाले साथी और सिंडिकेट, सभी ने कहा है कि जो जनतंत्र के हत्यारे हैं, वे डंडे के बल पर राय देने में यकीन रखते हैं। जो बड़े-बड़े लोग हैं, पूंजीपति हैं, अफसर हैं, और नेता है, क्या वे गन्डे नहीं हो सकते हैं? क्या वे गुन्डे नहीं हो सकते हैं जो मंत्री मंडल में बैठे हैं? चाहे उनके घरों में बम नहीं पकड़े जायं, क्या वे गुन्डे नहीं हैं, जो अध्यक्ष की कुर्सी पर जूते फेंके, उनके ऊपर कुर्सी फेंके? मौजूदा कानून के अन्तर्गत आज हिन्दुस्तान में गरीब और मेहनतकश ही गुन्डे होते हैं। यह बिल जो आ रहा है, वे गरीब, जो अपने देश में परिवर्तन लाना चाहते हैं, संघर्ष करना चाहते हैं, उनक लिय बनाया गया है।

कानपुर का मेरे पास एक अखबार है। इस अखबार में मंत्री का नाम तो नहीं दिया है। उन्होंने इसमें लिखा है कि लड़कियों के नंगे फोटो, लड़कियों के साथ दुर्व्यवहार करना अध्यापक और अध्यापिकाओं के जरिये.....मेरी जुबान नहीं है। ये कानपुर के मंत्री हैं, उनके बारे में लिखा है। अढ़ाई सौ एकड़ जमीन उनके कब्जे में है। बहरहाल, यह गुन्डागर्दी नहीं हो सकती, क्योंकि ये मंत्री हैं। इनकी तो इज्जत नहीं है। इनके साथ में पुलिस और फौज है। गुन्डा कौन बनेगा मंजूर अहमद, मंजूर अहमद का साथी। अगर कोई कुछ कह रहा है, सरकार के

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री मंजूर अहमद]

विचारों के खिलाफ बोल रहा ह तो उनको कलेक्टर और दरोगा पकड़ कर बन्द कर देंगे । ये चाहे हिन्दुस्तान को तोड़ने में लगे हों, हिन्दुस्तान टूट कौन सी बातों से रहा है, बुनियादी तौर से हमको सोचना होगा । देश टूटेगा किन चीजों से ।

आज हमारे देश में गरीबों की २३ साल से राय लगातार पड़ नहीं पाती और उन रायों को डालने कौन नहीं देता । जो गांधी जी के विचारों में यकीन रखतें हैं वे रायों को नहीं पड़ने देते । वे लोगों को निकलने नहीं देतें । वे उनको पेशाब नहीं करन देते । उनको घास नहीं खोदने देते । आज अगर वे अपनी आवाज उठाते हैं तो उनकी बात कोई सुनने वाला नहीं है । यह सरकार मौजूदा निजाम में कोई तब्दीली नहीं करेगी, जमीन का बंटवारा नहीं करेगी, धन का बंटवारा और तालीम का बंटवारा नहीं करेगी, गरीबों को दवाई नहीं देगी । मौजूदा कानून के जरिये जो अन्याय हो रहा है, न्याय नहीं दिलायेगी । आज न्याय की जो हालत है, आप स्वयं जानते हैं आज हमारे प्रदेश और देश में आम आदमी को यकीन नहीं है । आज हिन्दुस्तान में न्याय को देने वाले, कानून के बनाने वाले भ्रष्ट हो गये हैं । ऐसे लोग मंत्री बनते हैं, झूठी सीधी कर के मंत्री बनते हैं और मंत्री बनने के बाद सिद्धान्तों को भूल जाते हैं, पार्टियों के उसूलों को भूल जाते हैं । जिसके बारे में लड़ाई लड़ी है जिसके बारे में डा० लोहिया, मरहूम ने सत्याग्रह किया हो, पूरे हिन्दुस्तान को लेकर जेल गये हों, जिनकी तन्दुरुस्ती खराब हो गई हो, मैं स्वयं पहल वाले बिल में दो बार जेल में रहा । मैं पाकिस्तान और चीन का समर्थक नहीं हूं ।

मैं हिन्दुस्तानी हूं और हिन्दुस्तान के मौजूदा निजाम के बदलने में यकीन रखता हूं । चाहे कितना ही कानून बनाये संविद वाले, अगर प्रदेश की जनता को अच्छा निजाम नहीं दिया, करप्शन और भ्रष्टाचार को खत्म नहीं किया, लोगों में बराबरी का दर्जा इन्होंने नहीं दिया तो क्या यह समझते हैं, कानून क्या करायेगा ? अगर कानून ईमानदारी से किसी पर लागू हो तो हाउस में बठने वाले माननीय सदस्य बहुत से ऐसे होंगे जिन पर यह कानून सबसे पहले लागू होगा । अगर वे कहते हैं आज कहते है कि नक्सलपन्थियों पर लागू होगा मैं मानता हूं । नक्सलपंथी वे हैं जो हमारी बहनों की आबरू लूट रहे हैं, जो डन्डों के जरिये राय डलवा रहे हैं । जिनके क्षेत्र में लोग, चाहे किसी भी जाति के हों, उनकी जाति को छोड़कर बाकी लोग खिसकते रहते हैं । इसको जायसवाल जी ने भी कहा था, राजनारायण जी ने भी कहा था, संसोपा के सभी सदस्यों ने कहा था। मगर आज चौधरी साहब की गोद में बैठ कर उन सारी बातों को भूल गये हैं । जिन चौधरी साहब के ऊपर अनीसुर्रहमान शेरवानी टूट पड़ते थे, आज व चौधरी साहब की चिलम भर रहे है ।

(व्यवधान)

मान्यवर, मैं पूछना चाहता हूं कि आप लोग तो क्रान्तिकारी थे । आप तो समाजवाद लाना चाहते थे । आप तो असमानता और नाबराबरी मिटाने के लिये आये थे । अब कुर्सियों पर बठ गये हैं । [****] मैं यह कहना चाहता हूं कि

(व्यवधान के बीच)

एक सदस्य——

एक वह आदमी जिसका पुलिस में रिकार्ड हो....

श्री मंजूर अहमद——

मैं फिर कह सकता हूं...

[****]श्री उपाध्यक्ष की आज्ञानुसार निकाल दिया गया ।

श्री उपाध्यक्ष---

सामान्य तौर पर देशद्रोह कहना ठीक हो सकता है, लेकिन किसी व्यक्ति के लिये कहना ठीक नहीं है ।

श्री मंजूर अहमद---

मैंने किसी व्यक्ति के लिये नहीं कहा है ।

सामुदायिक विकास मंत्री (श्री मलिखान सिंह)---

(व्यवधान) ये देशद्रोही हैं .... यह शब्द कहे हैं....

श्री मंजूर अहमद---

मेरी बात कार्यवाही में लिखी है .... (व्यवधान) .... मैंने यह कहा है कि जो लोग धन के बटवारे में यकीन नहीं करते, लाठी गोली में विश्वास करते हैं (व्यवधान)... वे देश के दुश्मन हैं । (व्यवधान)

श्री मलिखान सिंह---

इन्होंने देशद्रोह शब्द कहा है ।

श्री चरण सिंह (जिला मेरठ)---

उपाध्यक्ष महोदय, अगर हम लोग यहां संयम से काम नहीं लेंगे तो बहस नहीं चल सकती। उन्होंने यह शब्द कहे हैं कि अपने पुराने एस० एस० पी० साथियों के साथ "देशद्रोहियों के साथ बैठ कर" (व्यवधान) उनको यह शब्द वापस लेना चाहिये ।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष---

मैं कार्यवाही देख लूंगा, अगर ऐसे शब्द हैं तो कटवा दूंगा। ये शब्द नहीं कहना चाहिये .....

श्री चरण सिंह---

"देशद्रोहियों के साथ बैठ कर" यह शब्द कहे हैं ।

श्री मंजूर अहमद---

मैं फिर कहने को तैयार हूं कि मैंने क्या कहा है (शोर)

श्री उपाध्यक्ष---

आप लोग कृपा कर शान्त रहें । मैं कार्यवाही दिखवा रहा हूं, वह टाइप हो रही है ।

श्री डी० पी० बोरा (जिला लखनऊ)---

इन्होंने व्यक्तिगत आक्षेप किया है । दारुलशफा के अन्दर भी कई बार यह इस तरह की बातें कह चुके हैं.....

श्री उपाध्यक्ष---

आप यहां की कार्यवाही से संबंधित ही अपनी बात कह सकते हैं (व्यवधान)

श्री डी० पी० बोरा---

इस तरह अशिष्ट भाषा का प्रयोग उन्होंने कई बार किया है कहीं ऐसा न हो कि सदन के बाहर कोई और तरीका इस्तेमाल करना पड़े ऐसे लोगों के लिए।

श्री उपाध्यक्ष---

सदन के बाहर आप क्या इस्तेमाल करते हैं वह चीज दूसरी है। यहां क्या कहा है वह वाक्य मैं दिखवा रहा हूं।

श्री डी० पी० बोरा ---

आपको देशद्रोही शब्द कहा जाय, ये देश के सबसे बड़े देशद्रोही हैं..... (व्यवधान) मजबूर होकर इनकी जवान खींच लेना पड़ेगी।

(शोर)

श्री उपाध्यक्ष---

यह भी अनुचित है, यह कहना कि जवान खींच लेंगे, अनुचित है।

श्री डी० पी० बोरा---

माननीय सदस्य यहां से चले जायं।

श्री रामलाल राही (जिला सीतापुर)---

अभी माननीय सदस्य, श्री मंजूर अहमद बोल रहे थे तो उनके लिये इन्होंने यह कहा कि अगर वे ऐसा कहेंगे तो वे हाउस के बाहर किसी दूसरे तरीके से उनसे निबटेंगे।

(व्यवधान)

श्री डी० पी० बोरा---

मैं फिर दोबारा और तिबारा कह रहा हूं।

श्री रामलाल राही---

दूसरी बात उन्होंने फिर यह कही कि अगर फिर वे इस तरह की बात कहेंगे तो उनकी जबान खींच लेंगे। तो क्या इस तरह से उनका कहना संसदीय है?

श्री उपाध्यक्ष---

अगर उन्होंने ऐसा कहा.....

(व्यवधान)

श्री मंजूर अहमद---

मान्यवर, आपने मुझे बीच में कैसे टोक दिया? मैं अभी बोलने के लिये खड़ा हुआ ही हूं।

श्री उपाध्यक्ष---

आप बैठें, मैं अपनी व्यवस्था दे दूं। किसी माननीय सदस्य के लिये ऐसा नहीं कहना चाहिये जैसा कि अभी श्री बोरा ने कहा।

श्री डी० पी० बोरा---

लेकिन क्या इनको इजाजत है इस तरह की बात कहने की?

श्री उपाध्यक्ष---

लेकिन साथ ही साथ यह हो सकता है कि हमारी बुद्धि के अनुसार किसी का आचरण ठीक न हो लेकिन सभी देशप्रेमी हैं जो देश में हैं और यहां जो माननीय सदस्य हैं वे भी देशप्रेमी हैं, चाहे इधर बैठे हुए हैं या उधर बैठ हुए हैं। उनको आप देशद्रोही नहीं कह सकते क्योंकि इस तरह से बहस कैसे चलेगी। लेकिन कुछ मुद्दे ऐसे हो सकते हैं जिन्हें आप कह सकते हैं कि यह देश हित में नहीं है। कोई भौंड़े शब्द का इस्तेमाल करता है तो किसी हद तक वह संसदीय हो सकता है लेकिन यह आप नहीं कह सकते कि उधर जो बैठे हुये हैं वे देश द्रोही हैं।

श्री मंजूर अहमद---

यह मैंने नहीं कहा।.....

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष---

अगर ऐसा कहा होगा तो उसे काट दिया जायेगा।

श्री डी० पी० बोरा---

केवल काटने का सवाल नहीं है। वे अपने शब्दों को वापस लें।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष---

जब एक सदस्य कहते हैं कि मैंने यह नहीं कहा तो उसे मान लेना चाहिये।

श्री मंजूर अहमद---

मैंने चरण सिंह के लिये नहीं कहा था मैंने गवर्नमेंट के लिये कहा था कि वह देश की दुश्मन है।

श्री चरण सिंह---

सवाल यह नहीं है कि उन्होंने कहा या नहीं कहा। अगर वे यही कह दें कि मैंने यह नही कहा तो काफी है।

श्री उपाध्यक्ष---

(श्री मंजूर अहमद से) क्या आपने कहा कि संसोपा देशद्रोही दल के साथ बैठी हुई है?

श्री मंजूर अहमद---

मैंने यह नहीं कहा था।

श्री डी० पी० बोरा---

जब आपने इधर बैठने वालों के लिये ऐसी बात नहीं कही तो मेरी भी बात आप पर लागू नहीं होती। लेकिन भविष्य में इस बात का ख्याल रखें।

श्री कृष्ण चन्द्र (जिला झांसी)---

ऐसा आप नहीं कह सकते। अगर आपने उनके लिये कहा है तो आपको अपने शब्दों को वापस लेना चाहिये, गुड ग्रेस में वापस लेना चाहिये। इसमें क्या बहस है, आप वापस ले लें।

श्री उपाध्यक्ष---

(श्री डी० पी० बोरा से) आप अपने शब्दों को अब वापस लेते हैं न ?

श्री डी० पी० बोरा---

ठीक है, मैं वापस लेता हूं ।

श्री मंजूर अहमद---

मुझे दो तीन मिनट का समय और दे दिया जाय ।

श्री उपाध्यक्ष---

अब नहीं ।

श्री मंजूर अहमद---

मेरी बात खतम नहीं हुई है, मैं अभी बोल रहा हूं ।

श्री उपाध्यक्ष---

मैं इजाजत नहीं देता हूं । क्योंकि ३ बजे तक का समय निश्चित था कि तीन बजे तक इसे पास होना चाहिये लेकिन आपने बीच में ऐसी बात कही जिससे सदन उत्तेजित हो गया । उसकी जिम्मेदारी आपकी है । अब ३ बजे समाप्त होना है, इस पर ।

श्री उदितनारायण (जिला फतेहपुर)---

जब अभी आज से तीसरे रोज पहले यहां पर स्टूडेन्ट्स विधेयक पर चर्चा हुई थी उस वक्त माननीय बोरा जी ने और उनके दूसरे साथी ने मेरे ऊपर कुछ आक्षेप किये थे । उस वक्त मैं वाक आउट के कारण चला गया था । अतः कुछ कह न सका । यह सदन भी कुछ ऐसा बना हुआ है जो सुनाई नहीं पड़ता है । आज चौधरी साहब को जरा बुरा सा लगा है इसलिये मुझे दो मिनट इस पर और दो मिनट प्रस्तुत मसले पर बोलने का समय दें ।

श्री उपाध्यक्ष---

अब उन्होंने वापस ले लिया और बोरा जी ने भी वापस ले लिया है । इसलिये अब नहीं । (व्यवधान) अब इसके बाद ही जब जीरो आवर हो उस समय आप कह सकते हैं । (व्यवधान) आप आसन ग्रहण करें ।

श्री उपाध्यक्ष---

प्रश्न यह है कि यह सदन उत्तर प्रदेश गुण्डा नियंत्रण अध्यादेश, १९७० का अननुमोदन करता है ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री उपाध्यक्ष---

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश गुन्डा नियंत्रण विधेयक, १९७० जैसा कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ है, पर विचार किया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

(श्री उदितनारायण शर्मा के खड़े होने पर)

श्री गोविन्द सिंह---

मैं संशोधन पर बहुत कम समय लूंगा इसलिये आप इनको समय दे दें ।

सहकारिता उप मंत्री (श्री मही लाल)—

३ बजे तक इसको पास होना चाहिये।

(श्री उदितनारायण शर्मा के खड़े रहने पर)

श्री उपाध्यक्ष—

यदि गोविन्द सिंह जी नहीं रखना चाहते तो आप (शर्मा जी) रख दें।

खण्ड २

२—जब तक कि प्रसंग द्वारा अन्यथा अपेक्षित न हो, इस अधिनियम में— [परिभाषायें

(क) "जिला मजिस्ट्रेट" के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा तदर्थ अधिकृत कोई अपर जिला मजिस्ट्रेट भी है ;

(ख) "गुन्डा" का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है—

(१) जो स्वयं या किसी गिरोह के सदस्य या सरगना के रूप में अभ्यस्ततः भारतीय दंड संहिता के अध्याय १६, अध्याय १७ या अध्याय २२ के अधीन दंडनीय अपराध करता है या करने का प्रयास करता है या करने के लिये दुष्प्रेरित करता है, या

(२) जो सप्रेशन आफ इम्मारल ट्रैफिक इन वीमेन एण्ड गर्ल्स ऐक्ट, १९५६ के अधीन सिद्धदोष ठहराया गया हो, या

(३) जो यू० पी० एक्साइज ऐक्ट, १९१० के अधीन कम से कम तीन बार सिद्धदोष ठहराया गया हो, या

(४) जिसकी सामान्य ख्याति दुःसाहसिक और समुदाय के लिये खतरनाक व्यक्ति होने की हो।

श्री गोविन्द सिंह—

मान्यवर, मैं उत्तर प्रदेश गुन्डा नियंत्रण विधेयक, १९७० के खंडों में संशोधन का प्रस्ताव रखता हूं—

खंड २ के उपखंड (ख) (१) की तीसरी पंक्ति में शब्द "प्रयास करता है या करने के लिये दुष्प्रेरित करता है" निकाल दिये जायं।

खंड २ के उपखंड (ख) का पैरा (४) निकाल दिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खंड २ के उपखंड (ख) (१) की तीसरी पंक्ति में शब्द "प्रयास करता है या करने के लिये दुष्प्रेरित करता है" निकाल दिये जायं।

खंड २ के उपखंड (ख) का पैरा (४) निकाल दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खंड २ इस विधेयक का अंग माना जाये।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड ३

गुन्डों का बहिष्कासन इत्यादि

३--(१) यदि जिला मजिस्ट्रेट को यह प्रतीत हो कि--

(क) कोई व्यक्ति गुण्डा है ; और

(ख) (i) जिले या उसके किसी भाग में उसकी गतिविधियां या कार्य व्यक्तियों की जान या सम्पत्ति के लिये संत्रास, संकट या अपहानि करते हैं या करने के लिये आयोजित हैं, या

अधिनियम सं० १०४, १९५६ उत्तर प्रदेश अधिनियम सं० ६, १९१० ।]

(ii) ऐसा विश्वास करने का उचित कारण है कि वह जिले या उसके किसी भाग में, भारतीय दंड संहिता के अध्याय १६, अध्याय १७ या अध्याय २२ के अधीन या दि सप्रेशन आफ इम्मारल ट्रैफिक इन वीमेन ऐण्ड गर्ल्स ऐक्ट, १९५६ के अधीन या यू० पी० एक्साइज ऐक्ट, १९१० के अधीन दंडनीय किसी अपराध को करने में अथवा किसी ऐसे अपराध के दुष्प्रेरण में लगा है, या लगने वाला है, और

(ग) साक्षीगण अपीन जान या सम्पत्ति के क्षेम के संबंध में अपनी आशंका के कारण उसके विरुद्ध साक्ष्य देने को तैयार नहीं हैं;

तो जिला मजिस्ट्रेट उस व्यक्ति को लिखित नोटिस द्वारा खंड (क), (ख) और (ग) के संबंध में उसके विरुद्ध सारवान आरोपों की सामान्य प्रकृति की सूचना देगा, और उसको उनके विरुद्ध स्पष्टीकरण देने का समुचित अवसर देगा ।

(२) उस व्यक्ति को, जिसके विरुद्ध इस धारा के अधीन आदेश देने का प्रस्ताव हो, अपनी पसंद के वकील से परामर्श करने और उसके द्वारा प्रतिरक्षित किये जाने का अधिकार होगा तथा, जब तक जिला मजिस्ट्रेट द्वारा अभिलिखित किये जाने वाले कारणों से उनकी राय में उसकी तदर्थ प्रार्थना परेशान या बिलम्ब करने के प्रयोजन से न की गई हो, उसे, यदि वह ऐसा चाहे हो, स्वयं परीक्षित होने का और ऐसे अन्य किन्हीं साक्षियों को भी जिन्हें वह अपने स्पष्टीकरण के समर्थन में पेश करना चाहे, परीक्षित करने का समुचित अवसर दिया जायगा ।

(३) तदुपरान्त जिला मजिस्ट्रेट अपना यह समाधान करने पर कि उपधारा (१) के खंड (क), (ख) और (ग) में उल्लिखित शर्तें विद्यमान हैं, लिखित आदेश द्वारा--

(क) उसे यह निदेश दे सकता है कि वह ऐसे मार्ग से, यदि कोई निर्दिष्ट किया जाय, और ऐसे समय के भीतर, जैसा आदेश में निर्दिष्ट किया जाये, जिले या, यथास्थिति, उसके भाग से स्वयं बाहर चला जाये और जिले या उसके निर्दिष्ट भाग में तब तक प्रवेश न करे जब तक कि छः माह से अनधिक ऐसी अवधि जो आदेश में निर्दिष्ट की जाय, समाप्त न हो जाये;

(ख) (१) ऐसे व्यक्ति से, ऐसी रीति से, ऐसे समय पर और ऐसे प्राधिकारी या व्यक्ति को, जो आदेश में निर्दिष्ट किया जाये, अपनी गतिविधि की सूचना देने, या स्वयं उपस्थित होने, अथवा दोनों कार्य करने की तब तक के लिये अपेक्षा कर सकता है ;

(२) उसके द्वारा किसी ऐसी वस्तु को, जो आदेश में निर्दिष्ट की जाय, कब्जे में रखने या उसको प्रयोग करन से तब तक के लिये प्रतिसिद्ध या निर्बन्धित करने का;

(३) उसके द्वारा अन्यथा ऐसी रीति से, जैसी आदेश में निर्दिष्ट की जाय, आचरण करने का तब तक के लिये निदेश दे सकता है—

जब तक कि छः माह से अनधिक ऐसी अवधि जो आदेश में निर्दिष्ट की जाय, समाप्त न हो जाये ।

श्री गोविन्द सिंह—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड ३(१) का भाग (ग) निकाल दिया जाय।

खंड ३ के उपखंड (२) की दूसरी पंक्ति में "अधिकार होगा" शब्दों के बाद और चौथी पंक्ति में "उसे यदि वह ऐसा चाहे हो" के पहले वाले शब्द निकाल दिये जायं ।

खंड ३ के उपखंड (२) के अन्त में निम्नलिखित नया परन्तुक जोड़ दिया जाय—

"प्रतिबन्ध यह है कि जिला मजिस्ट्रेट उपखण्ड (१) के भाग (क) (ख) (ग) के सम्बन्ध में प्राप्त होने वाली सूचना की सत्यप्रति, उस व्यक्ति को देगा जिसके विरुद्ध इस धारा के अधीन आदेश देने का प्रस्ताव है । साथ ही जिला मजिस्ट्रेट के लिये यह भी आवश्यक होगा कि ऐसी सूचना की पुष्टि में उपधारा (३) के अन्तर्गत कोई आदेश देने से पूर्व सूचना की यथार्थता की सिद्धि के लिये साक्ष्य ले और ऐसे साक्षी से जिरह करने के लिये उस व्यक्ति को जिरह करने का अवसर दे ।"

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि—

खंड ३ (१) का भाग (क) निकाल दिया जाय ।

खंड ३ के उपखंड (२) की दूसरी पंक्ति में "अधिकार होगा" शब्दों के बाद और चौथी पंक्ति में "उसे यदि वह ऐसा चाहे हो" के पहले वाले शब्द निकाल दिये जायं ।

खंड ३ के उपखंड (२) के अन्त में निम्नलिखित नया परन्तुक जोड़ दिया जाय:

"प्रतिबन्ध यह है कि जिला मजिस्ट्रेट उपखंड (१) के भाग (क) (ख) (ग) के सम्बन्ध में प्राप्त होने वाली सूचना की सत्यप्रति, उस व्यक्ति को देगा जिसके विरुद्ध इस धारा के अधीन आदेश देने का प्रस्ताव है । साथ ही जिला मजिस्ट्रेट के लिये यह भी आवश्यक होगा कि ऐसी सूचना की पुष्टि में उपधारा (३) के अन्तर्गत कोई आदेश देने से पूर्व सूचना की यथार्थता की सिद्धि के लिये साक्ष्य ले और ऐसे साक्षी से जिरह करने के लिये उस व्यक्ति को जिरह करने का अवसर दे ।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खंड ३ इस विधेयक का अंग माना जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खण्ड ४

४—जिला मजिस्ट्रेट आदेश द्वारा किसी ऐसे व्यक्ति को, जिसके संबंध में धारा ३ की उपधारा (३) के खंड (क) के अधीन आदेश दिया गया हो, अस्थायी अवधि के लिये उस क्षेत्र में, जहां से उसे हटने का निदेश दिया गया था, ऐसी शर्तों पर, जिन्हें जिला मजिस्ट्रेट निर्दिष्ट करे, प्रवेश करने या वापस आने की अनुज्ञा दे सकता है, और किसी भी समय ऐसी किसी अनुज्ञा का निरसन कर सकता है । अस्थायी अवधि के लिये वापस लौटने की अनुज्ञा

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि खंड ४ विधेयक का अंग माना जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खण्ड ५

आदेश की अवधि में बढ़ोत्तरी

५--जिला मजिस्ट्रेट सम्बद्ध व्यक्ति को तदर्थ अभ्यावेदन करने का अवसर, जब तक कि ऐसे कारणों से जो अभिलिखित किये जायेंगे उनका यह समाधान न हो जाय कि ऐसा करना अव्यवहारिक होगा, देने के पश्चात् धारा ३ के अधीन दिये गये आदेश में निर्दिष्ट अवधि को, सामान्य जनता के हित में समय-समय पर बढ़ा सकता है, किन्तु इस प्रकार बढ़ायी गयी अवधि किसी भी दशा में कुल मिलाकर दो वर्ष से अधिक न होगी ।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि खंड ५ विधेयक का अंग माना जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खण्ड ६ व ७

अपील

६--(१) धारा ३, धारा ४ या धारा ५ के अधीन दिये गये किसी आदेश से क्षुब्ध कोई व्यक्ति ऐसे आदेश के दिनांक से पन्द्रह दिन के भीतर आयुक्त के पास अपील कर सकता है ।

(२) अपीलार्थी या उसके वकील को किसी ऐसे अभिलेख का जो धारा ३ के अधीन हुई जांच यदि कोई हुई हो, के समय उसे प्रकट न किया गया हो, निरीक्षण करने या उसके संबंध में सूचना दिये जाने का अधिकार न होगा ।

(३) आयुक्त आदेश को, परिष्कार सहित अथवा रहित, पुष्टि कर सकता है या उसे रद्द कर सकता है, और अपील का निस्तारण होने तक आदेश के प्रवर्तन को, ऐसी शर्तों पर, यदि कोई हों, जिन्हें वह उचित समझे, स्थगित कर सकता है ।

कतिपय प्रयोजनों के लिये मुचलके

७--(१) जिला मजिस्ट्रेट या आयुक्त--

(क) किसी ऐसे व्यक्ति, जिसके विरुद्ध धारा ३ के अधीन आदेश देने का प्रस्ताव हो, या आदेश दिया गया हो किन्तु ऐसे आदेश का प्रवर्तन धारा ६ के अधीन स्थगित कर दिया गया हो, को उपस्थिति सुनिश्चित करने, या

(ख) धारा ३, धारा ४, धारा ५ या धारा ६ के अधीन किसी व्यक्ति के संबंध में दिये गये आदेश में निर्दिष्ट किसी निदेश, अपेक्षा, प्रतिषेध, निबंधन या शर्त का यथोचित अनुपालन सुनिश्चित करने; के प्रयोजनार्थ, किसी ऐसे व्यक्ति से, प्रतिभूओं सहित या रहित, बन्ध-पत्र निष्पादित करने की अपेक्षा कर सकता है और दंड प्रक्रिया संहिता, १८९८ के उपबन्ध ऐसे बन्ध-पत्र के संबंध में, आवश्यक परिवर्तनों के साथ, उसी प्रकार लागू होंगे, जिस प्रकार वह उक्त संहिता के अधीन निष्पादित या निष्पादित किये जाने के लिये अपेक्षित बन्ध-पत्र के संबंध में लागू होते हैं ।

(२) विशेषतः और उपरोक्त उपबन्धों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना—

(क) जिला मजिस्ट्रेट धारा ३ की उपधारा (१) के अधीन किसी व्यक्ति को नोटिस जारी करते समय उसकी गिरफ्तारी के लिये वारन्ट, जिसमें उक्त संहिता की धारा ७६ के अनुसार पृष्ठांकित निर्देश दिया गया हो, जारी कर सकता है, और उक्त संहिता की धारायें ७५ से ९२, तक के उपबन्ध जहां तक हो सके, ऐसे वारन्ट के संबंध में उसी प्रकार लागू होंगे मानो जिला मजिस्ट्रेट न्यायालय हो,

(ख) यदि कोई व्यक्ति जिससे किसी निदेश, अपेक्षा, प्रतिषेध, निबन्ध या शर्त के अनुपालन के लिये बन्ध-पत्र निष्पादित करने की अपेक्षा की गई हो, ऐसा करने में चूक करता है तो उसे उस कालावधि के लिये जिसके लिये उक्त निदेश, अपेक्षा, प्रतिषेध, निर्बन्धन या शर्त की प्रवृत्ति हो या उस कालावधि के भीतर जब तक कि वह, प्रतिभूओं सहित या रहित, यथास्थिति, आदेश के अनुसार बन्ध-पत्र निष्पादित नहीं करता, कारागार को सुपुर्द किया जायगा अथवा यदि वह पहले से ही कारागार में है तो वह कारागार में निरुद्ध रखा जायगा, व उक्त संहिता की धारायें १२० से १२२ तक व १२३–क, १२४, १२६ व १२६–क के उपबन्ध आवश्यक परिवर्तनों के साथ उस पर लागू होंगे मानो जिला मजिस्ट्रेट या आयुक्त न्यायालय हों,

(ग) उक्त संहिता की धारायें ५१३, ५१४ व ५१४–क, इस धारा के अधीन निष्पादित सभी बन्ध-पत्रों के संबंध में आवश्यक परिवर्तनों के साथ उसी प्रकार लागू होंगे मानो जिला मजिस्ट्रेट या आयुक्त न्यायालय हों।

श्री गोविन्द सिंह—

मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड ६(१)की दूसरी पंक्ति में "पन्द्रह दिन के भीतर आयुक्त" शब्दों के स्थान पर "तीस दिन के भीतर सेशन जज" रख दिया जाय।

खंड ६ का उपखंड (२) निकाल दिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खंड ६ (१) की दूसरी पंक्ति में "पन्द्रह दिन के भीतर आयुक्त" शब्दों के स्थान पर "तीस दिन क भीतर सेशन जज" रख दिया जाय।

खंड ६ का उपखंड (२) निकाल दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खंड ६ और ७ इस विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड ८

साक्ष्य की प्रकृति।

८—जिला मजिस्ट्रेट या आयुक्त अपना यह समाधान करने के प्रयोजनार्थ कि धारा ३ या धारा ५ के अधीन आदश दिये जाने के लिये आवश्यक शर्तें विद्यमान हैं या नहीं, किसी ऐसे साक्ष्य पर विचार कर सकता है जिसे वह प्रमाणक मूल्य का समझे, तथा भारतीय साक्ष्य अधिनियम, १८७२ के उपबन्ध लागू नहीं होंगे।

श्री गोविन्द सिंह—

मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड ८ की तीसरी पंक्ति में "विचार कर सकता है जिसे वह" शब्दों और "प्रमाणक" के बीच शब्द "भारतीय साक्ष्य अधिनियम, १८७२ के उपबन्धों के अधीन" जोड़े जायं और अन्त में शब्द "तथा भारतीय साक्ष्य अधिनियम, १८७२ के उपबन्ध लागू नहीं होंगे" निकाल दिये जायं ।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खंड ८ की तीसरी पंक्ति में "विचार कर सकता है जिसे वह" शब्दों और "प्रमाणक" के बीच शब्द "भारतीय साक्ष्य अधिनियम, १८७२ के उपबन्धों के अधीन" जोड़े जायं और अन्त के शब्द "तथा भारतीय साक्ष्य अधिनियम, १८७२ के उपबन्ध लागू नहीं होंगे" निकाल दिये जायं ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खंड ८ इस विधेयक का अंग माना जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खण्ड ९ से १६

आदेश का निरसन

९—जिला मजिस्ट्रेट या आयुक्त किसी भी समय धारा ३ के अधीन दिये गये आदेश का, चाहे उस आदेश की धारा ६ के अधीन पर पुष्टि की गयी हो या नहीं, निरसन कर सकता है।

धारा ३ से ६ के आधीन आदेशों का उल्लंघन करने के लिये दंड

१०—जो व्यक्ति धारा ३, धारा ४, धारा ५ या धारा ६ के अधीन दिये गये आदेशों का उल्लंघन करे, वह कठिन कारावास से, जो तीन वर्ष तक का हो सकता है किन्तु ६ माह से कम नहीं होगा, दंडित किया जायेगा और जुर्माने का भी भागी होगा ।

बहिष्काषित गुन्डे द्वारा आदश का उल्लंघन करते हुय पुनः प्रवेश आदि पर उसका बल प्रयोग द्वारा हटाया जाना ।

११—(१) यदि धारा ३, धारा ४ , धारा ५ या धारा ६ के अधीन किसी व्यक्ति के विरुद्ध आदेश दिये जाने के पश्चात् ऐसा व्यक्ति—

(क) आदेश द्वारा दिये गये निदेश के अनुसार जिले या उसके भाग से अपने को हटाने में चूक करता है; या

(ख) उक्त आदेश के प्रवर्तन की अवधि में, उस क्षेत्र में, जहां से उसे हटने का आदेश दिया गया था ; पुनः प्रवेश करता है;

तो जिला मजिस्ट्रेट उसे गिरफ्तार करा सकता है और पुलिस की अभिरक्षा में उक्त आदेश में निर्दिष्ट क्षेत्र के बाहर किसी ऐसे स्थान के लिये जैसा वह निदेश दें हटवा सकता है ।

(२) कोई पुलिस अधिकारी किसी ऐसे व्यक्ति को, जिसके प्रति उपधारा (१) में निर्दिष्ट कोई कार्य या चूक करने के लिये युक्तियुक्त संदेह हो, बिना वारंट गिरफ्तार कर सकता है, और इस प्रकार गिरफ्तार किये गये व्यक्ति को तुरन्त निकटतम मजिस्ट्रेट के पास अग्रसारित करेगा जो उसे जिला मजिस्ट्रेट के पास अग्रसारित करायेगा जो तदुपरान्त उस व्यक्ति को उक्त आदेश में निर्दिष्ट क्षेत्र के बाहर ऐसे स्थान के लिये, जैसा वह निदेश दें, पुलिस अभिरक्षा में हटवा सकेगा ।

(३) इस धारा के उपबन्ध धारा १० के उपबन्धों के अतिरिक्त है और उनके प्रभाव को कम नहीं करते ।

अपराध का संज्ञान

१२—कोई मजिस्ट्रेट धारा १० के अधीन दंडनीय किसी अपराध का सिवाय—

(क) ऐसे तथ्यों की जिनसे ऐसा अपराध गठित होता हो, किसी पुलिस आफिसर द्वारा की गई लिखित रिपोर्ट पर; या

(ख) पुलिस आफिसर से भिन्न किसी व्यक्ति से प्राप्त इत्तिला पर या अपने इस ज्ञान या संदेह पर कि ऐसा अपराध किया गया है :

संज्ञान नहीं करेगा ।

आदेशों के संबंध में अपवाद

१३—इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन प्रदत्त किसी शक्ति का प्रयोग करके दिये गये किसी आदेश पर किसी न्यायालय में कोई आपत्ति नहीं की जायगी ।

अधिनियम के अधीन किये गये कार्य के लिये संरक्षण

१४—(१) किसी व्यक्ति के विरुद्ध किसी ऐसे कार्य के लिये, जो इस अधिनियम या तदधीन दिये गये किसी आदेश के अनुसरण में सद्भावना से किया गया हो, या किये जाने के लिये अभिप्रेत हो कोई वाद, अभियोग या अन्य विविध कार्यवाही नहीं की जा सकेगी ।

(२) राज्य सरकार के विरुद्ध किसी ऐसी बात से, जो इस अधिनियम या तदधीन दिये गये किसी आदेश के अनुसरण में सद्भावना से की गयी या किये जाने के लिये अभिप्रेत हो, हुयी या सम्भावित क्षति के लिये कोई वाद या अन्य विधिक कार्यवाही नहीं की जा सकेगी ।

नियम बनाने का अधिकार

१५—(१) राज्य सरकार, गजट में अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिये नियम बना सकती है ।

(२) इस अधिनियम के अधीन बनाये गये सभी नियम, बनाये जाने के पश्चात् यथाशक्य शीघ्र, राज्य विधान मंडल के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब उसका सत्र हो रहा हो, उसके एक सत्र या एकाधिक अनुक्रमिक सत्रों में कम से कम कुल चौदह दिन की अवधि पर्यन्त रखे जायेंगे, और जब तक कि कोई वाद का दिनांक निर्धारित न किया जाय, गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से, ऐसे परिष्कारों या अभिशून्यों के अधीन रहते हुए, प्रभावी होंगे, जो विधान मंडल के दोनों सदन उक्त अवधि में करने के लिये सहमत हों किन्तु इस प्रकार का कोई परिष्कार या अभिशून्यन [सम्बद्ध नियमों के] उनके अधीन पहले की गयी किसी बात की वैधता पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न डालेगा ।

निरसन

उ० प्र० अध्यादेश सं० १५, १९७०

१६—उत्तर प्रदेश गुण्डा नियंत्रण अध्यादेश, १९७० एतद्द्वारा निरस्त किया जाता है ।

श्री गोविन्द सिंह—

मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड ९ की पहली पंक्ति में "आयुक्त" के स्थान पर शब्द "सेशन जज" रख दिया जाय ।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खंड ९ की पहली पंक्ति में "आयुक्त" के स्थान पर शब्द "सेशन जज" रख दिया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खंड ९, १०, ११, १२, १३, १४, १५, १६ इस विधेयक के अंग माने जायं ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खण्ड १, प्रस्तावना तथा शीर्षक

उत्तर प्रदेश गुण्डा नितंत्रण विधेयक, १९७०

(जैसा कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ)

सार्वजनिक व्यवस्था बनाये रखने के उद्देश्य से गुन्डों पर नियंत्रण करने और उनको लाने के निमित्त विशेष व्यवस्था करने के लिये

विधेयक

भारत गणतंत्र के इक्कीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :--

संक्षिप्त नाम तथा प्रसार

१--(१) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश गुण्डा नियंत्रण अधिनियम, १९७०, कहलायेगा।

(२) इसका प्रसार सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में होगा।

श्री उपाध्यक्ष---

प्रश्न यह है कि खंड १, प्रस्तावना एवं शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री राजेंद्र प्रताप सिंह---

माननीय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश गुण्डा नियंत्रण विधेयक, १९७०, जैसा कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ है, पारित किया जाय।

श्री उपाध्यक्ष---

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश गुण्डा नियंत्रण विधेयक, १९७०, जैसा कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ है, पारित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री मंजूर अहमद के विरुद्ध सदन में गलत बयानी करने के सम्बन्ध में विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना

श्री उपाध्यक्ष---

यह कार्यवाही मंगा ली है और उसमें यह है कि माननीय मंजूर अहमद ने कहा कि "मैं पूछना चाहता हूं कि आप लोग तो क्रांतिकारी थे। आप तो समाजवाद लाना चाहते थे। आप तो असमानता और नाबराबरी मिटाने के लिये आये थे। अब कुर्सियों पर बठ गय हैं, देशद्रोहियों के साथ बैठ गये हैं।" इसको निकाल दिया जाय।

सामुदायिक विकास मंत्री (श्री मल्लिकाम सिंह)---

श्रीमन्, मैं उनके विरुद्ध ब्रीच आफ प्रिवीलेज का नोटिस देता हूं।

(व्यवधान)

श्री कृष्ण स्वरूप (जिला बदायूं)---

व्यवस्था का प्रश्न है। जो नोटिस आया है उस पर आप अपनी व्यवस्था दें।

(इस समय ३ बजकर १८ मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए।)

श्री मनेजर सिंह (जिला बलिया)---

उन्होंने कहा कि देश-द्रोहियों के साथ संयुक्त समाजवादी पार्टी वाले बैठ गये हैं । जब माननीय उपाध्यक्ष ने पूछा तो उन्होंने कहा कि मैंने ऐसा नहीं कहा । लेकिन जब कार्यवाही देखी गयी तो उसमें स्पष्ट है कि उन्होंने "देशद्रोही" कहा है । मा० प्रेमचन्द शर्मा जी कह रहे हैं कि देशद्रोहियों के साथ बैठे हैं तो क्या यह भी अपने को उसी जमात में मानते हैं ।

श्री अध्यक्ष---

ये शब्द कार्यवाही से निकाल दिये जायेंगे ।

श्री कृष्ण स्वरूप---

श्रीमन्, अभी मलिखान सिंह जी ने बीच आफ प्रिविलेज का नोटिस दिया था । उनके विरुद्ध एक प्रस्ताव भेजा जाय प्रिवलेज कमेटी को ।

श्री मनेजर सिंह---

उन्होंने गलतबयानी की है, यह प्रमाणित है । इसलिये इसको विशेषाधिकार समिति में भेज दिया जाय ।

श्री नरेंद्र सिंह बिष्ट (जिला पिथौरागढ़)---

जब माननीय सदस्य हाउस में नहीं है तो आप कोई ऐक्शन नहीं ले सकते । उनको स्पष्टीकरण करने का मौका मिलना चाहिये ।

श्री अध्यक्ष---

मैं इसको विशेषाधिकार समिति के पास भेजे देता हूं, वहीं वे अपना एक्सप्लेनेशन दें ।

श्री प्रेमचन्द्र शर्मा (जिला अलीगढ़)---

मैं भी एक विशेषाधिकार का प्रश्न उठाना चाहता हूं । माननीय बोरा जी बोल रहे थे तो उन्होंने कहा कि इस सदन के बाहर आयें तो आपकी जबान खींच ली जायगी ।

मान्यवर, मंजूर अहमद साहब से एक माननीय सदस्य, डी० पी० बोरा साहब न कहा था उनकी जबान खींच ली जाय और इस प्रकार से यह भी एक बीच आफ प्रिविलेज का सवाल बनता है । मैं इस बात की सूचना देता हूं कि इस प्रश्न को भी उस कमेटी में भेजा जाय ।

श्री डी० पी० बोरा (जिला लखनऊ)---

मान्यवर, जब उन्होंने देशद्रोही कहा था तो मैंने कहा था कि देशद्रोही कहने वाले की जबान खींच ली जायेगी । मान्यवर, अगर उन्होंने ऐसा नहीं कहा है कि मैं अपने शब्द वापस लेता हूं ।

श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)---

माननीय बोरा साहब ने कहा कि उन्होंने यह बात कही थी । मंजूर अहमद साहब का प्रश्न आपने प्रिवलेज कमेटी को भेजा है । उसी प्रकार से बोरा साहब का सवाल भी उसमें भेजा जाना चाहिये ताकि दोनों के ही शब्दों पर वहां एक साथ विचार कर लिया जाय ।

श्री अध्यक्ष---

जब आपके सामने ही वह उस शब्द को वापस ले रहे हैं तो वह समाप्त हो जाता है ।

श्री प्रेम चन्द्र शर्मा--

मान्यवर, यह एक व्यवस्था का प्रश्न है।

(व्यवधान)

जब आप उनके शब्दों को उस कमेटी में भेज रहे हैं तो बोरा साहब के भी इन शब्दों को वहां पर भेजा जाना चाहिये ।

श्री अध्यक्ष--

अगर वह अब भी वापस ले लें तो वापस हो जायेगा ।

(व्यवधान)

एक सदस्य---

मंजूर अहमद साहब बाहर बैठे हैं और उन्होंने अपने शब्दों को वापस ले लिया है ।

श्री नरेंद्र सिंह भिंडा---

जब मंजूर अहमद साहब ने अपने शब्दों को वापस ले लिया तब उसको कैसे वहां भेजा जायगा ।

श्री अध्यक्ष--

अगर मंजूर अहमद साहब अब भी इसको आकर वापस ले लें तब मैं इसको नहीं भेजूंगा ।

श्री उदित नारायण (जिला फतेहपुर)---

मान्यवर, मैं इस पर व्यवस्था चाहता हूं कि अगर नियमों के अनुसार उनको सुना नहीं गया और जब तक कि आप उनसे सुन नहीं लेंगे तब तक आप कैसे उसको प्रिवलेज कमेटी में भेजेंगे ? मान्यवर, उस समय तक आप को अपनी रूलिंग स्थगित रखनी चाहिये और उनको सुनने का मौका देना चाहिये । उनके मुंह से सुन लें तब आप कोई आगे का स्टेप लें । माननीय सदस्य को बिना समुचित मौका दिये हुये आप कैसे इसको वहां भेज सकते हैं । मेरा तो यह विचार है कि इस प्रकार से आप उसको नहीं भेज सकते हैं ।

मन्त्रियों द्वारा शपथ ग्रहण के उपरान्त सरकारी कार्य न करने तथा वेतन आदि वापस करने के सम्बन्ध में विधि बनाने के लिये प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष---

माननीय नारायण दत्त तिवारी प्रश्न संख्या १५ प्रस्तुत करें :—

श्री नारायण दत्त तिवारी (जिला नैनीताल)---

श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से निम्नलिखित प्रस्ताव पेश करना चाहता हूं ।

"इस सदन को खेद है कि उत्तर प्रदेश सरकार के सभी मंत्री, जिन्होंने ११ नवम्बर, १९७० को मंत्रि पद की शपथ ली थी, १९ नवम्बर तक बिना किसी कार्य के ही मंत्री बने रहे तथा १९ नवम्बर से २७ नवम्बर तक सभी राज्य मंत्री व उपमंत्री बिना किसी कार्य के राज्य मंत्री तथा उप मंत्री बने रहे ।

अतः यह सदन संस्तुति करता है कि ऐसी विधि का निर्माण किया जाय जिससे ऐसे सभी कैबिनेट मंत्रियों, राज्य मंत्रियों तथा उप मंत्रियों के वेतन में से उतने दिनों की कटौती करने का उपबन्ध हो जाये, जितने दिन उन्होंने मंत्री, राज्य मंत्री या उपमंत्री होने पर भी कोई सरकारी कार्य नहीं किया ।"

राजस्व राज्य मंत्री (श्री दीपनारायण मणि)---

मान्यवर, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है जो मैं आपके सामने प्रस्तुत करता हूं । यह जो प्रस्ताव माननीय तिवारी जी ने रखा है उसमें कुछ वैधानिक आपत्तियां हैं । माननीय तिवारी जी स्वयं एक बहुत विद्वान आदमी हैं और हाउस आफ कामन्स की प्रोसीडिंग्स को उद्धरण देते रहते हैं, मैं भी House of Commons Parliamentary Debates—1923 Vol. 164 के पेज नम्बर १५१० की आखिरी लाइनों को पढ़ना चाहता हूं ।

"I think I must utter a word of warning at this point. If other speakers were to persue, to a much further point, the line taken by the right Hon'ble Gentleman it would be out of order. Of course, there is a rule that we cannot discuss possible legislation in Committee for Supply."

मान्यवर, एक बजट का प्रश्न आया था उसमें कटौती करने का मसला था और चाहते थे कि एक लेजिस्लेशन लाया जाय । मान्यवर, जैसा नारायण दत्त तिवारी जी ने कहा है कि यह सदन संस्तुति करता है कि ऐसी विधि का निर्माण किया जावे जिससे ऐसे सभी कैबिनेट मंत्रियों, राज्य मंत्रियों तथा उपमंत्रियों के वेतन में से उतने दिनों की कटौती करने का प्रबन्ध हो जाय तो मान्यवर मैं निवेदन कर रहा था कि इस हाउस आफ कामन्स की रूलिंग के बाद उनका यह प्रस्ताव मूल रूप से स्वीकार नहीं होना चाहिये । दूसरी बात यह है कि मान्यवर, केंद्र में भी मिनिस्टर्स विदआउट पोर्टफोलियो रहे हैं जैसे श्री लाल बहादुर शास्त्री तथा श्री सत्य नारायण सिन्हा । हाउस आफ कामन्स में भी इसी प्रकार की स्थिति आई थी तो पार्टी का नेता इस प्रकार एकमोडेट करने की व्यवस्था करता है । इसलिये मान्यवर, इसको नहीं माना जाना चाहिये ।

श्री मैनेजर सिंह (जिला बलिया)---

मान्यवर मेरा व्यवस्था का प्रश्न है । तत्कालीन मुख्य मंत्री चौधरी चरण सिंह के दल ने जब २४ सितम्बर को इन लोगों के विभाग छीन लिये गये थे और २ अक्तूबर तक जब तक बरखास्त नहीं हुये और मंत्री बने रहे, तो वह कौन से नियम के अन्तर्गत उन्होंने दौरा किया और यह सब खर्चे करते रहे । इसको भी आप इसके साथ सम्मिलित कर लें ।

श्री नित्यानन्द स्वामी (जिला देहरादून)---

श्रीमन, मेरी एक वैधानिक आपत्ति है जो मैं प्रस्तुत करना चाहता हूं । यह प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया जा सकता इसको आप सुन लीजिये ।

श्री अध्यक्ष---

पहले आप श्री नारायण दत्त तिवारी जी को सुन लें ।

श्री नित्यानन्द स्वामी---

श्री तिवारी जी मेरी बात सुनने के बाद जवाब दे देंगे ।

श्री अध्यक्ष---

अच्छा तिवारी जी से को सुनने के बाद जवाब दे देंगे ।

*श्री नित्यानन्द स्वामी---

मैं आपका आभारी हूं और खासतौर से श्री तिवारी जी का जो उन्होंने मेरी बात सुनने का प्रयत्न किया ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री नित्या नन्द स्वामी]

श्रीमन, ये जो आपत्तियां उठाई गयी हैं असंगत हैं। इस प्रस्ताव के अन्दर यह जो कहा गया है "अतः यह सदन संस्तुति करता है कि ऐसी विधि का निर्माण किया जाय जिससे ऐसे सभी कैबिनेट मंत्रियों, राज्य मंत्रियों तथा उप मंत्रियों के वेतन में से उतने दिनों की कटौती करने का उपबन्ध हो जाय, जितने दिन उन्होंने मंत्री राज्य मंत्री, या उप मंत्री होने पर भी कोई सरकारी कार्य नहीं किया।" इसे राज्य सरकार नहीं कर सकती। मैं जानता हूं कि माननीय तिवारी जी विधान तो हर रोज सुबह-शाम पढ़ते हैं। उन्होने संविधान के आर्टिकिल्स १६३ व १६४ को अवश्य देखा होगा जिनके अन्दर कौंसिल आफ मिनिस्टर्स के बारे में व्यवस्था दी गयी है और उसको गंभीरता से पढ़ा होगा। मैं यह निवेदन कर दूं कि मंत्री किस प्रकार से कार्य करेंगे। किसी पोर्टफोलियो के साथ कार्य करेंगे अथवा बिना किसी पोर्टफोलियो के साथ कार्य करेंगे इसकी कोई व्यवस्था संविधान के अन्दर नहीं है।

आप लोगों ने आम तौर से देखा होगा कि मंत्री बिना किसी पोर्टफोलियो के भी काम करते हैं। विधान के निर्माताओं ने इस बात का ख्याल रखा था कि कभी ऐसी स्थिति आ सकती है कि गवर्नर की मदद के लिये कौंसिल आफ मिनिस्टर्स हो। मुख्य मंत्री की राय से मिनिस्टर काम करते हैं और उनकी नियुक्ति भी करते हैं, कार्य का विभाजन भी मुख्य मंत्री ही करते हैं। ऐसी कोई व्यवस्था विधान के अन्दर नहीं है कि जिसके मातहत यह पाबन्दी आयद की गयी हो कि जिस दिन मिनिस्टर शपथ लेगा उसी दिन कोई विभाग उसे सुपुर्द कर दिया जायगा या कोई विभाग उसके पास जरूर होना चाहिये। बिना पोर्टफोलियों के भी मिनिस्टर हो सकता है और मुख्य मंत्री की राय से कोई भी कार्य कर सकता है। यह तो यह उनके अधिकार क्षेत्र के अन्दर है। मेरी आपत्ति यह है कि यदि आप संशोधन इस विधान के अन्दर ले आयें तो यह मुमकिन है कि जिस दिन से मंत्रिमंडल शपथ लेगा उनके पदों की शपथ भी उसी दिन साथ में दिला दी जायेंगे। और उन पदों के अनुसार कार्य करेंगे अन्यथा कार्य नहीं कर पायेंगे। लेकिन ऐसी व्यवस्था है नहीं। इस विधान में व्यवस्था हो सकती है उनकी पार्टी जो लोकसभा में बहुमत में है।

श्री अध्यक्ष—

इसको लम्बा न कीजिये।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

मैं अपने शब्द वापस लेता हूं। उनकी पार्टी बहुमत में न होकर अल्पमत में होते हुए भी शासन में है। मैं निवेदन कर रहा था कि वहां पर यह संशोधन आना चाहिये यहां पर नहीं आ सकता, यहां हम संविधान को परिवर्तित नहीं कर सकते विधान परिषद् को समाप्त करने के बारे में आपने देखा होगा कि लेजिस्लेचर ने दो तिहाई मत से प्रस्ताव पास किया और फिर वह प्रस्ताव संसद के पास जायेगा और संसद उसे स्वीकार करे या न करे। तो वहां पर उसकी व्यवस्था है यहां पर नहीं है। लिहाजा यह प्रस्ताव यहां पर नहीं आ सकता जिसे पास करने का हमको कोई अधिकार नहीं है।

*श्री नारायण दत्त तिवारी—

माननीय मंत्री जी ने जो आपत्ति उठाई, उन्होंने हाउस आफ कामन्स की किसी डिबेट का हवाला दिया और डिबेट में स्पीकर महोदय की रूलिंग का हवाला था। मैं निवेदन करूं कि इस मामले में हाउस आफ कामन्स का प्रोसीजर हमारे यहां एप्लाई नहीं करता, हमारे यहां अपने नियम एप्लाई करते हैं। अगर रूल्स आफ प्रोसीजर को इन्टरप्रेट करने के बारे में

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

ओर हाउस आफ कामन्स की प्रैक्टिस, पावर्स ऐंड प्रिविलेजेज को इनिमेट करने के बारे में दिक्कत होती है तो मेज पार्लियामेंटरी प्रैक्टिस को कोट किया जाता है।

मान्यवर, हमारी नियमावली के नियम १०३ और नियम १०५ को आप देखेंगे तो उसमें लिखा है कि :—

"१०३—लोक हित के किसी विषय पर प्रस्ताव चर्चा-संविधान या इन नियमों में अन्यथा उपबंधित अवस्था को छोड़कर अध्यक्ष की सम्मति से किये गये प्रस्ताव के बिना सामान्य लोक-हित के विषय पर कोई चर्चा नहीं होगी।" तो श्रीमन, मैंने इस पर आपकी अनुमति ले ली है। आपको मैंने संतुष्ट किया है। यह विषय नियम १०३ के अन्तर्गत आता है। यह प्रश्न लोक हित का है और इससे अधिक लोक-हित का क्या प्रश्न हो सकता है कि १६ दिनों तक ४६ मंत्री बिना काम के रहे। श्रीमन्, इसी नियमावली के नियम १०५ में प्रस्ताव की ग्राह्यता के संबंध में ७ सिफारिशें दी गई हैं जो इस प्रकार हैं:—

१—उसमें सारवान, रूप से एक ही निश्चित प्रश्न उठाया जायेगा।

२—उसमें प्रतर्क, अनुमान, व्यंग्यात्मक पद, अभ्यारोप या मान-हानि कारक कथन नहीं होंगे,

३—उसमें व्यक्तियों की सार्वजनिक हैसियत के अतिरिक्त उनके आचरण या चरित्र का निर्देश नहीं होगा,

४—उसमें विशेषाधिकार का प्रश्न नहीं उठाया जायेगा,

५—उसमें ऐसे विषय पर फिर से चर्चा नहीं उठायी जायेगी जिस पर उसी सत्र में अथवा पिछले ६ मास के भीतर, जो भी समय पहले पड़ता हो, चर्चा हो चुकी हो,

६—उसमें ऐसे विषय की पूर्वाशा नहीं की जायेगी जिस पर उसी सत्र में चर्चा होने की संभावना हो,

७—वह किसी ऐसे विषय से संबंधित नहीं होगा जो भारत के किसी भाग में क्षेत्राधिकार रखने वाले किसी न्यायालय के न्याय निर्माण के अन्तर्गत हो।

तो श्रीमन, जितनी शर्तें ऊपर दी गई हैं कोई भी शर्त मेरे प्रस्ताव के अन्तर्गत नहीं आता। मेरा प्रस्ताव सभी शर्तों को पूरी करता है। इसलिये माननीय मंत्री जी ने जो आपत्ति उठाई है वह उचित नहीं है।

जहां तक दूसरी आपत्ति जो कि माननीय सदस्य देहरादून ने उठाई है तो उसके संबंध में यदि मान्यवर, आप भारत का संविधान देखेंगे तो उन्होंने केवल आर्टिकिल १६३ और आर्टिकिल १६४ तक का ही हवाला दिया है किन्तु उन्होंने आर्टिकिल १६६ का हवाला नहीं किया है। श्रीमन्, आप आर्टिकिल १६६ का सब रूल (३) देखें उसमें लिखा हुआ है।

"166. (3) The Governor shall make rules for the more convenient transaction of the business of the Government of the State, and for the allocation among Ministers of the said business in so far as it is not busness with respect to which the Governor is by or under this Constitution required to act in his discretion."

तो इस संविधान में आर्टिकिल १६६(३) गवर्नर के लिये रूल बना हुआ है कि वह किस मिनिस्टर को क्या काम देता है, उनका पालन नहीं किया गया है उनको बलाये ताक रखा गया है।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

श्रीमन्, आपत्ति यह थी (व्यवधान) मैं उनकी बात का जवाब दे दूं इस आर्टिकिल का उससे संबंध नहीं है।

श्री अध्यक्ष---

आप बहस कर चुके हैं । आप बैठें । मैंने इसे सेंसर मोशन के रूप में स्वीकार नहीं किया है । हमारे रूल १०३ में यह दिया हुआ है कि लोक-महत्व का विषय लिया जाय। मैंने सोचा कि इसके ऊपर फैसला हो जाना चाहिये क्यों कि यह प्रश्न बार-बार उठता है । अतः इस पर फैसला हो जाय तो अच्छा है । नियमों के अनुसार जो होगा वही फैसला माना जायेगा। आइंदा के लिये मैंने सोचा कि इस पर आज चर्चा हो जानी चाहिये और इस पर सदन के फैसले की मोहर लग जाय। अतः मैंने इसकी इजाजत दे दी। और यह साधारण प्रस्ताव के अनुसार नियम १०३ के अनुसार आ सकता है । उसी के अन्तर्गत मैंने इसकी इजाजत दी । लिहाजा इसके ऊपर चर्चा होगी । इसके ऊपर कार्य-मंत्रणा समिति ने विचार करके समय दिया और हाउस ने भी उससे एग्री किया ।

श्री मैनेजर सिंह (जिला बलिया)---

श्रीमन, उन्होंने आर्टिकिल १६६ का हवाला दिया । १६६ के अनुसार राज्यपाल का यह कर्त्तव्य है कि वह किसको कौन काम दे । तो क्या इस प्रस्ताव के जरिये से राज्यपाल के क्रियाकलापों पर विचार होगा ?

खाद्य राज्य मंत्री (श्री धर्म वीर)---

श्रीमन, हमारे नियम संख्या १०५(५) में यह दिया हुआ है कि "ऐसे विषय पर चर्चा नहीं उठायी जायगी जिस पर उसी सत्र में पिछले ६ महीनों के भीतर जो भी समय पहले पड़ता हो चर्चा हो चुकी हो" आज का जो ऐजेंडा है उसके पहले ही प्रश्न को आप देखें । वह बिलकुल इसी प्रकार है और उस पर चर्चा हो चुकी है । इसलिये पुनः इस संकल्प पर चर्चा नहीं हो सकती ।

श्री अध्यक्ष---

मैंने प्रश्न करते समय बहुतों को रोका था और कहा था कि इस पर आज ही बाद में चर्चा होगी । कइयों को मैंने प्रश्न करने से रोका था ।

श्री धर्मवीर---

जब इस सदन में कोई प्रश्न उठा दिया जाता है तो वह मान लिया जाता है कि उस विषय पर चर्चा हो गयी ।

श्री अध्यक्ष---

वह तो प्रश्न था । चर्चा तो अब होगी ।

श्री नारायण दत्त तिवारी---

मैं आपका बड़ा आभारी हूं कि आपने मुझे इस महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का अवसर दिया। अध्यक्ष महोदय, मैं सम्मानित सदन से यह कहना चाहता हूं कि यह प्रश्न किसी पार्टी का नहीं है, किसी का व्यक्तिगत नहीं है, यह किसी विशेष मंत्री, राज्यमंत्री या उपमंत्री का भी नहीं है।

श्री अध्यक्ष---

इसमें बहुत से लोग बोलना चाहते हैं अतः आप २० मिनट से अधिक न लें ।

*श्री नारायण दत्त तिवारी—

मैं यह बताना चाहता था कि ९ करोड़ की जनसंख्या वाले प्रदेश की सरकार जिस ढंग से चलाई जायगी और जो सरकार का चलाने का दायित्व मंत्री-मंडल का होगा यानी वह किस प्रकार से चलेगा यह प्रश्न इसमें निहित है और साथ ही साथ मिले-जुले मंत्रिमंडल में कैसे कार्य होना चाहिये और नेता को यानी मुख्य मंत्री को कैसे अपना कार्य करना चाहिये, इसका महत्वपूर्ण प्रश्न सामने आ जाता है।

आप देखते हैं कि संविधान की धारा १६३ के अन्तर्गत मंत्रि-परिषद् की नियुक्ति होती है और उसकी नियुक्ति मुख्य मंत्री के नेतृत्व में राज्यपाल महोदय करते हैं। संविधान की धारा १६४ के अन्तगत मंत्रि-परिषद् का सामूहिक दायित्व है, कलेक्टिव रिस्पांसीबिलिटी है और प्रत्यक मंत्री इसके लिय जिम्मेदार है। धारा १६६ के अनुसार यह है कि किस तरह से मंत्रियों को पोटफोलियो का वितरण होगा। संविधान की धारा १६६ (३) के अनुसार गवर्नर ने नियम बनाये हैं कि मंत्रियों को किस प्रकार सरकारी कार्य का वितरण किया जायेगा। इसलिये राज्यपाल महोदय मंत्रियों को जो संविधान में शपथ दी है वह दिलाते हैं। इसीलिये शपथ समारोह होता है। उसमें गोपनीयता की और मंत्रियों की शपथ ली जाती है कि वह जो सरकारी कार्य करेगा उसको गोपनीय रखेगा।

११ नवम्बर को ४७ मिनिस्टरों ने शपथ ग्रहण की। उन्होंने संविधान की धारा १६६ के अन्तर्गत निम्न शपथ ली कि, I will faithfully and consciously discharge my duties as a Minister for the State of Uttar Pradesh.

मैं इस संविधान के अन्तर्गत मंत्री के नाते अपनी जिम्मेदारी को निभाऊंगा। यह शपथ उन्होंने ग्रहण की। मेरे पास यू० पी० एडमिनिस्ट्रेटिव बिजनेस रूल्स, १९५८ मौजूद है। मैं इसके नियम ३ को पढ़ना चाहता हूं। वह इस प्रकार है कि—

"The Governor shall on the advice of the Chief Minister allot among the Ministers the business of the Government by assigning one or more departments to the charge of a Minister."

राज्यपाल महोदय मुख्य मंत्री को सलाह पर राज्य के कार्य का वितरण करेंगे। यह नियम ३ यू० पी० एडमिनिस्ट्रेटिव बिजनेस रूल्स, १९५८ का है जो संविधान की धारा १६६ (३) क अन्तगत बनाया गया है। मेरा कहना है कि पहली बार प्रदेश के इतिहास में, जनतंत्र के इतिहास में किसी, सरकार ने पोर्टफोलियोज के वितरण में इतने दिन नहीं लगाये होंगे।

श्रीमन्, संविद सरकार पहले भी बनी थी मुख्य मंत्री चौधरी चरण सिंह जी के नेतृत्व में १९६७ म तीन अप्रल को बनी थी और ६ अप्रल को नई पार्टियों की कोलीशन मिनिस्ट्री इसमें शामिल हुई और ७ अप्रैल को विभागों का वितरण कर दिया गया। इसी सदन में हमारे प्रदेश के अन्दर सरकार के मंत्रियों को पोर्टफोलियोज का वितरण कर दिया गया। जब माननीय चौधरी चरण सिंह मुख्य मंत्री थे तो केवल दो घंटे में ही पोर्टफोलियोज का वितरण हो गया और फिर दोबारा जब राज्य मंत्रियों और उपमंत्रियों को शपथ दिलाई गयी जून, जुलाई के महीने में। एक तरफ शपथ ग्रहण का समारोह राजभवन में हुआ और उसी घंटे के अन्दर पोर्टफोलियो वितरित हो गये। लकिन यह जो नयी संविद सरकार आयी यह इतनी नेतृत्वहीन है, इतनी दिशाहीन है और इतनी समन्वयहीन है कि १९ दिन तक पोर्टफोलियो का बटवारा नहीं हो सका। इंलैण्ड में भी श्रीमन, मेरे पास एक किताब है, ५७ साल में ३१ कोलीशन गवर्नमेंट हुई।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री नारायण दत्त तिवारी]

और उन ५७ सालों में कइयों पार्टियों की, नेशनल लिबरल, नेशनल कंजर्वेटिव, कंजर्वेटिव, लिबर इन तमाम की सरकारें बनीं। तो वहां क्या हुआ? आपस में पार्टियों में समझौता हुआ, झगड़े हुये पोर्टफोलियो के बटवारे के लिये। यह अनिवार्य है जनतंत्र में। मैं यह नहीं कहता कि आपस में पोर्टफोलियोज के लिये झगड़ा नहीं होता लेकिन महत्व की बात यह है कि इंगलैण्ड में उन ५७ सालों में पोर्टफोलियो के झगड़े तय कर लिये गये शपथ ग्रहण के पहले और शपथ ग्रहण के बाद तुरन्त उसके मुताबिक बटवारा हो गया। इसलिये सरकारी काम का हर्ज नहीं हुआ। करोड़ों जनता के भाग्य के साथ खिलवाड़ नहीं हुआ।

यहां झगड़े तय नहीं किये गये, मंत्री पद की शपथ दिला दी गयी और १९–१९ दिन तक सरकारी फाइलें पड़ी रहीं, किसके पास जायं, कोई देखने वाला नहीं। और आप आश्चर्य करेंगे, मेरे पास यह गजट रखा हुआ है कि वर्तमान मुख्य मंत्री के पास अक्तूबर १९ से लेकर नवम्बर १९ तक ४६ विभागों के पोर्टफोलियो रहे। सामान्य प्रशासन से लेकर नागरिक सुरक्षा और मुस्लिम वक्फ तक। अब आप अन्दाजा लगा सकते हैं कि क्या कोई मुख्य मंत्री अपने सामान्य कार्य के अलावा ४६ डिपार्टमेंट्स को एक महीन तक संभाल सकता है। मेरे पास हरबर्ट मौरिसन की किताब है। इसमें लिखा है प्राइम मिनिस्टर के लिये हमारे यहां चीफ मिनिस्टर की वही पोजीशन होती है जो प्राइम मिनिस्टर की होती है––कि वह अपने को किसी प्रकार पोर्टफोलियोज में न बांधे। इसमें है––

"The first and most imporatant non-departmental Minister is the Prime Minister himself. He has many duties and plenty of work to do. He has no departmental functions, although he is responsible for the number of specific things including proposale to the sovereign for the appointment or transfer of Minister, recommendations for honours and ecclesiastical patronage. As the head of the Government he is primus inter pares."

लेकिन यहां पर ४६ विभाग एक महीने तक उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री के पास रहे और मैं तो यह समझता हूं कि जो मंत्री और राज्य मंत्री वगैरह हुये वे स्वयं कहते कि उनको जिम्मेदारी कितनी है क्योंकि विभाग तो इनके पास है नहीं और कलेक्टिव रेस्पांबिलिटी के अन्तर्गत सरकार के सारे कामों की जिम्मदारी उनकी भी है।

लाल बहादुर जी शास्त्री तो एक मिनिस्टर आफ विदाउट पोर्टफोलियो बनाये गये थे लेकिन क्या कोई व्यक्ति अपनी समझ के अन्दर यह कल्पना कर सकता है कि इस सरकार ने ४८ मिनिस्टरों को मिनिस्टर आफ विदाउट पोर्टफोलियो बना दिया। विद पोर्टफोलियो तो ५ लेकिन विदाउट पोर्ट फोलियों ४८ हो गये। श्रीमन्, मैं यह कह रहा था कि मिनिस्टर आफ विदाउट पोर्ट-फोलियो का भी डिसीजन नहीं हुआ था लेकिन मिनिस्टरों को सस्पेन्ड कर दिया गया था। अब मैं आपके सामने मिनिस्टर आफ विदाउट पोर्ट फोलियों की डैफिनिशन बतलाना चाहता हूं। मेरे पास "इन साइक्लोपीडिया इन पार्लियामेंट किताब" है। उसमें यह लिखा है कि:––

"A Minister without a department, who is usually appointed by the Prime Minister to do some special work which the Minister with departments are not in a position to undertake, for example Mr. Anthony Eden was appointed a Minister without portfolio in 1935 to take charge of League of Nations affairs."

अन्थोनी ईडन को मिनिस्टर आफ विदाउट पोर्टफोलियो बनाया गया था लेकिन यहां पर तो मिनिस्टर आफ विदाउट पोर्टफोलियो उनको डेजिगनेट भी नहीं किया गया था। उन लोगों की शपथ ग्रहण हो गई और उन लोगों के नाम भी अखबारों में मैंने पढ़े थे। यहां पोर्टफोलियो का विवाद पहले ही तय हो जाना चाहिये था।

अब अगर यह प्रस्ताव मंजूर हो जाता है तो इसका लाभ क्या होगा यह देखने की बात है। इसका लाभ यह होगा कि भविष्य में जो मिलीजुली सरकार इस प्रदेश या देश में बनेगी उनके लिये यह एक चेतावनी होगी। हमारी जिम्मेदारी अपने लिये नहीं है। हम लोग जितने भी यहां पर इधर या उधर बैठे हैं। हम अपनी जिम्मदारी को समझ सकते हैं। सब से बड़ी जिम्मेदारी जिस मूक जनता ने हमको दी है और जिसकी शक्ति से हम सब यहां पर आये हैं उनके प्रति हम इस जिम्मेदारी को निभायेंगे। यदि हम इसको निभाते हैं तो उनका काम हलका हो जाता है। कोई सरकारी काम रुकना नहीं चाहिये। एक फाइल भी यदि रुक जाती है तो उससे लाखों का नुकसान होता है। एक महीने तक फाइल रुकी रही। आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा नुकसान इस प्रदेश का हुआ है। मेरा कहना क्यों है कि तनख्वाह काटी जाय? इसमें कोई किसी के व्यक्तिगत प्रश्न की बात नहीं है। यह चेतावनी भविष्य के लिये होगी। कोई भी मंत्रिमंडल ऐसी गलती नहीं करेगा। मुख्य मंत्री जी बुजुर्ग आदमी हैं। वे राज्य सभा के मेम्बर हैं। उनको मंत्रि परिषद् का तजुर्बा कम रहा है लेकिन अब उनको परेशानी करनी पड़ती है। वह सब जानते हैं। वह संविद के नेता जरूर है लेकिन जो संविद के ५ दल हैं उनके किसी के भी नेता नहीं हैं। सारा दबाव उनके ऊपर है। उनके अच्छे कुशल नेता बाहर हैं। जब उनके जसे लोग आगे आयेंगे तो उनको परेशानी कम होगी। मैं तो कहना नहीं चाहता उन्हें खुद ही मान लेना चाहिये, क्योंकि हमारे दश में भविष्य में चाह कोई मुख्य मंत्री आये चाहे उनकी राजनैतिक शक्ति न हो, शासन की शक्ति हो, पार्टी की शक्ति न हो तब क्या हालत होगी इसको वह खुद समझ कर स्वीकार कर लेंगे क्योंकि आज के मुख्य मंत्री अपनी कठिनाई का अनुभव करते होंगे। मुझे भरोसा है कि वह खुद सारी स्थिति को अधिक समझते होंगे।

इसमें वेतन की बात कही गई है। वेतन का अधिकार विधान मंडल और मंत्रिमंडल के सदस्यों का है। वेतन शब्द की परिभाषा हिन्दी के नागरी प्रचारिणी सभा के हिन्दी शब्द सागर में दी गई है, यही सब से बड़ा और महत्वपूर्ण हिन्दी का शब्दकोश है। उसमें है कि वेतन वह धन है जो किसी काम के बदले में दिया जाय। जब १९ दिन तक मंत्रियों ने काम ही नहीं किया तो फिर वेतन काहे का दिया जाय। इसी तरह से सेलरी का अर्थ भी आक्सफोर्ड डिक्शनरी में दिये गये हैं कि "पे फार सर्विंग डन" इसी तरह से जो चैम्बर्स डिक्शनरी है उसमें सैलरी के अर्थ दिये हैं कि "पीरियाडिकल पेमेंट फार सर्विसेज डन"

श्री गोविन्द सिंह (जिला टिहरी-गढ़वाल)—

लेकिन उनका कहना है कि काम न करना ही सबसे बड़ा काम है।

उद्योग मंत्री (श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी)—

पोर्टफोलियो छीने जाने पर भी कुर्सियों से चिपके रहें और मिनिस्टर बने रहें यही सबसे बड़ा काम है।

श्री नारायणदत्त तिवारी—

जब काम कोई हुआ ही नहीं, मिनिस्ट्री ने काम आरम्भ ही नहीं किया। कैबिनेट स्तर के मंत्रियों का काम शुरू हुआ १९ नवम्बर से, उनको उसी दिन से वेतन मिलना चाहिये जब से काम आरम्भ हुआ। २७ तारीख को राज मंत्रियों ने शुरू किया, उस दिन से उनको काम मिला तो उनको वेतन भी उसी दिन से मिलना चाहिये। भविष्य के लिये और जनतन्त्र के लिये यह एक अच्छी परम्परा होगी और सर्वसम्मति से हमारे मंत्रियों को और माननीय सदस्यों को इस के मानने में कोई दिक्कत न होगी और इसको मान कर हम एक स्वस्थ परम्परा स्थापित करेंगे। भविष्य के लिये मिल जुले मंत्रिमंडल और आन वाली सरकारों क

[श्री नारायण दत्त तिवारी]

लिये यह प्रदेश की जनता के हित में होगा और नई बनने वाली पम्पराओं के हित में होगा कि हमारा यह प्रस्ताव स्वीकार किया जाय।

एक सदस्य—

अध्यक्ष जी, मैं एक सूचना देना चाहता हूं और वह यह ह कि उपमंत्री इन्द्रमोहिनी जी ने बिना वेतन काम करने की घोषणा की है और उनके उदाहरण से आशा है कि सभी मंत्रिमंडल के सदस्य अपना वेतन न लेंगे और एस० एस० पी० वाले मंत्री तो विशेषकर न लेंगे।

*सहकारिता मंत्री (श्री कृष्णानन्द राय)—

अध्यक्ष महोदय, इस सदन के सम्मुख जो प्रस्ताव माननीय तिवारी जी ने रखा है उसमें मूलभूत सवाल यह उठाया गया है कि वर्तमान मंत्रिमंडल के कैबिनेट स्तर के मंत्रियों तथा राज्य मंत्रियों ने बिना विभागों के १०-२० दिन या जो तिथि उन्होंने दी है उन दिनों में वह बिना काम के रहे हैं और प्रदेश की जनता के हित में उन्होंने उस समय कोई काम नहीं किया है और इसलिये उनको इस अवधि का कोई वेतन नहीं मिलना चाहिये। मैं इस बात को अस्वीकार नहीं करता कि हमार दोस्त श्री नारायणदत्त तिवारी किताबों को पढ़ते जरूर हैं लेकिन यह जो पुस्तकें होती हैं उनकी बड़ी विचित्र महिमा है। वे जिस चश्मे से या जिस मनोवृत्ति से पढ़ी जायं उसी प्रकार के उनसे तथ्य निकलते हैं। मुझे बड़ी खुशी हुई जब उन्होंने हर्बर्ट मारिसन का उदाहरण उपस्थित किया। उन्होंने मेरा काम आसान कर दिया जब उन्होंने कहा कि एक बहुत ही विख्यात कांस्टीट्यूशन और कैबिनेट गवनमेंट के जानकार थे। मैं चाहूंगा कि थोड़ा सा हमारे साथ भी वह हर्बर्ट मारिसन को पढ़ लें जिससे उनको जानकारी हो जाय कि मंत्रियों के काम क्या होते हैं? उसमें है कि यदि उनको कोई विभाग मिले या न मिले तब भी वह मंत्री रहते हैं और वह संवैधानिक तरीके से मंत्रियों का काम पूरा करते हैं या नहीं करते हैं।

श्रीमन्, हर्बर्ट मोरिसन की वही किताब जिसका उन्होंने उदाहरण पढ़ा "गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट" के पृष्ठ १४ पर दी हुयी अंतिम पंक्तियों को मैं पढ़े देता हूं जिनमें हर्बर्ट मारिसन ने लिखा है :

"If politics and parliamentary and public opinion did not matter, as most assuredly they do, possibly we could do without Ministers and the country could be run by civil servants. Let me say at once that I do not think that the bulk of the civil servants would like this. Indeed, such a responsibility would frighten most of them severely, and rightly so. It would be undemocratic, for one of the greatest of a Minister's duties is to be the protector of the rights of Parliament and of the people."

श्रीमन्, मारिसन ने यह लिखा है कि जहां तक डिपार्टमेन्ट के कार्य का सम्बन्ध है, सिविल सर्वेन्ट्स का जिक्र किया है। वह उनके कर्त्तव्य के क्षेत्र में आते हैं। मैं इसको अस्वीकार नहीं करता हूं कि मिनिस्टरों को भी डिपार्टमेन्ट दिया जाता है लेकिन मिनिस्टर का सबस फोरमोस्ट कर्त्तव्य, सबसे आवश्यक कर्त्तव्य यह नहीं माना जाता ह कि सिविल सर्वेन्टस की तरह से उनके पास कोई विभाग रहना आवश्यक है। इसमें स्पष्ट दिया है कि वह पार्लियामेंट और जनता के राइट का प्रोटैक्टर होगा।

जब एक ग्थवित मुख्य मंत्री होता है तो उसका राइट हो जाता है कि वह राज्यपाल को अन्य मंत्रियों के नाम भेजता ह और उनके आदेश पर मंत्री बनाये जाते हैं। मंत्री का सबसे बड़ा बिजिनेस यह हो जाता ह कि वह जनता के मनोभावों को और जिस सदन का वह बहुमत

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

दल का होता है, या मिले जुले दल का होता है, उसकी नीतियों को चरितार्थ करे। वह उनको लेकर चलता है किसी डिपार्टमेन्ट को संभाले या न संभाल, उसके कर्त्तव्यों में गौण होता है। उन्होंने मिनिस्टर विदाउट पोर्टफोलियो का जिक्र किया ह, श्रीमन्, मैं आपक माध्यम से माननीय नारायणदत्त तिवारी जी को बताना चाहता हूं कि मिनिस्टस और कबिनट के कन्सेप्ट में इधर बहुत तेजी से परिवर्तन हुये हैं। आज जहां-जहां पर पार्लियामेंट डैमोक्रेसी कार्य कर रही है, वहां पर मिनिस्टर्स विद डिपार्टमेंट, मिनिस्टर्स विद पोर्टफोलियो, मिनिस्टर्स विधाउट डिपार्टमेंट और नान डिपार्टमेंट मिनिस्टर्स, सुपरवाईजिंग मिनिस्टर्स---ये सारे प्रकार के मिनिस्टर्स होते हैं जिनकी कांस्टीट्यूशनल मान्यतायें हैं। इस बारे में मैं मारिसन साहब की पुस्तक के पृष्ठ ३६ की ओर आकर्षित करूंगा जिसमें एक पूरा चैप्टर है। नान डिपार्टमेंटल मिनिस्टर्स के ऊपर दिया हुआ है। आगे इसके पेज ३७ पर लिखा है कि :

"The Labour Governments of 1945-51 made full use of three or four Ministers of considerable political standing to act as Chairman of Cabinet Committees and to co-ordinate policy and administration in various fields for the Cabinet. It is, therefore, well to say something of the place and contribution of the non-departmental Minister.

Every Government contains a certain number of non-departmental Ministers with little or even no direct administrative responsibilities."

आज की कैबिनेट प्रणाली में सरकारों में बहुत से ऐसे मिनिस्टर्स बनाये जात है जिनको कोई भी डिपार्टमेंट की रैस्पोंसिबिलिटी नहीं दी जाती है और वे एज ए मिनिस्टर्स फंक्शन करते हैं। माननीय नाराणदत्त तिवारीं जी कहते है चूंकि सिविल सवन्टस के अनुसार उनको कोई डिपार्टमेंट नहीं सौपा गया, कोई विशेष काय नहीं सौंपा गया, लिहाजा उन्होंने मिनिस्टर्स का फंक्शन एडोप्ट नहीं किया, उनका वेतन काट लिया जाय। श्रीमन्, एक चीज की तरफ स्वयं उन्होंने ध्यान आर्कषित किया लेकिन उन्होंने दूसरी तरफ से कोट किया। जो सबसे रिस्पान्सिबिल मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर होता है, इंग्लैण्ड में परम्परा है कि वह अधिकांशतः बिना डिपार्टमेंट के होता है,। तो श्रीमन, मैंने यह उदाहरण इसलिये दिया। यदि आप चाहगे तो मैं पैट्रिक गार्डन वाकर जो प्रसिद्ध लेखक हैं "कैबिनेट" पुस्तक के वह मैं लाया हूं, उसमें श्रीमन चारों तरफ उद्धरण है। यदि नारायण दत्त तिवारी जी चाहेंगे तो मैं किताब भी पेश कर दूंगा जिसमें लिखा हुआ है कि मिनिस्टर की प्राइमरी रिस्पांसिबिलिटी यह है कि वह पार्टी या उन पार्टियों से मिलकर जो गवर्नमट में हैं, उनकी जो पालिसीज हैं, जो पालिसीज का निर्णय होता है उन पालिसीज को ईम्लीमेन्ट करने का उन पालिसीज को प्रिय बनाने का है और जनता की भावनाओं को लेकर जो भी कैबिनेट है उसको एडवाइज करना है या जिसके माध्यम से गवर्नर का दायित्व हो।

कान्स्टीट्यूशन में लिखा हुआ है कि काउन्सिल आफ मिनिस्टर्स गवर्नर बनाता है राय देने के लिये। वह राय पालिसीज पर होती है। जनता की जो समस्यायें हैं उनका समाधान कैसे किया जाय उन पर पालिसीज मटर करती हैं। यह कहना कि चूंकि दस दिन उसके कैबिनेट मिनिस्टर्स और स्टेट मिनिटिस्टर्स बिना कोई डिपार्टमेन्ट के रहे, पोर्टफोलियो क बिना रहे इसलिय वे मिनिस्टर की तरह फंक्शन नहीं करते थे, यह बहुत ही गलत चीज होगी। माननीय तिवारी जी ने ऐसा प्वाइन्ट उठाया हैं जो शोभनीय नहीं है। एक कहावत ह उन्हीं को कंकड़ फेंकना चाहिये जो शीशे के महल में नहीं रहते हैं, जो खुद शीशे के महल में रहतेहों उनको कंकड़ नहीं फकना चाहिय। हमारे विधान सभा के सदस्यों की स्मृति धूमिल नहीं हुई है और न इतिहास का पृष्ठ उन लोगों की आंखों स ओझल हुआ है जब कि माननीय चौधरी चरण सिंह की कैबिनेट में माननीय नारायण दत्त तिवारी मिनिस्टर थे। मैं और मंत्रियों का नाम नहीं देना चाहता, हो सकता है

[श्री कृष्णानन्द राय]

माननीय चतुर्भुज शर्मा उनके प्रस्ताव से सहमत न हों, इसलिये हमारे लिये ठीक नहीं है। लेकिन माननीय तिवारी जी के विषय में कहना चाहता हूं कि वे चौधरी चरण सिंह की कैबिनेट में मिनिस्टर थे। चौधरी चरण सिंह ने उनसे इस्तीफा मांगा और श्रीमन, उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया। उसके बाद चौधरी चरण सिंह की राय पर गवर्नर ने डिपार्टमेन्ट्स छीन लिये और चार पांच दिन तक यह उनको याद होगा बिना डिपार्टमेंट के मिनिस्टर के सारे प्रिविलेज स्वीकार करते रह। (शेम शेम की आवाजें)

मैं जानता हूं उस समय समाचार पत्रों में एक बड़ी कन्ट्रोवर्सी पैदा हो गई थी और मुझे दुःख के साथ कहना पड़ता है कि अगर दिल्ली में इनकी प्राइम मिनिस्टर न बैठीं होती तो उस कन्ट्रोवर्सी का और रूप होता। उत्तर प्रदेश की डैमोक्रेटिक परम्परा में ऐसा कभी नहीं हुआ जैसा उस समय उस कन्ट्रोवर्सी पर हुआ। किसी मुख्य मंत्री ने सामूहिक रुप से इस्तीफा मांगा हो, एक दो से मांगा होता तो इस्तीफा दे दिया गया होता। सामूहिक रूप से इस्तीफा मांगा इसलिये इस्तीफा नहीं दिया गया। वह चीज तो समाप्त हो चुकी है लेकिन एक संस्कार बना, एक परम्परा बनी और हम लोगों ने और हमारी आने वाली जो यंगर जेनरेशन है उसे उन परम्पराओं को सीखना है। मिनिस्टरों से इस्तीफा मांगना चीफ मिनिस्टर का अधिकार है—मरे पास यह किताब है—पैट्रिक गार्डन वाकर की "दि कैबिनेट इवालूशन आफ दि कैबिनेट" इसमें पृष्ठ ८२—

"But by 1884 when Gladstone was considering the removal of a Minister, Harcourt told him, 'I confess I have never doubted that Cabinet offices were held durante bene placito of the Prime Ministers. By 1887 the right to dismiss was so well established that when Salisbury was reconstructing his Cabinet, after Lord Randolph Churchill's resignation, Northcote learned only from the newspapers that he was no longer Foreign Secretary.

The most ruthless exercise of the Prime Minister's new constitutional right to dismiss Ministers at his own discretion was by Mr. Macmillan in July 1962. On one day he dismissed seven members of his Cabinet7 the Lord Chancellor, the Chancellor of the Exchequer, the Secretary of State for Scotland, the Minister of Defence, The Minister without Portfolio, the Minister of Housing and the Minister of Education....."

इस तरह से देखें कि वहां के प्राइम मिनिस्टर ने एक दिन में ७–७ मिनिस्टरों को डिसमिस किया और किसी ने उनके इस एक्शन को गलत नहीं कहा।

श्री नारायणदत्त तिवारी—

जब आपसे इस्तीफा मांगा जाय, तब यह कहें, अभी तो दूसरा प्रश्न सामने है नियुक्ति का।

श्री कृष्णानन्द राय—

आप कृपया सुनिये। माननीय मुख्य मंत्री जी को मैं बता रहा हूं कि यह उनका अधिकार है, वे रेजिग्नेशन मांग सकते हैं। इंगलैंड में १९६२ में यह हुआ है। श्रीमन्, चौधरी चरण सिंह जी न इस्तीफा मांगा, इन लोगों ने इस्तीफा नहीं दिया, सारी मान्य परम्पराओं को तोड़ते रहे। फिर चौधरी चरण सिंह जी ने गवर्नर को एडवाइस किया कि इनके पोर्टफोलियो छीन लिये जायं। इन लोगों के विभाग छीन लिये गये, उसके बाद भी कई रोज तक वे मिनिस्टरों को मिलने वाली सभी सुविधाओं को प्राप्त करते रहे। ये कांग्रेस (विपक्ष) के लोग स्वतः सारी परम्पराओं को तोड़ते हैं.....

(व्यवधान)

एक सदस्य—

व्यवस्था का प्रश्न है। माननीय सदस्य किस चीज पर बहस कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष—

वे अपने भाषण में कह सकते हैं। व्यवस्था का प्रश्न यह नहीं है।

श्री कृष्णानन्द राय—

मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। मैं आपके माध्यम से उनको बताना चाहता हूं, माननीय तिवारी जी में एक स्कालर की हैबिट्स हैं, वे ज्यादा पढ़ते लिखते हैं, किन्तु उनको ऐसे प्रश्नों को यहां नहीं उठाना चाहिय जिससे कि जनता किसी के विरुद्ध कोई गलत धारणा बना ले। जब यह लोग बिना विभाग के मिनिस्टर रहे, उस वक्त हम लोग इस प्रश्न को उठा सकते थे, लेकिन हमने उचित नहीं समझा। आज यह लोग जनता में गलत भ्रम यह फैलाना चाहते हैं कि हम लोग १० दिन तक बिना पोर्टफोलियो के रहें और कोई कार्य नहीं किया। मान्यवर, जैसा मैंने निवेदन किया, मिनिस्टर का केवल काम यह नहीं है कि वह विभाग का हैड बन कर बैठ जाय। वह उसका गौण कर्तव्य है। मुख्य काम तो यह है कि जो पार्टी की नीति हो उसको ठीक तरह से चरितार्थ किया जाय। और उस १० दिन के अन्तर्गत जब कि यह गवर्नमेंट बनी, मिनिस्टर्स के पास डिपार्टमेंटस और पोर्टफोलियोज नहीं थे लेकिन उनके पास पालिसी थी। मैं आपके माध्यम से माननीय नारायण दत्त तिवारी को और इस प्रदेश की जनता को बताना चाहता हूं कि जिस समय श्री त्रिभुवन नारायण सिंह के नेतृत्व में संविद की सरकार बनी तो उनकी कैबिनेट में सर्वश्री गिरधारी लाल और वीरेन्द्र वर्मा जी थे और यह तीन व्यक्तियों की कैबिनेट थी। उसने जो पालिसी इस्टेबलिश की थी उसमें जनता का हित निहित था। उसमें सवा ६ एकड़ तक की लगान की माफी, प्रोफेशन टैक्स की माफी की बात थी। इस तरह से संविद सरकार की पालिसी को चरितार्थ करने के लिये उन्होंने स्टेट का काम किया और उसमें कोई अवैधानिकता नहीं थी।

(श्री मुस्तफा कामिल किदवाई का नाम पुकारने पर)

श्री नित्यानन्द स्वामी (जिला देहरादून)—

श्रीमन, मैंने और श्री मैनेजर सिंह ने आपको एक संशोधन लिख कर दिया है। उसको तो ले लें।

(व्यवधान)

श्री मैनेजर सिंह—

श्रीमन, मैंने संशोधन दिया है कि पहली पंक्ति में ११ नवम्बर, ७० से १६ नवम्बर, ७० तक निकाल दिया जाय और २४ सितम्बर, ७० से १ अक्तूबर तक जब कि इनसे विभाग छीने गये थे, इसमें जोड़ दिया जाय। यह मेरा शाब्दिक संशोधन है।

श्री अध्यक्ष—

मैंने इसको स्वीकार नहीं किया है। यह इसमें शामिल नहीं हो सकता। हां, इस पर आप बोल सकेंगे।

*श्री मुस्तफा कामिल किदवाई (जिला बाराबंकी)—

अध्यक्ष महोदय, मैं श्री कृष्णानन्द राय की स्पीच बहुत गौर से सुनता रहा। मेरा हमेशा यह ख्याल है कि जबान उनकी जितनी तेज चलती है, दिमाग नहीं चलता। आज भी मैं अफसोस कर रहा था कि बावजूद इसके कि वे ला ग्रेजुएट हैं, इतने इररेलिवेंट किस्म की बातें वे कर रहे

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री मुस्तफा कामिल किदवाई]

हैं। बहुत सिम्पुल सा सवाल है कि १० दिन तक मिनिस्टर्स साहबान को चार्ज मिला नहीं। एप्वायंटमेंट उनका हो गया था मगर उन्होंने कोई काम नहीं किया। क्या एक रिस्पांसिबिल आदमी के वास्ते यह ठीक है कि वह १० दिन की तनख्वाह ले? मान्यवर, मेरा सर्विस से ताल्लुक रहा है। एप्वायंटमेंट मेरा हो गया लेकिन जिस वक्त तक मैंने चार्ज नहीं लिया अपने काम का, मैंने अपनी तनख्वाह नहीं ली।

आवाजें—

नौकरी की बात और है।

एक सदस्य—

आप परमानेंट नौकर के बारे में कह रहे हैं। मिनिस्टर लोग तो टेम्पोरेरी नौकर हैं।

(व्यवधान)

श्री मुस्तफा कामिल किदवाई—

मैं आपसे सिर्फ इतना कहूंगा कि गवर्नमेंट सर्वेन्टस के ऊपर मिनिस्टर्स आफिसर होकर आते हैं। अगर आफिसर खुद पैसे के वास्ते गलत कार्य करता है तो वह अपने सबार्डिनेट को नहीं रोक सकता है। आपने खुद १० दिन तक करप्शन किया क्योंकि १० दिन तक कोई काम नहीं किया और तनख्वाह ले ली। अक्सर यह होता है कि दो किस्म की रोटी होती है—एक तो हलाल की रोटी कहलाती है और एक कही जाती है हराम की रोटी। हलाल की रोटी जो होती है वह चेहरे पर लगती भी ज्यादा है। आज मैं देख रहा हूं कि...

श्री बसन्तलाल शर्मा (जिला बहराइच)—

श्रीमन्, क्या यह "हराम" शब्द संसदीय है, इस पर आप अपनी व्यवस्था दें।

(व्यवधान)

श्री मुस्तफा कामिल किदवाई—

अगर वह गलत है तो उस पर वापस लेने के बारे में सोचा जा सकता है।

सहकारिता राज्य मंत्री (श्री मोतीलाल देहलवी)—

इन्दिरा गांधी ने जो अपने लड़के को कार का कारखाना चलाने के लिए लाइसेंस दे दिया है, उस बारे में आपका क्या कहना है?

(व्यवधान)

श्री चन्द्रभान शर्मा (जिला मुजफ्फरनगर)—

यह जो हराम और हलाल की बात कह रहे हैं...

श्री अध्यक्ष—

मैंने कह दिया यह अनुचित है और उन्होंने वापस भी ले लिया है।

श्री मुस्तफा कामिल किदवाई—

अगर वह ठीक नहीं है तो मैं उसको वापस लेता हूं। इस चीज को यों कहना चाहता हूं कि रोटी दो तरह की होती है, एक हाकुल खिदमत की और दूसरी बिला खिदमत की। एक तरह की रोटी आदमी खिदमत के जरिए कमाता है और दूसरे प्रकार की रोटी बिना खिदमत के, बिना मसक्कत के मिल जाती है। अक्सर बिला खिदमत क प्राप्त की हुई रोटी में लज्जत ज्यादा होती है और वह आदमी के जिस्म में भी खूब लगती है।

श्री बसन्तलाल शर्मा---

आप श्रीमन्, व्यवस्था दें, माननीय किदवाई जी जो उर्दू के बड़े माहिर हैं, उन्होंने हराम शब्द का इस्तेमाल किया है। तो आप क्या नहीं जानते कि यह शब्द किस तरह से आया है? आप अपनी व्यवस्था दें कि क्या हराम शब्द का प्रयोग असंसदीय नहीं है।

श्री अध्यक्ष---

मैंने व्यवस्था दे दी और उन्होंने अपना शब्द वापस ले लिया।

(व्यवधान)

श्री मुस्तफा कामिल किदवाई---

जो हाकुल खिदमत की रोटी होती है, वह जब मुंह में लग जाती है, तो छोड़े छोड़ी नहीं जाती। चीफ मिनिस्टर साहब बड़ी रेपूटेशन लेकर आए हैं, मैं उनकी शान में कोई शब्द नहीं कहना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि वह इस पर विचार करेंगे कि वह एक बड़ी गलत चीज हुई है। १६ दिन तक पब्लिक इन्ट्रेस्ट में, पब्लिक रेपुटेशन के इन्ट्रेस्ट में, एक्सचेकर के जिसके आप मुहाफिज बने हैं, आपको तन्ख्वाह नहीं लेनी चाहिए थी। लेकिन इसके साथ हुआ क्या है? जिस दिन मुकर्रर हुए हैं, उसके दूसरे दिन से उनके लिए जो सबसे ज्यादा जरूरी दौरा हो गया है वह था सब अपने-अपने घर रवाना हो गए और सब गवर्नमेंट के खर्चे पर। जब तक पोर्टफोलियो नहीं मिला है मंत्रियों ने अपने घर का दौरा किया है। आप लोग हमेशा अपने घर पर अपने खर्चे से जाते रहे हैं,एक मर्तबा और चले जाते तो क्या हर्ज हो जाता। और १६ रोज की तनख्वाह मंत्री की हैसियत से छोड़ देते, तो आप बहुत बड़ा प्रिसीडेंट दूसरों के वास्ते कायम कर देते। यों २२५ आप आदमी हैं, पास तो करा ही लेंगे कुछ नहीं कर सकता। लेकिन एसी मारेल चीज को बहुत हम्बली चीफ मिनिस्टर के सामने प्लीड करने का हक है।

उद्योग मंत्री (श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी)---

मान्यवर, आज का विषय सचमुच विचारणीय है। मैं आज ऐसी सरकार के बारे में बात करने जा रहा हूं, जो ऐसे व्यक्ति के नीचे गठित हुई है, जिसने मंत्रित्व के बाहर रहते हुए सारी पार्टियों का विश्वास प्राप्त किया। मुझे ख्याल है ऐसा अवसर कम मिला होगा जब जनता का मेम्बर न हो, न कभी रहा हो और न दूसरी किसी विधान सभा का सदस्य हो और तिस पर भी लोगों को उसको देखते हुए विश्वास प्राप्त हो, तो उसमें कोई विशेष गुण होगा। यह उसने...

(व्यवधान)

मेरा ख्याल है कि सदस्यगण साहसपूर्वक बात सुनें।

(व्यवधान)

मान्यवर, मैं केवल जबाब दूंगा। मुझे बड़ी खुशी है कि हमारे किदवई साहब ने उस वक्त हराम और हलाल शब्द वापस ले लिये जब एक सदस्य ने प्रहार किया कि सदस्यगण दस्तखत करके सोया करते हैं। उस पर भी वेतन लेते हैं। मैं समझता हूं कि अच्छा होता कि राजनैतिक अस्थिरता न हुई होती और उस हालत में पोर्टफोलिओज मिल गये होते। परन्तु इस की देरी के लिए विरोध पक्ष के माननीय सदस्य विरोध उठावें जहां के लोग ऐसे हों कि जिनके पोर्टफोलिओज छीन लिये गये, रिजाइन करने को कहा गया, फिर भी कुर्सियों से चिपके रहे। मैं इसको ८४० कहता हूं, मैं इसको ४२० नहीं कहूंगा।

[श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी]

दूसरी बात मैं मान्यवर यह कह रहा था कि खर्चे की बात है। तिवारी जी ने कहा कि प्रदेश की ८ करोड़ जनता के जीवन को अस्त-व्यस्त कर दिया लकिन देश की ५५ करोड़ जनता को किसने अस्त व्यस्त कर रक्खा है इस पर वह विचार नहीं करते हैं। वह केन्द्र के प्रधान मंत्री की ओर दृष्टिपात क्यों नहीं करते हैं। मान्यवर, इन्होंने कहा कि पोर्टफोलिओज बटने में देर लगी और कारण लज्जावश नहीं बतलाया गया। जब आपने अपनी पूरी शक्ति लगा दी, धमवाद और जातिवाद फलाया, और फिर भी काम नहीं बना तो रुपये का जाल फला दिया, तो उसी स अस्थिरता फैली। सदस्यों को तोड़ कर सरकार को माइनारिटी में करने की पूरी कोशिश की गई लेकिन सफलता नहीं मिली तब यह एतराज लाये हैं। मुझे गर्व है कि किसी पार्टी का एक भी सदस्य आपके तोड़ने स टूटा नहीं ह। दूसरी बात मैं यह कह रहा था कि कहा गया कि प्रदश में अस्थिरता का वातावरण पैदा हो गया लेकिन इसकी जिम्मेदारी तो उन लोगों पर है जिन्होंने चौधरी चरण सिंह के कहन से भी रिजाइन नहीं किया। तो अस्थिरता आपके कारण हुई है। इसकी शिकायत तो हम लोगों को आप से होनी चाहिय। इस का ध्यान कबल हम करें एसा नहीं है आपको भी होना चाहिये।

केन्द्र के प्रति मंत्री पर ४ लाख ८० हजार रुपया व्यय हो रहा है तो क्या वह अपव्यय नहीं है। अगर ११ रोज बगर पोर्टफोलिओं के हो गये तो वह अपव्यय हो गया। अगर आपने केन्द्र के मंत्रियों के सम्बन्ध मे विचार किया होता तो ऐसा नहीं कहत। केन्द्र के मंत्री हेलीकाप्टर पर चलते हैं तब आप नहीं कहते हैं कि गरीब जनता का पैसा अपव्यय हो रहा है। आज यह उधर बैठ गये हैं तो इस प्रकार की बात कर रहे हैं। प्रधान मंत्री के एक दौरे पर इस प्रदेश की गरीब जनता को कितना व्यय करना पड़ता है। लेकिन इनका तो मापदण्ड जब उधर बैठते हैं तो कुछ होता है और जब इधर बठते हैं तो कुछ होता है। मुझे खद है कि हमारे तिवारी जी ने आज सदन में इस प्रकार के विचार मान्यवर व्यक्त किये। अपने विचार व्यक्त करते समय उन्होंने रूलिंग्स का हवाला दिया तो एक समय था कि जेनिंग्स और मेज पार्लियामेंटरी प्रक्टिस का हवाला देते थे। वे पार्लियामेंटेरीयन हैं, योग्य हैं, मैं उनका आदर करता हूं। आज कह दिया कि हमारे लिए आवश्यक नहीं यदि दी हो। हमने भी कहा कि जब हमारे नियमों में है तो हम दूसरे देश की व्यवस्था का सहारा नहीं ले सकते। मेरा संकेत यही है कि वह जो कहते थ उस नहीं मानत। तेरह मिनिस्टर्स को कहा गया था कि अपने पोर्टफोलियोज छोड़ दें। ठीक है डेमोक्रेसी के विरुद्ध किया, सब कुछ किया। लकिन क्या आप बतला सकते हैं कि आप क्यों चिपके रहे।

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी (जिला इलाहाबाद)—

डेमोक्रेसी की रक्षा के लिए।

(व्यवधान)

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

मैं कह रहा था कि एक गम्भीर स्थिति है हमारे सामने। जहां हम मंत्रियों की बात करते हैं, सभी क जीवन के साथ खिलवाड़ करने की बात करत ह, उस सबकी मूल मां डेमोक्रसी है। डेमोक्रसी नहीं रहगी तो कोई चीज नहीं रहेगी, न कैबिनेट रहगी, न मंत्री रहेंगे। इस डेमोक्रेसी में अधिकार प्राप्त है, एक दूसरे को क्रिटीसाइज करते हैं। लेकिन उसकी (डेमोक्रेसी की) जड़ खोदने के लिए कौन जिम्मेदार है? देश में अस्थिरता निर्माण करके समुद्र के किनारे ले जाने वाला कौन है? डेमोक्रेसी में डिसीप्लिन बर्बाद करने वाला कौन है? डिफेक्शन लाने वाला कौन है? रुपये से डेमोक्रेसी को पालूट करने वाला कौन है? आज इस डेमोक्रेसी में तराजू के एक पलड़े में सदस्य को और दूसरे में रुपये को तौलने वाला कौन है? इस तरह डेमोक्रेसी की हत्या करने वाला कौन है? ११ दिन अगर

मंत्रिमंडल ने पोर्टफोलियो नहीं लिये, और शाबास है उस मुख्य मंत्री को जो काम करता रहा और कहीं कोई गड़बड़ नहीं हुई, उस पर विचार करने के लिए आप बैठ गये लेकिन डेमोक्रसी की हत्या करने के लिए आपने एक क्षण नहीं विचारा। यही कह कर मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

*श्री गनेशदत्त बाजपेयी (जिला कानपुर)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, यह प्रस्ताव जो सदन के सामने है उस पर तटस्थ बुद्धि से विचार करना चाहिए। असल में यह प्रश्न नहीं है कि हम में किसने किस समय क्या किया? प्रस्ताव यह है कि हम लोग इस चीज को सहन करें कि बिना काम के मंत्रिगण बने रहें और फिर भी वहा अपनी तनख्वाह लेना मुनासिब समझें इस गरीब देश के। असल में मुझे बुढ़िया के मरने का डर नहीं है बल्कि जमके पलटने का डर है। अगर आप ११ दिन के लिए और ४६ मिनिस्टर के लिए एलाउ करते ह तो पूरे से पूरे मिनिस्टर्स छः महीने तक काम न करें उनके लिए भी आगे चल कर यही बात सिद्धान्त रूप में स्वीकार करनी पड़ सकती है। तथ्यतः मैं चाहता हूं कि इस प्रस्ताव का समर्थन इसलिए किया जाना चाहिए। बात केवल यह है कि मैं इस तरह के डाइलेक्ट्री आर्गूमेंट्स में नहीं जाना चाहता कि मिनिस्टर को अपना वेतन नहीं देखना चाहिये, महीने नहीं देखना चाहिये, यह बात बिल्कुल ही गलत है। किसी भी पार्लियामेंटेरियन की जो किताबों का हवाला दिया गया है उसके ग्रामेरिटिकल इन्टरप्रिटेशन पर भी विचार करना चाहिये कि मिनिस्टर्स फ्री हैं कि अपनी जिम्मेदारियों को बिना किसी डिपार्टमेंट के ही कैरी आउट करते रहें। ऐसी कोई बात नहीं है। वे अपने विभागों को देखने के अलावा अपनी पालीसीज को भी प्रोपेगेट कर सकते हैं। किसी हद तक यह चीज बिल्कुल सही है।

अगर आप १० दिन के लिये एलाऊ करेंगे तो आपको १० महीने के लिये भी एलाऊ करना पड़ सकता है। कभी न कभी तो ऐसा आ ही सकता है। कोई आदमी ऐसा है जो किसी को खरीद सकता है तो वही तो खरीद सकता है सब नहीं। क्योंकि यह तय हुआ था कि एक महीने के अन्दर सरकार बन जायेगी और आप खरीद लिये जायगे। मुझको तो कोई भी खरीदने-वाला इस त्रैलोक्य में नहीं मिला जो इस तरह से खरीद सके। दिल्ली की मिसाल खड़ी की जाती है कि यहां यह हुआ और यहां यह नहीं हुआ। मैं यह बता देना चाहता हूं कि यहां पर मिनिस्टर्स के खर्चे का जो जिक्र हुआ वह केवल कारट परपजेज के लिये है। अगर प्राइम मिनिस्टर के साथ ५० आदमी चलते हैं तो उनको पे तो दी ही जानी है चाहे वे प्रधान मंत्री के साथ चलें अथवा नहीं। क्या मंत्री जी चाहते हैं कि प्राइम मिनिस्टर बैलगाड़ी पर चलें। कम से कम इतना तो विचार होना चाहिये और इतनी योग्यता तो होनी चाहिये कि खर्च किस रूप में और किस प्रकार से किया जाता है।

(व्यवधान)

इसलिये मैं इस माननीय सदन से निवेदन करना चाहता हूं कि आपके इस निर्णय का असर एक शताब्दी तक दो शताब्दी तक पड़ेगा। इस कारण इस बहुमूल्य निर्णय को हमको सोच विचार कर करना चाहिये। यह प्रस्ताव कितना गम्भीर है और उसकी गम्भीरता पर हमको पूरा-पूरा ध्यान देना चाहिये क्योंकि इसका प्रभाव बहुत अधिक दूर तक पड़ेगा।

(व्यवधान)

*श्री बसन्त लाल शर्मा—

अध्यक्ष महोदय, यह जो निन्दा का प्रस्ताव माननीय तिवारी जी ने प्रस्तुत किया है इसको सुन कर मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ है। मैं तो समझता था कि माननीय तिवारी जी कोई ऐसी बात कहेंगे जिसकी यहां सराहना होगी। मान्यवर, एक तरफ कार्यपालिका है और दूसरी तरफ

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री बसन्तलाल शर्मा]

विधायिका। मान्यवर, वह मंत्री होने के साथ-साथ विधायक भी हैं। मान्यवर, वेतन की परिभाषा करते हुये तिवारी जी ने बतलाया कि जो काम करके धन लिया जाय उसको वेतन कहते हैं। वेतन तो हम सभी सम्मानित सदस्य पाते हैं और हम लोग क्या कार्य करते हैं वह भी मान्यवर, आप जानते हैं। हम लोगों का काम है विधायिनी करना और मान्यवर विधायिनी करने के लिये इतने प्रिविलेज हमको दिये गये हैं कि अगर अभी इन पर कोई बाधा डाले तो उसके खिलाफ विशषाधिकार की बात हो सकती है। मान्यवर, मैं तो आदरणीय नारायणदत्त तिवारी जी से आपके माध्यम से यह बताना चाहता हूं कि हम विधायक इस सम्मानित सदन में वर्ष में ३ बार एकत्रित होते हैं और २० दिन, एक महीना या दो महीने इकट्ठे होकर के जो यहां पर विधेयक पास करते हैं वही हमारा काम है और जो धन हमें मिलता है मैं समझता हूं वही हमारा पारितोषिक है। ६ अक्तूबर को विधान सभा बुलाई गई और विधान सभा न बुलाई जाय उसके लिये स्वयं तिवारी जी ने और उनकी पार्टी ने अड़ंगेबाजी लगाई और जिस तरीके से उन्होंने किया उसका भागीदार कौन है। इसको तो स्वयं सोचने की आवश्यकता है। मैं यह कहना चाहता हूं कि तिवारी जी यह सोचें कि वे मंत्री बने रहें बिना कार्य किये हुये और उन्होंने वेतन लिया, तो निन्दा का प्रस्ताव लाने से पहले उन्होंने कबीर का दोहा याद कर लिया होता तो ठीक था—

"बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिल्या कोय।
जो दिल देखा आपना मुझसा बुरा न कोय॥

यदि इन मंत्रियों ने बिना काम किये वेतन लिया है और वह वेतन तिवारी जी की निगाह में निन्दा का विषय है तो मैं आदरणीय तिवारी जी से यह कहना चाहुंगा कि मान्यवर, यह जो सदन है वह किसी परम्परा के ऊपर चलता है। जो लोकतांत्रिक सरकार है उसमें परम्परा प्रधान स्थान रखती है। २७ सितम्बर से २ अक्तूबर तक वह मंत्री बने रहे। २६ तारीख को चौधरी साहब ने २६ मंत्रियों से इस्तीफा मांग करके २७ तारीख को सारे विभाग अपने अन्दर निहित कर लिया और उसके बाद मान्यवर यदि उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया तो मान्यवर २७ सितम्बर से २ अक्तूबर तक अपने वेतन का त्याग कर देते या वापिस कर देते तब यह प्रस्ताव लाते तो यह शायद सोचने की बात होती और विचारने की बात होती। लेकिन मान्यवर, वह पैसा उन्होंने लेकर हजम भी कर लिया। मान्यवर, उन्होंने हमारे मुख्य मंत्री जी पर कुछ आक्षप भी कर दिया कि संविद के कई घटक हैं लेकिन किसी के नेता नहीं, राज्य सभा में रहे और यहां चक्कर म फंस गये।

मैं तिवारी जी को यह बताना चाहता हूं कि तिवारी जी ने जो त्रुटि की है और मंत्री बनें रहने के लिये जो कदम उठाया हैं वह तो सामने हैं। उनके नेता महामहिम राज्यपाल को यह लिख कर भेजते रहे कि हमारे साथ २५०–२७० हैं, तो मान्यवर, वह निन्दा का प्रस्ताव क्या पेश कर सकते हैं। उनको तो यह सोचना चाहिये कि उनके निन्दा का प्रस्ताव तो प्रदेश की ८ करोड़ जनता ने उनके ऊपर स्वयं कर दिया। उन्होंने बराबर महामहिम राज्यपाल से, जगदीश प्रसाद अग्रवाल और श्री बहुगुणा उनके मंत्रियों ने बराबर यह चुनौती देते थे कि हमारी संख्या ज्यादा है। इन्होंने प्रधान मंत्री को धोखे में रखा जिसके कारण उनकी निगाह से आज गिर गये। उन्होंने महामहिम राज्यपाल को इस बात के लिये वाध्य किया कि वे राष्ट्रपति शासन लागू करने के लिये सिफारिश कर दें। मैं आपके माध्यम से यह पूछना चाहता हूं और तिवारी जी को दावत देता हूं कि दो अक्तूबर से जो उन्होंने राष्ट्रपति शासन लगवाया, संविद का बहुमत होते हुए भी प्रधान मंत्री को गलत सूचना देकर उनके दबाव से राष्ट्रपति शासन लगवाया, तब १८ अक्तूबर को जाकर हमारे मुख्य मंत्री ने शपथ ली तो १६ दिन तक जो सदस्यों ने असेम्बली सस्पेंड होने पर भी वेतन लिया उसके लिये कौन जिम्मेदार है और क्या उसे वह वापस करवाने को तैयार हैं? मुझे आशा है कि इन तथ्यों की दृष्टि में तिवारी जी अपने प्रस्ताव को वापस ले लेंगे तो मैं उनको बधाई दूंगा।

श्री अध्यक्ष—

श्री स्वामी प्रसाद सिंह बोलेंगे।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

पिछड़े हुए प्रदेश को भी निगाह में रखिये।

श्री स्वामी प्रसाद सिंह (जिला हमीरपुर)—

अध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे थोड़ा सा समय दिया। मैं माननीय सदन का ज्यादा वक्त बरबाद नहीं करना चाहता।

न्याय मंत्री (श्री लक्ष्मीरमण आचार्य)—

क्या कम वक्त बरबाद करेंगे ?

श्री मैनेजर सिंह—

भूतपूर्व मंत्री ने समय बरबाद की जो बात कही तो सदन का समय बरबाद करना यह कथन असंसदीय है, यह आपने व्यवस्था दी है।

श्री अध्यक्ष—

ठीक है।

श्री स्वामी प्रसाद सिंह—

सारी बहस के कानूनी पहलू को देखने के बाद मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि बिना काम के मंत्रियों को वेतन नहीं मिलना चाहिये, सरकारी पक्ष से भी पुराने उदाहरण दिये गये। इधर के लिये यह कहा गया कि माननीय चौधरी साहब ने इस्तीफा मांगा तो उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया और वे मंत्री बने रहे और वेतन लेते रहे। लेकिन उसका कोई प्रस्ताव नहीं आया था और आज मैं यह विश्वास दिलाता हूं कि जिस दिन से गवर्नर, राज्यपाल ने हमको हमारे पोर्टफोलियो से डाईवेस्ट कर दिया था उस दिन से इधर के जितने मंत्रियों ने अपना वेतन लिया है वे उसे छोड़ने को तैयार हैं अगर आप, सरकारी पक्ष के भी छोड़ने को तैयार हों तो।

(व्यवधान)

श्री रामचन्द्र विकल (जिला बुलन्दशहर)—

अध्यक्ष महोदय, मैं आज बोलने के लिये बिल्कुल तैयार नहीं था लेकिन माननीय कृष्णानन्द राय तथा माधव प्रसाद त्रिपाठी जी की तकरीरों को सुन कर मुझे ऐसा लगा कि मुझे बोलना चाहिये क्योंकि मुझे ऐसा आभास हुआ, उनको सुन कर, कोतवाल को डाट रहे हैं उल्टा, बजाय इसके कि थोड़ा सा महसूस करते। मैं इस निन्दा के प्रस्ताव के हक में भी नहीं हूं। मुझे नहीं बोलना चाहिये था लेकिन जो सवाल उठाये गये उनका मैं उत्तर देना चाहूंगा। माननीय कृष्णानन्द राय जी ने बतलाया कि हमारे मिनिस्टर घूम-घूम कर नेता सदन को कार्य के बारे में बतला रहे थे। उन्होंने जनता में सुना या नहीं सुना यह कहते हुए कि यह मिनिस्ट्री बढ़ रही है, २१२ मिनिस्टर बना दिये जायं तो स्थायी हो जायं। तो यह सुझाव उन्होंने दिया या नहीं दिया। जनता की यह प्रतिक्रिया थी और वह जनता की प्रतिक्रिया उनको मालूम है या नहीं।

श्री कृष्णानन्द राय—

चूंकि यह मालूम था कि नारायण दत्त तिवारी उस मिनिस्ट्री में थे और ४८ आदमी उनके पास थे।

श्री राम चन्द्र विकल—

अध्यक्ष महोदय मैं कह रहा था कि माननीय माधव प्रसाद त्रिपाठी तथा कुछ अन्य लोगों ने कहा कि उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया। आज जनतंत्र को दुहाई दी जा रही है। यह भी कहा गया कि हमने बाहर का आदमी लाकर के नेता सदन बना दिया। क्या यह एक स्वस्थ परम्परा है। अध्यक्ष महोदय मैं कहता हूं कि यह कोई अच्छी परम्परा इन लोगों ने नहीं डाली है। मैं उनसे आपके द्वारा कहना चाहता हूं कि जब आप गुप्ता जी को नेता सदन नहीं बना सके, चौधरी चरण सिंह को नेता सदन नहीं मान सके, यहां के किसी और को आप नेता सदन न चुन सके तभी आपने मजबूर होकर बाहर से दूसरे आदमी को लेकर अपना नेता सदन उन्हें चुना है। क्या इसमें तथ्य नहीं है? अध्यक्ष महोदय, मैं कहता हूं कि इस बुढ़ापे में, हालांकि मेरी शुभकामनायें हैं, जाकर गोरखपुर से आप चुनाव लड़ें और हार जायं तब आपकी जनतंत्रीय परम्परा कहां रही।

मान्यवर, मैं कहता हूं कि वह परम्परा नहीं रह सकती है। उन्होंने कहा कि इस्तीफे मांगे गये। मैं माननीय गुप्ता जी को बधाई देना चाहता हूं। इस सदन में तो बधाई दे ही चुका हूं, लखनऊ के बाहर भी एक गरम वातावरण में पब्लिक मीटिंग में १ अप्रैल, १९६७ को मैंने उनको बधाई दी। इस सदन के अन्दर जब यह मालूम हुआ कि चौधरी साहब १७ आदमियों को लेकर जा रहे हैं तो गुप्ता जी ने कोई कोशिश नहीं की और गुप्ता जी ने त्याग पत्र दे दिया। इसलिये मैंने उनको बधाई दी किन्तु चौधरी चरण सिंह ने १५० आदमियों के चले जाने पर भी त्याग पत्र नहीं दिया। मान्यवर, यह उन मंत्रियों का कसूर नहीं है। मान्यवर, मुझे मालूम हुआ और ऐसे व्यक्ति से मालूम हुआ कि जो चौधरी साहब के बहुत निकट के हैं श्री ब्रह्मदत्त अशोक, जो बी० के० डी० के अध्यक्ष हैं, उन्होंने बताया कि राज्यपाल महोदय के चौधरी चरण सिंह से इस्तीफा मांगने पर भी उन्होंने त्यागपत्र नहीं दिया। मान्यवर, मैं कहता हूं कि वे भी तो तनख्वाह लेते रहे। क्या यह जनतंत्र की सही परम्परा है?

मान्यवर, मैं चौधरी साहब के नजदीक नहीं हूं और मेरा उनके प्रति हमदर्दी थी, मगर चौधरी साहब लीडर न बन सके। उन्होंने अन्य मंत्रियों से इस्तीफा मांगा किन्तु खुद इस्तीफा न दे सके। पुरानी कांग्रेस के लोग आज कहते हैं कि इन्होंने जनतंत्र की हत्या की है यह आक्षेप लगाते हैं किन्तु मैं कहता हूं कि आपने चौधरी चरण सिंह को अपना नेता नहीं चुना। अध्यक्ष महोदय, मुझे कोई शिकायत नहीं है किन्तु १५० आदमियों के वहां से हटने के बाद भी चौधरी साहब ने इस्तीफा नहीं दिया जब कि राज्यपाल ने इस्तीफा मांग लिया था। अध्यक्ष महोदय, मैं राज्यपाल महोदय के कार्य को सचमुच सही नहीं मानता था किन्तु अब मैं उसे सही मानता हूं, क्योंकि चौधरी साहब को सच्चाई से नेता नहीं चुना गया। अध्यक्ष महोदय, मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि कैसे उन्होंने मन्त्रियों से विभाग ले लिये और त्याग-पत्र की मांग की।

दिल्ली में एक कानूनी सलाहकार ने मुझे बताया कि चौधरी साहब त्यागपत्र दे दें तो उनका अपने आप इस्तीफा हो जाता है। यह तो हाथी के पैर में सब के पैर समाये हुए हैं। चौधरी साहब ने अगर त्यागपत्र दे दिया होता तो सब का त्यागपत्र हो जाता। चौधरी साहब ने क्या जनतंत्र की परंपरा निभाई। मैं तो यह कहता हूं कि जो हमारे बुजुर्ग हैं जो २०–३० साल तक मंत्री आदि पदों पर रहे हैं उन्होंने जनतंत्र को खराब किया है और जब भी ठीक होगा तो वहीं से होगा। इन्हीं ऊपर के लोगों से। जब तक वे ठीक नहीं होंगे तब तक जनतंत्र ढोंग ही रहेगा। वे हमें जानें और हम उन्हें जानें।

*श्री चरणसिंह (जिला मेरठ)—

अध्यक्ष महोदय मैं इस बहस में कोई हिस्सा नहीं लेना चाहता था, खामोश ही रहना चाहता था लेकिन मेरे माननीय मित्र श्री विकल जीने कुछ कहा है उससे मैंने मुनासिब समझा कि मैं

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

कुछ बातें आपकी इजाजत से माननीय सदन के सामने रख दूं । अगर आपका (श्रीरामचन्द्र विकल) का यह व्याख्यान आज ही होता, तब भी मैं उसकी कुछ परवाह न करता लेकिन वह रोज किसी न किसी प्रकार, चाहे बात रेलवेन्ट हो या नहो, मुझ पर मेहरबानी करने की कोशिश करते ही रहते हैं ।

अध्यक्ष महोदय, सारे प्रदेश और इस माननीय सदन के बहुत से माननीय सदस्यों को आपकी इस मेहरबानी का कारण छिपा नहीं है कि आप मुझ पर यह मेहरबानी क्यों किया करते हैं ? मैं उनकी राय में उनको एक बहुत ऊंचे पद के प्राप्त करने में हायल हो गया था । लेकिन मैं समझता हूं कि वह प्रदेश की खुशकिस्मती थी । अध्यक्ष महोदय, मैं इस बात को छोड़े देता हूं ।

अब जहां तक आज की बहस का ताल्लुक है उसके मुताल्लिक एक रेलेवेन्ट बात माननीय मित्र ने कही, उसका जवाब देना चाहता हूं । आज माननीय मित्र तिवारीजी की तरफ से एक प्रस्ताव निन्दा का अथवा कोई दूसरे शब्द हैं उसके, उसका आया है ।

श्री रामचन्द्र विकल—

अध्यक्ष महोदय, किसी के रेलवेन्ट शब्द को आप तय करेंगे या माननीय चौधरी साहब ?

श्री अध्यक्ष—

भाषण में वे कह सकते हैं ।

श्री चरणसिंह—

आज बहस इस बात पर है कि मंत्री पद की शपथ लेने के फौरन बाद विभागों का बटवारा मुख्य मंत्री क्यों नहीं कर पाये और कुछ दिन क्यों लग गये । यह ऐसा काम हुआ जो नहीं होना चाहिये था । अध्यक्ष महोदय, मैं इस बात से सहमत हूं कि जितनी जल्दी विभागों का बटवारा हो उतना ही अच्छा है। इसमें दो राये नहीं हैं। लेकिन यह आपत्ति उठाने का अधिकार माननीय तिवारीजी को नहीं है । उधर के पक्ष में बैठने वाले लोगों के पास इस तर्क का कोई जवाब नहीं है और इसका उत्तर माननीय तिवारी जी के पास कुछ नहीं है कि मैंने २४ तारीख को गवर्नर साहब से दरख्वास्त की कि मेरे जो १४ सहयोगी थे, उनका इस्तीफा ले लिया जाय अथवा उनको रिमूव कर दिया जाय । उन्होंने क्या जवाब दिया, क्या कानूनी पोजीशन थी, मैं इस समय उस विषय में नहीं जाना चाहता, क्योंकि वह इस समय गैरमुतालिल्क होगा । २६ तारीख को मैंने गवर्नर से यह दरख्वास्त की कि इन सब साहबान के पोर्टफोलियों ले लिये जायं और मुझे दे दिये जायं । २६ तारीख की शाम को, २७ सुबह को उनका पत्र मेरे पास आ गया कि इनके पोर्टफोलियोज आपके सुपुर्द किये जाते हैं । इस तरह से २७ सितम्बर से २ अक्तूबर तक मेरे साथी जो आज उधर बैठे हैं उनके पास कोई काम नहीं था परन्तु वे लोग मंत्री बने रहे या नहीं बने रहे, मैं नहीं जानता कि कानूनी पोजीशन क्या होगी लेकिन वे बिना पोर्ट फोलियो के मंत्री बने रहे ५,६ दिन तक यानी २ अक्तूबर तक । जब हमारे मुख्य मंत्री जीके खिलाफ आपत्ति यह है कि ७ दिन तक विभागों को तक्सीम नहीं कर पाये । ११ तारीख को ओथ हुई है और १८ तारीख को विभाग तक्सीम कर दिये गये हैं । यह ठीक है कि राज्य मंत्री और उप मंत्रियों के लिये देर लगी । लेकिन मुख्य बात केबिनेट मिनिस्टरों की है । मैं अपने साथियों से अर्ज करना चाहता हूं कि जो कुछ ड्रामा या कांड यहां उस समय हुआ, सितम्बर से लेकर अक्तूबर तक उसको जाने दीजिये । मुझको चाहे किसी से भी कुछ शिकायत रही हो लेकिन पुराने सहयोगियों से कोई शिकायत नहीं थी और न आज है और मैं समझता हूं, चाहे वे स्वीकार करें या न करें उनको भी मुझ से कोई भी शिकायत नहीं थी । उस समय २६ सितम्बर से लेकर

[श्री चरण सिंह]

२ अक्तूबर तक बिना पोर्ट फोलियोज के रहे । मेरे साथी तो इस उम्मीद में थे कि उनको पोर्ट-फोलियो आज दिया जाता है, कल दिया जाता है लेकिन जहां तक इन लोगों का ताल्लुक है, इनको यह उम्मीद नहीं हो सकती थी ।

दूसरी बात यह है कि माननीय तिवारी जी, जिनकी योग्यता का मैं बहुत आदर करता हूं, शायद वे यह भूल गये कि उनकी पार्टी के मुख्य मंत्री माननीय हरिहर प्रसाद सिंह जी ने पोर्ट-फालियोंज के तक्सीम करने में दो महीने लिये थे। वे इतनी ऊह पोह में पड़े हुये थे क्योंकि जब उन्होंने पोर्टफोलियोज तक्सीम किये तो दो दिन के बाद ही उनकी मिनस्ट्री गिर गई ।

श्री कृष्णचन्द्र शर्मा (जिला झांसी)—

अध्यक्ष महोदय, मैं चौधरी साहब को यह बता देना चाहता हूं कि हरिहर प्रसाद जी निजलिंगप्पा की कांग्रेस के हैं । हमारी पार्टी के नहीं हैं ।

श्री चरणसिंह—

उस समय तक कांग्रेस यूनाइटेड थी । उसके दो हिस्से नहीं हुये थे । वह कांग्रेस पार्टी के मुख्य मंत्री थे। आपका जन्म उस समय तक नहीं हुआ था । अब इस बात को छोड़िये ।

(व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह—

यदि चौधरी साहब इजाजत दें तो मैं एक स्पष्टीकरण चाहूंगा । यह सही है कि जब आप से माननीय राज्यपाल ने कह दिया कि चले जाइये और आपके आने की उम्मीद नहीं थी फिर आप कुर्सी से क्यों चिपके रहे ? आपसे रिजाइन करने के लिये जब माननीय राज्यपाल ने कह दिया फिर आप क्यों चिपके रहे ?

श्री चरणसिंह—

मैं माननीय नेगी जी का बिलकुल पूरा जबाब देने वाला हूं । जो कुछ आपत्ति उठाई थी वह विकल जी ने उठाई थी । इसलिये उसके बाद मैं उनका जबाब दूंगा । इतनी बेकरारी क्यों है ? आप उसका प्रत्युत्तर नहीं दे सकेंगे ।

अध्यक्ष महोदय, जब यूनाइटेड कांग्रेस थी तो उसके मुख्य मंत्री माननीय हरिहर प्रसाद सिंह जी थे जो ६ सप्ताह तक विभागों को तक्सीम नहीं कर पाये । लेकिन जहां तक मुझे याद है, मैंने समाचार पत्रों में नहीं पढ़ा, माननीय तिवारी जी ने कोई पत्र उनको लिखा हो कि इतने दिनों की आप तनख्वाह न लें । अब हमारे जो कांस्टीटयूशन एक्सपर्ट हैं, रामचन्द्र जी विकल, उन्होंने दो बातें कहीं जिनका मैं मुख्तसिर में जवाब दूंगा । माननीय राज्यपाल महोदय ने मुझसे इस्तीफा मांगा और मैंने इस्तीफा नहीं दिया, इस्तीफा देने से इन्कार कर दिया । इसके दो जवाब देना चाहता हूं । पहली बात तो यह कि मैंने इस्तीफा देने से इन्कार नहीं किया । मेरा खत अगर किसी को याद है, अगर माननीय विकल जी और नेगी जी ने पढ़ा है—मैं विकल जी की बात तो समझ सकता हूं लेकिन नेगी जी की तरफ से यह कहना यह मेरी समझ में नहीं आता । मैंने सिर्फ ४-५ प्रश्न सफाई के लिये कि क्या पोजीशन होगी, गवर्नर साहब से पूछे थे कि आप अगर इन पर रोशनी डाल दें तो मैं इस्तीफा दे दूंगा । लेकिन मैंने यह नहीं कहा कि मैं इस्तीफा नहीं देता हूं ।

अध्यक्ष महोदय, इस्तीफा अगर मैं दे देता, मैं तो उस वक्त यह सोच रहा था कि दे दूं । लेकिन मेरे माननीय मित्रों ने कहा कि नहीं, इसमें इतने प्रश्न उठते हैं जरा पता तो लगे, देने को तो तयार हो ही । और बाद में जो कुछ रवैया मैंने देखा मैं समझता हूं मैंने अच्छा किया

कि इस्तीफा नहीं दिया क्योंकि उसके पीछे जो साजिश थी वह दुनिया से छिपी नहीं हैं। यह कि माननीय राज्यपाल को मुझसे इस्तीफा मांगने का अधिकार था या नहीं, मैं कहता हूं कि नहीं था, हर्गिज नहीं था और जितने कास्टीटयूशन एक्सपर्टस हैं उन सब की यही राय थी। अब मसलन उनकी बात है, मैं नाम नहीं लेना चाहता, उनके मुताल्लिक हो रहा है कि वह शायद चीफ जस्टिस एप्वाइंट हो जायेंगे और एक केस में एटार्नी जनरल की मदद करने के लिये एप्वाइंट भी हुये थे। उनकी एक लीगल ओपीनियन इस सारी कंट्रोवर्सी के बारे में पब्लिश हुई थी।

जब भूतपूर्व गवर्नर बंगाल, श्री धर्मवीर ने अजयकुमार मुखर्जी की मिनिस्ट्री को अलाहिदा कर दिया था तो उस एक्सपर्ट की राय यह थी कि गवर्नर को यह अधिकार नहीं था मगर मेरी राय में था अधिकार, क्योंकि गवर्नर ने कहा था कि आप हाउस बुलायें और उन्होंने हाउस नहीं बुलाया। अगर्चे इसमें दो रायें हो सकती हैं कि क्या उसमें इतनी बेकरारी होनी चाहिये थी गवर्नर को कि अगर १० या १५ दिन बाद बुलाते हैं, शायद उन्होंने १८ तारीख रखी थी, अगर वह बहुत दूर नहीं थी तो क्या उनको मिनिस्ट्री को बरखास्त करना चाहिये था। लेकिन इसमें दो रायें नहीं हैं कि अगर गवर्नर बुलाने को कहे और यह साबित हो जाय कि चीफ मिनिस्टर बुलाने का इरादा नहीं रखता, तो गवर्नर को अधिकार है चीफ मिनिस्टर को अलाहिदा करने का। लेकिन मैं तो उस एक्सपर्ट की बात कह रहा हूं जिसका नाम शायद मेरी बहन के जहन में हो या उनको याद हो क्योंकि उनकी भी किसी कांस्टीट्यूशनल एक्सपर्ट से बात हुई है—विकल साहब से—उस कांस्टीटयूशनल एक्सपर्ट ने इस मामले में यह कहा है कि नहीं, गवर्नर को पूरा अधिकार था। अब देखिये बंगाल के गवर्नर को अधिकार नहीं था, जिसकी बाबत दो रायें हो सकती हैं, और यहां के गवर्नर को अधिकार था जबकि ६ तारीख के लिये हाउस पहले से समन्ड था।

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी—

मैं चौधरी साहब से यह स्पष्टीकरण चाहती हूं कि गवर्नर उनसे इस्तीफा अगर नहीं मांग सकते थे तो डिसमिस तो कर सकते थे ?

श्री चरण सिंह—

अध्यक्ष महोदय, मेरी बहन जी को मुगालता है। उन्होंने मुझे डिसमिस नहीं किया था। उन्होंने तो सारे हाउस को ही डिसमिस किया था। प्रिसाईडिंग आफिसर्स की कान्फ्रेन्स अप्रैल, १९६८ में हुई थी। उसका फैसला हुआ था। गवर्नर्स कान्फ्रेन्स हुई जिसमें गालबन प्रैसिडेंट या वायस प्रेसिडेंट ने प्रिसाइड किया था उसका यह फैसला था और एडमनिस्ट्रेटिव रिफार्म्स कमीशन की यह सफारिश थी कि हाउस में किसकी मजारिटी है और किसकी मजारटी नहीं है। इसका फैसला करने का अधिकार गवर्नर को नहीं है बल्कि यह अधिकार केवल हाउस ही कर सकता है और हाउस में ही हो सकता है। मुझे प्रिसाईडिंग आफिसर्स कान्फ्रेन्स के फैसले का इल्म नहीं था लेकिन जब नवम्बर, १९६९ में मैंने उनसे यह कहा कि जो उस वक्त कांग्रेस गवर्नमेंट चल रही थी वह माइनारिटी में है और उसके लिये जल्दी से अल्दी हाउस को बुलाइये क्योंकि वह माइनारिटी में है और यह हाउस में मालूम हो जायगा तो उन्होंने प्रिसाईडिंग आफिसर्स की प्रोसीडिंग मेरे पास भेज दी और उन्होंने मुझे खत लिखा और कहा कि यह मेरा काम नहीं है और मैं यह नहीं मान सकता हूं। प्रिसाईडिंग आफिसर्स कान्फ्रेन्स ने यह तय किया। उसमें यह लिखा है कि चीफ मिनिस्टर सदन का कान्फिडेन्स इन्जवाय करता है या नहीं यह at all times and at all occasions सदन में ही तय होगा। अगर सदन को वह नहीं बुलाता तो उसको गवर्नर डिसमिस कर सकता है।

[श्री चरण सिंह]

लेकिन यहां पर हाउस पहले से ही बुलाया हुआ था। हाउस से बचने की बात नहीं थी। ६ अक्तूबर पहले से ही लिखा हुआ था। मैं चाहता हूं कि कांस्टीटयूशनल क्या कोई ऐसी मिसाल है कि हाउस अन्डर समन हो और गवर्नर केवल ४ दिन पहले मिनिस्ट्री को बरख्वास्त कर दें ? यही नहीं मैंने उनसे यह कहा था कि ६ अक्तूबर को नहीं बल्कि कल ही बुला लीजिये या परसों बुला लीजिये। अखबारों में नोटिस देकर हाउस बुलाया जा सकता था। ऐसा पहले हुआ भी है। तो मिनिस्ट्री तो थी ही। तब तक हाउस ससपैन्ड नहीं हुआ था। मैं कह रहा था कि हाउस को बुलाइये। जो मिनिस्टर मौजूद थे उनसे पूछा जा सकता था क्योंकि मैं समझता हूं राजेन्द्र कुमारी जी उस वक्त यदि अपने को मिनिस्टर समझती थी तो वह भी इन्कार नहीं कर सकती थीं हाउस बुलाने से। हाउस नहीं बुलाया गया। मैं विकल जी, नारायण दत्त तिवारी जी और चतुर्भुज शर्मा जी से यह अर्ज करना चाहता हूं कि यह दूसरी बात हैकि हमारे पोलिटिकल डिफरेन्सेज होते हुये भी शायद मेरी ही गलती रही होगी लेकिन सवाल यह हैकि गवर्नर साहब ने जो किया क्या कोई उन्होंने अच्छी मिसाल पेश की, या नहीं। और आप उस का प्रतिपादन करें और हमारे मित्र जबकि उस का कोई प्रसंग नहीं था और वह उन पुरानी बातों को भूल नहीं पाते हैं और जिस तरह से उधर से उनका अनुपालन हो इस से मुझे ताज्जुब ही नहीं बल्कि थोड़ा अफसोस ही हुआ। एक अंग्रेजी के पुरानें पोयट शायद स्विफ्ट हुये हैं उन्होंने कहा है कि—

Where ignorance is bliss it is fully to be wise.

हमारे मित्र की यह तो बडी खुशकिस्मती है कि वह इतना ही समझते हैं ज्यादा नहीं समझ पाते।

एक बात सिर्फ मैं और कहूंगा। मेरे मित्र ने या किसी साहब ने कहा कि मेरी मेजारिटी साबित नहीं हुई थी। कौन इस बात को जानता था, उन को कैसे इल्मगैब था ? क्या इस बात को जानने का अधिकार गवर्नर को अब दिया जायगा जब कि प्रजाइडिंग आफिसर्स कांफ्रेस में, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफार्म्स कमीशन ने और गवर्नर्स कांफ्रेस में सब जगह एक निर्णय हो चुका और कहीं भी दुनिया में यह अधिकार उनको नहीं दिया गया कि वह इस का निर्णय करें। तो यह बात भी गलत थी दिल्ली से भी यह बात दोहराई गई कि मुझे दूसरी पार्टियों का समर्थन प्राप्त नहीं था। मुझे अगर पहले से नोटिस होता तो मैं जनसंघ, सोशलिस्ट पार्टी और कांग्रेस (ओ०) के लोगों का खत लाता, जिन्होंने कहा कि चरण सिंह के समर्थन की बात नहीं थी बल्कि जो मौजूदा गवर्नमेंट लेड बाई चरण सिंह थी उसको पूरा समर्थन हम देते।

श्री अध्यक्ष—

आप संक्षेप में कहिये।

श्री चरण सिंह—

तो फैक्चुअली यह बात गलत है कि मुझे समर्थन प्राप्त नहीं था। लेकिन फर्ज कर लें कि वह प्राप्त नहीं था, तब भी गवर्नर को यह तय करने का अधिकार नहीं था और बाद में मैं संविद का लीडर नहीं चुना गया इस से भी यह बात सिद्ध नहीं होती। उसके भी बहुत से अन्य कारण थे। मैंने खुद अपना नाम वापस ले लिया। मैं ज्यादा न कहकर इतना ही कहूंगा कि यह बहस इसी मामले तक सीमित रहनी चाहिये थी क्योंकि इस तरह से इस बहस का दायरा बढ़ने से कोई फायदा न होगा।

*श्री चतुर्भुज शर्मा (जिला जालौन)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इस बहस में बिलकुल हिस्सा लेना नहीं चाहता था लेकिन हमारे मित्र माधव प्रसाद जी ने जो जनसंघ के नेता है और जिन को मैं एक सम्मान की दृष्टि

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

से देखता हूं और शायद जनसंघ दल में दो एक अन्य मित्रों के अलावा उन का एक ऊंचा स्थान है, उन्होंने जब एक बात कही और अटैक किया तो मेरी इच्छा हुई उन का थोड़ा सा उत्तर देने की। अच्छा होता हमारे चौधरी साहब भी इस विषय पर न बोलते लेकिन चूंकि व्यक्तिगत बात आ गई थी इसलिये उन्हें भी थोड़ा सा एक्सपलेनेशन देना आवश्यक हो गया। लेकिन मुझे खेद है कि इस डिबेट का जो प्रस्ताव रखा गया था कि उन दिनों में जबतक मिनिस्ट्री ने काम आरम्भ नहीं किया यानी जिस वक्त में ओथ लेने के बाद पोर्टफोलियो नहीं बटे थे उस पीरियड का वेतन मंत्रियों को नहीं मिलना चाहिये। मैं कुछ ज्यादा इस तरह की बात के पक्ष में नहीं हूं लेकिन इसके साथ ही जो यह पूरी डिबेट एक दूसरी बहस में बदल गया इस का मुझे बहुत दुख है। इस का अफसोस चौधरी साहब को भी होगा और हमारे दूसरे साथियों को भी होगा अगर ऐसा न होता तो बहुत अच्छा होता।

मुझे खेद है कि हम संसदीय स्वस्थ परम्परा डालना चाहते हैं। अब हम लोग अपने सार्वजनिक जीवन के अन्तिम चरण में हैं। और इस वक्त चाहे वे चौधरी चरण सिंह जी हों, चाहे हमारे माननीय गुप्ता जी हों और चाहे वे माननीय कमला पति जी हों, मुझ से ज्यादा छोटे बड़े नहीं हैं, सब ने देश और प्रदेश की सेवा की है, सब ने त्याग किया है और सबने त्याग किया है और देश को आजादी दिलाने में सहयोग दिया है, इस देश में समाजवाद और प्रजातंत्रवाद कायम करने के लिये शपथ ली है, वायदा किया है, हमें सोचना चाहिये कि प्रदेश कैसे उन्नति करे। चौधरी साहब मेरे मित्र हैं, मैं उनका बड़ा सम्मान करता हूं, जिस तरह से उन्होंने दलीलें दी हैं, हो सकता है उन्होंने अपने को सही समझ कर ही कहा हो।

मैं मानता हूं कि वे काफी पढ़े लिखे हैं, खूब पढ़ते भी हैं। उनकी योग्यता का मैं कायल हूं लेकिन वे एक जिद्दी आदमी हैं और उसके कारण कभी कभी ऐसी गल्तियां कर सकते हैं कि अपने दोस्तों को भी उलझन में डाल देते हैं। आज मुझे गर्व है कि चाहे वे माननीय गुप्ता जी हों, चाहे चौधरी चरण सिंह जी हों, और चाहे वे माननीय कमलापति जी हों, इन तीनों आदमियों के ऊपर आज उत्तर प्रदेश का भार है और इसका भाग्य निर्भर है। तीनों ने ही बलिदान किए हैं, इस देश और प्रदेश के लिए, तीनों ने ही कांग्रेस को बनाया है और कांग्रेस परम्पराओं को बनाया है और कांग्रेस का कार्य किया है। इनमें से कोई थोड़ी अवधि के लिये अगर बाहर हो जाय तो इन परम्पराओं में अगर गल्ती आती है, उसको सुधारना चाहिये और उन्हें तरलीम करना चाहिये। आज जो इस सदन में ओब्जैक्शन किया गया, उसको माना जाना चाहिए था। यह प्रदेश बहुत पिछड़ा हुआ है, जिसके कारण माननीय विकल जी को कुछ बातें कहनी पड़ीं।

श्री मंजूर अहमद (जिला मेरठ)—

इन्हीं तीनों ने इस प्रदेश को चौपट किया है।

श्री चतुभुंज शर्मा—

देखिये यह कहना तो सुनने को मिल रहा है। मगर आज पावर की लिप्सा, शक्ति की लिप्सा होती, तो यह सब न होता। वे ही लोग देश और प्रदेश को आगे बढ़ा सकते हैं जिन्होंने देश के लिये कुछ किया है, उनसे मैं अपील करूंगा कि वे अपने अंतिम समय में शक्ति की लिप्सा के कारण संतुलन न खोयें। बड़े अदब से आपसे प्रार्थना करूंगा कि अगर यह डिबेट उस तक ही सीमित रहती तो बड़ा अच्छा होता लेकिन जबाव आपने भी दिए। यह तो वैसा ही हुआ कि तुमने बुरा किया, उसके जबाव में कहा गया कि तुमने भी बुरा किया। हमारे भाई संडजी ने उसका जवाब दे दिया। मैं समझता हूं कि अगर गलती थी कि हमे इन दिनों के तन्ख्वाह नहीं लेनी चाहिये थी तो उस तन्ख्वाह को उन्हे वापस कर देना चाहियें था। तब यह प्रस्ताव वापस लिया जा सकता था। जो तर्क माननीय तिवारी जी ने दिए, गवर्नमेन्ट पक्ष पर इसका

[श्री चतुर्भुज शर्मा]

असर होना चाहिये था । उनका जवाब नहीं हुआ । मैं तो सिर्फ वह बात कहना चाहता हूं कि आज कांग्रेस की आपस की लड़ाई में मैंने यह देखा कि एक तरफ हमारे माधवप्रसाद त्रिपाठी जी जैसे संजीदा व्यक्ति को जिनको मैं अपने बराबर देश भक्त मानता हूं, वे अपने को अधिक मानें तो मैं मान लूंगा, की यह कहने की जुर्रत हुई कि वे यह कह सकें कि हम कांग्रेस वाले प्रजातन्त्र की तबाही कर रहे है और वे लोग प्रजातंत्र की रक्षा कर रहे है जिन्होंने आर०एस० एस० बनाकर, जनसंघ बनाकर, प्रजातंत्र के पोषक गांधी जी की हत्या की । मै यह सकता हूं कि आज हमें फिर एक होना चाहिये । अगर थोड़ी बहुत भी सेन्स बाकी है तो मैं इतनी अपील करूंगा कि कम से कम जो पार्लियामेन्टरी प्रेक्टिस है उसे आप मानें, सही बात सुनें और सही बात का जबाव सुनें । श्रीमन, मै यह अज कर रहा हूं कि जो जवाब मैं दिया है .....

(व्यवधान)

श्री नित्यानन्द स्वामी—

मैं एक स्पष्टीकरण चाह रहा हूं कि चरित्र निर्माण कहां होता है लखनऊ में या नैनीताल में ।

श्री चतुर्भुज शर्मा—

मैं प्रोटेक्शन चाहूंगा कि इस तरह के यदि आप कटु आक्षेप होने देंगे और उसकी बात नहीं होने देंगे तो.....

मैं स्पष्टतः कहना चाहता हुं कि हमसे गलती हुई हो या न हुई हो । १४ लोगों से उन्होंने इस्तीफा मांगा । हम सब लोगों ने लिखकर दे दिया कि आप मैजारिटी से इस्तीफा नहीं मांग सकते क्योंकि मैजारिटी हमारी है और आपकी गवर्नमेन्ट कोलेशन गवर्नमेन्ट थी । और जब हम जो मेजारिटी में हैं विदड्रा करते हैं तो आप मिजारिटी में नहीं है । तो चौधरी साहब उसी दिन माइनारिटी में हो गये । उन्होंने एक बात कही मैं उसको भी मानता हूं । उन्होंने कहा कि किसी भी जगह पार्लियामेन्ट की परम्परा के खिलाफ मेजारिटी कैबिनेट ने अविश्वास प्रस्ताव किया हो और उस चीफ मिनिस्टर ने इस्तीफा न दिया हो, यह एक्जाम्पुल चौधरी साहब बता दें । जब कैबिनेट की मेजारिटी से चौधरी साहब ने कहा कि आप त्याग पत्र दे दें तो जो सहयोग हमलोग दे रहे थे वह हमने वापिस ले लिया । आपने गवर्नमेन्ट को लिखा पोर्टफोलियोंज के हटाने की बात, गवर्नर ने आपकी बात मान ली ।

उसके बाद मैं उसी बात को कहता हूं कि जिस तरह से चौधरी साहब ने कहा कि उन्होंने त्यागपत्र न देकर अच्छा किया था कि उन्होंने गवर्नर के मांगने पर त्यागपत्र नहीं दिया । वही दलील हमारे लिये क्यों नहीं मानते, इसलिये कि मैजारिटी में हम थे । हम मैजारिटी की वजह से आये थे । चौधरी साहब ने हमें मैजारिटी की वजह से मंत्री बनाया था । और उस समय आपको इस्तीफा देना चाहिये था.....(व्यवधान) कान्सीट्यूशनली क्या ठीक था यह गवर्नर को फैसला करना था । गवर्नर ने फैसला लिया और आपसे इस्तीफा मांगा । हमसे इस्तीफा नहीं मांगा । हमसे इस्तीफे केवल पोर्टफोलियों के ही मांगे । वैसे उन दिनों की जिन दिनों पोर्टफोलियो लेने के बाद हम लोग मंत्री रहे, तनख्वाह देने को तैयार हैं । वह बहुत छोटो सी बात है । पार्लियामेन्टरी पद्धति में यह सर्वमान्य सिद्धांत है कि जब प्राइम मिनिस्टर या चीफ मिनिस्टर की मैजारटी समाप्त हो जाय, हाउस में उसका बहुमत न रहे तो उसको इस्तीफा दे देना चाहिये.....(शोर)

सार्वजनिक निर्माण राज्य मंत्री (श्री रामधारी शास्त्री)—

पंजाब में बादल मंत्रिमण्डल में क्या हुआ ?

श्री चतुर्भुज शर्मा--

चौधरी साहब से गवर्नर ने जब इस्तीफा मांगा, उन्होंने नहीं दिया। असेम्बली बुलाने वाली बात मे मैं मानता हूं कि कुछ बल है, लेकिन असली चीज क्या है, पहले उसे देखना चाहिये। क्या मेंजारिटी आप के साथ थी? यह देखना चाहिये।

श्री चरण सिंह--

मैंने तो केवल विकल जी की बात का ही जवाब दिया था अब आपने चूंकि दूसरी बात कह दी, मैं श्रीमन् दो सवाल करना चाहता हूं। (व्यवधान) क्या दुनिया में कहीं ऐसी मिसाल भी है कि जहां दो पार्टियों की सरकार हो, और एक पार्टी यह तय कर ले कि हमको सरकार को गिराना है ६ अक्तूबर को और फिर भी वह बराबर कैबिनेट में बनी रहे ? (शोर)

दूसरा सवाल यह है कि क्या ऐसी भी कहीं मिसाल है कि पूर्ण समर्थन दे कर गवर्नमेन्ट बनायी गयी हो,केबिनेट में रह कर सारे फैसलों को सर्व सम्मत से तय किये हों,और फसला करने के ६ घंटे बाद ही कहने लगे हों कि हम समर्थन वापस लेते हैं ?बाहर एलान किया था, फारमली वापस नहीं लिया था (व्यवधान)। बराबर फिर भी केबिनेट में बने रहें कि अगर बली होगी तो हम भी छुरा कांटा ले कर लड़ेंगे। देश में कहीं ऐसी मिसाल है ? (शोर)

श्री चतुर्भुज शर्मा--

मान्यवर,(व्यवधान) चौधरी साहब ने कुछ सवाल पूछे। श्रीमन्, मैं पहले कह चुका हूं कि जहां तक उन्होंने पार्लियामेन्टरी प्रैक्टिस की बात की,मैं उनको मानता हूं लेकिन दुनिया में कोई चीज नैतिकता की भी है और मैं चौधरी साहब को नैतिकता और सचरित्रता के लिये एक उदाहरण के रूप में अच्छा आदमी मानता हूं। तो जब हमने गवर्नमेन्ट बनायी थी और हम लोगों ने उनका समर्थन किया था तो इस बात के लिये उनको समर्थन दिया था कि वह गवर्नमेंट भेजारिटी की राय से चलेगी। और वे बार बार जिद् कर रहे थे और हमसे कहते थे कि आप भी सरकार में चले आइये। वे बराबर चाहते थे कि हम उसमें शामिल हो जायं और हम उस गवर्नमेंट में शामिल हो गये क्योंकि हमारे साथियों का बहुमत था, हमारी पार्टी का बहुमत था। तो क्या नैतिकता का तकाजा नहीं था कि जिस दिन हमने उनसे कहा कि हम अपना सहयोग वापस लेते हैं उसी दिन चौधरी साहब अपना त्यागपत्र दे देते ?

दूसरे सावाल के सम्बन्ध में मुझे कहना है जैसा कि मैं अर्ज कर रहा था कि गवर्नर को जो राइट है वह उन्होंने अपनी दृष्टि से किया। लेकिन उन्होंने हमारा त्यागपत्र नहीं मांगा, चौधरी साहब ने भी हमसे त्यागपत्र नहीं मांगा। हमारा पोर्ट फोलियों उन्होंने ले लिया। दूसरी बात यह कि गवर्नर महोदय ने बिलकुल सही किया, रेड्डी साहब ने बिलकुल सही किया जो बाद के वाकयात से साबित हुआ और उन्होंने केवल अपनी राय से नहीं किया बल्कि इस देश की सबसे बड़ी लीगल ओपीनियन–एटर्नी जेनरल की लीगल राय लेकर आपसे कहा कि आप इस्तीफा दे दें और बाद में आपको जो कुछ करना पड़ा वह करना पड़ा। तो गलती आपकी है, हमसे ज्यादा गलती है। जब आपकी मेजारिटी नहीं थी तो आप इस्तीफा दे देते, फिर आपके साथी लोग आपको चाहते तो आपको बना देते और इससे हमको और खुशी होती। लेकिन आपके साथियों को आपके ऊपर विश्वास नहीं था तो हमारे ऊपर क्यों दोष लगाते हैं। आपके साथियों ने दूसरे साहब पर विश्वास किया है। और उनको अपना नेता बनाया है।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि "इस सदन को खेद है कि उत्तर प्रदेश सरकार के सभी मंत्री, जिन्होंने ११ नवम्बर, १९७० को मंत्रिपद की शपथ ली थी, १९ नवम्बर, तक बिना किसी कार्य के ही मंत्री बने रहे तथा १९ नवम्बर से २७ नवम्बर तक सभी राज्य मंत्री व उप मंत्री बिना किसी कार्य के राज्य मंत्री तथा उप मंत्री बने रहे।

[श्री अध्यक्ष]

अतः यह सदन संस्तुति करता है कि ऐसी विधि का निर्माण किया जाये जिससे ऐसे सभी कैबिनेट मंत्रियों, राज्य मंत्रियों तथा उप मंत्रियों के वेतन में से उतने दिनों की कटौती करने का उपबन्ध हो जाये, जितने दिन उन्होंने मंत्री, राज्य मंत्री या उपमंत्री होने पर भी कोई सरकारी कार्य नहीं किया । "

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री मंजूर अहमद---

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूं । मुझे आशा है कि आप जरूर व्यवस्था देंगे । श्रीमन्, आप ही हैं जिनको पूरी जानकारी है और मुझे आशा है कि अपनी व्यवस्था देने में आप अपना पूरा पार्ट अदा करेंगे ।

आज पूरे उत्तर प्रदेश की ८ करोड़ जनता के दिमाग में है कि उत्तर प्रदेश को दूसरे सूबों से ज्यादा किसने चौपट किया है ? चौधरी चरणसिंह, सी० बी० गुप्ता, और कमलापति त्रिपाठी । ये तीन ही आदमी भागी हैं, और सबसे ज्यादा चौधरी चरणसिंह, जिनसे जनता जनतन्त्र के मामले में बहुत घबड़ाती है ।

कार्य-स्थगन प्रस्ताव व नियम ५१ के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष---

नियम ५१ के दो आए हैं । एक आया है कार्यस्थगन का जिसे मैंने स्वीकार नहीं किया है । ये दोनों भी स्वीकार नहीं किए थे, क्योंकि अब समय नहीं है, आज हम लोग उठने वाले हैं ।

श्री गोविन्द सिंह (जिला टिहरी--गढ़वाल)---

पढ़ तो दीजिए ।

श्री अध्यक्ष---

एक ग्राम तरसांवा, जिला सीतापुर में श्री छोटेलाल हरिजन के घर पर पड़ी डकैती के सम्बन्ध में है और दूसरा संविद के एक मंत्री के संबंध में छात्राओं के साथ अभद्र व्यवहार के बारे में और नगरमहापालिका की जमीन पर अवैधकब्जा करने के सम्बन्ध में है ।

जिला जेल कानपुर के अधिकारियों द्वारा जेल में बन्द सत्याग्रहियों पर बर्बर लाठी चार्ज के सम्बन्ध में नियम ५१ के अन्तर्गत वक्तव्य

सूचना तथा कारागार उप मंत्री (श्री अनीसुर्रहमान)---

जिला कारागार कानपुर में गत २२-८-७० को संसोपा सत्याग्रहियों पर लाठी चार्ज के संबंध में विधान सभा के तीसरे सोमवार को माननीय चौधरी राम पाल सिंह द्वारा पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या २१ के उत्तर में आवश्यक सूचना दी जा चुकी है ।

घटना का विवरण इस प्रकार है कि उस दिन जेल खुलते ही दो सत्याग्रहियों ने बैरक के फाटक वाले वार्डर से फाटक खोलने के संबंध में झगड़ा किया और उसको जमीन पर पटक दिया और उसका चाबी का गुच्छा और डंडा छीन कर उसी से उसको मारा । वार्डर के एलार्म करने पर अन्य वार्डर नम्बरदार तथा जेल अधिकारी घटना स्थल पर पहुंच गये । थोड़ी देर के बाद जेलर भी वहां पर पहुंचे। उसी समय २०,२५ सत्याग्रहियों ने जेलर को घेर लिया । वार्डरों और नम्बरदारों ने सत्याग्रहियों को तितर बितर करने के लिए डंडों का प्रयोग किया और जेलर को बचाया । इस घटना में ६ सत्याग्रहियों के साधारण चोटें आई और जेलर की उंगली टूट गई ।

दिनांक २२-८-७० को हुई इस मामले की जांच कानपुर के सिटी मजिस्ट्रेट द्वारा की गई । मजिस्ट्रेट ने अपनी जांच रिपोर्ट में लिखा है कि श्री चौधरी रामपाल सिंह को लाठी की जरा भी चोट नहीं आई, जैसा कि मजिस्ट्रेट के सामने उनके बयान में कहा गया । जांच कर्त्ता मजिस्ट्रेट ने यह भी निष्कर्ष निकाला कि जेल कर्मचारियों द्वारा जानबूझकर कोई लाठी चार्ज नहीं किया गया । इन परिस्थितियों में यह आरोप लगाने का कोई आधार नहीं प्रतीत होता कि उक्त लाठी चार्ज के पीछे सर्व श्री चौधरी राम पाल सिंह यादव और राम चन्द्र महेश्वरी को जान से मार देने का कोई रहस्य था ।

४-९-७० को भूतपूर्व कारागार मंत्री, श्री स्वामी प्रसाद सिंह, कानपुर कारागार गये थे । उन्होंने ८-९-७० को तत्कालीन मुख्य मंत्री जी को जो नोट भेजा उससे प्रतीत होता है कि उन्होंने भूमि हथियाओ आन्दोलन के सिलसिले में गिरफ्तार संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के लोगों से मिलकर जानकारी प्राप्त की किन्तु भूतपूर्व कारागार मंत्री ने अपने नोट में यह बिलकुल स्पष्ट कर दिया था कि उन्होंने उक्त मामले की न्यायिक जांच की मांग पर किसी प्रकार का आश्वासन नहीं दिया था। भूतपूर्व कारागार मंत्री के उक्त नोट पर विचार करके यह निर्णय लिया गया था कि ऐसे छोटे-छोटे मामलों में न्यायिक जांच कराना आवश्यक अथवा प्रशासन के हित में नहीं था ।

इस घटना के संबंध में जेल का कोई कर्मचारी दोषी नहीं पाया गया अतः किसी कर्मचारी के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गयी। यह कहना कि जिले की जनता में उक्त घटना के संबंध में कोई असंतोष है सही नहीं है । उक्त आन्दोलन से संबंधित कोई भी बन्दी अब जिला कारागार कानपुर में नहीं है । अतः उनके साथ जेल के कर्मचारियों द्वारा अमानुषिक कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता ।

श्री शम्भू नाथ चौधरी (जिला बलिया)—

क्या उपमंत्री जी बतलायेंगे कि जो ९ सत्याग्रहियों के चोट आई हैं उनका डाक्टरी मुआइना हुआ ? साथ ही जो यह कहा गया है कि जेलर की उंगली में चोट आई है तो उसकी भी जांच हुई है, तो यह क्या है ?

श्री अनीसुर्रहमान—

जिन लोगों के चोट आई थीं उनका डाक्टरी मुआयना कराया गया था और जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा कि जेलर साहब के चोट आई थी तो उसका भी मुआयना किया गया था और रिपोर्ट मौजूद है ।

श्री रियासत हुसेन (जिला मुरादाबाद)—

क्या मंत्री जी अपने वक्तव्य में देखकर इसको स्पष्ट करेंगे कि सत्याग्रहियों ने जेलर साहब को घेर लिया था और फिर पिटाई सत्याग्रहियों की पहले हुई । सत्याग्रहियों ने कोई इनीशियेटिव नहीं लिया था ?

श्री अनीसुर्रहमान—

मान्यवर, रिपोर्ट में यह बतलाया गया है कि सत्याग्रहियों को तितर बितर करने के लिए डंडे का प्रयोग किया गया है और कोई प्रहार नहीं किया गया है ।

श्री रियासत हुसैन—

मेरा कहना है कि वक्तव्य में यह साफ है कि सिर्फ सत्याग्रहियों ने जेलर साहब को घेर लिया था तो क्या उनको बिला डंडे के प्रयोग क, जबकि जेल में काफी ताकत मौजूद रहती है, तितर बितर नहीं किया जा सकता था ?

श्री अनीसुर्रहमान---

मजिस्ट्रेट की जांच के हिसाब से यह ठीक हुआ कि सत्याग्रहियों को तितर बितर करने के लिए डंडे का प्रयोग हुआ और उनके खिलाफ और कोई कार्यवाही नहीं की गई है।

श्री संजीवन लाल (जिला उन्नाव)---

मंत्री जी को पता है कि जेल के अधिकारी और मजिस्ट्रेट एक ही थैली के चट्टे बट्टे थे तो किसी दूसरी एजेंसी से निष्पक्ष जांच करायेंगे ?

श्री अनीसुर्रहमान---

जैसा कि मैंने अभी कहा है कि भूतपूर्व कारागार मंत्री की नीति के हिसाब से यह निर्णय लिया गया था कि कोई न्यायिक जांच की आवश्यकता नहीं है। अगर कोई नई बात सदस्यगण बतलायेंगे तो जांच कराई जावेगी।

चौधरी रामपाल सिंह यादव (जिला कानपुर)---

क्या मंत्री जी यह बतलायगे कि भूतपूर्व जेल मंत्री, माननीय स्वामी प्रसाद सिंह, ने भूमि आन्दोलन के संसोपा के सत्याग्रहियों पर लाठी चार्ज के दोषी जेल कर्मचारियों पर कोई कार्यवाही नहीं की, तो संविद के वर्तमान जेल मंत्री लाठी चार्ज के दोषी जेल अधिकारियों को दंडित करेंगे ?

श्री अनीसुर्रहमान---

जांच तो भूतपूर्व कारागार मंत्री के हिसाब से हो चुकी है। यदि कोई नई बात माननीय सदस्य कहेंगे तो उसकी जांच हो जावेगी।

श्री मैनेजर सिंह (जिला बलिया)---

मैं यह जानना चाहता हूं कि भूमि आन्दोलन में अनीसुर्रहमान साहब भी जेल गये थे, तो यदि आप पर लाठी चार्ज हुआ होता तो क्या आप कहते कि बल प्रयोग आवश्यक था ?

श्री अनीसुर्रहमान---

यह प्रश्न सवाल से संबंधित नहीं है।

श्री रियासत हुसैन---

श्रीमन्, वक्तव्य के अन्दर दो बातें हैं। एक यह कि सत्याग्रहियों ने जेलर को घेर लिया। दूसरी बात यह है कि जेलर की उंगली में चोट आयी। कहीं वक्तव्य में मंत्री जी ने यह नहीं कहा है कि सत्याग्रहियों ने कोई हमला जेलर के ऊपर किया हो। क्या मंत्री जी इस बात की इंक्वारी करायेंगे कि सिर्फ यह सिद्ध करने के लिये बाद को जेलर साहब की उंगली में चोट बनायी गयी कि सत्याग्रहियों ने आक्रमण किया ? भूतपूर्व मंत्री जी ने जुडिशियल इंक्वायरी के लिये लिखा था।

श्री अनीसुर्रहमान---

जांच के लिए तो रास्ता खुला हुआ है।

चौधरी वीरेंद्र कुमार (जिला सीतापुर)---

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने नियम ५१ के अन्तर्गत दिया था कि सीतापुर में हरिजनों के ऊपर अत्याचार हो रहा है, उस पर वक्तव्य दिलवा दें।

श्री अध्यक्ष—

आज वक्तव्य तैयार नहीं हो सकता ।

चौधरी वीरेंद्र कुमार—

उसकी जांच मुख्य मंत्री जी करवा ल ।

श्री भगवतीसिंह बिशारद (जिला उन्नाव)—

जैसा चौधरी साहब ने कहा मुख्य मंत्री जी के पास उसको भेज दें और उसकी जांच हो जाय ।

श्री अध्यक्ष—

वह मैं भेज दूंगा ।

मेरठ में मास्टर प्लान के विरुद्ध मास्टर प्लान का नकशा बनाने के सम्बन्ध में नियम ५१ के अन्तर्गत वक्तव्य

सार्वजनिक निर्माण राज्य मंत्री (श्री रामधारी शास्त्री)—

माननीय सदस्यों ने जिन विषयों की ओर ध्यान आकर्षित किया उनसे संबंधित पूरी जानकारी अभी उपलब्ध नहीं हो पायी । अतः इस बारे में पूर्ण स्थिति बताना अभी संभव नहीं है ।

इस संबंध में माननीय सदस्यों की जानकारी के लिये बताना चाहता हूं कि मास्टर प्लान नगर के लिये बनाया जाता है न कि किसी भूमि विशेष के लिये । मास्टर प्लान में संबंधित नगर के विभिन्न क्षेत्रों में भूमि के उपयोगों को निर्धारित किया जाता है जो कि सुनियोजित विकास के लिये परम आवश्यक है । भू-अर्जन का मास्टर प्लान से कोई संबंध नहीं होता है । भू-अर्जन का कार्य विभिन्न विकास योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए किया जाता है ।

प्रस्तुत ध्यान आकर्षण सूचना में यह स्पष्ट रूप से नहीं बताया गया है कि यह किस भूमि के संबंध में है । अतः इस संबंध में स्पष्ट सूचना मिलने पर ही स्थिति स्पष्ट करना संभव हो सकेगा ।

श्री प्यारेलाल (जिला मेरठ)—

अध्यक्ष महोदय मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि मैंने और मेरे साथियों ने जो सूचना दी है उसके अलावा और क्या क्या चाहिये जिससे वे पूरी जानकारी दे सकेंगे ?

श्री रामधारी शास्त्री—

यह वक्तव्य में लिखा हुआ है। इतना और कहना चाहता हूं कि हमारे विभाग को पत्रावली कल मिली है । आप समझ सकते हैं कि इसमें कितनी कठिनाई है । मेरठ से सारी सूचना मंगानी है।

श्री अध्यक्ष—

आप सूचना मंगाकर मेरे पास भेज दें और हमके पास भेज दूंगा ।

श्री रामधारी शास्त्री—

आपकी आज्ञा का पालन होगा, श्रीमन् ।

बरेली मिशन अस्पताल के कम्पाउन्ड में डा० कुठार द्वारा महात्मा गांधी के चित्र का अपमान करने के सम्बन्ध में नियम ५१ के अन्तर्गत वक्तव्य

बृह राज्य मंत्री (श्री राजेंद्र प्रताप सिंह)—

बरेली के क्लारा स्वेन अस्पताल के कुछ कर्मचारियों ने अपनी मांगों को मनवाने के लिये दिनांक ३–१२–७० से क्रमिक भूख हड़ताल प्रारम्भ की। कर्मचारी यूनियन के मंत्री श्री मुबारक मसीह तथा श्री नूर अहमद मसीह, ने, जो अस्पताल के निष्कासित कर्मचारी है, पुनः नौकरी पर वापस आने के अभिप्राय से यह आन्दोलन उस समय प्रारम्भ किया जब कि मिशन अस्पताल में शताब्दी समारोह मनाने की योजना बनायी गई थी। उक्त भूख हड़ताल के संबंध में कर्मचारियों ने अस्पताल प्रागण में एक छोटा सा शामियाना लगा लिया तथा उसी स्थान में एक छोटी मेज पर महात्मा गांधी की फोटो रख ली और इंडियन ट्रेड यूनियन कांग्रेस का तिरंगा झंडा लगा लिया। अस्पताल के अधिकारियों द्वारा शताब्दी के समारोह के अवसर पर वहां शामियाना का लगाना अशोभनीय समझा गया और उन्होंने हड़ताली कर्मचारियों से उक्त शामियाने को हटाने की प्रार्थना की। जब कर्मचारियों ने अधिकारियों की प्रार्थना अस्वीकार कर दी तो अस्पताल के अधीक्षक डा० जाल कुठार अस्पताल के अपने अन्य सहयोगी कर्मचारियों के साथ हड़तालियों के कैम्प पर पहुंचे और शामियाने को हटाने का प्रयास किया जिसमें दोनों तरफ से धक्का मुक्की हुई। परिणामस्वरूप राष्ट्र पिता महात्मा गांधी का चित्र व इंडियन ट्रेड यूनियन कांग्रेस का ध्वज गिर कर क्षतिग्रस्त हो गये।

कर्मचारियों द्वारा यह आरोप लगाये गये कि डा० जाल कुठार ने जानबूझ कर महात्मा गांधी की फोटो लात मारकर तोड़ी। तिरंगे झंडे को कुचल कर फाड़ दिया। परन्तु डा० जाल कुठार एवं अस्पताल क अन्य अधिकारियों का कथन है कि यह आरोप निराधार है। उक्त घटना में कोई स्वतंत्र साक्षी नहीं मिल सका जिससे कि सही बात सामने आ सके। स्वतंत्र साक्षी के अभाव में यह सही रूप से नहीं कहा जा सकता है कि इस दुर्घटना के लिये कौन उत्तरदायी है।

श्री नूर अहमद मसीह ने थाने में दिनांक ३–१२–७० को इस घटना के संबंध में रिपोर्ट लिखायी परन्तु उस पर तफतीस इसलिये रोक दी गई क्योंकि डा० कुठार ने श्री मुबारक मसीह व अन्य ७ व्यक्तियों के विरुद्ध न्यायालय में इस घटना के आरोपों के संबंध में मानिहानि का दावा दायर कर दिया है।

यह भी सही है कि उक्त दुर्घटना को लेकर राजनैतिक पार्टियों ने आन्दोलन को आश्रय दिया, अतएव जिलाधिकारियों द्वारा मिशन अस्पताल की स्थित पर निगरानी रखने के हेतु दो पुलिस तैनात कर दिये गये हैं। यह कहना सही नहीं है कि उपरोक्त घटना से आम जनता में कोई रोष और क्षोभ व्याप्त है।

श्री चेतराम गंगवार (जिला बरेली)—

माननीय, मंत्री जी ने जो वक्तव्य दिया है उसकी कापी तो हमको मिलनी चाहिये जो मुझको नहीं मिल पाई है।

श्री अध्यक्ष—

जिनका प्रश्न था उनको दी गई।

श्री चेतराम गंगवार—

मान्यवर, यह मेरा ही प्रश्न था । मान्यवर रोज ही ऐसा होता है । मान्यवर, वक्तव्य में बताया गया है कि डा० कुठार एवं अस्पताल के अन्य अधिकारियों का कथन है कि यह आरोप निराधार है । मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि क्या उनकी राय में यह आरोप सत्य है अथवा नहीं ?

श्री राजेंद्र प्रताप सिंह—

मान्यवर, इस संबंध में डा० जाल कुठार ने एक मुकदमा अदालत में दायर कर दिया है । इस मामले पर किसी तरह की कोई राय देना उचित नहीं है क्योंकि यह मामला सबजूडिस है ।

श्री भानु प्रताप सिंह (जिला बरेली)—

मान्यवर, इसमें सभी लोगों को प्रश्न करने का अवसर दें ।

श्री अध्यक्ष—

यह मामला सबजूडिस है इस लिये इस पर अधिक नहीं बताया जा सकता है ।

श्री भानुप्रताप सिंह (जिला बरेली)—

मान्यवर, आपका जो विवेक कहे उसको मैं मान लूंगा । यह जो रिपोर्ट है इसको मैंने जल्दी में पढ लिया है । मैं इस विषय में कहना चाहता हूं । और उसमें एक ही बात कहना चाहता हूं वह यह है कि यह रिपोर्ट बहुत ही फ्राड है जो सदन में सरकार की ओर से पढ़ी गई है । यह बिलकुल असत्य है झूठ है । क्यों, मैं आधार दे रहा हूं । किस आधार पर मैं निवेदन कर रहा हूं वह माननीय मंत्री जी समझ लें । एक तो यह है कि इसमें घटना का समय नहीं दिया गया कि किस समय की यह घटना है, इस रिपोर्ट में नहीं दिया गया है । दूसरी बात यह है कि इसमें कहा गया है कि स्वतंत्र साक्षी की प्राप्त न होने से कोई ऐसा न था जो साक्षी देने को तैयार हो जाय । मान्यवर, सरकार को कोई व्यक्ति उपलब्ध ही नहीं हुआ जो निष्पक्ष बात कह सके । इसलिये यह कहा गय कि इस ट ना का सही निर्णय नहीं ले सके । मान्यवर, मैं इस संबंध में आपसे यह कहना चाहता हूं कि एक रिपोर्ट श्री नूर अहमद साहब ने लिखाई थी जो कार्यकारिणी के समक्ष हैं ।

श्री अध्यक्ष—

यह कौन सी कार्यकारिणी है, जिसके सदस्य हैं ?

श्री भानु प्रताप सिंह (बरेली)—

यह कर्मचारी यूनियन की कार्यकारिणी है । उन्होंने लिखाया कि यह घटना साढे ५ बजे हुई है । डा० जाल कुठार अपने अन्य सहयोगियों के साथ वहां पर आये और उन्होंने, मान्यवर, गांधी जी की प्रतिमा को तोडा । पुलिस स्टेशन पर जो रिपोर्ट लिखायी गयी है उसमें समय साढे ५ बजे का है, लेकिन यह जो रिपोर्ट बांटी गई है इसमें कोई समय नहीं दिया गया है, इस तरह से यह गलत साबित होती है । मान्यवर मेरे पास एक सर्वदलीय समिति की रिपोर्ट है, अगर आप आज्ञा दें तो मैं पढ़ दूं । मान्यवर इसमें ५–६ नाम हैं, प्रोफेसर कृपा नन्द, हर्ष कुमार गंगवार, जो इसी माननीय सदन के भूतपूर्व सदस्य थे, पंडित प्रजापालन शर्मा हैं, यह हिन्दू महासभा, बरेली के अध्यक्ष हैं, श्री कृष्ण सहाय एडवोकेट, श्री आर०पी० वर्मा, पी०सी० आजाद एडवोकेट हैं । यह कौंसिल के बहुत दिनों तक सदस्य रहे हैं । और अंतिम हैं सत्य प्रकाश सूद । यह समिति के सेक्रेटरी हैं । यह रिपोर्ट है कहिये तो पढ़कर सुना दूं ।

श्री अध्यक्ष—

आप प्रश्न करिये ।

श्री भानु प्रताप सिंह (बरेली)—

मान्यवर, यह बात गम्भीर घटना है....

श्री अध्यक्ष—

यह जो आप पढ़ने जा रहे हैं क्या मंत्री जी के पास पहुंच गया है । आप केवल प्रश्न कर सकते हैं, यह सब कुछ नहीं कह सकते ।

श्री भानु प्रताप सिंह (बरेली)—

मान्यवर, मेरे पास अखबार की कटिंग हैं नित्यानन्द स्वामी जी के पास फोटो हैं । मान्यवर, मैं एक सुझाव देना चाहता हूं और सरकार उस पर विचार करे । मेरा सुझाव यह है कि माननीय सदन के पक्ष और विपक्ष के लोगों का नाम रखा जाय और एक समिति गठित कर दी जाय और वह जांच करके अपनी रिपोर्ट सरकार को दे । मान्यवर, जो वहां पर सरकारी कर्मचारी हैं । उन पर रत्ती भर विश्वास नहीं है....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

आप बैठिये, मैं बताता हूं । मंत्री जी खुद कह रहे हैं कि चूंकि ऐसा कोई गवाह नहीं मिला जो स्वतंत्र हो, इसलिये यह नहीं कहा जा सकता कि कौन उत्तरदायी है । तो क्या अपने को आप स्वतंत्र समझते हैं । तो मैं मंत्री जी से यह कहूंगा कि जब ऐसा प्रश्न आये आप भी स्वयं चले जायं । आप दौरा करते हैं । इसमें भी दौरा कर सकते हैं और दौरा करके सत्यता जानने की कोशिश करें । अदालत में मामला है लेकिन यह जरूरी नहीं है कि मंत्री जी उसकी जांच न करें और लोगों से पूछ न सकें । सबजूडिस होते हुए भी डिपार्टमेंटल इंक्वायरी आप कर सकते हैं और सत्यता जानने के लिए आप स्वयं जांच कर सकते हैं । महीने दो महीने बाद जब मीटिंग होती तब तब सत्यता जानने के बाद लोगों को जवाब दें तो अच्छा होगा ।

श्री राजेंद्रप्रताप सिंह—

मान्यवर, ३—१२—७० को यह घटना हुई साढ़े ५ बजे रिपोर्ट हुई और दूसरे दिन ४—१२—७० को सब-इन्स्पेक्टर तफतीश करने गये ।

श्री अध्यक्ष—

वह तो गये लेकिन क्या आप भी गये ।

श्री राजेंद्र प्रताप सिंह—

मेरी बात सुन लें । वह तफतीश होने पर जरूरत होती तो मैं भी जाता लेकिन उस बीच में यह रिपोर्ट मिली डाक्टर जाल कोठार ने गांधी जी की तस्वीर को तोड़ा है और झंडे को फाड़ा है इस पर डाक्टर साहब ने एक मान हानि का दावा दायर कर दिया है और अदालत उसका फैसला करेगी कि उन्होंने तोड़ा या नहीं तोड़ा । इसमें हस्तक्षेप आप उचित समझते हैं तो मैं जाने के लिए तैयार हूं ।

श्री अध्यक्ष—

हस्तक्षेप का सवाल पैदा नहीं होता । विभागीय इंक्वायरी अलग बात है । आप मंत्री हैं । वह आप पर विश्वास करते हैं । आप जाकर देखें कि सही बात क्या है और उस चीज को सत्यता जानने के बाद आप ठीक बतला सकते हैं ।

श्री राजेंद्र प्रताप सिंह—

मैं आपका आदेश मानने के लिये तैयार हूं । मैं जाकर स्वयं देखूंगा ।

केन्द्रीय सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश को ५ पावर प्रोजेक्ट्स चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत खोलने के सम्बन्ध में नियम ५३ के अन्तर्गत चर्चा

*श्री कृष्णचन्द्र (जिला झांसी)—

मान्यवर, मैं आपका अनुग्रहीत हूं कि आपने मुझे यह अवसर प्रदान किया कि मैं इस प्रश्न को यहां पर उपस्थित कर सकूं। केन्द्रीय सरकार ने यह फैसला किया कि चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में वह ५ पावर प्रोजेक्ट्स उत्तर प्रदेश में खोलेगी। उन्होंने यह भी फैसला किया है कि वह विचार कर रही है उत्तर प्रदेश के किसी स्थान पर एटामिक एनर्जी प्लान्ट खोला जाय। इस सम्बन्ध में कोई संशय इसलिये भी नहीं रहा कि १८-१२-१९७० के नेशनल हेराल्ड में जो समाचार छपा है वह इस प्रकार है—

New Delhi, December 17—Dr. K. L. Rao, Minister for Power and Irrigation, told the Rajya Sabha to day that the government had sanctioned five power projects.

अब इसमें कोई सन्देह की गुन्जाइश नहीं है कि केन्द्रीय सरकार ने सैद्धान्त प्रदान कर दी है कि ५ पावर प्लान्टस तथा एक आटोमिक एनर्जी प्लान्ट इस प्रदेश में खोले जायं। मैंने यह प्रश्न इसलिये उठाया है कि मैं इस प्रदेश की सरकार की सद्भावना उसके रहम व उदारता की प्रवृत्ति को, उसके इंस्टिंक्ट को जागरूक कर दूं और उसका ध्यान इस ओर आकर्षित कर दूं कि यदि यह ५ पावर प्रोजेक्टस जैसा कि निश्चय हुआ है उत्तर प्रदेश में खोलने का।

बुन्देलखंड की वर्तमान स्थिति है कि मैं उसके ऊपर इस सरकार की भावना को जागृत करना चाहता हूं। जैसा कि अभी कुछ दिन पहले इस सदन ने सर्वसम्मति से निश्चय किया है कि पिछड़े इलाकों को जिसमें कि पूर्वी उत्तर प्रदेश है, बुन्देलखंड है और पहाड़ी क्षेत्र है, चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में कुछ सिद्धान्तों के आधार पर जिसमें कि वास्तविक पिछड़ापन हो, उनकी जो जातियां हैं उनके पिछड़ेपन हो या जनसंख्या में पिछड़ेपन हो, ओवर आल दारिद्रय और निर्धनता हो फन्ड का एलोकेशन करेंगे। उसमें उन क्षेत्रों के ऊपर यह सरकार विशेष ध्यान दे जो कि वास्तव में अविकसित हैं। मान्यवर, मैं सरकार से यह अनुरोध करूंगा कि जो पांच पावर प्रोजेक्टस इस प्रदेश में लगने वाले हैं उनमें से कम से कम दो प्रोजेक्टस बुन्देलखंड के लिये देंगे और जो एटोमिक इनर्जी प्लान्ट उत्तर प्रदेश में खुलने वाला है उसे झांसी जिले में खोलने की कृपा करें। मान्यवर इसके बारे में सर्वे हो गया है। झांसी जिले में एक स्थान मदनपुर है। इक्सपर्टस ने झांसी जिले के इस स्थान का एटोमिक इनर्जी प्लान्ट लगाने के लिये सर्वे किया था। हम लोग इन इक्सपर्टस से मिले थे और उन्होंने हमें बताया था कि यह स्थान इस प्लान्ट के लिये उपयुक्त है और एक आदर्श जगह है। यहां पर एटोमिक इनर्जी प्लान्ट खोला जा सकता है। उनकी राय यह थी कि यह प्लान्ट ऐसे स्थान पर लगाया जायेगा जो शहर से दूर हो, आबादी न हो, जंगल जहां पर हों वहां पर लगाया जा सकता है और उसके लिये यह स्थान एक आदर्श स्थान उन्होंने बताया। किन्तु मुझे नहीं मालूम कि किन कारणों से वहां पर इस प्लान्ट को न लगाने की चर्चा चल रही है। इसलिये आज जब कि इस विषय में चर्चा और विचार हो रहा है, मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि यह एटोमिक एनर्जी का प्लान्ट झांसी जिले में ही खोला जाय।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया।

[श्री कृष्ण चन्द्र]

माननीय, बुन्देलखंड की स्थिति यह है कि जिसके बारे में मैं यहां पर हाइलाइट करना चाहता हूं।

मैं इस सम्बन्ध में माननीय शांति प्रपन्न शर्मा जी का ध्यान आकर्षित करते हुये इसमें आपकी मदद चाहूंगा .....

श्री अध्यक्ष—

(श्री शांति प्रपन्न शर्मा को संबोधित करते हुये) माननीय मंत्री जी जरा सुन लें।

(श्री कृष्ण चन्द्र से)

आप उनको अपना सुझाव बता दें फिर से।

श्री कृष्ण चन्द्र—

माननीय, मैंने यह सुझाव दिया कि ५ पावर प्रोजेक्टस जो उत्तर प्रदेश में खुलने जा रहे है उनमें से कम से कम दो पावर प्रोजेक्टस बुन्देलखंड में खुलने चाहिये। माननीय, मेरा दूसरा सुझाव यह था कि एटोमिक एनर्जी का प्लान्ट खुलने की जो बात है उसके सम्बन्ध में जब कि इक्सपर्ट ने सर्वे भी कर लिया है और झांसी जिले के मदनपुर नामक स्थान पर इसे खोलने के लिये एक आदर्श स्थान बताया है तो उस इनर्जी प्लान्ट को झांसी जिले में ही खोला जाय। अतः मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि इस एटोमिक इनर्जी प्लान्ट को झांसी जिले में ही खोलने की व्यवस्था करें।

माननीय, मैं वैसे ही इस बात को नहीं कहता हूं। इसके लिये रीजन भी हैं और वे कारण इस प्रकार हैं कि वह इलाका सूखी जगह का है, उस जिले में पिछड़ापन है, वहां के लोग वंचित और निर्धन हैं इत्यादि। माननीय चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में ९ प्रोजेक्ट्स खुलने हैं। माननीय, मेरे पास वह लिस्ट भी है किन्तु मैं इसे पढ़ कर सदन का समय नहीं लेना चाहता हूं लेकिन इतना कहना चाहता हूं कि उन ९ प्रोजेक्टस में एक भी प्रोजेक्ट बुन्देलखंड में खोलने की योजना नहीं बनी है। माननीय, आपके ही दिये हुये ये आंकड़े हैं जिनमें कहा गया है बुन्देलखंड में गांवों में जितनी बिजली पहुंची है वह ४—१ प्रतिशत है जब कि एवरेज १४—३ प्रतिशत है। तो माननीय अभी वहां पर बिजली मिलने में १० प्रतिशत की कमी है। माननीय चतुर्थ पंचवर्षीय योजना तक १९६९—७० तक यह आपके ही आंकड़े हैं कुल १८६ गांवों में बुन्देलखंड बिजली पहुंची है। माननीय, यह ऐसी दयनीय अवस्था है। मुझे खेद है। मुझे शर्म आती है, यह तो मैं कह नहीं सकता क्योंकि जिन्होंने भी हमारे साथ न्याय या अन्याय किया है वह हमारे ही अंग रहे हैं, इसलिये मैं यह नहीं कह सकता कि मैं इसके लिये शर्मिन्दा हूं। लेकिन इसका मुझे दुःख अवश्य है। मैं आज आप के द्वारा सरकार से यह अनुरोध करता हूं कि माननीय मुख्य मंत्री जी ने कई मीटिंग्स की बुन्देलखंड, पूर्वी अंचल और उत्तराखंड के लोगों की। हमने उनको अपने सुझाव भी दिये और माननीय मुख्य मंत्री जी ने हमको इसका आश्वासन भी दिया कि पिछड़े इलाके को वैटेज दिया जायगा। उन्होंने आश्वासन दिया कि पिछड़े इलाकों को बिजली मुहय्या की जायगी, उद्योग खोले जायेंगे, सिंचाई की व्यवस्था की जायगी। स्वयं उन्होंने यह बात कहीं और माननीय शांति प्रपन्न शर्मा जी भी वहां थे कि इन क्षेत्रों को बिजली में प्रायोरिटी दी जायगी। उनके पिछड़े पन को दूर करना उनका सर्वोपरि लक्ष्य होगा।

श्रीमन्, आज इस सरकार का ट्रायल है। अक्सर यह कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश के पिछड़ेपन की जिम्मेदारी केन्द्र पर है। माननीय, हम नहीं जानते कि केन्द्र उसके लिये जिम्मेदार हैं अथवा कौन जिम्मेदार है लेकिन यह हम जानते हैं कि हमारे पिछड़ेपन के लिये उत्तर प्रदेश की सरकार अवश्य उत्तरदायी है। पिछले २३ वर्षों में केन्द्र की ओर से पर्याप्तमात्रा में धनराशि मिली है लेकिन फिर भी इन क्षेत्रों की उपेक्षा की गयी है। आज उत्तर प्रदेश को पांच पावर प्रोजेक्ट मिले हैं। आज ट्रायल का समय है कि आप हमारे साथ इन्साफ करते हैं या नहीं करते, पिछड़े हुए क्षेत्रों का विकास करना चाहते हैं या नहीं, इन इलाकों को तरक्की देकर अपने साथ लेना चाहते हैं या नहीं। मैं मानता हूं कि आपका आश्वासन सही है, माननीय मुख्य मंत्री जी की

चिन्ता सही है। फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिये, कोई रुकावट नहीं होनी चाहिये। जो पावर प्रोजेक्ट आपको मिल रहे है वे सब के सब पिछड़े इलाकों को मिल जाने चाहिये। प्रोजेक्ट और एक अटामिक प्लान्ट बुन्देलखंड को मिलना चाहिये।

*विद्युत मंत्री (श्री शान्ति प्रपन्न शर्मा)—

श्रीमन्, यह बात सही है कि हमारे इस प्रदेश में बिजली की बहुत भारी कमी है और जितनी मांग बढ़ती जायगी, कमी भी बढ़ती जायगी और यह आशा की जाती है कि ट्यूबवेलों की यही मांग रही तो हमारे यहां करीब ७०० मेगावाट बिजली की कमी हो जायगी। इस बात को ध्यान में रख कर हमारे प्रदेश ने बिजली की चार योजनायें बनायीं। मैं शर्मा जी से दरख्वास्त करना चाहता हूं कि इसके पहले आप कहें कि कोई बिजलीघर यहां बने या वहां बने, बिजली घर वहां बनता है जहां उसकी उपयोगिता होती है। इस बात को भी ध्यान में हमें रखना होगा। जहां उसकी उपयोगिता होती है। लेकिन हमारे प्रदेश में एक अजीब बात है कि बिजलीघर कहीं बने, हमारे प्रदेश में एक ग्रिड है, इससे कहीं पर भी बिजली बने उसके बाद दूसरी जगह बिजली पहुंचा सकते हैं। आज हाइडिल की बिजली बनने की बात है। वह बनाई जाय। अगर नहीं बनेगी तो आगे बिजली बहुत मंहगी बनेगी। हाइडिल की बिजली हिमालय या उत्तराखंड में बन सकती है क्योंकि बद्रीनाथ वगैरह कई हजार फीट पर स्थित है।

इसके अलावा थर्मल पावर हाउस बन सकते हैं जहां कि कोयले की खान नजदीक हो या किसी वजह से थर्मल पावर बनाने का इंतजाम हो। ऐसा इंतजाम हमारे प्रदेश में जहां थर्मल पावर बना करती है, तीन जगह हैं। ओबरा में कोयले की खान नजदीक है। इसके अलावा कानपुर और हरदुआगंज में है। इन जगहों पर बिजली बनाने का मतलब यह नहीं है कि, दूसरी जगह बिजली दे सकेंगे। आज साइंस इतनी बढ़ गई है कि बड़ी बड़ी लाइन करा कर बिजली एक जगह से दूसरी जगह ले जाई जा सकती है। हम बद्रीनाथ में ४०० लाइन्स लगायेंगे और बनारस तक बिजली पहुंचायेंगे। जैसा कि शर्मा जी ने कहा कि झांसी में पावर हाउस बना दें तो कोई ज्यादा फायदा होने वाला नहीं है। आपको मालूम है कि माता टीला में बिजली बनती है इसके बाद धामपुर ले जाते हैं। कहीं भी बिजली बनने लगे तो वह दूसरी जगह पहुंचाई जा सकेगी।

इस तरह से हमने ४ पावर हाउस बनाने की बात की थी। भारत सरकार से हमारी क्या बात चल रही है वह ऐसी चीज नहीं है जिसको हाउस में कहा जाय क्योंकि दूसरे प्रदेश वालों को जेलसी होती है। अगर वह बात यहां कहने लगूं तो वह अच्छा नहीं होगा। मैं इतना विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हमारे यहां बिजली की बहुत कमी है। हमने कोशिश की है कि ज्यादा से ज्यादा बिजली बनायें। हमने अपने यहां के एम० पी० से भी कहा है और हम लोग कोशिश में है कि भारत सरकार से ज्यादा से ज्यादा बिजली मिल जाय। इसके लिये हमने चार योजनायें बनाई थीं। एक हरदुआगंज विस्तार योजना, पनकी विस्तार योजना, ओबरा विस्तार परियोजना, और एक ओबरा (ब) परियोजना है। ओबरा में इसलिये बना रहे हैं कि वहां पर नजदीक कोयला है। अगर दूसरी जगह बनायेंगे तो बिजली मंहगी पड़ेगी।

भारत सरकार ने हमारी दो योजनाओं को स्वीकार किया है और उनके लिये मशीनों के लिये भी आर्डर दे दिया है। हरदुआगंज और पनकी के लिये। ये मशीनें हिन्दुस्तान में ही हैवी इलेक्ट्रिकल्स में बनती है। ये निश्चित समय नहीं बताते कि कब तक मशीनें मिल जायेंगी। हमने भारत सरकार से कहा है कि हमें प्राथमिकता दी जाये जिससे हमारी मशीनें जल्दी बन जायं। केन्द्रीय मंत्री हमारी ६ मशीनों के लिये प्राथमिकता देने के लिये राजी हो गये हैं उसकी बात हमारी चल रही है और मैं कल के बाद परसों दिल्ली जाऊंगा और इस बारे में बात करूंगा। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपकी चिन्ता का हमें पता है। हमारे अफसर भी गये, हम भी जायेंगे।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री शान्ति प्रसन्न शर्मा]

जहां तक अणु बिजली घर की बात है शायद यह बात करीब करीब तय हो गयी है कि वह उत्तर प्रदेश में लगेगा और उसके लगाने के लिये जो इन्टिस्ट हैं उन्होंने यह कहा कि बम्बई में जो अणु बिजली घर पहले से लगा है उसमें कुछ नये तजुरबे हुये इसलिये उन तजुरबों की रोशनी में सब चीजें देखनी पड़ेगी। तो उसमें हमारा कोई हाथ नहीं है। यह ठीक है कि झांसी भी उसमें एक जगह है। दो जगह और हैं—नरौरा और हरद्वार। विक्रम साराभाई उसके अध्यक्ष हैं। वह जिस स्थान को उपयुक्त समझेंगे वहां लगायेंगे। अभी तक तो दूसरी स्टेट वाले चाहते हैं कि यू० पी० में लगे नहीं। अभी तो सब से बड़ा जोर यही लगाना है कि हमारे यहां ही लगे। और हमारे यहां लगा तो हम सचमुच यहां चाहेंगे कि झांसी में ही लगे। लेकिन अगर उनकी राय यह हुई कि झांसी में नहीं, किसी दूसरी जगह लगाना चाहिये तो शर्मा जी को मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि उसकी वजह से झांसी में बिजली की कमी नहीं पड़ेगी।

एक बात और बता दूं कि उस रोज आपने कहा कि जो पिछड़े क्षेत्र हैं तीनों उनमें उनके हिस्से का रुपया खर्च नहीं होता है। मेरी खबर यह है कि तीनों क्षेत्रों को जितना रुपया एलाट होना चाहिये उससे कुछ ज्यादा ही मिलता है। वैसे यह सही है कि उनको और ज्यादा मिलना चाहिये क्योंकि वह बहुत पिछड़े हुये हैं।

दूसरे, मैं यह मानता हूं कि बुन्देलखंड के कुछ गांवो में कम्पैरेटिवली कम बिजली लगी है। तो हमने पिछली दफा यह भी निश्चय किया था कि हमारे यहां सामन्जस्य होना चाहिये। अगर कहीं बहुत ज्यादा लगी है और कहीं कम लगी है तो वहां प्राथमिकता मिलनी चाहिये। जैसा मैंने कहा, बिजली की प्राथमिकता हम आपको देंगे। अगर हमको बिजली मिली तो आपके अधिक गांवों में बिजली की योजना हम बनायेंगे।

*श्री त्रिवेणी (जिला आजमगढ़)—

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय विद्युत मंत्री जी से यह अनुरोध करूंगा कि वह पूरे सदस्यों की राय सुन लें उसके बाद जो योजना वह बना रहे हैं वह चलायें। पूर्वी उत्तर प्रदेश के सिलसिले में अभी मंत्री जी ने जो पढ़ा है उसमें कोई चीज नहीं आयी। जैसे अणु संचालित बिजली घर जो केन्द्रीय सरकार ने उत्तर प्रदेश में देने का तय किया है तो बिहार ने भी बड़े जोर से झगड़ा किया है। तो मैं मंत्री जी को यह सुझाव दूंगा कि बिहार और उत्तर प्रदेश की सीमा पूर्व अंचल है और वह है घाघरा के किनारे। उनके वैज्ञानिक जो चीज चाहते हैं कि गांव दूर हों और कोई खतरा न हो यही स्थिति वहां है और बड़े बड़े एक्सपर्टस ने कहा है कि वहां रा मैटीरियल भी है। तो पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार का जो झगड़ा है उसके लिये मैं यह सुझाव दूंगा कि केन्द्र के सामने आप यह सुझाव रखें कि अगर बलिया के पास या देवरिया के पास घाघरा के किनारे अणु बिजली घर को बना दिया जाय तो उससे दोनों सूबों की डिमान्ड पूरी हो जाती है। वह गोरखपुर, बलिया, गाजीपुर और आजमगढ़ में भी बन सकता है।

मैं विद्युत मंत्री जी का ध्यान इस ओर खींचना चाहता हूं कि पूर्वी उत्तर प्रदेश पिछड़ा इलाका है। वहां पर विद्युत का नाम नहीं है। मन्त्री जी जरा उस इलाके को देखें। हमारी यह बड़ी शिकायत है कि विद्युत मन्त्री जी ने उस पिछड़े पूर्वी इलाके को नहीं देखा है। वहां पर देखें कि वहां की समस्यायें क्या हैं। वह इस प्रदेश का कितना पिछड़ा इलाका है। वहां चाहे कोई भी जिला हो वे १०, ५ जिले ऐसे हैं कि वहां पर आज तक गांवों में बिजली का नामो निशान नहीं है। पच्छिम को देखिये कि हर गांव में बिजली के खम्भे दिखाई देते हैं। मैं मन्त्री जी से कहूंगा कि जो इलाका रोशनी की दृष्टिकोण से इन्डस्ट्री के दृष्टिकोण से पिछड़ा

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

हुआ इलाका है उस पर ध्यान देने का प्रयत्न किया जाय। केन्द्र के सामने यह सुझाव रखा जाय कि जैसे वह नरोरा या झांसी का विचार कर रहे हैं वह बिल्थरा रोड का भी विचार कर लें। वहां पर २५, २५ मील तक कोई गांव नहीं है। वहां पर घाघरा एक विशाल नदी है। वहां पर बनने से दोनों समस्यायें हल हो जायंगी। बिहार और उत्तर प्रदेश दोनों की आवश्यकता पूरी हो जायगी। इस बात को केन्द्र बहुत आसानी से मान जायगा। वहां एक्सपर्ट लोग आयेंगे और उस क्षेत्र का सर्वे करेंगे। मन्त्री जी भी एक बार एक्सपर्ट के साथ वहां पधारें और देखें कि क्या होता है।

*श्री चन्द्रभान शर्मा (जिला मुजफ्फरनगर)—

अध्यक्ष महोदय, जब से यह सदन चला है इस दौरान में दो दफा बड़ी बड़ी मीटिंग हो चुकी हैं। एक पर्वतीय इलाके के लिये और एक बुन्देलखंड इलाके के लिये और पूर्व इलाके के लिये भी मीटिंग हुई लेकिन बदकिस्मत हम यतीम लोग हैं जिनका यहां पर कभी जिक्र नहीं होता है। हालांकि हमने अपने परिश्रम और पुरुषार्थ से खम्भे गाड़े हैं। हम लोगों ने अपना पैसा लगाकर कमर्शियल स्कीम में रुपया दाखिल करके बिजली के लिये दरख्वास्त दी है। हमारे यहां तीन हजार दरख्वास्तें बिजली के लिये दी गई हैं। हमारे काश्तकार और मजदूर अपना खून और पसीना बहाने के बाद उत्तर प्रदेश में इतनी पैदा करता है जिससे प्रदेश की खुशहाली आगे बढ़ती है लेकिन हमको इसका कोई श्रेय नहीं दिया जाता है बल्कि हमारी आवाज को आप भी दबाते हैं और ये लोग भी दबाते हैं। क्या हमको यहां पर यह भी हक नहीं है कि हम अपनी बात को कह सकें ?

मैं मेरठ कमिश्नरी के बारे में कहना चाहता हूं कि मेरठ कमिश्नरी का रिफरेन्स देकर कहा जाता है कि अंग्रेजी जमाने से वह इलाका बहुत विकसित है। लेकिन मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि इस सारे प्रदेश को जो सबसिडी दी जाती है उस सब को अगर शुमार किया जाय यानी जितनी तकावी दी जाती है वह सब पूर्व में ही खत्म हो जाती है। ६ माह तक वहां बाढ़ बनी रहती है और उसके नाम पर तकावी बटती है और उसके बाद फिर ६ माह के लिये सूखा आ जाता है और फिर यहां सूखे का शोर सुनाई देता है और जोर के साथ यहां पर तकावी और सहायता के लिये लड़ाई की जाती है। लेकिन हमारी बदकिस्मती है कि हमारे जो मिनिस्टर साहबान प्रतिनिधि बनते हैं और यहां बैठते हैं वह किन्हीं पोलिटिकल मसलहत से अपनी जबान नहीं खोल पाते क्योंकि जब मुख्य मंत्री बनने का नम्बर आता है तो सभी लोगों की मेहरबानी की उनको जरूरत होती है। इसी तरह से जब हमारी तरफ के कोई सदस्य सिंचाई मंत्री बनते हैं तो वह हमारी तरफ नजर करते हुये इसलिये डरते हैं कि कहीं उन के ऊपर उधर के लोग आक्षेप न करें, क्योंकि हमेशा पूर्व के लोग तरह तरह के आक्षेप उन पर लगाकर हमलावर हो जातेहैं और पूरब की पुकार को बुलन्द कर देते हैं।

हमें कम से कम दो पावर प्रोजेक्ट्स मिलनी चाहिये और एक एटामिक प्रोजेक्ट हमारे यहां खोली जाय, यह मैं चाहता हूं। मेरे कहने का मंशा यह है कि पूर्वी जमुना केनाल है, उससे दुनिया भर से ज्यादा आबियाना वसूल किया जाता है जबकि उसमें सब से कम पानी है लेकिन इसके बावजूद भी वहां दशा यह है कि वहां न रहट है, न पम्पिंग सेट हैं और न बिजली ही नलकूपों के लिये है। हमारे बिजली के जो मंत्री जी हैं उनको इस बात का अहसास है लेकिन मैं नहीं समझ पाता कि क्यों और किन पोलिटिकल असबाब से हमारे साथ सौतेला बरताव होता है, क्यों हमारे साथ अन्याय होता है और हमारे जायज हक पर कुल्हाड़ा चलाया जाता है ? सन् ५४ में इस जमुना केनाल के मुहान को ठीक करने के लिये १२ करोड़ रुपया मंजूर हुआ था, लेकिन आज

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री चन्द्रभान शर्मा]

तक वह खटाई में पड़ा है और सिंचाई मंत्री जी के कान पर जूं नहीं रेंगती। ६ मास तक वह वजारत करते रहे लेकिन उनको जुरंत नहीं हुई कि वह जमुना केनाल को ठीक कराने के लिये कोई स्कीम लाते। रामगंगा और माताटीला प्रोजेक्टस की तमाम स्कीमें यहां रोज आती हैं लेकिन इस योजना का जिसका कि दो तिहाई पानी हरियाना ले जाता है, पश्चिमी जिले उसके लिये तरसते रह जाते हैं और यहां पानी की कमी बनी रहती है। अगर आप यहां इस केनाल को ठीक करा दें तो मैं आपको यकीन दिलाऊंगा कि अगर पश्चिमी जिलों की योजनाओं पर थोड़ा सा भी ध्यान दें तो वहां से ही आपको इतनी पैदावार और धन मिलेगा कि आपके पूर्व की तरफ भी उसका लाभ पहुंचेगा।

मुझे अफसोस है कि हमारे कृष्णचन्द्र जी ने कहा कि अगर बुन्देलखंड को इसी तरह से नजर-अन्दाज किया गया तो वहां नेक्सेलाइट पैदा होंगे। अगर मैं भी उन्हीं की तरह कहूं कि अगर हमारे पश्चिमी जिलों को इसी तरह से नजरअन्दाज किया गया तो हमारी भी जबान खुलेगी और और सूबे के टुकड़े कराने के लिये लोग मजबूर होंगे। मैं सरकार को चेतावनी देता हूं और उसका ध्यान वक्त से दिलाता हूं कि अगर आप ने पश्चिम के किसानों की मांगों को नजरअन्दाज किया तो उसकी जिम्मेदारी इस सरकार की होगी। यह हमें मंजूर न होगा कि ४–५ प्लान बिजली के आयें और अणु शक्ति के बिजली घर बनें और वह सब पूर्व में और सूबे के दूसरे इलाकों में दे दिये जायं और हमारा इलाका बैठा देखता रहे। मेरा निवेदन है कि हमारी सिंचाई की जरूरत को देखते हुये एटम एनर्जी का प्लान्ट केवल पश्चिमी जिलों में ही लगायें और अगर उनको आपने नजरअन्दाज किया तो उसके नतायज दूर रस और खतरनाक होंगे।

श्री मैनेजर सिंह (जिला बलिया)—

अध्यक्ष जी, हमारे श्री कृष्णचन्द्र जी ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर हमारा ध्यान आकृष्ट किया है। मैं उनको बधाई देना चाहता हूं। मझे सन्देह है कि जब माननीय शर्मा जी ने नेशनल हेराल्ड का उद्धरण दिया तो मेरा दिल बैठ गया। नेशनल हेराल्ड और नवजीवन दो ऐसे समाचार पत्र हैं जिनका अब कोई एतबार नहीं करता है। खास तौर से जब कोई केन्द्रीय सरकार की बात आती है। उसमें चर्चायें आती हैं उनका कोई यकीन नहीं करता है। मुझे सन्देह है कि श्री के० एल० राव ने और केन्द्रीय सरकार ने क्या निर्णय किया है, लेकिन मैं चाहूंगा चाहूंगा कि हमारे भाई माननीय कृष्ण चन्द्र जी और अन्य साथी एक राय होकर केन्द्र को विवश करें कि केन्द्रीय अधिकारी इन योजनाओं को उत्तर प्रदेश को दें। ५ पावर प्रोजेक्ट्स की बात है और एटोमिक एनर्जी प्रोजेक्ट की बात है। ये दोनों ही हमारे लिए बहुत आवश्यक चीजें हुयी हैं। रही बात झांसी की, हमें भी आज गर्व है, जब हम अपने इतिहास को देखते हैं तो हम बलिया की ओर भी देखते हैं और झांसी की ओर भी देखते हैं। बलिया के पूर्वजों के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो पता चलता है कि वे बड़े ही क्रांतिकारी रहे हैं और जब हम इतिहास का स्मरण करते हैं तो झांसी की वीरांगनाओं का स्मरण करके नत मस्तक होते हैं। झांसी में कोई प्रोजेक्ट लगे, उसका विकास हो और वहां से विद्युत का संचार हो, मैं समझता हूं कि यह हमारे प्रदेश में इससे शक्ति पैदा होगी जो इस प्रदेश के लिये भी सक्षम होगी।

हमारे प्रदेश की बहुत उपेक्षा हुयी है। आजादी के बाद हमारे प्रदेश में विकास के बहुत कम प्रोजेक्ट खोले गये हैं। मैं नहीं कहना चाहता कि यह हमारी केन्द्रीय सरकार की उपेक्षा की नीति से हुआ है या हमारे प्रदेश की सरकार की चाटुकारिता या चापलूसी की पौलिसी के कारण हुआ? यहां की हुकूमत ने, यहां के नेता लोगों ने केन्द्रीय सरकार पर कभी भी अपना दबाव नहीं डाला है और न कभी उनको चेतावनी दी है। चाहे किसी भी दल के हों हमें इसकी ओर ध्यान देना होगा। आज देश में जितने भी प्रदेश हैं उनमें उत्तर प्रदेश को आर्थिक दृष्टि से देखें तो

पता चलेगा कि यहां की औसत आय सबसे कम है। सिंचाई का जो प्रतिशत है, हिन्दुस्तान भर में, उसमें सबसे कम हमारे प्रदेश का है। हम मांग करते हैं कि देश भर में हमारी उपेक्षा हो रही है इसलिये हमको अन्य प्रदेशों के समकक्ष लाइये। हमारे कई साथियों ने जब पूर्व, पहाड़ी इलाके और बुन्देलखंड के विकास की बात कही तो बहुत से माननीय सदस्यों को चूरी सी लगी है। यहां पर इस प्रदेश की सरकार ने एक बुकलैट छपवा दी उसमें प्रदेशीय शासन का यह कहना था कि पूर्व की उपेक्षा नहीं की गयी है।

यहां पर कहा गया कि आजादी का बिगुल पूरब में ही नहीं—मेरठ में ही बजा था। लेकिन क्या कभी यह सोचा गया कि मेरठ में आजादी का बिगुल बजाने वाले हमारे बलिया के ही मंगल पांडे थे ? ये किस आधार पर कहते हैं कि मेरठ में आजादी का बिगुल बजा ? मैं बलिया और मेरठ की बातों में नहीं जाना चाहता। जितना प्रेम हमें बलिया का है उतना ही प्रेम हमें मेरठ से है लेकिन जिस आधार पर विकास कार्य किये जाते हैं, वह सही नहीं है। औद्योगिक मामले में हम सबसे नीचे हैं, सिंचाई के मामले में और बिजली के मामले में हम सबसे नीचे हैं, उसी प्रकार बुन्देलखंड, पूर्वी जिले और पहाड़ी लोग अगर ये कहते हैं तो कुछ बुरा नहीं कहते हैं। हम चाहते हैं कि मेरठ का विकास हो लेकिन जो और इलाके हैं, उनका भी उत्थान होना चाहिये। हमारे यहां पर बाढ़ आती है, सूखा पड़ता है, यह सरकार वहां के लोगों में, चना बांटती है एक छटांक प्रति व्यक्ति के हिसाब से और कठिनता से ४ लाख रुपया खर्च अगर हो जाता है तो आपको बड़ा दर्द हो जाता है। अभी गंग नहर की सिल्ट साफ करने में कितना रुपया व्यय हुआ है। मैं जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं कि जितना पैसा सरकार ने इस कार्य में व्यय किया है उतना पूर्वी इलाके में नहीं खर्च हुआ है। मैं नहीं कहता कि वह अनुचित खर्च है क्योंकि उस सिल्ट के जमने से हमारे ही प्रदेश का नुकसान हुआ है फसल का और नाना प्रकार का। हम नहीं कहते कि वह अनुचित है। आप किस मुंह से कहते हैं जब सरकार सूखे के लिये सूखा ग्रस्त लोगों में रुपया बांटती है ?

बहुतेरों ने कहा कि उत्तर प्रदेश का बटवारा हो जायेगा। हम कहते हैं कि उत्तर प्रदेश का बटवारा नहीं होगा। कोई कहे कि हम उत्तर प्रदेश का बटवारा इसलिये नहीं चाहते हैंकि हम पश्चिम उत्तर प्रदेश की कमाई खाना चाहते हैं तो यह गलत है। हम एक एक खेत में एक एक गांव में खेती करते हैं और उससे अपना भरण-पोषण करते हैं। उत्तर प्रदेश भारत का, एक छोटा सा रूप है। भिन्नता में एकता हमारे देश की विशेषता है। उस भिन्नता में एकता का जीता-जागता स्वरूप हमारा उत्तर प्रदेश है। विभिन्न प्रकार की बोली बोलने वाले लोग हैं, विभिन्न प्रकार के खाना खाने वाले लोग हैं, विभिन्न प्रकार की वेश भूषा वाले लोग इस उत्तर प्रदेश में अपनी संस्कृत को संजोये हुये हैं। न यहां पहाड़ का पृथक राज्य रक्खा जाय, न पश्चिम का और न पूर्व का। पूर्व के कुछ मनचले कहते हैं कि हम भोजपुरी प्रान्त बनायेंगे। हम सबका हम डट कर विरोध करेंगे। यह प्रदेश रखवाली करेगा भारतवर्ष की और प्रदेश एक रहेगा। सारे जिले हमारे अपने हैं, सारे भाई हमारे अपने हैं। सबकी उन्नति हमारा लक्ष्य होना चाहिये।

श्री चन्द्रपाल आजाद (जिला मथुरा)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे केवल इतना ही कहना है कि यह विवाद नहीं होना चाहिये कि यह पूर्व है और यह पश्चिम है। लेकिन जहां यह बात है वहां इस बात को भी नजर अन्दाज नहीं किया जा सकता कि किसी भी चलते हुए आदमी को आहिस्ता किया जाय और जो शून्य बैठा है उसको कहा जाय कि चलो चलें। आप देखें कि सबसे पहले डीजल के पम्पों से लघु सिंचाई किस जिले में आरम्भ हुई। मथुरा जिला पहला जिला है जिसने सबसे पहले लघु सिंचाई के लिये कार्य किया। वहां कितनी मांगें बिजली की पड़ी हुई हैं। वहां पर ट्यूबवेल के पम्प कामयाब हो रहे हैं। विवाद केवल इस बात पर उठा कि जितनी मांग हैं उससे कम से कम १/८

[श्री चन्द्रपाल आजाद]

हिस्सा भी मंजूर हो गयी हो तो भी हम सब्र करें। वहां काफी मांग है। मांग इसलिये है कि वहां लोगों को अनुभव है लघु सिंचाई का। अब बिजली का साधन आया है। जब हमारे यहां १०० डीजल के पम्प चल रहे हैं, तो हमें ५० प्रतिशत बिजली जरूर मिलनी चाहिये। मैं आज बावे के साथ कहता हूं कि १०० में से २० को ही बिजली मिली है। जब हमें प्रदेश की प्रगति करनी है तो अधिक उत्पादन बढ़ाने पर जोर दें और उत्पादन वहीं बढ़ेगा जहां की जमीन उर्वरा हो। उसके लिये सिंचाई के साधन जुटाये जावें चाहे वह पूर्व हो या पश्चिम। तभी प्रदेश की समृद्धि बढ़ेगी और गरीबी दूर होगी। जिस हिस्से में जान है, उत्पादन बढ़ाने की क्षमता है उसको सजग अवश्य रखिये। उसमें अगर जान नहीं पड़ी तो उसकी प्रगति नहीं होगी। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि मथुरा जिले की हालत जर्जर हो गई है। अगर उसको नहीं सुधारा गया तो वह जिला निस्सहाय होकर प्रदेश की प्रगति को नहीं बढ़ा सकेगा।

श्री कृष्णचन्द्र—

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं एक स्पष्टीकरण चाहता हूं। हमने यह नहीं कहा कि जहां एक्सपर्ट्स की राय न हो वहां आप दे दें। लेकिन अगर एक्सपर्ट्स की राय हो वहां पर पावर प्रोजेक्ट हो। जैसा कि के० एल० राव इन्जीनियर हैं उन्होंने राजघाट पर जाकर यह राय जाहिर की कि यहां पर पूरी तरह से २०० मेगावाट प्रोड्यूस करने का डैम बन सकता है। बिजली प्रोड्यूस हो सकती है और इसी तरह से एक्सपर्ट्स की राय है कि झांसी जिले में अटामिक पावर प्लान्ट हो सकता है। अगर एक्सपर्ट्स की राय है तो आप उसमें सहायक बन जायं और सहायक बन कर इस कार्य को पूरा कर दें। हम यह जरूर चाहते हैं।

*श्री शंकर प्रसाद जायसवाल (जिला वाराणसी)—

अध्यक्ष जी, हमारे जिन साथियों ने यह दलील दी कि जो चलता नहीं है उसको साधन नहीं देना चाहिये, जो चलता है उसी को साधन देना चाहिये। मैं पूछना चाहता हूं उनसे कि यह कहां की उचित दलील है कि आपके पास अगर साइकिल चढ़ने के लिये है तो आप कार की मांग करें और जिसके पास साइकिल भी नहीं है उसे साइकिल तक न मिले ? आप तो कार तक पहुंचना चाहते हैं, हमको साइकिल भी नहीं देना चाहते। मैं अपने बंधुओं को बताना चाहता हूं कि जिन्होंने पूर्वी उत्तर प्रदेश का अब तक शोषण किया है, वे अब नहीं कर पायेंगे। मान्यवर, आप यदि इस पिछले बजट को देखें तो इसमें भी पूर्वी उत्तर प्रदेश और बुन्देलखंड की उपेक्षा की गयी है। इस अनुपूरक बजट में भी उस क्षेत्र की उपेक्षा की गयी है। मैं आंकड़े देकर इस चीज को साबित कर सकता हूं। इस अनुपूरक बजट में सिंचाई के लिये पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिये कोई व्यवस्था नहीं की गयी है, एक भी पैसा उस कार्य के लिये नहीं रखा गया है जब कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिये करीब ढाई लाख का प्राविधान इसी अनुपूरक बजट में है। फिर जो योजना वहां पर प्रारम्भ की जायेगी वह ९ वर्षों की है है जिस पर कई करोड़ रुपया खर्च होगा। मैं किसी से भीख नहीं मांगता, किन्तु जिस प्रकार से जिस आधार पर केन्द्र से इस सरकार को सहायता मिलती है, उसी आधार पर पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिये यदि हम धन दिये जाने की मांग करते हैं तो यह हमारा अधिकार है। इस अनुपूरक बजट में पूर्वी उत्तर प्रदेश के जिलों के लिये समस्त मदों में करीब २९ लाख का प्राविधान है, जब कि पश्चिमी जिलों के लिये एक करोड़ और मध्यवर्ती जिलों के लिये ९० लाख है।

मान्यवर, पूर्वी उत्तर प्रदेश में आज पावर की भी अत्यन्त कमी है। वहां पर सिंचाई के कोई साधन उपलब्ध नहीं है पावर की कमी के कारण। पूर्वी उत्तर प्रदेश की कितनी उपेक्षा

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

की जाती है उसका एक उदाहरण देना चाहता हूं। एक ओर सरकार ने यह निर्णय किया कि हम पूर्वी उत्तर प्रदेश में एक मैच फैक्टरी पर टैक्स में ३ वर्षों तक छूट देंगे, पावर कनेक्शन्स भी देंगे, दूसरी ओर विद्युत् बोर्ड द्वारा पूर्वी उत्तर प्रदेश के ११ जिलों के लिये यह गजट हुआ कि वहां के लिये जो कनेक्शन दिये जायेंगे उसमें २५ प्रतिशत की कमी की जायेगी, लोग पावर का कम से कम इस्तेमाल करें। जितने कनेक्शन वहां देने की बात थी उसमें २५ फीसदी की कमी कर दी गयी। मैं यह कहना चाहता हूं कि यदि पूर्वी उत्तर प्रदेश की इस प्रकार उपेक्षा की गयी तो हम बरदाश्त नहीं कर सकते।

*श्री सजीवन लाल (जिला उन्नाव)—

मान्यवर, मैं न उत्तर, न पश्चिम, न पूर्व किसी दिशा की ओर नहीं जा रहा हूं। मैं बीच का जो हमारा जिला उन्नाव है उसकी बाबत कहना चाहूंगा।

विद्युत् मंत्री जी बैठे हुये हैं और सहकारिता मंत्री भी बैठे हुये हैं। कानपुर और लखनऊ के बीच में उन्नाव जिले का शोषण हो रहा है। वहां पूरे उन्नाव जिले में एक भी सरकारी ट्यूबवेल नहीं है, पूरे उन्नाव जिले में सरकार की तरफ से एक भी उद्योग नहीं बना है। एक भी मिल सरकार की तरफ से वहां नहीं खोली गयी है। निर्माण मंत्री भी बैठे हुये हैं। सड़कों के विषय में भी हमारा उन्नाव जिला उत्तर प्रदेश में सबसे पिछड़ा हुआ जिला है। मुझे रिपोर्ट बताया जाय कि उन्नाव जिले में सरकार ने कौन सा काम किया है, कौन सी मिल बनायी है, कौन सा ट्यूबवेल लगाया है? चूंकि यहां पर प्रोजेक्ट का सवाल है इसलिये एक मिनट में मैंने अपनी बात बतलायी।

*श्री इन्द्रमणी (जिला टिहरी-गढ़वाल)—

मान्यवर, मैं सिर्फ एक निवेदन करना चाहता हूं। जब देश आजाद हो गया तब उत्तर प्रदेश की औसत प्रति व्यक्ति आदमी २६० रुपये थी लेकिन आपकी तीन पंचवर्षीय योजनाओं के बाद यहां की औसत प्रति व्यक्ति आमदनी २४८ रु० हो गयी। आप यहां पर जो पूरब और पश्चिम की बात कर रहे हैं तो इन तीन पंचवर्षीय योजनाओं के बाद उत्तर प्रदेश तो हिन्दुस्तान में बहुत ही पिछड़ गया है। मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि आप जो चौथी पंचवर्षीय योजना बना रहे हैं उसमें क्या आप हमको पीछे ले जायेंगे या आगे ले जायेंगे? जितनी बिजली है उतनी बिजली दीजिये। उत्तर प्रदेश में अगर हिमालय है तो यहां मैदानी इलाका भी है और यहां गंगा, यमुना, काली और धौली सारी नदियां इस प्रदेश से ही निकलती हैं। आज जो पश्चिम की बात करते हैं तो वहां ७ प्रतिशत बिजली देते हैं जब कि पूरब में ३ प्रतिशत देते हैं और बुन्देलखंड में २ प्रतिशत बिजली देते हैं और पहाड़ों को जहां से सब नदियां निकलती हैं, केवल एक प्रतिशत ही बिजली देते हैं। इस ओर से अगर हम मेम्बर लोग आपस में ही लड़ जायेंगे तो यह कोई ठीक बात नहीं है। जहां बिजली की आवश्यकता है वहां बिजली दी जाय। जहां ज्यादा आवश्यकता है वहां ज्यादा दी जाय और जहां कम आवश्यकता हो वहां कम दी जाय। इसलिये माननीय मंत्री जी से मेरा निवेदन है कि वे इस प्रदेश को आगे बढ़ावें, उसे पीछे न ले जायं।

श्री नौनिहाल सिंह (जिला मुरादाबाद)—

श्रीमन्, मैं आपसे केवल यह निवेदन करना चाहता हूं कि कैलकुलेशन करा कर देख लिया जाय कि किस क्षेत्र को बिजली ज्यादा मिलती है। यह ठीक है कि हम लोगों के पास बिजली ज्यादा है लेकिन पूरब वाले जरा इसको भी अपने ध्यान में रखें कि हमने अपने साधनों से

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री नौनेहाल सिंह]

इसको प्राप्त किया है । आप यह भी देखें कि हम कितना कमाते हैं और आपको खिलाते हैं । हम किसी से कुछ मांगते नहीं हैं । आधा बजट क्या आप अगर चाहें तो पूरा बजट ले लें, हम तो स्वयं अपनी कमाई से अपना काम चलाते हैं, इसमें किसी का कोई अहसान नहीं है ।

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा—

श्रीमन्, मैं समझता कि कुछ सदस्यों को थोड़ी सी गलतफहमी है । बिजली की कमी है, यह बात मैं बिलकुल मानता हूं कि ज्यादा बिजली मिले और उसके बनाने के लिए हम प्रयास भी कर रहे हैं । जैसा कि हमने कहा उसके लिये केंद्रीय सरकार के मंत्री की स्वीकृति से २००-२०० मेगावाट की तीन मशीनों के लिये हमने भोपाल को आर्डर भी दे दिया है और उन्होंने २ मशीनों के लिए हमको प्राथमिकत भी दे दी है, लेकिन जहां तक जल्दी से बिजली देने का संबंध है, बिजली ऐसी चीज है कि यदि हम जल्दी में बिजली चाहते हैं तो वह कुछ ज्यादा महंगी भी पड़ती है । अगर हम रे प्रदेश में बिजली चाहिये तो अणु बिजली की भी अत्यन्त आवश्यकता है तथा जल विद्युत् का भी प्रयोग करें और उसके साधन जुटायें। हमारे सामने उसकी भी स्कीम है । मैं इतना बता देना चाहता हूं कि बिजली चाहे टिहरी में बने, चाहे ओबरा में बने, झांसी में बने या हरदुआगंज में बने, उसे उत्तर प्रदेश के चारों तरफ फैलना चाहिये । जो शर्मा जी कहते हैं कि एक जगह यदि केंद्रित हो गई तो ठीक नहीं है । मैं उसे मानता हूं, जहां कम है वहां भी मिलनी चाहिये । मैं इस बात का विश्वास दिलाता हूं कि हम प्रयास करें कि ज्यादा से ज्यादा बिजली पैदा करें, भारत सरकार से भी रुपया लें, हम आप लोगों के सामने भी आवें और चारों ओर उसका विकास हो । बिजली कहां पैदा होगी इसका ज्यादा संबंध नहीं है, न इसका महत्व है । इन शब्दों के साथ मैं इतना विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हम प्रयास करेंगे और जब थोड़े दिन बाद मिलेंगे तब शायद हम आपको संतोष दिला सकें ।

आगरा यूनिवर्सिटी सिनेट के लिये निर्वाचित सदस्यों के नामों की घोषणा

श्री अध्यक्ष—

आगरा यूनिवर्सिटी के सिनेट का जो चुनाव हुआ है, उसका परिणाम यह है:—

(१) श्री धर्मदत्त वैद्य	बरेली
(२) श्री मनसाराम	मैनपुरी
(३) चौधरी रामपाल सिंह	कानपुर
(४) श्री सतीश चन्द्र शर्मा	एटा
(५) श्री हुकुम सिंह परिहार	आगरा ।

उत्तर प्रदेश वृत्ति, व्यापार, आजीविका और सेवा-योजन कर (निरसन) विधेयक, १९७०

सचिव, विधान सभा—

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से सूचना देता हूं कि उत्तर प्रदेश वृत्ति, व्यापार, आजीविका और सेवायोजन कर (निरसन) विधेयक, १९७० जो विधान सभा द्वारा २१ दिसम्बर, १९७० को पारित किया गया, और श्री अध्यक्ष द्वारा वह विधेयक प्रमाणित किया गया था, उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी सिफारिश के दिनांक २४-१२-७० को वापस प्राप्त हो गया ।

श्री अध्यक्ष—

अब हम अनिश्चित काल तक के लिये उठते हैं ।

(इसके बाद सदन ७ बजे अनिश्चित काल तक के लिये स्थगित हो गया ।)

देवकी नन्दन मित्थल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश ।

लखनऊ:
२४ दिसम्बर, १९७० ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'क'

[देखिये नियम २६(४) के अन्तर्गत ता० प्र० १ का उत्तर पीछे पृष्ठ २७६ पर।]

मंत्री—	स्थान
१—श्रीमती कुदसिया बेगम	कानपुर ।
२—श्री कैलाश प्रकाश	दिल्ली तथा मेरठ ।
३—श्री लक्ष्मी रमण अचार्य	मथुरा, रायबरेली
४—श्री बलबीर सिंह	मेरठ ।
५—श्री हिम्मत सिंह	आगरा ।
६—श्री रूपनाथ सिंह यादव	बाराबंकी, इलाहाबाद, और वाराणसी।
७—श्री प्रभु नारायण सिंह	वाराणसी, कानपुर और इलाहाबाद ।
८—श्री राम किंकर	बाराबंकी, प्रतापगढ़
९—श्री अनवार अहमद	उन्नाव ।
१०—श्री मलिखान सिंह	मैनपुरी ।
११—श्री राम सागर	जौनपुर ।
राज्य मन्त्री—	
१२—श्री मोहम्मद असरार अहमद	बरेली, बदायूं ।
१३—श्री दीप नारायण मणि	बाराबंकी, कानपुर, और वाराणसी
१४—श्री राम सिंह खन्ना	कानपुर, सीतापुर और बरेली ।
१५—श्री पुरुषोत्तम दास कपूर	कानपुर, हरिद्वार, नरेन्द्रनगर, चम्बा, टेहरी गढ़वाल, श्रीनगर, पौड़ी, लैन्सडाउन, डुगड्डा, कोटद्वार और नजीबाबाद ।
१६—श्री प्रभाकर त्रिपाठी	कानपुर, गोरखपुर ।
१७—श्री विजय कुमार त्रिपाठी	बाराबंकी ।
१८—श्री रामधारी शास्त्री	देवरिया और मथुरा ।
१९—श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह	रायबरेली, कानपुर, बहराइच व गोंडा ।
२०—श्री मुन्शीलाल चमार	आगरा, मैनपुरी व इटावा ।
२१—श्री कृष्ण स्वरूप वैश्य	बरेली, बदायूं, कानपुर व आगरा
२२—श्री मोतीलाल देहलवी	बाराबंकी, इलाहाबाद, कानपुर और प्रतापगढ़ ।
२३—श्री धर्मवीर	सुल्तानपुर, इलाहाबाद, कानपुर और उरई ।
२४—श्री मनोहर लाल	कानपुर ।

उप मंत्री—

२५—श्री राम वचन यादव	आजमढ़ ।
२६—श्री सैय्यद मुहम्मद सईद मुर्तजा	मुजफ्फरनगर, सहारनपुर और मेरठ ।
२७—श्री सर्वसुख सिंह	कानपुर ।
२८—श्री महीलाल	मुरादाबाद ।
२९—श्री मोहन लाल	हमीरपुर ।
३०—श्री डूंगर सिंह	नैनीताल
३१—श्री अहमद लूत खां	अलीगढ़ ।
३२—श्री रघुबीर सिंह	ग्राम इटौंजा
३३—श्री हबीबुर्रहमान नोमानी	आजमगढ़, फैजाबाद ।
३४—श्री भारत सिंह चौहान	इटावा ।
३५—श्री राम वचन	आजमगढ़ ।
३६—श्री अनीसुर रहमान शेरवानी	बाराबंकी, रायबरेली, कानपुर, अलीगढ़ तथा सीतापुर ।
३७—श्री श्याम सूरत उपाध्याय	इलाहाबाद ।
३८—श्री गंगा प्रसाद	एटा ।
३९—श्री मती इन्द्रमोहनी	मुरादाबाद ।
४०—श्री रघुनाथ सिंह	आगरा ।

नत्थी 'ख'

[देखिय नियम ३८(२) के अन्तर्गत ता०प्र० ३ का उत्तर पीछे पृष्ठ २८७ पर]

(१) शासन ने जनवरी, १९६७ से नये वेतन मान में ९९ रु० तक पाने वाले को ६ रु० तथा १००से २९९ तक पाने वाले को ९ रु० की अन्तरिम सहायता स्वीकृत की ।

(२) १ अप्रैल, १९६७ से पुनः ९९ तक पाने वाले को ३२ रु०, १०० से १०९ रु० तक पान वाले को ३० रु० तथा ११० रु० से १४९ रु० तक पाने वाले को ४८ रु० अन्तरिम सहायता कर दी गयी ।

(३) १ अप्रैल, १९६७ से महंगाई भत्ता ९९ तक पाने वाले को ३८ रु० , १०० से १०९ रु० तक पाने वाले को ३९ रु० , ११० से १४९ रु० पाने वाले को ५५ रु० स्वीकृत किया गया ।

(४) १ जून, १९६७ से महंगाई भत्ता-१०९ रु० तक पाने वाले को ४४ तथा ११० से १४९ रु० तक पाने वाले को ६२ रु० इस शर्त पर दिया गया कि इसका नगद भुगतान १ सितम्बर, १९६७ से होगा । इससे पहिले की वृद्धि जी०पी०फंड में जमा हो जायेगी । यदि कोई कर्मचारी इसे निकालना चाहे तो यह अनुमति १ अप्रैल, १९६८ के बाद दी जायेगी ।

नत्थी 'ग'

(देखिये ता०प्र० ४५ का उत्तर पीछे पृष्ठ २६५ पर)

जिले का नाम	यू०पी० विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश, १६७० के विरुद्ध आन्दोलन के सिलसिले में १०-६-७० तक गिरफ्तार किये गये छात्रों की संख्या
१—इलाहाबाद	३६
२—आजमगढ़	४
३—बलिया	५
४—देहरादून	१५
५—देवरिया	१७
६—गोरखपुर	२४
७—जौनपुर	३
८—कानपुर	१३
६—लखनऊ	३५
१०—मेरठ	४७
११—मिर्जापुर	७
१२—सुल्तानपुर	१२
१३—सहारनपुर	२
१४—वाराणसी	२७
कुल योग ..	२५१

नत्थी 'घ'

(देखिये ता० प्र० सं० ७८ का उत्तर पीछे पृष्ठ ३०१ पर)

सीलिंग ऐक्ट के अन्तर्गत अतिरिक्त घोषित भूमि (सरप्लस लैण्ड) का विवरण

क्रम-सं०	कानूनगो सर्किल	नाम ग्राम जिनमें भूमि उपलब्ध है	क्षेत्रफल	तादाद भूमि-हीन जिन्हें जमीन दी गई	भूमि जो दी गई
१	नौतनवां	आराजी महुअवा	३–१५	४	३–१५
२	,,	आराजी सरकार उर्फ जोत फरेंदा	–८६	१	–८६
३	,,	कैथौली उर्फ बरगदही	१५–४२	६	१५–४२
४	,,	घोड़हवा	११–६५	७	११–६५
५	,,	बरैनी	२८–१७	९	२८–१७
६	,,	नौनियां	१–०५	१	१–०५
७	,,	पिपरही	–९१	१	–९१
८	,,	रेहरा	६४–७७	२५	६४–७७
९	,,	लक्ष्मीनगर	४–१२	५	४–१२
१०	,,	लुड़हवा	१२–०७	१०	१२–०७
११	,,	सिहोरवा	४–४५	२	४–४५
१२	,,	सीहामार	७–९७	५	७–९७
१३	,,	सुकरौली	२८–७८	१२	२८–७८
१४	,,	हनुमानगढ़िया	८–२०	४	८–२०
१५	,,	अहिरौली	३–१९	२	३–१९
१६	,,	परसा शुमाली	३–०८	२	३–८२
१७	,,	बड़हरा	२–५२	१	२–५२
१८	,,	रामनगर	३–५०	२	३–५०
१९	,,	रतन पुर	१५–०१	५	१५–०१
२०	लक्ष्मीपुर (पिपरा)	सम्हावल	१–६३	१	१–६३
२१	,,	खरहरवा	१–३०	१	१–३०
२२	,,	धोतिहवा	६–५६	३	६–५६
२३	,,	बड़गों	१–०२	१	१–०२
२४	,,	लवदहा	१–९१	१	१–९१
२५	,,	राजधानी	७–३५।।	२	७–३५।।
२६	,,	सेमरहवा	१९–६९	१३	१९–६९

क्रम-सं०	सु०का० सर्किल	नाम–ग्राम	क्षेत्रफल	तादाद भूमिहीन	भूमि जो दी गई	शेष भूमि
		न्यायालय के विचाराधीन है—				
१—पिपरा (लक्ष्मीपुर)		कजरी	१२२–४२	२७	७३–८२	४८–६०
२—	,,	छितरपार	३–०५	–	–	३–०५
३—	,,	टेढ़ी	२५–९१	–	–	२५–९१
		ग्राम जो चकबन्दी में हाल ही में छटे हैं				
४—	,,	पैसिया	२४–१५	–	–	२४–१५
५—नौतनवां		पुरेनियां	४–७१	१	१–३३	३–३८
६—	,,	हरदीडाली	२२–२२	९	२१–०७	१–१५
—	,,	खैराटी	१३–६९	४	१३–४५	०–२४
८—	,,	निपनियां	१२–२१	६	११–९३	०–२८
		ग्राम जो अब भी चकबन्दी में है				
९—	,,	कोहड़वल	१३–४६	२	४–८६	८–६०
१०—	,,	गनेशपुर	२३–०६	१	२–१४	२०–९२
११—	,,	जगरनाथपुर	४५-६१।।	४	११–८३	३३-७८।।
१२—	,,	विपखोप	५०-५१	१३	३९–३६	११–१५
१३—	,,	शिवतरी	५७–५६	१८	४८–०१	९–५५
१४—	,,	महुअवा	११-१५।।	४	८–७२	२–४३।।
१५—	,,	दुर्गापुर	२२–७२।।	६	१८–८३	३–८९।।
१६—पिपरा		करेला अजगरहा	२३–६७	१	३–०८	२०–५९
१७—पिपरा		नईकोट	७–९३	–	–	७–९३
		कुल योग	७४२–३८	२२२	५१६-७६।।	२२५–६१।।

ग्राम सभाओं में निहित भूमि का विवरण

क्रम-सं०	सु०का० सर्किल	नाम ग्राम	क्षेत्रफल	तादाद भूमिहीन	भूमि जो दी गई	शेष
१	नौतनवां	फरेंदा	२९-१९	१४	२२-२०	६-९९
२	,,	बेलसांर	४-९९	६	३-४५	१-५४
३	,,	गंगवलिया	-०८	१	०-०८	-
४	,,	बरगदवा उर्फ गनवरिया	३-३३	३	२-५०	-०८
५	,,	घोड़हवा	३७-६०	-	-	३७-६०
६	,,	लुठहवा	४५-०५	-	-	४५-५
		योग ..	११०-२४	२४	२८-२३	८२-०९
७	लक्ष्मीपुर पिपरा	बैरिया	८-२९	३	५-२१	३-०८
८	,,	औरहवा कलां	३८-९७	-	-	३८-९७
९	,,	गौहरपुर	१-०४	१	१-०४	-
१०	,,	देवीपुर कलां	१७-८१	-	-	१७-८१
११	,,	कान्सपुर	२०-३४	-	-	२०-३४
१२	,,	दशरथपुर	१-९१	२	१-९१	-
		योग ..	९८-३६	६	८-१६	९०-२०
१३	नौतनवां	बैकुंठपुर	३-७३	१९	३-७३	-
१४	,,	चकदह	९-८४	१८	९-८४	-
१५	,,	अहिरौली	४-३८	१३	४-३८	-
१६	,,	रतनपुर	१२-२५	२८	१२-२५	-
१७	,,	शिवपुरी	५-००	१	५-००	-
१८	,,	चौतरवा	५-३३	६	५-३३	-
१९	आराजी सरकार उर्फ बैरिहवा		१-१५	११	१-१५	-
२०	नौतनवां	बरवाभौज	१-४	१०	१-४	-
२१	,,	हरलावगढ़	-५५	३	-५५	-
२२	,,	पुरसोतिमपुर	४-२२	११	४-२२	-
२३	,,	जमुहानी	१८-३९	२४	१८-३९	-
२४	,,	जिगिना	११-७१	२७	११-७१	-
२५	,,	पिपरहिया	४-९३	-	-	४-९३
		योग	८२-५२	१७१	७७-५९	४-९३

क्रम-सं०	सु०का० सर्किल	नाम ग्राम	क्षेत्रफल	तादाद भूमिहीन	भूमि जो दी गई	शेष
२६—	लक्ष्मीपुर पिपरा	लालपुर	३–५५	३	३–५५	—
२७—	,,	कटाई कोटगढ़ रहना	७–१२	७	७–१२	—
२८—	,,	करमहा	२–८३	३	२–८३	—
२९—	,,	गौहरपुर	१७–२६	१०	१७–२६	—
		योग ..	३०–७६	२३	३०–७६	—

नत्थी 'ड'

(देखिये ता० प्र० ९० का उत्तर पीछे पृष्ठ ३०३ पर)

वर्तमान सत्र (१९७०–७१) में उत्तर प्रदेश की समस्त चीनी मिलों के गन्ना पेराई कार्य के आरम्भ होने अथवा चलने की तिथियों की तालिका ।

तालिका क

क्र०सं०	नाम चीनी मिल	चलने की तिथि
	पश्चिमी उत्तर प्रदेश	
१	इकवालपुर	३–१२–७०
२	देवबन्द	२३–११–७०
३	लक्सर	७–१२–७०
४	सहारनपुर	२६–११–७०
५	सरसावां	१४–११–७०
६	मन्सूरपुर	२०–११–७०
७	खतौली	१३–११–७०
८	रोहाना	२६–११–७०
९	शामली	१६–११–७०
१०	दौराला	१४–११–७०
११	जसवन्त	१८–११–७०
१२	मोहिउद्दीनपुर	३–१२–७०
१३	बेगमाबाद	१४–११–७०
१४	सिम्भावली	२–१२–७०
१५	मवाना	१४–११–७०
१६	बागपत	१३–११–७०
१७	बुलन्दशहर	२५–११–७०
१८	डोईवाला	१६–१२–७०
१९	सक्खोतीटांडा	१६–१२–७०
	मध्य उत्तर प्रदेश	
१	काशीपुर	२३–११–७०
२	बाजपुर	१५–११–७०
३	न्योली	१६–११–७०
४	अमरोहा	२६–११–७०
५	बिलारी	२०–११–७०
६	बहेड़ी	१८–११–७०
७	बरेली	२–१२–७०
८	पीलीभीत	२०–११–७०
९	मझोला	१४–११–७०
१०	धामपुर	१९–११–७०
११	सिवहारा	२३–११–७०
१२	बिजनौर	५–१२–७०

क्रम-संख्या	वाम चीनी मिल	चलने की तिथि
१३	रोजा	२५–११–७०
१४	रजाबुलन्द	१०–११–७०
१५	हरदोई	५–११–७०
१६	हरगांव	११–११–७०
१७	महोली	११–११–७०
१८	बिसवां	२३–११–७०
१९	गोला	१२–११–७०
२०	ऐरा	२–११–७०
	पूर्वी उत्तर प्रदेश	
१	बाराबंकी	६–१२–७०
२	बढवल	१–१२–७०
३	मसोधा	४–१२–७०
४	शाहगंज	२७–११–७०
५	खलीलाबाद	१२–११–७०
६	मुंडेरवा	२३–११–७०
७	बस्ती	२५–११–७०
८	वाल्टरगंज	२०–११–७०
९	बभनान	३०–११–७०
१०	नवाबगंज	१६–११–७०
११	तुलसीपुर	१५–११–७०
१२	बलरामपुर	१८–११–७०
१३	जरवल रोड	१०–११–७०
१४	परतापपुर	१४–११–७०
१५	बैतालपुर	१–१२–७०
१६	देवरिया	१–१२–७०
१७	कैप्टनगंज	१४–११–७०
१८	छितौनी	५–११–७०
१९	लक्ष्मीगंज	१८–११–७०
२०	रामकोला (पी०)	१४–११–७०
२१	रामकोला (के०)	२३–११–७०
२२	पडरोना	३–१२–७०
२३	कठकुईयां	२–१२–७०
२४	सिवराही	२४–११–७०
२५	भटनी	८–१२–७०
२६	सरदारनगर	१३–११–७०
२७	पिपराइच	१९–११–७०
२८	धुधली	१५–११–७०
२९	सिवाबाजार	२१–११–७०
३०	फरेन्दा	१२–११–७०
३१	गौरीबाजार	१५–१२–७०

नत्थी 'च'

(देखिये ता०प्र० ६६ का उत्तर पीछे पृष्ठ ३०५ पर)

तालिका क

क्रम-सं०	चीनी मिलों व जिलों के नाम	नियुक्त किये गये रिसीवर का नाम	नियुक्ति की तिथि	मुक्त होने की तिथि
		सर्वश्री		
१	रजा बुलन्द (रामपुर)	जी पंत	३-३-१६७०	२४-३-१६७०
		मान सिंह	२४-३-१६७०	१५-६-१६७०*
२	सिसवाजार (गोरखपुर)	आर सी० वर्मा	५-३-१६७०	१०-३-१६७०
		चंदन सिंह	११-३-१६७०	२-५-१६७०
		बृजेश कुमार	४-५-१६७०	७-५-१६७०
		हरिमाधव शरन	८-५-१६७०	१६-५-१६७०*
३	बुढ़वल (बाराबंकी)	देव कामता दीक्षित	८-८-१६६६	४-३-१६७०
		बी० एन० श्रीवास्तव	५-३-१६७०	६-४-१६७०
		पी० के० मिश्रा	६-३-१६७०	अभी है
४	मंसूरपुर (मुजफ्फरनगर)	जी०डी०पुनेठा	४-३-१६७०	४-५-१६७०
५	बरेली ..	रघुबीर सिंह	४-३-१६७०	६-३-१६७०
		पी०बी० घाटे	६-३-१६७०	१४-५-१६७०*
६	मसोधा (फैजाबाद)	राम कृष्ण दूबे	४-३-१६७०	६-३-१६७०
		महेश प्रसाद मिश्रा	६-३-१६७०	२७-५-१६७०*
७	धामपुर (बिजनौर)	मदन मोहन गुप्ता	४-३-१६७०	११-३-१६७०
८	देवबन्द (सहारनपुर)	डी०पी०सिंह	५-३-१६७०	११-३-१६७०
९	लार्ड कृष्णा (सहारनपुर)	कु० एम०एस०सक्सेना	५-३-१६७०	११-३-१६७०
१०	इकबालपुर (सहारनपुर)	ओ०पी०दूबे	५-३-१६७०	१२-३-१६७०
११	जसवन्त (मेरठ)	हर दत्त पांडे	४-३-१६७०	६-३-१६७०
		आर०एस० माथुर	६-३-१६७०	१६-५-१६७०*
१२	पन्नीजी (बुलन्दशहर)	करार हुसेन	३-३-१६७०	७-३-१६७०
		हरिमाधव शरन	६-३-१६७०	६-५-१६७०
		चंदन सिंह	६-५-१६७०	२-१०-१६७०
		अशोक कुमार	३-१०-१६७०	अभी है
१३	देवरिया ..	के०एल० माथुर	४-३-१६७०	२१-३-१६७०
१४	रामकोला (पी) देवरिया)	बी०एन०सिंह	८-३-१६७०	३१-३-१६७०
१५	बैतालपुर (देवरिया)	सी०एस०गुप्ता	४-३-१६७०	२१-४-१६७०
		बी०डी०माहेश्वरी	२१-४-१६७०	२२-५-१६७०*

क्रम-सं०	चीनी मिलों व जिलों के नाम	नियुक्त किये गये रिसीवर का नाम	नियुक्ति की तिथि	मुक्त होने की तिथि
१६—भटनी (देवरिया)		जी०पी०बखिल	४–३–१९७०	९–५–१९७०
		जी०एस० तिवारी	९–५–१९७०	अभी हैं।
१७—खड्डा (देवरिया)		रमा शंकर सिंह	४–३–१९७०	१०–३–१९७०
		परमात्मा सिंह	१०–३–१९७०	२२–५–१९७०*
१८—रामकोला (खेतान) (देवरिया)		बी०एस० वर्मा	४–३–१९७०	८–४–१९७०
		बी० एम० सिंह	८–४–१९७०	अभी हैं।
१९—अमरोहा (मुरादाबाद)		पी०एल० बिसारिया	८–१०–१९६९	२२–२–१९७०
		आर० एस० माथुर	२३–२–१९७०	१५–३–१९७०
		आर०के० दूबे	१६–३–१९७०	२६–३–१९७०
		राम निवास	२७–३–१९७०	अभी हैं।
२७—बाराबंकी		एम०जेड० हुसैन	६–८–१९६९	२९–९–१९६९
		बी० आर० चतुर्वेदी	३०–९–१९६९	अभी हैं।

*इन मिलों में रिसीवर उच्च न्यायालय के आदेशों से हटाये गये।

तालिका 'ख'

क्रय कर का बकाया

(लाख रु० में)

क्रम सं०	मिल का नाम	रिसीवरों की नियुक्ति पर (२८–२–७० को) बकाया			रिसीवरों के हटने पर बकाया			रिसीवरों द्वारा किया गया भुगतान			१–११–७० को बकाया		
		पुराना	नया	योग	पुराना	नया	योग	पुराना	नया	योग	पुराना	नया	योग
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४
१	जसवंत (मेरठ) ..	१३.२५	—	१३.२५	८.९३	३.७१	१२.६४	४.३२	—	४.३२	२.२०	६.५२	८.७२
२	पन्नीजी (बुलन्दशहर)	१६.८५	—	१६.८५	×	×	×	१.१३	—	१ १३	१५.७२	६.६५	२२.३७
३	बरेली ..	१४.१५	२.४०	१६.५५	१३.६५	६.१२	१९.७७	०.५०	—	०.५०	१३.६५	७.२२	२०.८७
४	मसोधा ..	९.०२	—	९.०२	९.०२	३.४४	१२.४६	—	—	—	२.६४	४.५२	७.१६
५	सिसवाबाजार ..	३.९०	१.४५	५.३५	१.६६	३.९५	५.६१	२.२४	—	२.२४	—	६.४८	६.४८
६	बेतालपुर ..	३.२७	०.६१	३.८८	३.२७	२.९२	६.१९	—	—	—	३.२७	४.७५	८.०२
७	खड्डा ..	२०.८२	०.७३	२१.५५	२०.८२	२.५१	२३.३३	—	—	—	२०.८२	४.११	२४.९३
८	रामकोला (खेतान)	३९.३३	०.७५	४०.०८	—	×	×	—	—	—	३९.३३	३.९४	४३.२७
९	भटनी ..	१२.४१	१.०५	१३.४६	×	×	×	—	०.२१	०.२१	१२.४१	३.१६	१५.५७
१०	रामपुर ..	२०.२०	४.३५	२४.५५	२०.२०	१०.४२	३०.६२	—	—	—	२०.२०	१४.४४	३४.६४
११	बुढ़वल ..	४.३७	—	४.३७	×	×	×	—	—	—	४.३७	४.००	८.३७
१२	अमरोहा ..	४३.२०	—	४३.२०*	×	×	×	१.९१	१.१९	३.१०	४१.२९	१०.१८	५१.४७
१४	बाराबंकी ..	३२.३५	०.६३	३२.९८*	×	×	×	—	—	—	३२.३५	४.९३	३७.२८

*अमरोहा मिल व बाराबंकी मिल में रिसीवर क्रमशः ८–१०–६९ और ६–८–६९ को नियुक्त हुए। इन पर क्रमशः ३०–९–६९ व ३१–७–६९ को रु० ४३.२० लाख व रु० ३१.६९ का क्रय कर बकाया था।

×यहां अभी रिसीवर हैं।

शेष सात मिलों में उच्च न्यायालय के आदेशों से कार्य करने से रोका गया, रामपुर मिल को १५–६–७० से व अन्य मिलों को १४–५–७० से २७–५–७० के बीच में। अतः इन मिलों की स्थिति १५–५–७० को दी गई है।

पी० एस० यू० पी०—ए० पी० २४८ एल० ए०—१९७१—८४५।

अतः प्रदेश विधान सभा